खण्ड-270, अंक-2
गुरूवार, 10 अग्रहायण, शक संवत् 1888
(1 दिसम्बर, 1966 ई0)

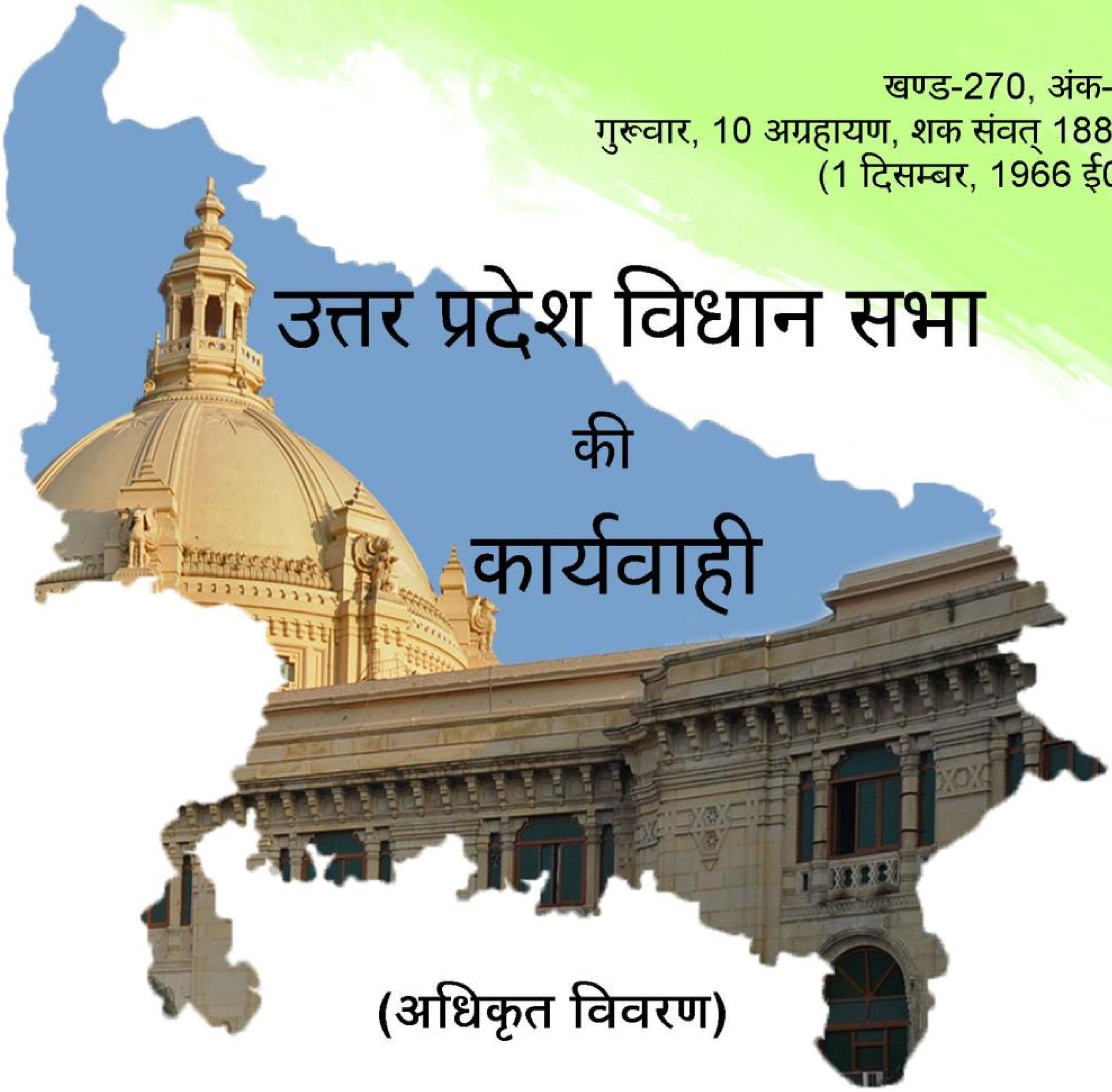

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 270 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार १ दिसम्बर, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३८४

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अहमद बख्श, श्री
आनन्द सिंह कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्र सनसिंह, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ बहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री

गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी काजी
जियाउर्रहमान, श्री (उ नाम वक्कल)
जुगुल किशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायण सिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलत लाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंह नारायण पांडेय, श्री
नरेंद्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलबीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री

बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूरसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मदनपाल सिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खान, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धात सिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री

अध्यक्ष प्रदेश सभा

रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्र सिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्द शास्त्री, श्री
रामसूरत प्रसाद श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रता सिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसीनकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनय लक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
बैजनाथ पांडेय, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्ति चन्द्र शुक्ल, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्त सिंह श्री
शिवलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपति मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
साताराम डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृप लानी, श्रीमती

अध्यक्ष प्रदेश विधान सभा

सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजपाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट:—राजस्व मंत्री, श्री हुकुम सिंह विसेन, गृह मंत्री, श्री हरगोविन्द सिंह, तथा गृह उपमंत्री, श्री शिव प्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

वृहस्पतिवार, १ दिसम्बर, १९६६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

कासगंज में सिनेमा बनाने का विरोध

**१—श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या एटा—कासगंज शहर के लक्ष्मीगंज में कोई सिनेमा बनाये जाने की आज्ञा अगस्त, १९६६ के प्रथम सप्ताह में दी गई है ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि कासगंज की जनता की ओर से सिनेमा न बनाये जाने के संबंध में उनको तथा जिलाधीश एटा को मई से अगस्त, १९६६ तक कितने प्रार्थना-पत्र मिले ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

जी नहीं। उक्त स्थान पर सिनेमा बनाने की स्वीकृति देने हेतु एक प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है।

कासगंज की जनता की ओर से सिनेमा न बनाये जाने के संबंध में जिलाधीश एटा को सीधे कोई प्रार्थना—पत्र मई से अगस्त, १९६६ के बीच प्राप्त नहीं हुआ है। सरकार को दिनांक ६ मई, १९६६ का एक प्रार्थना-पत्र इस संबंध में मिला था।

**२—श्री चिरंजीलाल जाटव—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि उक्त स्थान, जहां सिनेमा बनाया जा रहा है, के करीब लड़कों का छात्रावास तथा लड़कियों के कालेज हैं और एक बारूद की दुकान भी है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी दशा में उक्त सिनेमा घर के बनाये जाने की अनुमति को रद्द करने की आज्ञा शीघ्र ही देगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी हां। अब इस विषय पर एक रिट पिटीशन माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के विचाराधीन है।

श्री चिरंजीलाल जाटव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ६ मई सन् ६६ के पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

इसमें एक रिट है जो सरकार के विचाराधीन है उस पर पूछा जा रहा है। जब तक उसका फैसला न हो कुछ नहीं हो सकता ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

यह रिट ६ मई के बाद का है या उसके पहिले का ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है पर इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है ?

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

इन बातों का ध्यान रखते हुए कि उस स्थान के करीब लड़कों का छात्रावास तथा लड़कियों का कालेज है और एक बारूद की दूकान भी है, सिनेमा अन्यत्र बनाने की सरकार आज्ञा देगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यह बात पहिले थी लेकिन अभी पिछले दिनों दिल्ली में जो इन्फार्मेशन मिनिस्टर्स की कान्फ्रेन्स हुई उसमें इस विषय पर विचार किया गया कि सिनेमाज द्वारा अच्छा प्रचार हो, उसमें ऐजुकेशनल तथा शिक्षाप्रद फिल्में दिखाई जांय। ये तभी हो सकता है जबकि सिनेमा लाई-सेन्सेज दिये जांय। इन बातों पर भी विचार किया गया कि इनसे टाउन डिस्टर्ब न हों और उनकी ध्वनि बाहर न जाय। सरकार ऐसे सिनेमाओं को लिबरेली लाइसेंस देने की स्थिति पर विचार करेगी।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

माननीय मंत्री ने कहा कि वे ऐसे सिनेमाज को लाइसेन्सेज देने पर विचार कर रहे हैं या करेंगे जो शिक्षाप्रद फिल्मों का प्रचार करें और जिनकी ध्वनि बाहर न जाय। कासगंज में लड़कों के छात्रावास तथा लड़कियों के कालेज के पास इसकी अनुमति दी गई है। लाइसेन्स दे दिया है बिना विचारे। मैं पूछना चाहता हूं कि सिनेमावालों ने कोई ऐसा यन्त्र लगाया है कि जिससे ध्वनि बाहर न जाय और क्या वे ऐसी शिक्षाप्रद फिल्में लायेंगे ? क्या इस तरह का आश्वासन आपको मिला है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मैंने लाइसेन्स देने वाली बात तो नहीं कही। मैंने तो यही कहा कि मामला विचाराधीन है।

श्री ए० सी० ग्राइस (जिला कानपुर)--

आगरा में १०० गज की दूरी के अन्दर २ स्कूलों के लाइसेन्स को मैंने रुकवाने की कोशिश की, मुरादाबाद में भी आपने १०० गज की दूरी के अन्दर स्कूल से और मन्दिर से लाइसेंस दे दिया। यह क्यों हुआ ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न आगरा और मुरादाबाद का नहीं है।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)--

सरकार के पास कोई आश्वासन है कि शिक्षा प्रद फिल्में ही दिखलाई जावेंगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

लाइसेंस अभी नहीं दिया गया है, विचाराधीन है।

श्री ऊदल---

क्या सरकार की यह पालिसी है कि शिक्षा संस्था से ४ फर्लांग के अन्दर कोई सिनेमा हाल न बनाया जाय ? यदि हां, तो वह इस पर अमल करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

इसके रूल्स हैं जिनमें कुछ डिस्टेंस है ।

श्री ऊदल---

बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के बगल में इस सरकार ने सिनेमा हाउस बनवाया, जिससे सरकार की नीति का उल्लंघन हुआ । यह क्यों होने दिया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

सरकार को रूल्स में फासले से एग्जेम्पशन देने का भी अधिकार है ।

सैदपुर टाउन एरिया का "चेयरमैन फंड"

*३---श्री कमला सिंह यादव (जिला गाजीपुर) (अनपस्थित)---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया, सैदपुर, जिला गाजीपुर के बाईलाज में चेयरमैन फन्ड नाम का कोई फंड है ? यदि नहीं, तो १९६६ ई० में किस तरीके पर इस फंड में हजारों रुपया इकट्ठा किया गया है और किस बैंक में, किसके नाम से यह जमा है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चरणसिंह)---

जी नहीं ।

ऐसा अवश्य ज्ञात हुआ है कि टाउन एरिया कमेटी, सैदपुर ने संकल्प संख्या ४, दिनांक १२ दिसम्बर, १९६४ द्वारा "चेयरमैन फंड" की स्थापना स्वीकार की । उक्त फंड में १९६६ में नगद तथा सामान के रूप में केवल १,०८५-०० रुपया प्राप्त हुआ । नगद धनराशि को बनारस स्टेट बैंक शाखा, सैदपुर में अध्यक्ष कोष के नाम में जमा किया गया जो टाउन एरिया कमेटी के अध्यक्ष के हस्ताक्षर से संचालित होता है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २९३ पर)

लखनऊ पोलीटेकनिक में विद्यार्थियों के साथ अभद्र व्यवहार

*४---श्री बद्री प्रसाद पालीवाल---

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि लखनऊ पालीटेक्निक के वरिष्ठ कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने प्रथम वर्ष में प्रविष्ट विद्यार्थियों के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार कर रहे हैं जो असहनीय है ? तथा प्रथम वर्ष के विद्यार्थी इतने भयभीत हैं कि भय के कारण कक्षाओं में जाने में सशंकित रहते हैं ?

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)---

सरकार को यह सूचना मिली कि लखनऊ पोलीटेकनिक के वरिष्ठ कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के साथ इस वर्ष सत्र के प्रारम्भ में (अगस्त-सितम्बर) कुछ अभद्र व्यवहार किया । अब स्थिति शान्त है और कक्षाओं में लड़कों की उपस्थिति सन्तोषजनक है ।

**५---श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल---

यदि हां, तो क्या सरकार आवश्यक जांच करा कर इसे रोकने के लिये आवश्यक कदम उठायेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

जी हां। आवश्यक जांच करा कर उचित कार्यवाही कर दी गई है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसके पास छात्रों की यह भी शिकायत आई कि पहले के विद्यार्थी नये विद्यार्थियों को नंगा करा के उनसे परेड कराते थे और इस तरह होस्टल में उनका रहना दुश्वार किया गया जिससे वे २, ३ महीने तक शहर में रहे अब पता नहीं उनका क्या हुआ ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

जिस समय कक्ष आरम्भ हुआ तो उसी समय प्रिन्सिपल ने पिछले वर्ष की बातों को ध्यान में रख कर नोटिस लगा दिया था कि अगर कोई इस तरह की कार्यवाही करेगा तो उस पर फाइन किया जायगा। वे लोग अच्छा बर्ताव करें।

श्री ए० सी ग्राइस---

इसके लिये सरकार कोई लजिस्लेशन लाने की कृपा करेगी जिससे यह बन्द हो सके ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

मैनेजिन्ग कमेटी ने वहां छात्रों से बात की। जब देखा कि बाहर के लड़के होस्टल के लड़कों के साथ मिलकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और अशान्ति की सम्भावना है तो फौरन कालेज बन्द किया गया और मैनेजिन्ग कमेटी की मीटिंग की। एक सब कमेटी बनी जिसने जिन लड़कों को दोषी पाया उनके अंक काटे, फाइन किया गया और उनके पैरेन्ट्स को बुलाकर हस्ताक्षर कराके आश्वासन लिया। अब कोई ऐसी अशान्ति नहीं है।

श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)---

क्या सरकार कोई सख्त कार्यवाही की बात सोचेगी ताकि पुनरावृत्ति न हो ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

इसीलिये सत्र प्रारम्भ होते ही सख्ती बरती गई।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

केवल लड़कों के साथ ही नहीं यदि गार्जियन पहुंच गये तो उन के भी तारकोल लगा दिया गया है यह सूचना सरकार को है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

ज नहीं।

नारायणी नहर में पानी की कमी

**६---श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नारायणी नहर योजना जो गोरखपुर जिले में सिंचाई हेतु बनाई गई है उसके द्वारा किसानों को वर्तमान अगहनी सीजन में पानी इसलिये नहीं दिया जा सका कि नारायणी नदी ने नहर के हेड (पथलहवा) पर बालू छोड़ दिया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में नदी को मेन हेड से पानी पहुंचाने हेतु क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जी नहीं, वस्तुतः इस वर्ष वर्षा की कमी के कारण गण्डक नदी का जलस्तर अकस्मात दिनांक २२ सितम्बर से असाधारण रूप से नीचे गिर गया, फलस्वरूप नहर सुचारु रूप से चलाने में असुविधा हुई, तथापि नहर में पानी अन्य स्रोतों से दिया गया और जड़हन की फसल को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिये हर सम्भव प्रयत्न किये गये ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

छितौनी बांध को देखने के सिलसिले में पी० ए० सी० के मेम्बरों ने और सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर ने अभी एक माह पहले ही इस बात को देखा कि नारायणी नहर के मेन हेड से नदी एक फर्लांग दूर चली गयी है, फिर मंत्री जी को यह सूचना किस स्रोत से प्राप्त हुई है कि ऐसा नहीं है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आप देख कर आये हैं वह तो ठीक ही होगा । लेकिन मेरे पास सूचना यह है कि इस साल १५ हजार एकड़ धान की फसल इससे सींची गयी है । यह बात सही है कि इस कैनाल की बैरेज पक्की नहीं बनी है और चैनल खोद कर पानी लाया जाता है । चैनल में उस रोज बालू आ गयी होगी । मेन चैनल में जो पानी आता है वह नैपाल से आता है । वहां के लोगों ने बीच में रुकावट पैदा कर दी थी । हमारा आफिसर वहां मदद लेने के लिये गया और वहां के अधिकारियों की मदद से फिर पानी आया । इसके अलावा बड़ी गंडक में ५ मील नीचे एक जगह डोमा है । वहां से पानी नहर में डाला जा रहा है । अगर आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मैंने उस क्षेत्र के चप्पे-चप्पे गांवों को देखा है वह मेरी कान्स्टीटुयेंन्सी का हिस्सा है । नारायणी नहर नारायणी नदी से निकली है और सन् ६२ से उसके पानी के बारे में ऐजीटेशन चल रहा है । हर साल उसकी ड्रेजिंग की जाती है । इस बालू के कारण २ करोड़ रुपये से बनी नारायणी नहर बेकार हो रही है और नारायणी नदी जो पहले बिलकुल करीब थी वह दूर होती जा रही है । इसकी व्यवस्था करने के लिये माननीय मंत्री जी ने क्या-क्या प्रयास किये जिससे नहर में पानी आ सके और सिंचाई की व्यवस्था ठीक हो सके ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आप तो वहां के रहने वाले हैं मैं यह नहीं कहता कि मैं आपसे अधिक जानता हूं लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारी स्कीम यह है कि जो नारायणी नहर आ रही है और उसकी जो गंडक कैनाल आयेगी उसका इससे पानी ले लेंगे तो इतने हिस्से के बनाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि फिर मेन कैनाल गंडक कैनाल हो जायगी और फिर इसकी जरूरत नहीं होगी, यह थोड़े दिन की ही दिक्कत है, आगे यह दिक्कत नहीं होगी और ज्यादा रुपया खर्च करने की भी जरूरत न होगी ।

श्री पुरुषोत्तमलाल बधवार (जिला बदायूं)—

यह जो मंत्री जी ने बताया कि नेपालियों की वजह से पानी मिलने में रुकावट होती है तो क्या सरकार किसी ऐसी पद्धति पर विचार करेगी कि वहां पर कोई रिजरवायर बने ताकि उस से पानी वक्त पर मिल सके ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

फिर तो गंडक कैनाल से पानी आगे आ ही जायगा और इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, यह हमारा बड़ा काम तो हो ही रहा है ।

श्री सत्यनारायण पांडेय---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह नारायणी नहर सोजन में कितने दिनों तक बन्द रही और इंजिन में कितना रुपया व्यय हुआ और वह इस समय चल रही है या नहीं ? और जिन अधिकारियों ने गलत सूचना दी है उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे या नहीं और उसमें इस समय पानी आ रहा है या नहीं और नहीं तो पानी कब तक आ जायगा ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा---

मैं या तो समझा नहीं सका या आपने ध्यान नहीं दिया । मैंने जो यह प्रश्न छपा है इसका उत्तर दिया कि 'जी नहीं' और यह इसलिये मैंने कहा कि अब नहर चालू हो गई है । आप तो वह देख कर आये हैं । मैंने यह बताया कि हमारे यहां उससे सिंचाई हुई और मैं तो आप से केटेगारिकली कह रहा हूं कि जहां सिंचाई हर साल सात-आठ हजार एकड़ होती थी इस साल वहां १५ हजार एकड़ हुई है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

क्या मंत्री जी नारायणी नहर का कमान्ड क्षेत्र बतायेंगे और उसका कितने एकड़ का प्राविधान है और इस वर्ष उससे कितना क्षेत्र सींचा गया ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा---

सन् १९६१-६२ में ९,०७६ एकड़, १९६२-६३ में ५,८९६ एकड़, १९६३-६४ में ९,५३४ एकड़, १९६४-६५ में ८,३९९ एकड़, १९६५-६६ में १६,७०१ एकड़ और १९६६-६७ में २०,४८० एकड़ क्षेत्र की सिंचाई हुई । यही फिगर हमारे पास हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

कमान्ड एरिया अधिक रखा जाता है और नहर की क्षमता कम होती है और पानी के भरोसे में किसानों की फसल सूख जाती है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इसका कितना कमांड एरिया है जिससे स्पष्ट हो सके कि सिंचाई न होने के क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष---

उसके लिए तो नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नहर के दोनों तरफ कितने ट्यूबवेल्स हैं या कौन-से श्रोत हैं, जिनको माननीय मंत्री जी ने नहरों में पानी लाने के लिए प्रयोग किया है कि जिससे सिंचाई हो सके ?

श्री शांति प्रपन्न शर्मा---

मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि बड़ी गंडक में ५ मील नीचे एक जगह डोला है वहां से पानी लिया । उन्होंने इस बात का भी प्रयास किया और ऊपर नेपाल से जो सप्लाई चेनल है उससे भी पानी लिया । २-१ रोज तो दिक्कत हुयी लेकिन कुछ वहां से और कुछ गंडक से लिया । इसके अतिरिक्त यदि कोई सूचना माननीय सदस्य देंगे कि यह बात गलत है, तो मैं उसकी भी जांच करवा लूंगा ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

आजमगढ़ कारागार में राजनीतिक बंदियों का अनशन

*१---श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री मंगलदेव, श्री दौलत लाल, तथा श्री भीमा प्रसाद (जिला आजमगढ़)---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १२ जुलाई, १९६६ को १० बजे रात के बाद कहां-कहां से राजबन्दी और कितनी-कितनी संख्या में जिला कारागार, आजमगढ़ में दाखिल

किये गये तथा थाना कोतवाली, आजमगढ़ में उक्त रात को ही कहां-कहां के और कितनी-कितनी संख्या में राजबन्दी रखे गये थे ?

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)---

१२ जुलाई, १९६६ को १० बजे रात के बाद जिला कारागार, आजमगढ़ में कहीं का कोई भी बन्दी दाखिल नहीं हुआ । थाना कोतवाली, आजमगढ़ में १२ जुलाई १९६६ की रात में ५६ आन्दोलनकारी थाना मऊ से लाकर रखे गये थे ।

*२---श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री मंगलदेव, श्री दौलत लाल तथा श्री भीमाप्रसाद---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १३ और १४ जुलाई को जेलर को जिला जेल की वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति न होने का लिखित शिकायती-पत्र, जेल सुपरिंटेंडेंट, जिलाधीश और मुख्य मंत्री के नाम का नहीं दिया गया था ? यदि हां, तो जेल सुपरिंटेंडेंट और जिलाधीश को राज बन्दियों के अनशन करने की सूचना उक्त अधिकारियों को कब दी गई और अधिकारी कब राज बन्दियों से मिलकर बात किये ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

१४ जुलाई १९६६ को लगभग साढ़े दस बजे दिन में दो लिखित शिकायती पत्र, एक मुख्य मंत्री के नाम तथा दूसरा जिला मैजिस्ट्रेट के नाम जिनमें बन्दियों द्वारा अनशन करने की सूचना भी दी गई थी, जेलर को प्राप्त हुए । इन पत्रों को पाते ही जेलर ने जेल सुपरिंटेंडेंट तथा जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देने के लिए उनके निवास स्थानों पर टेलीफोन किया । जेल सुपरिंटेंडेंट अपने निवास स्थान पर नहीं थे । वे सदर अस्पताल गए हुए थे जहां टेलीफोन की व्यवस्था नहीं है । अतः उनको यह सूचना १२ बजे दिन में लिखित रूप में मिल सकी । जिला मजिस्ट्रेट भी अपने निवास स्थान पर नहीं थे । वे बाहर दौरे पर गए हुए थे । दौरे से लौटने पर उनको यह सूचना शाम को मिली । सूचना मिलने पर जेल सुपरिंटेंडेंट ने १ बजकर ३ मिनट पर आकर बन्दियों से बात चीत करके उनका अनशन समाप्त करा दिया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

माननीय अध्यक्ष जी, जो कल सदन में वक्तव्य दिया गया, उसको आप देखें । उसमें दिया हुआ है कि बन्दियों ने जिनकी संख्या ३१५ थी अनशन की सूचना दिनांक १३ जुलाई, १९६६ की रात को ८ बजे दी जब कि पका हुआ खाना उनके वार्डों में पहुंचा दिया गया था । तो जेलर को उसी दिन सूचना मिल गयी थी कि बन्दी अनशन करेंगे । अब मंत्री जी कहते हैं कि १४ तारीख को दिन में यह सूचना मिली । म जानना चाहता हूं कि जब १३ तारीख की रात को ही जेलर को यह मालूम हो गया कि राजनीतिक बन्दी अनशन कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने क्या कार्यवाही की और उसकी सूचना जेल सुपरिंटेंडेंड और जिलाधीश को क्यों नहीं दी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

मैंने यह कहा है कि लिखित शिकायती पत्र १४ जुलाई को मिला ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

जबानी जब अधिकारियों को सूचना हो गयी तो मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने क्या किया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

कुछ आदमियों ने १३ तारीख को भी खाना खाया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

मैं जानना चाहता हूं कि जो कल संशोधन वक्तव्य दिया गया उसमें स्पष्ट किया गया है कि १३ तारीख को ही रात में कुछ राजनीतिक बन्दियों ने . . . .

श्री अध्यक्ष—

पढ़ दीजिये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

"१३ जुलाई, १९६६ की रात में ८ बजे जब भोजन ३१५ आन्दोलनकारी बन्दियों के वार्डों में भेजा गया तो कुछ से जेलर को सूचना मिली कि वे अनशन करेंगे, कुछ ने खाना खाया, और कुछ ने भूख न होने के कारण उस समय खाने की इच्छा न होना बताया ।'

तो मैं जानना चाहता हूं कि जिन्होंने कहा कि अनशन करेंगे उस के सम्बन्ध में जेलर ने क्या कार्यवाही की ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

कुछ ने कहा अनशन करेंगे, कुछ ने कहा खाना खायेंगे भूख लगी है । तो कहां अनशन की बात रह गयी । १४ जुलाई को लिखित दिया तब मालूम हुआ ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

१३ तारीख को ३१५ राजनीतिक बंदियों में से कितनों ने खाना खाया और कितनों ने नहीं खाया ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

नोटिस चाहिये ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

मंत्री जी ने कहा है कि सदर अस्पताल आजमगढ़ में टेलीफोन की व्यवस्था नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस की जांच वह करेंगे कि वहां पर टेलीफोन की व्यवस्था है और यह गलत रिपोर्ट इनको दी गयी है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

अब जो नया अस्पताल बन रहा है, श्री कन्हैया लाल, सुपरिन्टेंडेंट उसमें गये हुए थे वहां व्यवस्था नहीं थी । जो पुराना सदर अस्पताल है उसमें व्यवस्था है ।

श्री मंगल देव—

मंत्री जी कहते हैं कि टेलीफोन नये अस्पताल में नहीं था, यह घटना जिस दिन की है उस दिन एक टेलीफोन पुराने अस्पताल में था कि नहीं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मैंने कहा कि १४ तारीख को जेलर को जैसे ही शिकायत मिली उस ने टेलीफोन कलेक्टर और जेल सुपरिन्टेंडेंट को किया । जेल सुपरिंटेंडेंट नये अस्पताल की इमारत में गये थे वहां टेलीफोन नहीं था । उस ने लिखित भेजा । साढ़े १२ बजे जेल सुपरिंटेंडेंट को भी इत्तला मिल गयी ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो शिकायती पत्र गया था जिला मैजिस्ट्रेट के पास उस में सुपरिंटेंडेंट के खिलाफ भी शिकायत की गयी थी ? यदि हां, तो क्या शिकायत थी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इसमें शिकायतें यह की गई है कि भोजन बहुत ही खराब किस्म का होता है, बूढ़े बंदियों को जिनके दांत कमजोर हैं या टूटे हुए हैं नाश्ता नहीं दिया जाता है। बार बार निवेदन के बाद भी बलिया नहीं दिया गया, चावल नहीं के बराबर दिया जाता है, पानी की व्यवस्था भी बहुत निन्दनीय है, रोशनी की सुविधा हास्यास्पद है आदि आदि। कुछ बन्दियों को मैनुअल के अनुसार सुविधा नहीं दी गयी है। इसी तरह की शिकायतें हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या गृह मंत्री जी बतलायेंगे कि जो शिकायत मुख्य मंत्री और जिलाधीश को दी गयी थी उस के बारे में मंत्री जी ने कहा कि जिलाधीश को जो शिकायती पत्र मिला उसकी जांच उस ने जेल के सुपरिन्टेन्डेन्ट से करायी जब कि जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट के खिलाफ भी उस में शिकायत थी और उसी से जिलाधीश ने जांच करायी। तो जो शिकायत मुख्य मंत्री के पास आयी क्या उन्होंने भी उस की जांच सुपरिन्टेन्डेन्ट से करायी या किसी दूसरे अधिकारी से करायी ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जिलाधीश ने लिखा है कि शिकायतें गलत हैं और वह संतुष्ट हैं कि ये शिकायतें वहां नहीं थीं। अब किस एजेन्सी से जांच करायी इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या कृपा कर माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जेल वालों को यह आम शिकायत है कि ये बन्दी अनुशासन नहीं मानते हैं और उत्पात करते हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जी हां, जिस समय से ये पहुंचे थे उन्होंने इस तरह का उत्पात शुरू कर दिया था।

*३—४—श्री शिवचरण—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिये गये।]

हरिजन कन्या के साथ बलात्कार तथा उसकी हत्या

*५—श्री बनवारी लाल विप्र (जिला आगरा), श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा), श्री खेमचन्द्र (जिला आगरा) श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया), तथा श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आगरा में दयालबाग क्षेत्र के अन्तर्गत दिनांक १३ जुलाई, १९६६ को गांव लाल गढ़ी की एक १३ वर्षीय हरिजन कन्या का दिन के १० बजे बलात्कार करने के बाद कत्ल कर दिया जिसकी नामजद रिपोर्ट थाना हरीपर्वत में कर दी गई फिर भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

इस संबंध में थाने पर दिनांक १३-७-६६ को सूचना प्राप्त हुई जिसमें किसी को नामजद नहीं किया गया। सूचना के आधार पर धारा ३०२/३७६/३९२ भा० द० वि० के अन्तर्गत एक अभियोग अंकित किया गया और विवेचना तुरन्त प्रारम्भ की गई। विवेचना अभी पूर्ण नहीं हुई है।

श्री बनवारीलाल विप्र—

मंत्री महोदय का कहना है कि १३-७-६६ को जो सूचना पुलिस को दी गयी थी उसमें कोई नाम नहीं था लेकिन एफ० आई० आर० को मैंने स्वयं देखा है उसमें ७ आदमियों के नाम लिखे हुये थे जिनमें दो प्रमुख और एक सोना नामक आदमी था ?

श्री अध्यक्ष—

पुलिस रिपोर्ट आपके पास है क्या और उसमें नाम हैं या नहीं हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मेरे पास है । उसमें नाम हैं लेकिन माननीय सदस्य को भ्रम हो गया है । उसमें यह नहीं लिखा है कि इन लोगों ने कत्ल किया, यह लिखा है कि बहुत से आदमी मौके पर पहुंच गये। सोने का नाम भी लिखा हुआ है । उसे पूछ-ताछ के लिये पकड़ा भी गया लेकिन छोड़ दिया गया । यह नहीं लिखा है कि सोने ने कत्ल किया ।

श्री बनवारीलाल विप्र—

यह जो सूचना सदन में माननीय मंत्री जी ने पेश की है यह उसकी डुप्लीकेट कापी नहीं है जो थाने में लिखाई गयी है ?

श्री अध्यक्ष—

आपके पास रिपोर्ट है तो मेरे पास भेज दें ।

श्री बनवारीलाल विप्र—

मेरे पास रात को ९ बजे के करीब रिपोर्ट आई है । प्रश्न यह है कि जिस दिन कत्ल हुआ दस साढ़े दस बजे के करीब सोने नामकव्यक्ति को उसी के तुरन्त बाद लाश के पास खड़ा देखा गया और उसे पकड़ा गया और उसे १९ दिन पुलिस थाने में रखा गया, फिर उसे छोड़ दिया गया तो इसका क्या कारण है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मेरे पास असल की नकल नहीं है अगर माननीय सदस्य वह रिपार्ट मुझे दिलवा दें जिसमें थाने की असल नकल है और मेरे पास जो है उन दोनों में फर्क होगा तो मैं सख्त से सख्त कार्यवाही करूंगा । ऐसे ही कत्ल अलीगढ़ और मथुरा में भी हुये थे जिनमें बलात्कार का आरोप था, फिर जेवर उतार कर कत्ल कर दिया गया, उनमें तो शिनाख्त हो गयी लेकिन इसमें नहीं हो सकी है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि किस के द्वारा यह इंवेस्टिगेशन हुआ और जैसा उन्होंने कहा कि सदन के सामने कुछ बातें नहीं लाई गयीं तो क्या वे किसी उच्चाधिकारी के द्वारा जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मैंने यह नहीं कहा कि ऐसी कोई बात है जो श्रीमन् के सामने नहीं लायी गयी है । मैंने यह निवेदन किया था कि माननीय सदस्य यदि यह सबूत दे देंगे कि जो रिपोर्ट मिली है वह गलत है तो सख्त कार्यवाही की जायगी । जहां तक इन्क्वायरी का प्रश्न है, तो इस इन्क्वायरी में सी० आई० डी० की मदद हम ले रहे हैं और यह ६–७ केसेज जो हैं उनको सी० आई० डी० देख रही है ।

श्री छत्रपति अम्बेश—

मंत्री जी ने बतलाया कि इस प्रकार की घटना मथुरा में भी हुई थी । तो जब उनकी जानकारी में यह है कि इसी प्रकार की घटना आगरा और आगरे के आसपास कुछ जिलों में भी पांच माह पूर्व हुई थी और इस प्रकार की घटनाओं की जानकारी पुलिस अधिकारियों को पिछले करीबन ८–१० महीनों से है तो इस दरमियान में पुलिस की कोई जांच हो सकी या नहीं ? अगर हो सकी तो उसका क्या परिणाम निकला और अगर अभी तक उसकी जांच नहीं हुई तो अभी

उसमें कितना और समय लगेगा और इस प्रकार की घटनायें आगे न हों इसके लिये कोई रोकथाम करेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मैंने कहा कि समस्या बड़ी जटिल है । नाम कोई लिखाया नहीं गया । पुलिस तब तक जांच करेगी जब तक हताश न हो जाय कि पता नहीं लगा सकती । तो जांच अभी जारी है । अब मैं तारीख कैसे दे दूं ?

श्री खेमचन्द—

अभी माननीय गुप्ता जी ने एक सूचना दी कि सोना और एक दूसरे आदमी को १९ दिन तक थाने में रखा गया और बाद में छोड़ दिया गया । इस सम्बन्ध में मंत्री जी ने कोई उत्तर नहीं दिया कि क्यों वे आदमी १९ दिन तक थाने में रखे गये और फिर क्यों छोड़ दिये गये ?

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

मैंने पहले निवेदन किया था कि उसकी शिनाख्त दो आदमियों ने की है और उसके खिलाफ सबूत मिला है लेकिन चूंकि मामला सी० आई० डी० के हाथ में है, झूठा आरोप लगा नहीं सकते, कत्ल का आरोप बड़ा संगीन होता है । जब कोई पक्का सबूत सी० आई० डी० को मिलेगा तब उचित कार्यवाही की जायगी ।

श्री लखी सिंह (जिला मथुरा)—

मंत्री जी ने बताया कि ऐसी घटना मथुरा में भी हुई । तो मैं जानना चाहता हूं कि जो मथुरा की घटना के ८ मुल्जिम छाता थाने में १८ दिन रखे गये और डी० एस० पी० महोदय और थानेदार ने गोलमाल कर के उनको छोड़ दिया, तो क्या उस घटना की जांच आपने कराई ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मेरे पास ऐसी कोई सूचना तो है नहीं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनका निवास स्थान भी आगरा में और वहां की घटना भी है, तो उनको निजी तौर पर इस घटना के सम्बन्ध में कोई जानकारी है ? अगर जानकारी है तो जो रिपोर्ट माननीय सदस्य कहते हैं अगर उससे मेल खाती है तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं कि उसने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री अध्यक्ष—

व्यक्तिगत जानकारी से क्या मतलब ?

श्री रामसुन्दर पांडेय—

जब उनका वहां निवास स्थान है, अधिकारी गलत कहता है और सही जानकारी है तो उचित कार्यवाही करनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

तो उनसे पूछ लीजिये कि व्यक्तिगत जानकारी है ।

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

मुझे इतनी व्यक्तिगत जानकारी है कि ऐसा कत्ल हुआ । किसने किया, यह जानकारी बिलकुल नहीं है ।

श्री बनवारी लाल विप्र—

उस लड़की का डाक्टरी मुआयना भी हुआ था। उस डाक्टरी मुआयने में जो पोस्ट मार्टम हुआ उसमें कितना रैंट्रोल उस लड़की पर खर्च किया गया उसको जताने में व कितना मेडिकल रिपोर्ट में दिखाया गया है ? और जो बलात्कार हुआ है उसमें एक व्यक्ति या दो जनों को दिखाया गया है वह मेडिकल रिपोर्ट क्या है ? उसको सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

पोस्ट मार्टम रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है, उसको जताया गया है, यह भी सत्य है, उसके चोटें पहुंचायी गई यह भी सत्य है, उसके साथ बलात्कार किया गया, यह भी सत्य है। अगर वह देखना चाहें तो देख सकते हैं।

लखीमपुर में पुलिस की हिरासत में मुलजिम की मृत्यु

*६—श्री राम चरन शाह (जिला लखीमपुर-खीरी), तथा श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह सत्य है कि जुलाई, १९६६, के अन्तिम सप्ताह में किसी दिन लखीमपुर न्यायालय में पुलिस कस्टडी में एक मुलजिम की मृत्यु हो गई क्योंकि गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसे बुरी तरह पीटा था ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

दिनांक २९ जुलाई, १९६६ को पुलिस की हिरासत में एक मुलजिम की मृत्यु लखीमपुर कचहरी के बरामदे में हो गई थी परन्तु यह सत्य नहीं है कि उसकी मृत्यु पुलिस द्वारा मारने पीटने के कारण हुई। उस मुलजिम को नकब लगाते समय गांव वालों ने पकड़ कर मारा पीटा था जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई।

श्री जगन्नाथ राव—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि चोरी की घटना में अभियुक्त की मृत्यु हो गई तो रिपोर्ट किसने लिखाई, क्या लिखाई और क्या इससे पहले उसने कोई बयान दिया था ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

श्रीमन्, बयान देने का सवाल नहीं आया। वह अदालत के बरामदे में ही मर गया।

श्री जगन्नाथ राव—

जिस आदमी के यहां चोरी हुई क्या उसने रिपोर्ट लिखाई कि हमारे यहां चोरी हुई और वह आदमी पकड़ा गया और जब वह आदमी थाने में आया तो क्या उसने बताया कि गांव वालों ने उसे मारा है ? क्या इसकी रिपोर्ट थाने में है ?

श्री शिव प्रसाद गुप्त—

जी हां, यह लिखाई है।

श्री विजय सिंह (जिला जालौन)—

जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो उसकी तलाशी लेती है और उसके चोटें आती हैं तो उनका जिक्र पुलिस डायरी में करती है। तो क्या इसके बारे में पुलिस डायरी में कोई जिक्र है ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त—

रोजनामचे में भी लिखा है और रिपोर्ट लिखाने वाले ने भी कहा है कि उसने बल्लम मारा और डाक्टरी रिपोर्ट में भी चोटें दिखाई गई हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब मुलजिम गांव से थाने में लाया गया तो उसके चोटें थीं और कितनी देर वह पुलिस कस्टडी में रहा ?

श्री शिव प्रसाद गुप्त--

वह २९ तारीख को थाने में लाया गया। रात को उसने शिकायत की कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। डाक्टर के पास उसको ले जाया गया। डाक्टर ने उसको दवा दी। दूसरे दिन उसको कचहरी ले जाया गया, वहां उसकी मृत्यु हो गई।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या उसकी मौत बल्लम की चोट से हुई या और किसी कारण से हुई ?

श्री शिव प्रसाद गुप्त--

वह साढ़े सात बजे २९ तारीख को लाया गया और ३० तारीख को मरा। उस समय तक वह थाने में रहा।

श्री राम सुन्दर पान्डेय--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि डाक्टर ने जिन चोटों से मृत्यु होना बताया है वे कितने घंटे पहले लगना बताया है ?

श्री शिव प्रसाद गुप्त--

श्रीमन्, डाक्टर ने लिखा है कि इनजरी नंबर १३ से फेफडे में पंक्चर निकला जिसका इलाज नहीं हो सकता था। उसकी चोटें संगीन थीं और वह बच नहीं सकता था।

श्री शारदा भक्त सिंह (जिला हरदोई)--

क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि चूंकि उसकी पुलिस कस्टडी में मृत्यु हुई इसलिये कोई मैजिस्टीरियल इनक्वायरी करवायी गयी या नहीं ?

श्री शिव प्रसाद गुप्त--

जी हां। मैजिस्ट्रेट से भी इनक्वायरी करायी गयी।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला वाराणसी)--

जैसा माननीय मंत्री ने बताया, प्रश्न का उत्तर आया है कि सेंध लगाते चोट लगी, तो खून भी आ गया होगा। जिस पुलिस अधिकारी ने उसको पकड़ा उसने उस खून को नहीं देखा और जब रात में ब ाया कि हमारे सीने में दर्द हो रहा है तो डाक्टर बुलाया गया, ऐसे लापरवाह पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

जिन सिपाहियों से डाक्टर ने कहा था कि बड़े सदर अस्पताल ले जाओ और वह नहीं ले गये, रात में ले गये, उनके खिलाफ कार्यवाही कर रहे हे कि डाक्टर के आदेश का पालन क्यों नहीं किया।

श्री बृजभूषण शरण (जिला देहरादून)--

क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि जब कोई मुलजिम हवालात में दाखिल होता है, तो उसका मुआयना होता है जो चोटें लगी होती हैं, क्या इस रोशनी में रिपोर्ट दर्ज की गयी थी कि इतनी चोटें हैं ?

श्री शिव प्रसाद गुप्त--

जी हां। आठ चोटें जनरल डायरी में लिखी हुई हैं।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, इस सवाल का जनरल कैरेक्टर भी है। सदन में बराबर आवाज उठती रही है कि पुलिस के जरिये पकड़े जाने पर मुलजिमों की अक्सर मारपीट हुई है और बहुत से मुलजिम मर भी गये हैं। यह खबरें अख्बार में भी छपती रहीं। मैं जानना चाहता हूं कि पूरे मामलात की रोशनी में सरकार ने कोई गुप्त आदेश अधिकारियों को दिया है कि मिनिमम फोर्स इस्तेमाल करें या बिलकुल न इस्तेमाल करें?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

मिनिमम फोर्स इस्तेमाल करने का सवाल नहीं है। पुलिस ने थोड़े ही मारा है। उसने अपनी प्रापर्टी के डिफेन्स में बल्लम मारा और कानून में उसको अख्तियार है।

नारी निकेतन, मथुरा से औरतों का भाग जाना

*७--सर्व श्री लखी सिंह तथा राम किशोर त्रिपाठी--

क्या यह बात सही है कि विगत २६, २७ जुलाई, १९६६ की रात को नारी निकेतन, जिला मथुरा की ३ औरतें इस निकेतन के कर्मचारियों की साजिश से गुन्डों द्वारा भगा ले जाई गयी हैं? यदि हां, तो यह कहां-कहां की थीं और इस निकेतन में रखने का क्या अभिप्राय था?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

यह सही है कि विगत २६, २७ जुलाई, १९६६ की रात जिला शरणालय एवं प्रवेशालय मथुरा से तीन औरतें भाग गईं। जहां तक जिला शरणालय एवं प्रवेशालय के कर्मचारियों की साजिश का प्रश्न है, उस पर अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इस संबंध में अभी पुलिस द्वारा जांच हो रही है और जांच की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हुई है।

उक्त तीनों औरतें आवारा घूमती हुई पाई गईं और सिटी मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार उनकी सुरक्षा हेतु जिला शरणालय एवं प्रवेशालय, मथुरा में रखा गया। उक्त औरतें कहां कहां की थीं इसकी सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १९३ पर)

*८--सर्वश्री लखी सिंह तथा राम किशोर त्रिपाठी--

क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा मई या जून, १९६६ को एक अग्रसारित प्रार्थना-पत्र मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ था कि उक्त घटना घटने वाली है? यदि हां, तो सरकार ने गुन्डों द्वारा भगाये जाने की रोक-थाम के लिये क्या कार्यवाही की?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र न तो सीधा और न मुख्य मंत्री के यहां अभी तक प्राप्त हुआ है।

श्री लखी सिंह--

यह घटना घटने से लगभग डेढ़ महीने पहले मैंने स्वयं माननीय मुख्य मंत्री जी को एक प्रार्थना-पत्र दिया था, उनके कार्यालय में, विधान भवन में, उस पर फोटो भी उन गुन्डों और सरकारी कर्मचारियों के दिये थे जो भगाने की साजिश कर रहे थे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने मुझे

नोट--तारांकित प्रश्न ८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

माननीय सीताराम जी के पास भेज दिया उस प्रार्थना पत्र को लेकर। माननीय सीताराम जी ने फौरन ही आदेश दिया उप-डाइरेक्टर मिश्रा जी को। मिश्रा जी १८ जून को नारी निकेतन में तहकीकात करने गये। मैं उनके साथ था, उन्होंने तहकीकात की, फोटो देखा, मौका देखा। तो १८ जून में तहकीकात होती है और २६ जुलाई में इरादतन उन औरतों को गुन्डे और सरकारी कर्मचारी भगाते हैं। तो क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि मथुरा में बलवन्त सिंह वकील कलेक्टरी के और जो इस समिति के अधिकारी हैं उनके द्वारा इन गुन्डों ने इन औरतों को भगाया था ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय लखी सिंह जी ने जिस पत्र का और फोटो का जिक्र किया वह तो श्रीमती सुरेन्द्र कौर के संबंध में था। किन्तु ये जो ३ महिलाएं भागी हैं, उनमें से सुरेन्द्र कौर नहीं है। यह अलग केस है बिलकुल। इनके बारे में मुख्य मंत्री से कोई जिक्र नहीं हुआ है। सुरेन्द्र कौर के बारे में जो समाज कल्याण मंत्री डाक्टर सीताराम को पत्र और फोटो दिया गया था, उसे उन्होंने डिप्टी डाइरेक्टर को १७ जून को मथुरा भेजा। वह लखनऊ से जाते हैं और १८ जून को लखी सिंह जी भी उनके साथ होम का निरीक्षण करते हैं। डिप्टी डाइरेक्टर माननीय लखी सिंह के सामने ही सुरेन्द्र कौर की गवाही कराते हैं और वह हर बात उनके सामने असत्य बताती है। जो तीन औरतें भागी हैं, वे दूसरी हैं, वे आवारा घूमती हुई पायी गयी जिस सिटी मैजिस्ट्रेट के द्वारा दाखिल किया गया वे औरतें एक दूसरे की धोतियां आपस में बांधकर जमुना के किनारे से रात में उतर गयी थीं।

श्री राम किशोर त्रिपाठी--

क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करेंगी कि जो नारी निकेतन बनाया गया है व जंगल में है, एकान्त सन्नाटे में है, वहां पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है ? तो क्या इसको ध्यान में रखते हुए वे कोई ऐसी व्यवस्था करेंगी कि वह स्थान परिवर्तित हो और जहां पर अनैतिक तत्व न इकट्ठा हो सकें और पूरी सुरक्षा-व्यवस्था की जा सके ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

माननीय सदस्य ने यदि वह होम देखा होता तो वह यह बात न कहते। मैंने भी कई बार उस शरणालय को देखा है। वह स्थान कारागार से भी उपयुक्त है, उसकी चौड़ी और ऊंची दीवाले हैं।

श्री सत्यनारायण पाण्डेय--

अभी मंत्री जी ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को भगाने में सांठ-गांठ है, उसकी जांच शुरू से चल रही है --६ महीने हो गये किन्तु अब तक उसकी जांच क्यों पूरी नहीं हुई ? तो मंत्री जी कब तक इसकी जांच पूरी कराकर अपराधी को दंडित कराने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

जो सुरेन्द्र कौर नाम की महिला थी, जो वहां दाखिल हुई थी और जिनका लखीसिंह जी ने जिक्र किया था उस पर केस चला और छाता परगनाधीश ने उसे मुक्त कर दिया, क्योंकि वह बालिग थी। वह महिला पंजाब की रहने वालीं थी, वहां के उसके माता-पिता थे। जहां तक इस होम के निरीक्षण का सवाल है डिप्टी डाइरेक्टर और असिस्टेन्ट डाइरेक्टर दोनों गये थे, उन्होंने चौकीदार पर जरा सा शक किया और उसको वहां से बरखास्त कर दिया गया और उसके असिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट का तबादला कर दिया गया है। वह थानेदार वहीं थे जिनके खिलाफ

[श्रीमती तारा अग्रवाल]

लखी सिंह जी ने एक दिन का अनशन भी किया था और शायद उन्होंने अपने प्रश्नों के द्वारा उनका तबादला भी करवा दिया ।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)---

यह कहा जाना कि अपने प्रश्नों के द्वारा थानेदार का तबादला करा लिया अशोभनीय है, आप इसे कार्यवाही से निकलवा दें ।

श्री अध्यक्ष---

देख लेंगे । यह उनकी तारीफ ही की है ।

कालपी निवासी गुलशेर खां को हड्डी उद्योग के लिये ऋण

*९---श्री शिव संपत्ति शर्मा (जिला जालौन)---

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला उद्योग अधिकारी, जालौन, ने गुलशेर खां मगरोल के नाम ४०००) से अधिक का लोन हड्डी उद्योग के वास्ते दिया है ? अगर सच है, तो गुलशेर खां के पिता का नाम, मकान नं०, गांव सभा का वोटर में क्रम नम्बर क्या है ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---

श्री गुलशेर खां को केवल ४०००) रु० का ऋण जिलाधीश, जालौन, द्वारा बोन क्रशिंग इन्डस्ट्री के लिये दिया गया ।

श्री गुलशेर खां के पिता का नाम श्री शमशेर खां है । वह मंगरौल गांव सभा के निवासी नहीं हैं, अतः उस गांव सभा में मकान नम्बर तथा वोटर लिस्ट में किसी क्रम पर उनका नाम होने का प्रश्न नहीं उठता। वह कालपी के निवासी हैं ।

*१०---श्री शिव संपत्ति शर्मा---

अगर सच है कि इस व्यक्ति को लोन दिया गया है तो इनका जमानती कौन है और किस सरकारी कर्मचारी ने मगरौल में रहना तसदीक किया है, उसका नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

जमानत करने वालों के नाम श्री अब्दुल सत्तार एवं श्री अशफाक हुसैन हैं, जो कालपी के निवासी हैं ।

श्री गुलशेर खां कालपी में रहते हैं । किसी सरकारी कर्मचारी ने यह तसदीक नहीं किया है कि वह मंगरौल में रहते हैं ।

*११---श्री शिव संपत्ति शर्मा---

क्या सरकार इस सत्यता की जांच करेगी कि गुलशेर खां कालपी में रहता है, तांगा हांकता है और इसका लड़का सत्तार खां बोर्ड का कर्मचारी है, पहले सत्तार ने ही प्रार्थना पत्र लोन का दिया था जोकि लोन कमेटी ने अस्वीकार कर दिया था, फिर वही लोन गुलशेर खां के नाम से फर्जी लिखा गया ? ऐसे अनुचित कार्य करने वाले जिला उद्योग अधिकारी के खिलाफ क्या सरकार कड़ी कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

यह सत्य है कि श्री गुलशेर खां कालपी में रहते हैं । इनके टांगा चलाने की कोई सूचना नहीं है । उनका कोई लड़का सत्तार खां नहीं है । सत्तार खां उनके भाई हैं, वह म्युनिसिपल बोर्ड, कालपी के कर्मचारी हैं । सत्तार खां ने ऋण के लिये प्रार्थना पत्र दिया था जो कि जिला

नोट---तारांकित प्रश्न ८ के उपरांत प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

उद्योग समिति ने स्वीकार नहीं किया, और जिलाधीश को यह अधिकार दे दिया कि वह इसकी जांच करके श्री अब्दुल सत्तार खां को या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसे वे उचित समझें, उतनी धन-राशि का ऋण स्वीकृत कर दें। तत्पश्चात श्री अब्दुल सत्तार खां ने अपने भाई श्री गुलशेर खां का आवेदन पत्र देकर यह प्रार्थना की कि उनके स्थान पर श्री गुलशेर खां को उसी काम के लिये ऋण दे दिया जाय। आवश्यक जांच के बाद जिलाधीश ने श्री गुलशेर खां को ४०००) रु० का ऋण स्वीकृत कर दिया।

श्री गुलशेर खां को दिये गये ऋण की स्वीकृति फर्जी नहीं है। उनके ऋण के प्रार्थनापत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की गई थी। अतः जिला उद्योग अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

किच्छा में नाशपाती का ट्रक लूटा जाना

*१२—श्री देवेन्द्र सिंह (जिला नैनीताल)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि दिनांक २६ जुलाई, १९६६, को मुकाम किच्छा, जिला नैनीताल, में कुछ व्यक्तियों ने एक आलू से भरे ट्रक को लूट लिया और ड्राइवर व मालिक को जान से मारने की कोशिश की, जिसमें दोनों व्यक्ति सख्त घायल हल्द्वानी अस्पताल में हैं और जिन सबब से दिनांक २७ जुलाई, १९६६, को, हल्द्वानी बाजार बन्द रहा? उपरोक्त घटना से शहर में जबरदस्त तनाव बना हुआ है। इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई?

गृह मंत्री (श्री हर गोविन्द सिंह)—

दिनांक २६-७-६६ को मुकाम किच्छा, जिला नैनीताल में कुछ व्यक्तियों ने एक नाशपाती भरे ट्रक को लूटा और ड्राइवर, क्लीनर व मालिक को मारा पीटा। तीनों व्यक्तियों का इलाज हल्द्वानी अस्पताल में किया गया। उपरोक्त घटना के कारण हल्द्वानी में २७ जुलाई, १९६६, को पूरा बाजार बन्द नहीं रहा, बल्कि केवल आढ़तियों की दुकानें बन्द रहीं। इस संबंध में अभी तक तीन व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। इनके अतिरिक्त चार और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के आदेश जारी हो चुके हैं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८, के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न।]

चुर्क सीमेंट फैक्टरी

*१—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राजकीय चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी में वर्ष १९६४ के चतुर्थ क्वार्टर का उद्योग कोटे का कितना वैगन सीमेन्ट का लदान अभी बाकी है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वांछित सूचना शून्य है।

मऊनाथ भंजन में श्री भंवर लाल जैन के घर कत्ल सहित डकैती

*२—श्री झारखन्डे राय—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत २० मई की रात में मऊनाथ भंजन शहर (आजमगढ़ जनपद) में एक प्रसिद्ध व्यापारी श्री भंवर लाल की नृशंस हत्या कर, उनकी धर्मपत्नी को मरणासन्न अवस्था में घायल छोड़, कुछ अपराधी उनकी तिजोरी २ फर्लांग तक चहार दीवारी पार कर उठा ले गये और १ लाख से ऊपर की संपत्ति लूट ले गये?

श्री हर गोविन्द सिंह---

मई २१, २२, १९६६, की रात्रि में कुछ अपराधी श्री भंवरलाल जैन के घर दीवाल फांद कर घुसे। उन्होंने श्री जैन व उनकी पत्नी को गंडासे से वार करके घायल कर दिया। श्री जैन का २२-५-६६ को देहान्त हो गया तत्पश्चात लोहे की बड़ी आलमारी को कमरे से उठा कर मकान के पीछे करीब एक फर्लांग पर खेत में ले गये। आलमारी में रक्खे गये सोने के जेवरात व चांदी के वर्तन तथा ४००) रु० नकद, कुल १३,३२२) ले गये।

*३---श्री झारखन्डे राय---

क्या सरकार को यह मालूम है कि अब तक स्थानीय और जिला पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर सकी है और न कोई गिरफ्तारी ही हुई है ?

श्री हर गोविन्द सिंह---

उपरोक्त घटना के संबंध में अब तक सात व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके हैं या आत्म समर्पण कर चुके हैं।

*४---श्री झारखन्डे राय---

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस गंभीर अपराध की खोजबीन में राज्य स्तर से क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हर गोविन्द सिंह---

राज्य स्तर पर इस अपराध की खोज कराने हेतु सी० आई० डी० द्वारा जांच करने के आदेश जारी किए गये थे। इस वारदात का सही सुराग लग गया है।

नगरपालिका, गौरा बरहज, को भंगी क्वार्टर बनाने के लिये अनुदान

*५---श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतलायेंगे कि नगरपालिका, गौरा बरहज (देवरिया), को हरिजन बस्ती निर्माण हेतु ४५,००० रुपये का अनुदान अप्रैल, सन् १९६६, में दिया गया ?

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर सीताराम)---

नगरपालिका---गौरा बरहज---(देवरिया), को २० जनवरी, १९६६, को ४५,००० रु० का अनुदान ५० स्वीपर्स क्वार्टर के निर्माण हेतु स्वीकृत किया गया न कि हरिजन बस्ती निर्माण हेतु अप्रैल, १९६६, को।

*६---श्री उग्रसेन---

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतलायेंगे कि नगरपालिका, गौरा बरहज (देवरिया) के हरिजन बस्ती निर्माण में क्या हो रहा है ?

डाक्टर सीताराम---

स्वीपर्स क्वार्टर के निर्माण करने के लिये नगरपालिका, गौरा बरहज, देवरिया, उचित भूमि को प्राप्त करने की व्यवस्था कर रही है।

चुर्क फैक्टरी में मशीन टूट जाना

*७---श्री गिरजा प्रसाद (जिला गोंडा) तथा श्री उग्रसेन---

क्या मुख्य मंत्री को जून के अंतिम सप्ताह १९६६ में २ विधायकों का इस आशय की सूचना का पत्र मिला है कि चुक सीमेंट फैक्ट्री, चुक (मिर्जापुर), की मशीन टूट जाने से १,४०० टन प्रति दिन का उत्पादन मई १९६६ में बन्द रहा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां।

*८--श्री गिरजा प्रसाद तथा श्री उग्रसेन--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

उक्त पत्र की प्राप्ति के पूर्व ही इस संबंध में विस्तृत जांच हेतु एक कमेटी नियुक्त कर दी गई थी। उक्त कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है तथा सरकार के विचाराधीन है।

सेना से लिये गये पुलिस इन्सपेक्टर

*९--श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)--

क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो दूसरी जंग अजीम में फौज में थे ? और जंग खत्म होने के बाद पुलिस में एस० आई० या इन्सपेक्टर के पद पर लिए गए, उनके नाम और मौजूदा पद क्या हैं ?

*१०--क्या गृह मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि फौज से आए हुए एस० आई० या इन्सपेक्टर्स लिस्ट में कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी पुरानी सर्विस जोड़ ली गई ? और किन कर्मचारियों की नहीं जोड़ी गई ? और यह इमतियाजी बर्ताव क्यों किया जा रहा है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*११--श्री मुहम्मद रफी खां--

[केन्द्रीय विषय होने के कारण हटा दिया गया।

विकास खंड कल्याणपुर से छेदासिंह को कुक्कुट फार्म खोलने के लिये अनुदान

*१२--सर्वश्री कमला सिंह यादव, झारखण्डे राय, प्रेम सिंह (जिला बहराइच) तथा रघुवीर (जिला गाजीपुर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विकास खण्ड, कल्यानपुर, जिला कानपुर, के ब्लाक प्रमुख, श्री मनोहर सिंह ने अपने भतीजे, प्रधान, गांव सभा, बिनौर श्री छेदासिंह को कुक्कुट योजना के अन्तर्गत फार्म खोलने के हेतु ४,००० रुपये की धनराशि दिलवायी है और जिस धनराशि से पोल्टरी फार्म आज तक नहीं खोला गया है और पोल्टरी फार्म की फर्जी कम्पलीशन रिपोर्ट पर ४,००० रुपये की धनराशि प्राप्त करने के पश्चात् प्रधान छेदा सिंह व ब्लाक तथा विकास खण्ड अधिकारी ने पोल्टरी फार्म की धनराशि को आपस में बांट कर धनराशि का दुर्विनियोजन कर लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच किसी निष्पक्ष अधिकारी द्वारा करा कर कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम--

यह सत्य है कि प्रधान ग्राम सभा, बिनौर, श्री छेदा सिंह, को ४,००० रुपये कुक्कुट फार्म खोलने हेतु दिया गया है। परन्तु न तो श्री छेदा सिंह ब्लाक प्रमुख के भतीजे हैं और न यह धनराशि उन्हें व्यक्तिगत रूप से दी गई है। पोल्टरी फार्म अभी तक तैयार नहीं हो सका है परन्तु यह सत्य नहीं है कि फर्जी कम्पलीशन रिपोर्ट लगाकर धनराशि का ब्लाक प्रमुख, खण्ड विकास अधिकारी तथा प्रधान द्वारा दुरुपयोग किया गया है।

*१३—सर्वश्री झारखन्डे राय, प्रेम सिंह तथा रघुवीर—

[पुनरावृत्ति के कारण हटा दिया गया ।]

[१ दिसम्बर, १९६६, के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न ।]

पंजाब से आने वाले उद्योगपतियों को सुविधायें

*१—श्री झारखन्डे राय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगी कि पंजाबी सूबा भाषावार दो सूबों में टुकड़े होने के निर्णय के बाद सैकड़ों पंजाबी, मध्यम श्रेणी के उद्योगपति उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और राज्य के पश्चिमी अंचल में अपने उद्योग स्थापित करना चाहते हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

हाल ही में पंजाब के कुछ निवासियों ने उत्तर प्रदेश में नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के संबंध में उद्योग निदेशालय, कानपुर, से पूछ-ताछ किया है ।

*२—श्री झारखन्डे राय—

यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अब तक कितने ऐसे उद्योगपतियों के आने की सूचना उसे मिली है, कितने आ चुके हैं और कितने आने वाले हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

पंजाब के लगभग ३१६ उद्योगियों ने इस आशय के प्रार्थना पत्र भेजे हैं कि उन्हें उद्योग स्थापित करने के लिए प्लाट एलाट किए जायं । ६८ उद्योगियों को गाजियाबाद में प्लाट एलाट किए जा चुके हैं । परन्तु अभी तक कोई भी उद्योग स्थापित नहीं हुआ है और न यह कहा जा सकता है कि कितने उद्योग स्थापित हो सकेंगे ।

*३—श्री झारखन्डे राय—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उसकी ओर से उन्हें कौन-कौन-सी विशेष सुविधायें दी जा रही हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उन्हें कोई विशेष सुविधा नहीं दी जा रही है ।

बांदा जिले में शांति व्यवस्था

*४—श्री उग्रसेन—

क्या गृह मंत्री बांदा जिले में शांति-व्यवस्था कायम रखने के लिए कोई विशेष व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं । स्थानीय अधिकारी स्थिति के अनुकूल व्यवस्था बनाए रखते हैं ।

विधान भवन के सामने घेरा डालने वालों की गिरफ्तारी

*५—श्री उग्रसेन—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि ११ मई, १९६६, को विधान भवन, लखनऊ, के फाटकों पर सं० सो० पा० एवं कम्युनिस्ट पार्टी का घेरा पड़ा ? उसमें लाठी चार्ज हुआ और कितने लोग किन-किन धाराओं में गिरफ्तार हुए ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जी हां। लाठी चार्ज हुआ। इस संबंध में कुल २१० व्यक्तियों को धारा १४५/१४७/३५३/३३२, भारतीय दण्ड विधान और धारा ७, क्रिमिनल ला अमेन्डमेन्ट ऐक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया।

माल रोड नैनीताल

*६--श्री रियासत हुसैन--

क्या मुख्य मंत्री को यह मालूम है कि नैनीताल में माल रोड के ऊपर का पहाड़ एक तरफ को झुकता जा रहा है और कुछ जमीन में भी धंस रहा है? यदि हां, तो इस सिलसिले में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

नैनीताल में माल रोड के ऊपर का पहाड़ न तो एक ओर झुक रहा है और न जमीन में धंस रहा है।

प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के स्थानान्तरण

*७--श्री रियासत हुसैन--

क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जून, १९६६, में प्रदेश में किन-किन क्लास वन आफिसरों के तबादले कैंसिल किए गए या मुल्तवी किए गए और क्यों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

लीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी मिसिरपुर लि० की जांच

*८--श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--

क्या मुख्य मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि ३ सितम्बर, सन् १९६४ ई० को प्रश्न संख्या ८ से १० के उत्तर के अनुसार आजमगढ़ जिले की लीवर्स कोआपरेटिव सोसायटी, मिसिरपुर लि०, महाराजगंज के संबंध में जो जांच सी०, आई० डी० कर रही थी, उसकी रिपोर्ट क्या है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

रिपोर्ट अभी सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

*९--श्री उमाशंकर--

क्या सरकार यह बतायेगी कि इस सोसायटी की जांच में इतनी देर क्यों हुई?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

अनेकों अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करनी है। यह एक जटिल मामला है जिसमें समय लगना स्वाभाविक है।

बछगांव का गोली कांड

*१०--सर्वश्री लखी सिंह तथा शिवचरण लाल (जिला आगरा)--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिला, ग्राम बछगांव में ता० १२ जून, १९६६ को किसी शादी के अवसर पर पुलिस ने गोली चलाई और इस गोली से कितने लोगों की घटना स्थल पर मौत हुई और कितने लोग घायल हुए? और यह गोली काण्ड किस समय हुआ तथा गोली चलाने का आदेश किस अधिकारी ने दिया?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जी हां। १२ जून को नहीं अपितु १३ जून, १९६६, को पुलिस ने एस० डी० एम०, मथुरा, के आदेशानुसार गोली चलाई जिससे दो व्यक्ति आहत हुए। घटनास्थल पर किसी की भी मृत्यु नहीं हुई किन्तु अस्तपाल मथुरा में उसी रात एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई।

*११—सर्वश्री लखी सिंह तथा शिवचरण लाल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस घर में शादी थी उस मकान से कितने फासले पर गोली गोकुल सिंह के लगी और यह गोली डी० वाई० एस० पी० साहब अग्रवाल की पिस्तौल की लगी? और इस काण्ड में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जिस मकान में शादी थी उससे लगभग २३० गज के फासले पर गोकुल सिंह के गोली लगी किन्तु डी० वाई० एस० पी० श्री अग्रवाल की पिस्तौल की नहीं। उन्होंने कोई फायर नहीं किया था। १७ अभियुक्त जिनमें मृतक गोकुल सिंह भी था घटनास्थल पर बन्दी किए गए।

*१२—सर्वश्री लखीसिंह तथा शिवचरण लाल—

क्या सरकार के पास इस अनियमित गोली काण्ड के तार व बृज समाज के पत्र विधान सभा के सदस्य के मिले हैं? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जी हां, उक्त गोली काण्ड की जांच मथुरा के अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट (न्याय) ने की।

हरिजन छात्रा की फीस-माफी

*१३—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६६-६७ के प्रथम चरण की हरिजन छात्रा की फीस माफी की क्षतिपूर्ति की धनराशि विद्यालयों को प्रदान करने का आदेश संचालक द्वारा प्रदेश के हरिजन कल्याण अधिकारियों को कब दिया गया है और विलम्ब का कारण क्या है?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। २५ अप्रैल, १९६६, को आदेश प्रसारित किए गए थे। विलम्ब का प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा में श्री गोवर्धन नाथ के मंदिर की सुरक्षा

*१४—श्री केदारनाथ भार्गव (जिला मथुरा)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि मथुरा स्वामी घाट स्थित श्री गोवर्धन नाथ जी के मन्दिर का नाम गिरिधर निवास रखकर उसे बेचने का प्रयत्न किया जा रहा है और उसकी प्रतिमा भी वहां से हटा दी गई है?

डाक्टर सीताराम—

जी हां।

*१५—श्री केदार नाथ भार्गव—

क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि उक्त मन्दिर के पास लाखों रुपये की संपत्ति है, जिसका दुरुपयोग हो रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इसके विक्रय को रोकने और संपत्ति की सुरक्षा के लिए कोई आवश्यक कदम उठायेगी? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

डाक्टर सीताराम—

जांच से यह ज्ञात हुआ कि इस मन्दिर की अनुमनतः कीमत ८ लाख रुपये है। जहां तक उसके दुरुपयोग और उसके विक्रय को रोकने का प्रश्न है, सरकार द्वारा इस मामले में कानूनी रूप से कोई कदम उठाना संभव नहीं है क्योंकि उक्त मन्दिर किसी सार्वजनिक न्यास (public endowment) के अन्तर्गत नहीं आता है और वह व्यक्तिगत रूप से उसके वर्तमान प्रबंधक श्री बृजभूषण लाल गोस्वामी की निजी संपत्ति है जो उनके पूर्वजों को बड़ौदा के किसी सेठ से भेंट के रूप में प्राप्त हुयी थी जिसने उसे बनवाया था।

दो हजार रुपया से अधिक आय वाले मंदिर

*१६—श्री केदार नाथ भार्गव—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने प्रथम सत्र के दूसरे गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या ४८-४९ के उत्तर में जिन ६९ मन्दिरों की सूची प्रश्नकर्त्ता को दी थी उस संबंध में क्या यह सत्य है कि मथुरा जिले के अनेकानेक मन्दिरों का इन्दराज सरकार की उक्त सूची में नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उस सूची को ठीक कराने की व्यवस्था करेगी?

डाक्टर सीताराम—

प्रश्नकर्त्ता ने अपने पूर्व प्रश्न में केवल ऐसे मदिन्रों के संबंध में सूचना चाही थी जिनकी वार्षिक आय २,००० रु० या इससे अधिक हो और इस प्रकार के मन्दिर मथुरा में ६९ ही है। उक्त सूची में ऐसे मन्दिरों को शामिल नहीं किया गया था जिनकी वार्षिक आमदनी २,००० रु० से कम हो। अत : पूर्व सूची में किसी प्रकार के संशोधन करने का प्रश्न नहीं उठता।

फतेहगढ़ सेंट्रल जेल से बंदियों की प्रोबेशन पर रिहाई

*१७—श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार बतायेगी कि ३१ जुलाई, १९६५, को प्रोबेशन बोर्ड, उत्तर प्रदेश की बैठक में जमानत पर छोड़ने की सिफारिश किए जाने के बाद फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में सजा काटने वाले कौन-कौन कैदियों के रिहाई आदेश जारी कर दिए गए और किस-किस के नहीं, और किन कारणों से?

श्री हरगोविंद सिंह—

बन्दी राममिलन के रिहाई के आदेश जारी किए जा चुके हैं। दो बन्दी नेतराम व गौरी की रिहाई के आदेश अभी जारी नहीं किए गए हैं, क्योंकि उनके मामलों पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

इलाहाबाद जिले में असलहा लाइसेंस के खिलाफ शिकायत

*१८—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १२ मार्च, १९६६, को अथवा उसके आसपास एस० एस०पी०, प्रयाग को श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, ग्राम पूरा तिवारी, थाना सराय इनायत, जिला इलाहाबाद, द्वारा यह लिखित शिकायत मिली कि इलाहाबाद जिले में असलहा लाइसेंस अपराध करने वाले व्यक्तियों को भी दिए जा रहे हैं? यदि हां, तो शिकायत क्या है तथा उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

श्री हरगोविंद सिंह—

यह सत्य है कि श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, ग्राम पूरा तिवारी, थाना सराय इनायत, जिला इलाहाबाद, ने एक प्रार्थना-पत्र दिनांक १२ मार्च, १९६६, को उच्च पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद को दिया था, जिसमें उन्होंने उक्त ग्राम के अन्य व्यक्ति को राइफल तथा पिस्तौल के लाइसेंस स्वीकृत किए जाने के विरुद्ध शिकायत की थी। उक्त प्रार्थना-पत्र में इस प्रकार की कोई आम शिकायत नहीं की गई थी कि इलाहाबाद जिले में असलाहात के लाइसेंस अपराध करने वाले व्यक्तियों को भी दिए जा रहे हैं। शिकायत की प्रतिलिपि संलग्न है। जांच से समस्त आरोप असत्य पाए गए।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २९४–२९५ पर।)

*१९–२०—श्री नाथूराम शिक्षक—

[पुनरावृत्ति के कारण हटा दिये गए।]

थाना कोतवाली, फतेहपुर की पुलिस के विरुद्ध शिकायतें

*२१—श्री रघुबीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

१० मार्च, १९६६, के तारांकित प्रश्न ३६ के उत्तर के क्रम में क्या गृह मंत्री २३ फरवरी, १९६५ के प्रार्थना-पत्र को सदन की मेज पर रखते हुए बतायेंगे कि क्या श्री सुरेन्द्रनारायण द्विवेदी सब-इंस्पेक्टर की श्री महीपत सिंह, इंचार्ज इंस्पेक्टर, कोतवाली, फतेहपुर के विरुद्ध सही मुल्जिमानों को बयाने जाली मुकदमे कायम करके निर्दोषों को फंसाने, गवाहों को झूठी गवाही देने को मजबूर करने और भ्रष्टाचार करने के भी आरोप उसमें हैं? यदि हां, तो किसने कब जांच व कार्यवाही की?

श्री हरगोविंद सिंह—

दिनांक २३ फरवरी, १९६५ के प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है जिसमें कथित आरोप लगाए गए हैं। इस प्रार्थना-पत्र की जांच पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर ने स्वयं की थी। चूंकि जांच से आरोप निराधार पाए गए अतः कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २९६—२९९ पर।)

*२२—श्री रघुबीर सहाय कैथवार—

उक्त दिनांक १० मार्च, १९६६, के प्रश्न ३७ के ही उत्तर के संदर्भ में क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रार्थी सोभा द्वारा झूठी गवाही देने से इंकार करने के कारण उक्त पुलिस अधिकारियों द्वारा उसके विरुद्ध असलहा और ४५२ / ३२३ भा० दं० वि० के मुकदमें कायम करके उसे जेल भेजने की भी शिकायतें उस पत्र में हैं? यदि हां, तो उक्त पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करके उन्हें तरक्की देने का क्या कारण है?

श्री हरगोविंद सिंह—

उक्त प्रार्थना-पत्र में कथित आरोप लगाए गए हैं परन्तु जांच से उनमें सत्यता न पाये जाने के कारण पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

भारत सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तारियां

*२३—श्री हरीश कुमार गंगवार—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भारत सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक ७ जुलाई, १९६६ से १४ जुलाई, १९६६ तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और किस-किस जिले में कितने-कितने?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

७ जुलाई, १९६६, से १४ जुलाई, १९६६, तक मुरादाबाद, इलाहाबाद, कानपुर तथा बांदा में क्रमशः २, १, ४ और ३ व्यक्ति भारत सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए।

शिया कालेज, लखनऊ, के मोमिन अन्सार विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति न मिलना

*२४—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि शिया डिग्री कालेज, लखनऊ, के ऐसे छात्रों को जो मोमिन अंसार तबके के थे, इस साल (१९६५-६६) का वजीफा न देने के क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम—

मोमिन अंसार तबके के समस्त छात्रों को छात्रवृत्ति देने का प्राविधान नहीं है।

जिला उद्योग अधिकारी, गोरखपुर, के विरुद्ध जांच

*२५—श्री उमाशंकर—

क्या मुख्य मन्त्री कृपा करके यह बतायेंगे कि उनके पास गोरखपुर के उद्योग आफिसर महोदय के विरुद्ध भ्रष्टाचार करके सीमेंट में फायदा उठाने का प्रार्थना-पत्र कब पहुंचा और उसकी जांच किस अधिकारी ने किया, उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जिला उद्योग अधिकारी, गोरखपुर, के विरुद्ध सीमेंट वितरण के सम्बन्ध में एक शिकायत जून, १९६५ में आई थी, और उसकी जांच अतिरिक्त जिलाधीश, गोरखपुर, ने की थी। उनकी रिपोर्ट के अनुसार शिकायत निराधार पाई गई।

इस सम्बन्ध में एक और शिकायत १५ मार्च, १९६६, को प्राप्त हुई। इस शिकायत पर जांच अभी पूरी नहीं हो पाई है।

विकास खंड भागलपुर की हरिजन बस्ती म अग्निकांड

*२६—श्री उग्रसेन—

क्या समाज कल्याण मन्त्री को देवरिया के एक विधायक द्वारा जुलाई, १९६६, के प्रथम सप्ताह में इस आशय का पत्र मिला कि ग्राम मकरा उपाध्याय, विकास खण्ड भागलपुर (देवरिया) की हरिजन बस्ती मई के दूसरे सप्ताह में आग लगने से जल गई ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां।

सतर्कता आयोग कर्मचारियों की स्पेशल पे

*२७—श्री रक्षपालसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार द्वारा नियुक्त सतर्कता आयोग के अधिकारियों को वह सभी सुविधाएं दी जाती हैं जो अन्य प्रदेशों की सतर्कता आयोगों में काम करने वाले अधिकारियों को दी जाती हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? तथा क्या सरकार कृपया यह भी बताएगी कि क्या यह सही है कि सतर्कता आयोग के कर्मचारियों को मिलने वाली स्पेशल पे बिनांक १ अगस्त, १९६५, से बन्द कर दी गई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अन्य प्रदेशों में सतर्कता आयोगों में काम करने वाले अधिकारियों को क्या सुविधाएं दी जाती हैं इसकी सूचना सरकार को नहीं है। ऐसी सूचना एकत्र की जा रही है। वेतन अभिनवीकरण के सम्बन्ध में जारी किए गए एक जनरल, आदेश के अनुसार १ अगस्त, १९६५ से फन्डामेन्टल रूल ९ (२५) के अन्तर्गत स्वीकृत स्पेशल पे पर सरकार पुनर्विचार कर रही थी। अब सतर्कता अधिष्ठान के कर्मचारियों को स्पेशल पे देने का निर्णय ले लिया गया है।

हाथरस में औद्योगिक आस्थान के लिए विकसित स्थल

*२८—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि हाथरस में इंडस्ट्रियल स्टेट की स्वीकृति किस सन् में हुई? उसके लिए स्थान कब प्राप्त हो सका और वह कब तक बिल्कुल मुकम्मिल तैयार हो जायगी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

हाथरस में औद्योगिक आस्थान की नहीं बल्कि औद्योगिक आस्थान के लिए विकसित स्थल (Developed site for an Industrial Estate) के स्थापना की स्वीकृति सन् १९६१ में दी गई थी। उपरोक्त विकसित स्थल के लिए नवम्बर, १९६२ में स्थान प्राप्त हो सका तथा अप्रैल, १९६६ में यह औद्योगिक आस्थान के लिए विकसित स्थल बनकर तैयार हो चुका है। स्ट्रीट लाइटिंग तथा ड्रेनेज का काम शेष है। आशा है यह भी शीघ्र ही पूरा हो जायगा।

गृह उद्योगों के लिये कच्चा माल

*२९—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि गृह उद्योग और छोटे उद्योगों के लिए कच्चा माल आबन्टित न होने के कारण खराब क्वालिटी का माल तैयार होता है जब कि काले बाजार से कच्चे माल को अधिक मूल्य का खरीदने में कोई कठिनाई नहीं होती? सरकार इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या कर रही है और छोटे उद्योगों को उनकी आवश्यकता के लिए कच्चे माल को उन्हें किस प्रकार सप्लाई करने की व्यवस्था कर रही है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

कुछ उद्योगों में विशेषकर इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए विशेष क्वालिटी के कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है अन्यथा बने माल की क्वालिटी गिर जाती है। इस प्रकार के कच्चे माल अधिकतर विदेशों से मंगवाने पड़ते हैं। कुछ माल, जैसे लोहे की काली व सफेद चादर, देश में उपलब्ध है परन्तु उत्पादन के आवश्यकता से कम होने के कारण मिलने में कठिनाई होती है। विदेशी मुद्रा की कमी होने के कारण आयातित माल की कमी है। खुले बाजार में इन इकाइयों की आवश्यकता कुछ हद तक पूरी हो जाती है। खुले बाजार में आयातित माल इक्सपोर्ट इन्सेन्टिव स्कीम के अन्तर्गत तथा अन्य श्रोतों से आया हुआ मिल जाता है। भारत सरकार ने १९६६–६७ वर्ष के लिए अलौह वस्तुओं की आयात नीति बहुत उदार कर दी है जिससे आयातित कच्चे माल की कठिनाई काफी हद तक दूर हो जावेगी। इसी प्रकार आशा की जाती है कि लौह व इस्पात के आयात की नीति भी उदार कर दी जावेगी। कुछ कच्चा माल, जैसे विभिन्न अलौह धातुएं कैमिकल्स, ई० सी० ग्रेड अल्मूनियम, तार, छड़ें, एस० टी० सी० व एम० एम० टी० सी० आदि के द्वारा आयात किया जाता है व इसमें अभी भी विशेष कठिनाई महसूस की जा रही है। देश में बनी लोहे की सफेद व पतली काली चादरों की उचित मात्रा में उपलब्धि के लिए भारत सरकार से समय-समय पर माल देने के लिए प्रार्थना की जाती है।

संयुक्त निदेशक उद्योग का लखनऊ में कार्यालय

*३०—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—

क्या यह सच है कि संयुक्त निदेशक उद्योग, केन्द्रीय क्षेत्र (जोन), लखनऊ ने कार्यालय के स्थान (सीमा) और आफिस प्यून के मकान पर कब्जा कर रक्खा है? और उस बीमार प्यून को जबरन हटा दिया और वह मर गया? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं।

शिक्षा सचिवालय के अधिकारी

*३१—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगी कि क्या शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को तीन वर्ष की अवधि तक ही एक स्थान पर रखा जाने का नियम है? यदि हां, तो शिक्षा सचिवालय के किन-किन अधिकारियों को तीन वर्षों से बहुत अधिक मुद्दत से एक ही स्थान पर क्यों रखा गया है तथा उनकी मुद्दत क्या है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को एक ही स्थान पर तीन वर्ष से अधिक अवधि तक रक्खा जाने का पृथक नियम नहीं है। सचिवालय में एक पद पर रहने की सामान्य अवधि ३ से ४ वर्ष के लगभग है। शिक्षा सचिवालय में श्री ललित प्रसाद सिंह अनुसचिव के रूप में चार वर्ष से अधिक से पदासीन हैं। प्रशासकीय कारणों से उनको उक्त पद पर रहने दिया गया है।

लखनऊ में लोहे तथा इस्पात के कारखाने

*३२—श्री रक्षपाल सिंह—

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में लोहे तथा इस्पात की वस्तुओं के निर्माण के लिए कितने लघु उद्योग कारखाने, उद्योग निदेशक, कानपुर के अधीन १९६५–६६ में पंजीकृत किये गये तथा उनमें से किस-किस कारखाने को वित्तीय वर्ष १९६५–६६ में सफेद एवं काली सादी चादरों का कोटा नहीं दिया गया है एवं कोटा न देने का कारण क्या है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वर्ष १९६५–६६ में लखनऊ में लोहे तथा इस्पात की वस्तुओं के निर्माण के लिए २९ लघु उद्योग कारखाने, उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश, कानपुर द्वारा पंजीकृत किए गये। इनमें से २१ इकाइयों को वित्तीय वर्ष १९६५–६६ में सफेद एवं काली चादर का कोटा नहीं दिया गया। क्योंकि १८ इकाइयों ने उक्त कोटे के लिए प्रार्थना-पत्र नहीं दिया और शेष तीन ने या तो योजनानुसार कार्य नहीं किया या ऋण का दुरुपयोग किया। इन इकाइयों की सूची पूर्ण विवरण सहित परिशिष्ट 'अ', पर संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३००–३०१ पर)

*३३–३४—श्री जगदीशप्रसाद—

[विस्तृत होने के कारण पुनर्विचार पर हटा दिये गये।]

पालीटेक्निक

*३५—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में जो नये पालीटेक्निक खोले जा रहे हैं वह प्रदेश के किन-किन जिलों में खोले जायेंगे ?

समाज कल्याण मन्त्री (डाक्टर सीताराम)—

उत्तर प्रदेश के ६ नये पालीटेक्निक निम्न स्थानों पर खोले जाने की योजना सरकार के विचाराधीन थी :—

१—गाजियाबाद (मेरठ),
२—देवरिया,
३—जौनपुर,
४—बांदा,
५—देहरादून (ऋषिकेश), तथा
६—बिजनौर।

लेकिन अब ऐसा लगता है कि चतुर्थ योजना में सम्भवतः एक या दो ही जगह नये पालीटेक्निक खुल पायेंगे। अब तक चतुर्थ योजना की अन्तिम रूप-रेखा भारत सरकार से नहीं प्राप्त हो सकी है, कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है।

*३६—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार एक पालीटेक्निक शाहजहांपुर शहर में खोलने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

शाहजहांपुर में कोई पालीटेक्निक खोलने की योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है क्योंकि बरेली में २४० विद्यार्थी भरती करने की क्षमता वाला एक पालीटेक्निक चल रहा है जो अपने आस-पास के जिलों की (जिसमें शाहजहांपुर शामिल है) आवश्यकता पूरी करता है।

आजमगढ़ कारागार के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत

*३७—श्री दौलतलाल, श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री मंगल देव तथा श्री भीमा प्रसाद—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कारागार, आजमगढ़ के जेल सुपरिंटेंडेंट और जेलर कब से आजमगढ़ में नियुक्त हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जिला कारागार, आजमगढ़ के अधीक्षक दिनांक ७ जुलाई, १९६० से तथा जेलर २७ जून, १९६४ से आजमगढ़ जेल पर नियुक्त हैं।

*३८—श्री दौलतलाल, श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री मंगलदेव तथा श्री भीमाप्रसाद—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १३ और १४ जुलाई, सन् १९६६ को जिला कारागार, आजमगढ़ के अधिकारियों के विरुद्ध जो शिकायती-पत्र जेल से विधायकों एवं संसद सदस्य ने दिया था, उसकी जांच जिलाधीश, आजमगढ़ ने कब की और उनकी रिपोर्ट उक्त शिकायतों के सम्बन्ध में क्या है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

तेरह जुलाई को कोई ऐसा शिकायती पत्र नहीं दिया गया। १४ जुलाई को दो शिकायती पत्र दिये गये थे जिनकी जांच जिला मैजिस्ट्रेट, आजमगढ़ ने अधीक्षक, जिला कारागार, आजमगढ़ से कराई थी। जिला मैजिस्ट्रेट ने जांच किए जाने के आदेश १५ जुलाई, १९६६ को दिये थे। जांच करने के पश्चात् अधीक्षक ने जिला मैजिस्ट्रेट को अपनी रिपोर्ट २३ जुलाई, १९६६ को भेज दी थी, जिसमें कहा गया था कि बन्दियों को आवश्यक सुविधाएं देने के लिए सब प्रयत्न किये गये। इस रिपोर्ट से जिला मैजिस्ट्रेट सहमत थे।

*३९—श्री दौलतलाल, श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री मंगलदेव तथा श्री भीमाप्रसाद—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्च श्रेणी के राज बन्दियों को फल, समाचार-पत्र आदि देने की व्यवस्था कब-कब जिला कारागार में हुई है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

उच्च श्रेणी के इन बन्दियों को १२ जुलाई से ३१ जुलाई, १९६६ तक समाचार-पत्र प्रतिदिन दिये गये। फल भी इनको १४, १६, १८, २१, २३, २५, २७ तथा ३० जुलाई को दिये गये।

चर्म उद्योग सहकारी समिति, बछरावां में गबन

*४०—श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार इस बात की जानकारी करने की कृपा करेगी कि प्रशिक्षार्थी चर्म-उद्योग सहकारी समिति लि०, बछरावां का १,२०० रु० की धनराशि का गबन उद्योग सुपरवाइजर ने फर्जी सभापति बनाकर किया है ? इस पर जिला उद्योग अधिकारी, रायबरेली ने दोनों व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

(क) ऐसा प्रतीत होता है कि कथित धन का दुरुपयोग समिति के निर्वाचित सचिव ने किया है।

(ख) पुलिस द्वारा मामले की जांच करने के लिये आदेश दिये जा चुके हैं।

रानी शंकरगढ़ को नोटिस

*४१—श्री कल्याण चन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि इलाहाबाद के शंकरगढ़ की रानी को कोई नोटिस १७ फरवरी, १९६६ को ४६ गांव जिसको सरकार ने लीज पर दे रक्खा है गांवों की लीज समाप्त करने के लिये लिखा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां। राज्य सरकार ने रानी शंकरगढ़ को नोटिस इस बात की दी है कि वे शीशे का बालू (Silica Sand) निकालना बन्द करें क्योंकि इसका पट्टा उनके पास नहीं है। नोटिस का उत्तर सरकार को प्राप्त हुआ है जिसके ऊपर विचार हो रहा है।

*४२—श्री कल्याण चन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि रानी साहेबा शंकरगढ़ को यह पट्टा कब दिया गया और कितने समय के लिये और उस पर कौन-कौन-सी शर्तें हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उक्त पट्टा दिनांक २७ अप्रैल, १९५९ को दिया गया था जो पहली जुलाई, १९५२ से लागू हुआ था। इस पट्टे की मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं :—

(१) रानी शंकरगढ़, राज्य सरकार को ४,००० रु० प्रति वर्ष रायल्टी के रूप में देंगी।

(२) यह पट्टा किसी निश्चित अवधि के लिए नहीं था। हां, ५० वर्ष के बाद रायल्टी बढ़ाने का अधिकार राज्य सरकार को है।

(३) इस पट्टे के अनुसार रानी शंकरगढ़ को यह अधिकार है कि वे अपनी खानों को किराए पर (Sub-letting) चढ़ा सकते हैं।

(४) उक्त पट्टे में रानी शंकरगढ़ को पत्थर, बैलेस्ट, मौरम, कंकड़ तथा बालू निकालने तथा बेचने का अधिकार निहित है।

गूंगे बहरे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था

*४३—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गूंगे, बहरे बच्चों को शिक्षा देने के लिये क्या व्यवस्था है ?

डाक्टर सीताराम—

१४ अशासकीय तथा २ शासकीय विद्यालयों की व्यवस्था है।

४४—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि गूंगे, बहरे बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों के प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था की और उसके लिये किस योग्यता के लोग भर्ती किये जाते ?

डाक्टर सीताराम—

पढ़ाने वाले अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए एक अशासकीय ट्रेनिंग वाले, कालेज फार दी टीचर्स आफ दि डेफ, एशबाग, लखनऊ में स्थापित है और इसमें प्रवेश के लिए शैक्षिक योग्यता कम से कम इन्टरमीडिएट है।

भूमियाधार ग्राम में ईसाई धर्म प्रचार

*४५—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि भूमियाधार ग्राम, जिला नैनीताल में हरिजनों के पीने के पानी का कोई प्रबन्ध नहीं है और जिस गांव में ८० प्रतिशत हरिजन हैं न उनके पढ़ने के लिए कोई स्कूल है ? यदि हां, तो सरकार इसका प्रबन्ध करने का प्रयत्न करेगी ?

डाक्टर सीताराम—

भूमियाधार ग्राम, जिला नैनीताल में समस्त ग्राम वासियों (हरिजन तथा सवर्ण जाति) के लिए पेय जल की सुविधा है। इस ग्राम में जिला परिषद् के अन्तर्गत प्राइमरी पाठशाला भी हैं। अतः प्रबन्ध करने का प्रश्न नहीं उठता।

*४६—श्री मोहनलाल वर्मा—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि यह सत्य है कि भूमियाधार गांव में गरीब हरिजनों को ईसाई मत धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है ? यदि हां, तो उसे रोकने का प्रबन्ध करेगी ?

डाक्टर सीताराम—

ऐसी कोई शिकायत अभी तक सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

विकास खंड, रामपुर में सुरक्षा कोष हेतु ड्रामा

*४७—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि दिनांक २५–२६ दिसम्बर, सन् १९६५ ई० को किसी समिति "बजरंग धर्म मंडल, रामपुर" की ओर से जिलाधीश, जौनपुर की अनुमति से सुरक्षा कोष हेतु ड्रामा खेला गया था, जिसकी रसीद–बहियां बी० डी० ओ०, रामपुर (जौनपुर) श्री लाखन सिंह मंत्री द्वारा वितरित की गई थी ? इस नाटक के द्वारा प्राप्त कितना धन अब तक सुरक्षा कोष में जमा हुआ ? कितना धन श्री लाखन सिंह के पास है ? क्या सरकार इसका स्पष्टीकरण करने का कष्ट करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

दिनांक दिसम्बर, २५–२६, १९६५ को सुरक्षा कोष हेतु विकास खंड, रामपुर में "बजरंग धर्म मंडल, रामपुर" द्वारा एक ड्रामा खेला गया था, जिसकी व्यवस्था स्थानीय व्यक्तियों ने की थी तथा प्रमुख, क्षेत्र समिति इसके संयोजक थे।

उक्त ड्रामे के लिये बी० डी० ओ०, रामपुर द्वारा कोई रसीद नहीं छपवाई गयी थी।

इस ड्रामे के आयोजन से कुल ५५० रु० के टिकट बिके थे जिसमें से ५१६ रु० सुरक्षा कोष में जमा किया गया है तथा शेष धनराशि ड्रामें के आयोजन में खर्च की गई है।

आटा चक्कियां

*४८—श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगीं कि उत्तर प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, कानपुर द्वारा मान्यता प्राप्त ५० प्रतिशत अनुदानित मूल्य पर हाथ चालित आटा चक्कियां बेचने की एजेन्सियां किस-किस संस्था को कब-कब स्वीकृत की गई हैं और वह संस्थायें किस-किस साइज की आटा चक्कियां किस-किस मूल्य पर बेच रही हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३०२–३०३ पर।)

*४९—श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या यह सही है कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के मंत्री महोदय ने अधिकांश ऐसी संस्थाओं को मान्यता दे दी है जिन्होंने कई माह गुजर जाने पर भी चक्कियां बेचने का कार्य शुरू नहीं किया है जिस से उन स्थानों पर जनता को अनुदानित मूल्य पर आटा चक्कियां नहीं मिल पाती हैं ? यदि हां, तो वह संस्थायें कौन-कौन हैं और उनकी मान्यता समाप्त कर के उन स्थानों पर अन्य संस्थाओं को मान्यता क्यों नहीं दी जाती है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह सही है कि मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से बहुतों ने चक्की विक्रय कार्य पूर्ण रूप से आरम्भ नहीं किया है। इन कारणों की जांच की जा रही है। यदि बिना किसी उचित कारणों के कोई संस्थायें आटा चक्की विक्रय का कार्य नहीं कर रही होंगी तो उन संस्थाओं की मान्यता

समाप्त करने के तथा उनके स्थान पर नई संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के विषय पर विचार किया जायेगा ।

*५०—श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या मुख्य मंत्री को यह मालूम है कि आगरा जैसे बड़े नगर में खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा प्रमाणित आटा चक्की निर्माण केन्द्र होते हुये भी वहां पर निर्मित होने वाली चक्कियों का ५० प्रतिशत अनुदानित मूल्य पर जनता को मिलने का कोई स्थान नहीं है ? यदि हां, तो आगरा की जनता को इस योजना के लाभ से वंचित क्यों रखा जा रहा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

यह सही नहीं है कि आगरा में खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा प्रमाणित आटा चक्की निर्माण केन्द्र होते हुये भी वहां पर निर्मित ५० प्रतिशत अनुदानित मूल्य पर चक्कियां बेचने का स्थान नहीं है ।

आगरा में एक बिक्री केन्द्र की मान्यता खादी कमीशन, बम्बई द्वारा वृज ग्राम सेवा मंडल, मथुरा नाम संस्था को प्रदान की गई हैं एवं यू० पी० धान कुटाई उद्योग सहकारी संघ लिमिटेड, कानपुर द्वारा आगरा में चक्की विक्रय का प्रबन्ध भी किया गया है ।

नयाबांस निवासी रामनिवास के घर मारपीट

*५१—श्री गंगा प्रसाद वर्मा (जिला एटा)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मैनपुरी, थाना फरिहा, ग्राम नयाबास, तारीख २९ मई, १९६६ को राम निवास हरिजन के घर पर चढ़कर गुन्डों ने दिन के ४ बजे लूटा और लाठी-भालों से चोटें पहुंचाई ? इसकी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक के यहां की गई उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

यह सही नहीं है कि दिनांक २९ मई, १९६६ को राम निवास हरिजन, ग्राम नयाबांस, थाना फरिहा के घर पर चढ़ कर गुन्डों ने लूट मार की और लाठी-भालों से चोटें पहुंचाई । वास्तविक घटना एवं पुलिस अधीक्षक के यहां की गई रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी "छ" आगे पृष्ठ ३०४ पर ।)

हरिजन अनुत्तीर्ण छात्रों से शुल्क

*५२—श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा) तथा श्री बलदेव सिंह सरदार (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शिक्षा संस्थाओं में हरिजन अनुत्तीर्ण छात्रों से शिक्षा शुल्क एवं भवन निर्माण शुल्क वसूल करने के लिये कोई आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में जारी किया है ?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं ।

शाहजहांपुर जिले में चुर्क सीमेंट के एजेंट

*५३—श्री भगवान सहाय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर जिले में चुर्क सीमेंट के कौन-कौन एजेन्ट्स (स्टाकिस्ट) हैं उनको डी-कंट्रोल के बाद से ३० जून, १९६६ तक कितना कितना माल मिला ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ३०५ पर।)

लखनऊ बांदा ट्रेन में नवयुवक की हत्या

*५४—श्रीमती सियादुलारी (जिला बांदा), श्री बृजराज सिंह (जिला हमीरपुर) तथा श्री बृजमोहन लाल गुप्त (जिला बांदा)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक १५ जुलाई, १९६६ की रात लखनऊ-बांदा ट्रेन पर द्वितीय श्रेणी में एक नवयुवक को गुण्डों ने बुरी तरह घायल कर दिया ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

१५ जुलाई, १९६६ को लखनऊ-बांदा ट्रेन पर किसी नवयुवक को घायल किये जाने की कोई सूचना नहीं है । १३ जुलाई, १९६६ को अवश्य उक्त ट्रेन के द्वितीय श्रेणी के एक डिब्बे में एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल अवस्था में पाया गया जिसकी सूचना सहायक स्टेशन मास्टर, बांदा स्टेशन ने जी० आर० पी० थाना बांदा को दी । इस सम्बन्ध में एक मुकदमा दर्ज करके जी० आर० पी० द्वारा जांच प्रारम्भ की गई । इस समय जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा हो रही है ।

*५५—श्रीमती सिया दुलारी, श्री बृजराज सिंह तथा श्री बृजमोहन लाल गुप्त—

उपरोक्त घटना के फलस्वरूप उपरोक्त नवयुवक की मृत्यु हो गई, क्या यह सत्य है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जी हां, घायल व्यक्ति की चोटों के फलस्वरूप १८ जुलाई, १९६६ को मृत्यु हो गई ।

*५६—श्रीमती सियादुलारी, श्री बृजराज सिंह तथा श्री बृजमोहन लाल गुप्त—

सरकार लखनऊ-बांदा ट्रेन पर इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या प्रयत्न कर रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिये रात्रि को हरएक ट्रेन पर सादे कपड़ों में व आर्म्ड गार्ड, जी० आर० पी० कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं ।

पुलिस अफसर जिला मुरादाबाद

*५७—श्री जुगल किशोर (जिला बदायूं)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मुरादाबाद में ऐसे कितने पुलिस आफिसर हैं जिनको वहां पर काम करते हुये ३ वर्ष हो गये और अभी तक उनका स्थानान्तरण नहीं हुआ है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जहां तक जिले के पुलिस अफसरों का प्रश्न है, उत्तर शून्य है । पुलिस ट्रेनिंग कालेज, मुरादाबाद तथा स्पेशल पुलिस फोर्स, मुरादाबाद में जो अफसर ३ साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं उनकी सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी "झ" आगे पृष्ठ ३०६ पर ।)

*५८—श्री जुगल किशोर—

क्या सरकार उन पुलिस अफसरों को शीघ्र से शीघ्र हटाने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

पुलिस ट्रेनिंग कालेज, मुरादाबाद तथा स्पेशल पुलिस फोर्स से अफसरों को हटाने का प्रश्न प्रशासकीय कारणों पर निर्भर रहता है ।

*५९—६१—श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

(प्रश्नकर्त्ता द्वारा वापस लिये गये)।

तुलसीपुर, बलरामपुर चीनी मिलों पर किसानों का बकाया

*६२—श्री शुकदेव प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चीनी मिल, तुलसीपुर, बलरामपुर, जिला गोंडा के छोटे किसानों को ७–८ लाख रुपया गन्ना के मूल्य का अब तक नहीं मिल सकने का क्या कारण है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी "ट" आगे पृष्ठ ३०७ पर।)

गन्ना केंद्र कौवापुर के विरुद्ध शिकायत

*६३—श्री शुकदेव प्रसाद—

क्या यह सत्य है कि गन्ना सेन्टर, कौवापुर (तुलसीपुर) में यह आम शिकायत है जिसकी सूचना जिला अधिकारी को भी प्रश्नकर्त्ता ने गत माह जून, १९६६ में दी थी कि यहां चेकिंग क्लर्क एवं कैशियर घूस ले कर अन्यत्र पर्चियां चेक करते तथा अन्यत्र स्थानों पर बेटाइम रुपया बांटते हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई और जिनकी शिकायतें थीं उनको पैसा दे दिया गया या नहीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी "ट" आगे पृष्ठ ३०८ पर।)

*६४—श्री अवधनारायण प्रतापसिंह—

(छठे बुधवार के लिये प्रश्न संख्या २६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।)

छितौनी तथा रामकोला चीनी मिलों पर बकाया

*६५—श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिला के छितौनी और रामकोला खेतान चीनी मिल के किसानों को क्रम से ११ लाख व ४ लाख रुपया गन्ने का दाम अभी तक बाकी है, यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्राप्त सूचनानुसार देवरिया जिले की छितौनी व रामकोला खेतान चीनी मिलों से सम्बन्धित किसानों को उनके गन्ने के मूल्य की कीमत की और ३१ अक्तूबर, १९६६ तक क्रमशः

१.६७ लाख रुपया व ४४ हजार रुपया ही पाना शेष रह गया था। आशा है कि इस बकाया रकम का भुगतान निकट भविष्य में चीनी की निकासी होने पर हो जावेगा।

हल्द्वानी थाने में श्री चुन्नीलाल की रिपोर्ट

*६६—श्री रियासत हुसैन—

क्या गृह मंत्री को यह मालूम है कि थाना हल्द्वानी, जिला नैनीताल में श्री चुन्नीलाल ने जनवरी, १९६६ में अपने पिता जी के गुम हो जाने या कत्ल हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी ? यदि हां, तो उस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जी हां, श्री चुन्नी लाल ने अपने पिता के जनवरी १९६६ में गुम हो जाने की घटना के संबंध में एक रिपोर्ट थाना हल्द्वानी जिला नैनीताल पर दिनांक १–२–६६ को लिखाई जिसमें पिता की हत्या कर दिये जाने का संदेह भी प्रकट किया। पुलिस द्वारा समुचित जांच किये जाने पर भी श्री चुन्नी लाल के पिता का पता नहीं चला और किसी अपराध का होना भी प्रमाणित नहीं हुआ। जांच ३०–७–६६ को समाप्त कर दी गई।

बुधौली ग्राम में जगदीशसिंह की हत्या

*६७—श्री हरीश कुमार गंगवार—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १० मार्च, १९६६ को मेरे द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न १० के उत्तर के सन्दर्भ में अभियुक्त इन्द्रपाल सिंह बड़े प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखता है और पुलिस को आत्मसमर्पण करते समय उनकी धर्मपत्नी ने थानेदार थपलयाल को रहेलू तथा बैलगाड़ी आदि स्वयं इस आशय से पेश किया था कि अभियुक्त को पैदल न ले जाकर सवारी से ले जाया जाय ? यदि हां तो उपरोक्त थानेदार अभियुक्त को पैदल क्यों ले गया ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

यह सही नहीं है कि अभियुक्त इन्द्रपाल सिंह ने पुलिस को आत्म समर्पण किया था और उनकी पत्नी ने थानेदार को अभियुक्त की सवारी से ले जाने के वास्ते बैलगाड़ी आदि पेश की थी। उनकी गिरफ्तारी एक हेड कानिस्टेबुल व एक कानिस्टेबुल ने जनता की सहायता से की थी।

*६८—श्री हरीश कुमार गंगवार—

क्या यह सही है कि थाना भूतां से फरीदपुर आने पर रेलगाड़ी और बस दोनों बरेली जाने के लिये मिलती है ? यदि हां तो अभियुक्त को फरीदपुर न लाकर सीधे बरेली क्यों ले जाया गया ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

यह सही है कि थाना भूतां से फरीदपुर आने पर रेलगाड़ी और बस दोनों बरेली जाने के लिये मिलती हैं किन्तु जितनी दूर थाना भूतां से फरीदपुर का पैदल रास्ता है उतनी ही दूर भूतां से बरेली का पैदल रास्ता है। फरीदपुर से बरेली एक लम्बा रास्ता है। चूंकि नियमानुसार थाने से अभियुक्तों को शीघ्र से शीघ्र सदर भेजना होता है, अतः अन्य अभियुक्तों की तरह अभियुक्त इन्द्रपाल सिंह को भी सीधे बरेली भेजा गया था।

*६९–७०—श्री लखी सिंह—

(पुनरावृत्ति के कारण हटा दिये गये।)

थाना मुहम्मदाबाद के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

*७१—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना मुहम्मदाबाद, जिला फर्रुखाबाद के इन्चार्ज, अफसर दोयम तथा मुंशी को गनेशपुर में २६, २७ दिसम्बर, १९६५ को पड़ी डकैती को छिपाने पर श्री चरण सिंह के फर्रुखाबाद जाने के समय शिकायत किये जाने पर कप्तान पुलिस द्वारा जांच कराने के बाद लाइन हाजिर कर दिया गया है ? यदि हां, तो आगे उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, डकैती का अपराध छिपाने और बाद में अपराध प्रकाश में आने पर उसकी ठीक से जांच न करने के कारण थाना मुहम्मदाबाद के इन्चार्ज, अफसर दोयम तथा कांस्टेबिल क्लर्क को लाइन हाजिर किया गया। प्रारम्भिक जांच के उपरान्त उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध वभागिक कार्यवाही संबंधी कार्यवाही हो रही है। इन कर्मचारियों को निलम्बित भी कर दिया गया है।

*७२—श्री होरीलाल यादव—

उपरोक्त थाना इन्चार्ज के कार्यकाल में कितने व्यक्तियों पर १८२ जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही की गई और मुकदमें चल रहें हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

उक्त थाना इन्चार्ज के कार्यकाल में ९ व्यक्तियों के विरुद्ध धारा १८२ भा० दं० वि० के अन्तर्गत आरोप-पत्र न्यायालय भेजे गये इनमें से ३ मुकदमें अभी न्यायालय में चल रहें हैं।

*७३—श्री होरीलाल यादव—

उपरोक्त थाना इन्चार्ज के कार्यकाल में कितने व्यक्तियों का बन्दूक के लाइसेन्स प्रदान करने के लिये संस्तुति की गई है, क्या उसमें ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको सजा हो चुकी है और उनका नाम पुलिस रजिस्टर नं० ८ में दर्ज है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

उक्त थाना इन्चार्ज के कार्यकाल में ४१ व्यक्तियों को बन्दूक के लाइसेंस प्रदान करने के लिये संस्तुति की गई। इनमें से केवल एक का चालान गैम्बलिंग ऐक्ट में १९५८ में हुआ था परन्तु न्यायालय से वह निर्दोष पाया गया, शेष आदमियों के नाम रजिस्टर नं० ८ में दर्ज नहीं है।

शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर महिला की गिरफ्तारी

*७४—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जून, १९६६ में बर्मा से आये हुए "पनाह गजीनों" (रिफ्यूजी) की एक शरीफ व भली फेमिली की औरत को रात में हरदोई रेलवे स्टेशन पर क्यों गिरफ्तार किया गया, और फिर शाहजहांपुर जेल में रखा गया ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

दिनांक १४-६-६६ को २९ अप ट्रेन से लखनऊ से शाहजहांपुर तक बिना टिकट यात्रा करने एवं रेलवे स्टेशन दलेलनगर व बालामऊ के मध्य जंजीर खींच कर गाड़ी रोकने के आरोप में एक स्त्री को स्टेशन मास्टर शाहजहांपुर ने जी० आर० पी० शाहजहांपुर के हवाले कर दिया। वहां से उन्हें जी० आर० पी० थाना हरदोई के लिये भेज दिया गया क्योंकि घटना का संबंध उस थाने से था।

गोलागोकर्णनाथ में जनसंघ कार्यकर्त्ताओं की गिरफ्तारी

*७५—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ५ जून, १९६६ को अथवा उसके आस-पास विधान सभा के श्री रामचरण शाह तथा श्री मन्नालाल द्वारा ३० मई, १९६६ को गोलागोकर्णनाथ, जिला खीरी में जनसंघ कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा अकारण गिरफ्तार किये जाने के संबंध में कोई ज्ञापन मिला ? यदि हां, तो क्या सरकार उस ज्ञापन की एक प्रति सदन की मेज पर रखेगी तथा बतायेगी कि उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जी हां। ज्ञापन की प्रति संलग्न है। बन्दी कार्यकर्ताओं को रिहा करने तथा मुकदमा वापस लेने का मामला विचाराधीन है। मजदूरों के मांगों के संबंध में ज्ञापन की प्रति श्रम विभाग को विचारार्थ भेज दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ३०९–३१० पर)

*७६—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार का ध्यान इस ओर गया है कि उक्त प्रश्न में उल्लिखत जनसंघ कार्यकर्ताओं को गोला थाने की हवालात में मांगने पर पानी भी न दिया गया ? यदि हां, तो इस स्थानीय पुलिस के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जांच से यह आरोप सही नहीं पाया गया अतः पुलिस के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

गोंडा जिले में आयुक्त का दौरा

*७७—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १ जनवरी, १९६६ से लेकर १० जुलाई, १९६६ तक कितनी बार आयुक्त, फैजाबाद मंडल, फैजाबाद ने जिला गोंडा का दौरा किया और आयुक्त महोदय के समक्ष विकास, सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान संबंधी प्रश्न रखे ? उन पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

आयुक्त, फैजाबाद मंडल ने १ जनवरी, १९६६ से १० जुलाई, १९६६ तक की अवधि में गोंडा जिले का तीन बार दौरा किया।

प्रश्न के दूसरे भाग की सूचना एकत्र की जा रही है।

*७८–८०—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

(छठे बुधवार के लिए प्रश्न संख्या ५४–५६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये)

रिटायरमेंट एज

*८१—श्री टम्बेश्वर प्रसाद तथा श्री रियासत हुसैन—

प्रश्न संख्या ७–९, २१ जुलाई, १९६६ के उत्तर* के सम्बन्ध में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उन्होंने भारत सरकार से परामर्श कर लिया है ? यदि कर लिया है, तो वह क्या है ?

---

*नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ३११ पर

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

जी हां। भारत सरकार ने राज्य सरकार द्वारा १२ अप्रैल, १९६६ को जारी किये गये आदेशों को वैध स्वीकार किया है।

प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री शिवसम्पत्ति शर्मा (जिला जालौन)---

मैं आपका ध्यान प्रश्न संख्या ८ की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें आप देखें कि मुझे गलत सूचना दी गयी है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

७ नवम्बर, का सवाल मेरा है जिसका जवाब ५ मिनट में आ सकता था लेकिन वह सवाल ३-८-६६ को दिया गया था और आज ५ महीने बाद यह कहा जा रहा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है जबकि वह चीफ सेक्रेटरी साहब के दफ्तर में ५ मिनट में मालूम हो सकता है कि क्लास वन आफिसर्स की संख्या क्या है जिनका तबादला पोस्टपोन किया गया।

श्री अध्यक्ष---

आप इसे लिख कर भेज दें, मैं देख लूंगा।

उत्तर प्रदेश तृतीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९६६-६७) का बीसवां एवं इक्कीसवां प्रतिवेदन +

सभापति, प्राक्कलन समिति (श्री केशभान राय)---

मैं, सभापति, प्राक्कलन समिति, उत्तर प्रदेश तृतीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति (१९६६-६७) का कारागार विभाग से सम्बन्धित बीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

मैं सभापति, प्राक्कलन समिति, उत्तर प्रदेश तृतीय विधान सभा (१९६६-६७) का इक्कीसवां प्रतिवेदन, जो १९६२-६४ के प्राक्कलन समिति के उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, कानपुर तथा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम, कानपुर से सम्बन्धित चतुर्थ प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

मेरी एक विशेषाधिकार की सूचना है। यहां जो सूचना देवरिया के बारे में बताई गयी है कि १,३७२ फसली रबी में खरीफ की मालगुजारी वसूल नहीं हुई है और सिर्फ १३७३ फसली में हुई है, उसे वापस नहीं किया जा रहा है। यह जानबूझकर छिपाया जा रहा है ताकि इनके द्वारा, जो वसूली हुई है, देना न पड़े। माननीय रामकुमार शास्त्री उस बाढ़ के समय जांच करने गए थे क्योंकि मैं सदन से निकाला गया था। जिले के अधिकारियों ने तीन चार पत्र भेजे कि मालगुजारी की वसूली न करायी जाय। गोरखपुर कमिश्नर ने एक रिपोर्ट भेज दी कि क्योंकि बाढ़ को सामने रख कर मालगुजारी तय की गयी थी इसलिए खरीफ की मालगुजारी बाढ़ क्षेत्रों में माफ करने का सवाल नहीं उठता है। इस गलत रिपोर्ट के कारण माननीय मन्त्री जी रेवेन्यू बोर्ड का बहाना लेते हैं। अगर रेवेन्यू बोर्ड अन्धी हो जाय तो उससे हमें क्या लेना जब आप पिछले १६ वर्ष तक लगातार माफ करते

+छापा नहीं गया।

रहे हैं तो किस नियम के आधार पर अब नहीं माफ कर रहे हैं? मालगुजारी १३७२ फसली रबी की माफ की गयी वह १३७३ फसली में जोड़ ली गयी। अगर यह बात मन्त्री जी गलत कर दें तो उनका मुंह चूम लूं।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष--

चन्द्रबलीसिंह जी आप बैठिए। यह तो आपको अधिकार है चाहे विशेषाधिकार स्वीकार हो या न हो, वह आप कर सकते हैं। (हंसी)

राज्य कर्मचारियों की गिरफ्तारी के वारण्ट तथा उनकी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास दो कामरोको प्रस्ताव आये हैं एक माननीय झारखंडे राय जी आदि का, दूसरा माननीय रक्षपालसिंह, माननीय हिम्मतसिंह, माननीय हरीशकुमार गंगवार का कि राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर दमनचक्र प्रारम्भ कर दिया है। १४ नेताओं, जिनमें श्री पशुपतिनाथ सुकुल और श्री तुषारकांति घोष भी हैं के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिये गये हैं और कई नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। यह कार्यवाही उत्तेजनात्मक है, आदि-आदि, इसको मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकार किया है। तो इस पर मन्त्री जी का कब वक्तव्य होगा?

मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

मंगलवार को।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

राज्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में मेरा भी दफा ५२ का है उसको पढ़ दीजिए। जब तक विषय उठा है तो वह पूरा हो जाय।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है वह भी शामिल कर दिया जायगा।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)--

इसे तो कार्यस्थगन प्रस्ताव के रूप में ही लेना चाहिए। सरकार जिस तरह से आतंक-पूर्ण स्थिति का निर्माण कर रही है इस प्रदेश भर में और कदम-कदम पर दमन कर रही है और अब तो पुलिस पर भी प्रतिबन्ध लगा रही है ऐसी सूरत में इसे कार्यस्थगन प्रस्ताव के रूप में लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

मुझे क्षमा करेंगे। माननीय रामसुन्दर पांडेय, माननीय केशरी प्रसाद, माननीय गयाप्रसाद के नाम भी इसमें हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

मेरे नाम से भी है।

श्री अध्यक्ष--

जी हां, उग्रसेन सिंह साहब के नाम से भी है।

श्री उग्रसेन--

न मैं सिंह और न मैं साहब हूं, मैं सिर्फ उग्रसेन हूं।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है उग्रसेन जी के नाम से भी है।

पंचायत मन्त्रियों के अनशन के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---

नियम ५२ के अन्तर्गत मेरे पास जो सूचनायें आई हैं वह माननीय चन्द्रबलीसिंह जी की एक है। यह पंचायत मन्त्रियों के अनशन से सम्बन्धित है। इसको मैंने केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है। यह माननीय जगन्नाथ राव, माननीय रक्षपालसिंह, माननीय हरीश कुमार गंगवार, माननीय छांगुर राम, माननीय मंगल देव, माननीय शराफत हुसैन के नाम से भी है। मन्त्री जी: इस पर कब वक्तव्य होगा ?

श्री बंशीधर पांडेय--

बुधवार को होगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ अन्य सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

माननीय सुरेन्द्र विक्रम जी की एक नियम ५२ की सूचना है जो लम्बी है। माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी की सूचना है प्रभुदत्त ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी के बारे में और कुछ उनकी कठिनाइयों के बारे में हैं और माननीय बनवारी लाल जी विप्र की है भदोही कालीन मजदूरों के सम्बन्ध में। मैं इनको विशेष ध्यान हेतु सम्बन्धित मन्त्रियों को भेज रहा हूं।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, हम लोगों का एक दफा ५२ आयुर्वेदिक कालेज के बन्द होने के सम्बन्ध में था।

श्री अध्यक्ष--

कल बयान उस सम्बन्ध में होगा ही, यह स्वीकार हो चुका है।

राज्य कर्मचारियों की गिरफ्तारी के वारण्ट तथा उनकी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)--

मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं जो कामरोको प्रस्ताव हमारा था उसको आपने नियम ५२ में स्वीकार किया है। मैं समझता हूं इसका महत्व नियम ५२ से ज्यादा है। इसको कामरोको प्रस्ताव के रूप में ही स्वीकार करें। राज्य कर्मचारियों का जो झगड़ा है वह अब एक विस्फोटक स्थिति को पहुंच गया है। जिससे कोई बहुत बड़ी घटना हो सकती है। अगर कोई मामला बिगड़ जाय और तब आप उसको सम्भालें यह उचित नहीं है। पहले ही उसको

सम्भालने की चेष्टा करना चाहिये। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि वह इसका विरोध न करें और आपसे भी निवेदन है कि आप जन भावना का आदर करते हुए इसको "कामरोको" प्रस्ताव के रूप में स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष--

इस संबंध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि उस पर इस सदन में पहले काफी चर्चा हो चुकी है यानी पिछले अधिवेशन में और इस संबंध में अभी एक अध्यादेश हो चुका है उसके ऊपर भी चर्चा होगी क्योंकि वह हमारे सामने विधेयक की शक्ल में आ रहा है। आपको उस समय अपनी बात कहने का अवसर होगा। नियम ५२ के अन्दर आपको पूरी सूचना मिल जायगी। तो उस सूचना मिलने के आधार पर अधिक बहस कर सकेंगे। इसलिये मैं उसको कामरोको प्रस्ताव के रूप में नहीं ले सकता।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

राज्य सरकार के कर्मचारियों ने घोषणा की है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जायगी तो वह सरकार को उलट देंगे।

श्री अध्यक्ष--

आपको तो खुशी होनी चाहिये अगर ऐसा हो जाय।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)--

वह दिन बड़ा दुर्भाग्य का दिन होगा जिस दिन यह सरकार उलट जायगी। आप खुशी मना सकते हैं। हम इस पर खुशी नहीं मना सकते हैं।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ अन्य सूचनाएं (क्रमागत)

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)--

श्रीमन्, इस प्रश्न को जिस तरह से माननीय अध्यक्ष और सरकार ले रही है वह उचित नहीं है। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि पूरा सदन, जिस बात के लिये प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी अनशन कर रहे हैं, अवगत है और अपना मत व्यक्त कर चुका है और इस संबंध में कानून भी पास हो चुका है। उसमें किसी तरह का परिवर्तन करने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार के ऊपर डाली जाती है लेकिन यह मेरी समझ में नहीं आता कि जब सारे प्रदेश की भावना इसमें निहित है और यह सारे प्रदेश की जनता के हित में यह है और समर्थन में है तो यह प्रदेशीय सरकार इस तरफ क्यों अराजकता का कदम उठा रही है और क्यों आतंक की भावना कर रही है। दिल्ली में एक बड़े सन्त की मृत्यु हो चुकी है और जगद्गुरु शंकराचार्य के मुंह से खून आ चुका है। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के मुंह से भी खून आना शुरू हो रहा है। जब सारे प्रदेश की भावना इसके हित में है तो सरकार को इसमें क्या दिक्कत है? अगर एक और प्रस्ताव को वक्तव्य के लिये नियम ५२ में स्वीकार कर लिया जाय तो इसमें सरकार के सामने क्या दिक्कत आ जायगी? मैं समझता हूं कि आपको सदन की भावना का आदर करना चाहिये। इसमें कोई सरकार के उलटने का सवाल नहीं है कि इससे बड़ा भारी नुक्सान सरकार को पहुंच जायगा।

श्री अध्यक्ष--

आपने एक बात कह दी। मैं उस पर विचार करूंगा और विचार करने के बाद बताऊंगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

श्रीमन्, कल भी यह प्रश्न यहां पर आया था मगर इस मामले की तरफ कुछ भी आपने ध्यान नहीं दिया। अगर आप नियम ५२ के अन्दर इसको स्वीकार करके सरकार से कोई वक्तव्य

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

दिलवा दें तो हमको मालूम हो जायगा कि सरकार का विचार इस पहलू पर क्या है। एक बहुत बड़े सन्त जिन्होंने केवल इसलिये भूख हड़ताल कर रखी है कि जिस विषय पर इस सदन के सभी दल एक मत हैं। वहां पर उनकी देखभाल के लिये ४ क्रिमिनल रखे गये हैं जैसा कि उनको बहुत बड़ा कोई डकैत समझा गया हो। दूसरी बात यह है कि उनको देखने के लिये कोई डाक्टर भी उनसे मिल नहीं सकता है। उनके शिष्य भी उनसे जाकर मिल नहीं सकते हैं। किसी प्रकार की उनको सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती है। ऐसी दशा में मैं यह निवेदन करूंगा कि इन सब बातों पर विचार करके इसको भी आप वक्तव्य के लिये स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष---

आप तो उन बातों को ही रिपीट कर रहे हैं जो यहां पर कल कही जा चुकी हैं। मैं आपके आशय को समझ गया।

श्री शारदाभक्त सिंह (जिला हरदोई)---

आप तो श्रीमन्, आर्य समाजी हैं। नियम ५२ में तो कम से कम इसे स्वीकार कर लें।

श्री उग्रसेन---

आज तो मालूम होता है कोई जनतंत्रीय सरकार है ही नहीं।

श्री रतीपाल द्वारा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के ही सदस्य होने का पष्टीकरण

श्री अध्यक्ष---

चौधरी रतीपाल की एक सूचना है। आपने फरमाया है कि मैंने भ्रमवश कल आपको लिख कर दे दिया कि "अब मैं प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य हूं। मैं पहले भी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में था और आज भी हूं। यह भ्रमवश हो गया था।"

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा विभिन्न कार्यों तथा विधेयकों के लिये समय निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष---

एक सूचना और निवेदन कर दूं। उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी १ दिसम्बर, १९६६ की बैठक में यह निश्चय किया है कि निम्नलिखित कार्यों तथा विधेयकों के संबंध में निम्नांकित समय निर्धारित किया जाय---

१---माननीय अध्यक्ष को अध्यक्ष-पद से हटाने के संकल्प पर विचार (सदन की अनुज्ञा प्राप्त होने की दशा में)	१ दिसम्बर, ६६ को सायंकाल ५ बजे के उपरान्त।
२---वित्तीय वर्ष १९६६-६७ के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद, मांगों पर मतदान, तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा के पश्चात पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण	२ दिसम्बर, १९६६ को ५ बजे सायंकाल तक।
३---कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक १९६६ पर विचार एवं उसका पारण	२ दिसम्बर, १९६६ को सायंकाल ५ बजे से ७ बजे तक।

४—उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण विधेयक, १९६६ पर विचार एवं उसका पारण	५ दिसम्बर, १९६६ को सायंकाल ५ बजे तक।
५—उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वायत्त शासन विधि संशोधन विधेयक, १९६६ पर विचार एवं उसका पारण।	५ दिसम्बर, १९६६ को सायंकाल ५ बजे से ८ बजे तक।
६—चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर चर्चा	६ दिसम्बर, १९६६।
७—उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् से संबंधित संकल्प पर विचार	७ दिसम्बर, १९६६।
(२) सदन की नियम समिति के प्रतिवेदन पर विचार।	
८—उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद (प्रक्रिया का विनियमन) विधेयक, १९६६ जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित होगा।	८ दिसम्बर, १९६६।
(२) उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (संपत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (प्रवृत्त रहने का) विधेयक, १९६६, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित होगा—	
९—असरकारी दिवस	९ दिसम्बर, १९६६।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष जी, हमको बड़ी तकलीफ हुई कि आपके खिलाफ जो प्रस्ताव है उस पर आपने ३ ही घंटे का समय दिया है। पहले तो पूरे दिन बहस हुई थी।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहां पढ़ा।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—

आप तो कह रहे हैं कि ५ बजे के उपरान्त लिया जायगा, क्या समय है?

श्री अध्यक्ष—

कोई निर्धारित नहीं है। मैंने पढ़कर सुनाया आपको।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—

तब तो कोरम का अभाव हो जायगा। यह उनकी चाल है। यह क्या धांधली है कि सरकार जो चाहे करे, जिस समय चाहे सदन चलाये और जब चाहे सदन को उठा दे और जितना चाहे उतना भाषण करा दे।

श्री अध्यक्ष—

यह सर्वसम्मति से हुआ है।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—

मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

विरोध तो आप करेंगे ही।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति द्वारा उन कार्यों तथा विधेयकों के संबंध में किये गये समय निर्धारण से, जिसकी सूचना आपके द्वारा इस सदन को दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति द्वारा उन कार्यों तथा विधेयकों के संबंध में किये गये समय निर्धारण से, जिसकी सूचना आज सदन को दी गयी है, सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

२१ जुलाई, १९६६ के तारांकित प्रश्न ७—९ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, दिनांक २१ जुलाई, १९६६ को सर्वश्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई, रियासत हुसैन एवं मुमताज मुहम्मद खां द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या ७—९ के संबंध में श्री मुमताज मुहम्मद खां ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि अप्रैल, १९६६ में सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट संबंधी जी०ओ० में जो "एबब एवरेज" की शर्त रखी गई है उसका मापदंड क्या है, इसको बताना चाहिये।

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि उक्त मापदंड संबंधित कर्मचारी का "पांच साल का कैरेक्टर रोल है और उसको देखकर ही यह मापा जायगा।"

उक्त उत्तर ठीक नहीं था, जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है मापदंड तो सम्पूर्ण कैरेक्टर रोल है। उसको देखकर ही तो यह मापा जायगा।

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे प्रश्न ३११ पर)

(इस समय १२ बज कर २१ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये।)

श्री अध्यक्ष को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन निश्चय करता है कि माननीय श्री मदन मोहन वर्मा, अध्यक्ष, विधान सभा को अध्यक्ष पद से हटाया जाय। आपके द्वारा मैं पूरे सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्री मदन मोहन वर्मा ने वर्षों से चली आयी संसदीय परम्पराओं को तोड़ा है। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह सदन मेरे प्रस्ताव पर अनुज्ञा दे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन निश्चय करता है कि माननीय श्री मदन मोहन वर्मा, अध्यक्ष, विधान सभा को अध्यक्ष पद से हटाया जाय।

चूंकि अनुज्ञा के पक्ष में ९० माननीय सदस्य (गिनती कराने के उपरान्त) खड़े हुए अतएव सदन ने इस प्रस्ताव को रखने की अनुज्ञा दी। सायंकाल ५ बजे से इसको लिया जायगा।.....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष ने कहा है कि इस पर रात के १२ बजे तक बहस होगी।

प्रदेश में सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य पर चर्चा

कृषि मंत्री (श्री गेंदासिंह)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा नेता विरोधीदल से कि जिस समय मैं भाषण दे रहा था उस समय कुछ मिनट के लिए मैं बाहर चला गया था। इससे उनको हमारी शिकायत हुई और मैं समझता हूं कि अगर उनको शिकायत हुई तो ठीक ही हुआ। भानुप्रताप सिंह जी को भी शिकायत हुई। मैं उनकी बात का जवाब भी दे रहा था पर उनको भी बाहर जाना पड़ा। मैं उनकी बातों को आदर के साथ सुनता हूं ऐसा मैं समझता हूं। मैं ध्यान रखता हूं कि उनकी बातों को ध्यान से सुनूं। मैं कल कच्चे कुंओं की चर्चा कर रहा था और माननीय नेता विरोधीदल और भानुप्रतापसिंह की बात सुनने के बाद मुझे निवेदन करने की आवश्यकता पड़ी। कच्चे कुंए श्रीमन्, उन लोगों के लिए हैं ये जो ट्यूबवैल नहीं लगा सकते उन लोगों के लिए हैं जो पक्के कुंए भी नहीं बना सकते। मैं खासतौर पर बस्ती, आजमगढ़ की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे सूबे में एक अच्छा सर्वे हुआ था। जमींदारी एबालिशन कमेटी की तरफ से उस जमाने में हमारे कागजात बहुत गौर से देखे गए थे। उसमें यह बात है कि एक करोड़ २२ लाख के लगभग हमारे सूबे में किसानों के परिवार हैं। श्रीमन्, १,२२ लाख किसान परिवारों में ४६ लाख परिवार ऐसे थे (कुछ हजार की संख्या में छोड़ देता हूं) जिनके पास आधा एकड़ जमीन थी और इस वक्त भी मैं उस कागज को देखता हूं तो उससे ज्यादा आथैन्टिक कागज हमारे पास मौजूद नहीं है। ८३ लाख परिवार ऐसे हैं जो इस सूबे में ३ एकड़ से कम की खेती करते हैं। श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं माननीय नेता विरोधी दल से, माननीय झारखण्डेराय और खास तौर से माननीय भानुप्रताप सिंह जी से कि अगर पानी का प्रबंध करना हो तो उनके लिए कौन ऐसा प्रबंध है जो तीन एकड़ से कम किसानों के लिए पानी पहुंचाया जा सके। मैं कल भी निवेदन कर चुका हूं और उसे अब फिर दोहराए देता हूं। सरकारी पानी देने का जो साधन है अगर वह पूरी तरह से काम करे तो एक तिहाई जमीन को पानी दे सकते हैं और एक तिहाई जमीन को भी पानी देने में इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो नहरें चलती हैं, अगर उस तरफ भी सूखा है तो जौनपुर, बलिया, आजमगढ़ की नहरों का पानी किस तरह पहुंच सकेगा। यह व्यावहारिक प्रश्न है। इस पर जरूर ध्यान रखना चाहिए। नहरों की शुरूआत होती है पश्चिमी क्षेत्रों से। अगर हम ट्यूबवैल्स से ले लें तो कमान्ड एरिया देखने की बात है। उन सब चीजों को देखने के बावजूद यह मालूम होता है कि अगर किसान स्वयं पानी का प्रबंध नहीं कर सकेंगे तो सरकार के भरोसे उसकी खेती नहीं हो सकती। श्रीमन्, और भी बहुत सी प्राब्लेम्स हैं। मैं मानता हूं कि सिंचाई विभाग का काम होगा। लेकिन यह कहना गलत है कि सिंचाई विभाग काम नहीं करता। सिंचाई विभाग ने पिछले दोनों वर्षों में जितना काम किया है मैं माननीय मित्रों का ध्यान दिलाऊंगा इस वर्ष और पिछले वर्ष भी सूखा पड़ा। उस सिंचाई विभाग की मशीनरी का जितना उपयोग हो सकता था वह पूरा पूरा करने की कोशिश की गई। कच्चे कुंओं के प्रबंध के बारे में मैं फिर कहना चाहता हूं.... (व्यवधान) आज अगर यह सूखा पड़ा तो इस सूखा पड़ने के बाद सिंचाई में सूखा न पड़ सके उसका क्या बन्दोबस्त है। (व्यवधान)।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

यह सरकारी सूखा है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं अर्ज करता हूं कि आप शांति से सुनें। जब आपका नम्बर आए तब बोलें।

---

*३० नवम्बर, १९६६ की कार्यवाही से।

श्री गेंदासिंह—

माननीय उग्रसेन जी और चन्द्रबली जी गरीबों के मददगार हैं वे भी इस सरकार को बधाई देंगे जिसने २ करोड़ रुपया कच्चे कुओं के लिए मंजूर किया है। और इस स्कीम से ३ एकड़ जमीन वाले काश्तकारों को लाभ मिलेगा। उसमें यह भी रखा गया है कि अगर वह दो कच्चे कुंए खोद लेता है तो उसको ४० रुपया दे दिया जायगा। यह बिलकुल ठीक है कि कच्चे कुंओं का एक बहुत बड़ा आन्दोलन चल रहा है। १० लाख कच्चे कुंए खुद चुके हैं। जहां तक वोट लेने का प्रश्न है मैं भाई भानुप्रताप सिंह और उग्रसेन जी से कहूंगा कि वे कृपा कर अपने क्षेत्र में कुंए खुदवायें और हम उनको रुपया देंगे और इस प्रकार किसान से आप वोट लें।

श्री उग्रसेन—

"का वर्षा जब कृषि सुखानं"।

श्री उपाध्यक्ष—

उनका कहना है कि कच्चे कुओं में जल्दी ही पानी निकलेगा।

श्री गेंदा सिंह—

१२–१५ फुट पर पानी निकल आता है और वह दो दिन में निकाला जा सकता है और ५ गठ्ठा जमीन जो उसकी सूख रही है उसकी वह सिंचाई कर सकता है। इसके लिए दो करोड़ रुपया रखा गया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

१२ फुट पर पानी कहां निकला है, बताया जाय।

श्री गेंदासिंह—

आप माननीय बांकेलाल जी से ही पूछ लीजिए। उन्होंने स्वयं कुंए खुदवा कर ६०–७० हजार रुपया बंटवाया है। मैं माननीय उग्रसेन जी को दावत देता हूं कि वे देवरिया में जाकर दौरा करें और इस शहरी नेतागीरी को छोड़ें। गांवों में चल कर देखें कि ५० हजार कुंए खुदे हैं या नहीं।

श्री उग्रसेन—

यह कुंए केवल कागज पर खुदे हैं। कमिश्नर, गोरखपुर खाली अखबारों में बयान दे देता है।

श्री उपाध्यक्ष—

उनको अपनी बात कहने दीजिए, जब आपका नम्बर आये तब आप अपनी बात कह दें।

श्री गेंदासिंह—

इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। मैं माननीय उग्रसेन जी से कहता हूं कि वे अपनी ही पार्टी के भाई बांकेलाल से पूछ लें कि उन्होंने ६०–७० हजार रुपया बंटवा कर कच्चे कुंए खुदवाये हैं या नहीं। आपकी पार्टी के वे बड़े लायक सदस्य हैं।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

मेरे साथ चल कर कोई भी देख सकता है, सैंकड़ों कुंए खुदे हैं और १५ फुट पर पानी निकला है और लोगों को सिंचाई की सुविधा हुई है।

श्री उग्रसेन—

मंत्री जी मेरे साथ चलें और मुझे बतलायें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आपके द्वारा मैं मंत्री महोदय को सूचना देना चाहता हूं कि उनसे बस्ती में मिलूंगा और उनसे प्रार्थना करूंगा कि वहां पर वह मुझे बतायें कि वहां पर किस-किस जगह २५–३० फुट से कम पर पानी निकलता है । (व्यवधान)

श्री बांके लाल —

मेरे साथ जो माननीय सदस्य चाहें चलें और मैं उनको दिखा सकता हूं कि हजारों कच्चे कुंए वहां पर बने हैं जिन में पानी कम गहराई पर निकला है । वह जाते नहीं हैं इसलिए ऐसी बात करते हैं ।

श्री गेंदा सिंह—

मैं माननीय नेता, विरोधी दल की सेवा में एक सूचना रखना चाहता हूं और वह इस पर विचार करेंगे कि हमारी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार गोरखपुर में ६७ हजार कच्चे कुएं खोदे गये हैं और बस्ती का भी जिक्र मैं करता हूं कि वहां पर भी कल तक २१ हजार कच्चे कुएं खोदे जा चुके हैं । मैं उनके ज्ञान की कमी नहीं कहूंगा लेकिन हमारे देश का यह दुर्भाग्य है कि आज हमारी लीडरशिप उस समस्या को समझाने में असमर्थ है कि आज प्रदेश के किसानों के सामने है । मैं उनसे बहुत नम्रतापूर्वक एक बात कहूंगा कि यह जो ८२ लाख किसानों के परिवार हैं जो ३ एकड़ से कम के हैं उन किसानों के लिये कौन से साधन मोहइया किये जायं ताकि वह जो सैकड़ों वर्ष से पिछड़ रहे हैं अपनी उस हालत से २ कदम भी आगे या ऊपर उठ सकें ।. . . . .

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—

यह सरकार जो समाजवाद की या सहकारी खेती की बात करती है और उसके अनुसार जब बड़े-बड़े खेत या फार्म बन जायंगे उस समय इन कुओं की सहायता की क्या स्थिति होगी और दूसरे यह कि यह जो आप की कच्चे कुओं की स्कीम है वह केवल इसी साल के लिये है या हर साल के लिये रहेगी ?

श्री गेंदा सिंह—

यह २० रुपये की मदद केवल इस लिये है कि किसी तरह से इस साल की इस फसल को बचा लें और इससे कुछ उत्पादन में मदद मिल सकती है तो वह ले लें, यह बिलकुल अस्थायी है ।

एक बात मैं और अर्ज करूं कि यह तो मैं कच्चे कुओं की बात कर रहा हूं लेकिन सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि २५० रुपए के कुछ पक्के कुएं बनाये और वह छोटे किसानों के खेतों में बनें लेकिन इस वक्त वह पक्के कुएं नहीं बना सकते क्योंकि २ करोड़ रुपया उनको मिलने वाला है । बड़े लोग तो पम्पिंग सेट्स, नलकूप और दूसरे साधनों से लाभ उठा सकते हैं और उनके लिये करोड़ों रुपया कर्ज लेकर लगाने के साधन मौजूद हैं और उसके लिये मैं भी अपील करता हूं और माननीय मुख्य मन्त्री को भी अपील करना चाहिये कि उस रुपए के मिलने में जो दिक्कतें किसानों के सामने आती हैं, जो हैसियत का अन्दाजा लगाने में दिक्कत होती है, जो सज्जा खरीदने में और बिजली आदि की दिक्कत होती है उस को दूर करना चाहिये और २–३–४ मास के समय में उन को साधन सम्पन्न बनाना चाहिये । जहां आप रिलीफ वर्क की बात करते है सब से ज्यादा दिक्कत ३ एकड़ से नीचे के किसान की है, उस के पास खाना नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, मवेशियों का चारा नहीं है । मैक्सीकन

[श्री गेंदा सिंह]
गेहूं की जहां तक बात है यह हमने चाहा है कि हमारे जो छोटे किसान हैं वे आयें और एक या २ किलो मैक्सिकन गेहूं अपने अंगोछे में बांध कर ले जायं। इसका अभिप्राय केवल यह है कि अच्छी किस्म का गेहूं भी छोटे-छोटे किसानों तक पहुंच सके। आप के सूचनार्थ मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि मेक्सिकन गेहूं की उपज साधारण देशी गेहूं से २ १/२ गुनी होती है। हमने यह भी सोचा है कि अगर हम २-२ किलो मेक्सिकन गेहूं का बीज छोटे-छोटे किसानों तक पहुंचा सकते हैं तो वे उस वेरायटी को पैदा करेंगे और फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का नक्शा ही बदल जायगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

आपने ही यहां पर कहा था कि इस मैक्सिकन गेहूं से साधारण किसानों को सावधान होना चाहिये क्योंकि इसमें विशेष प्रकार के फर्टीलाइजर और विशेष पानी की आवश्यकता होती है। मैंने यह भी कभी नहीं कहा कि हम कच्चे कुओं के खुदवाने के पक्ष में नहीं हैं और हम इस स्कीम के विरोधी हैं।

श्री गेंदासिंह--

अगर ऐसा किसी अधिकारी ने कहा है तो यह गलत है। लेकिन यह केवल एक एहतियात बरती गयी कि ४ या ५ एकड़ वाले किसान को न दिया जाय। वास्तव में हम पहले कच्चे कुएं बनवाते हैं और फिर उसको १ या २ किलो मैक्सिकन गेहूं का बीज देते हैं। बस्ती जिले में यह खास काम हो रहा है। १-२ किलो गेहूं, कुआं और फर्टीलाइजर ये तीनों चीजें हम छोटे किसानों के लिए देते हैं। आज हमारी दिलचस्पी छोटे किसान, या भूखों मरने वालों की तरफ है क्योंकि हम सोचते हैं कि यह मोटोपोली कुछ ही आदमियों के लिए न हो और इस प्रकार की सुविधाएं गरीब किसानों तक भी पहुंचे। आज आवश्यकता इस बात की है कि छोटे किसानों, जो कि आज के युग में बहुमत में हैं, के लिए हम को सोचना चाहिए। मैं तो यह कहूंगा कि आप लोग मुझे और इस सरकार को आशीर्वाद दीजिए कि जो ये सब प्रयास कर रहे हैं।

श्री उग्रसेन--

आज आप सरकार में नये आदमी हैं। अभी आपको आटे दाल का भाव पता नहीं है तभी तो आप यह नक्शा दिखा रहे हैं।

श्री गेंदा सिंह---

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि उसके अलावा सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए जो भी कुछ किया जा सकता है किया जा रहा है। माननीय उग्रसेन और माननीय चन्द्रबली सिंह जी, हम एक ही साथ पढ़ कर आये हैं। भले ही माननीय उग्रसेन जी ने मुझे कुछ अंग्रेजी पढ़ायी हो लेकिन कुछ चीजें उन्होंने हम से पढ़ी होंगी।

श्री उग्रसेन--

आप (माननीय मंत्री जी) काबिल थे तो आप को मुख्य मंत्री ने ले लिया। अगर हम भी काबिल होते तो हम को भी ले लेतीं।

श्री गेंदा सिंह--

श्रीमन्, मैं इस खास मौके पर सब के सहयोग की आवश्यकता है। जो सूखाग्रस्त इलाके के भाई लोग हैं, उन से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे हमारा साथ दें। जब मैं २ या ३ कामों के लिए आशीर्वाद की बात कहता हूं तो भाई उग्रसेन जी बद दुआ की बात करते हैं। मैं जो आशीर्वाद मांग रहा हूं वह कुछ भले काम के लिए ही मांग रहा हूं।

श्री चन्द्रबली सिंह---

बाढ़पीड़ित एरिया का जो सूखा खेत है उस को सिंचित करने के लिये आप ने क्या बन्दोबस्त किया है तथा आगे बाढ़ से बचाने के लिये क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री गेंदा सिंह---

जो भी इन्सान सोच सकता है वे सभी बातें सोची जा रही हैं ? कच्चे कुएं खोद कर के जल्दी से जल्दी पानी निकालने का प्रयत्न किया जा रहा है जिससे सूखती हुई खेती बचायी जा सके। उस के बाद जो लम्बे अर्से का काम है वह सोचा जायगा और किया जायगा। कोई दूसरे उपाय आप बता सकें तो बतायें कि किस तरह से जमीन के अन्दर से पानी खेत में लाया जाय।

श्री चन्द्रबली सिंह---

नदियों से पानी उलीचने का प्रबन्ध हो रहा है ?

श्री गेंदा सिंह---

पंपिग सेट किसानों को देने के लिये पूरी व्यवस्था है। ५ हार्स पावर के ट्यूबवेल के लिये अगर किसान पंपिग सेट खरीदता है तो आज ही आधी रकम की छूट उस को दी जा रही है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी-

नहीं मिल रहे हैं पंपिग सेट।

श्री गेंदा सिंह---

नहीं मिल रहे हैं तो हम और आप मिल कर कोशिश करें। आ रहे हैं पंपिग सेट और हजारों की तादाद में आ रहे हैं और हजार से कुछ कम जा चुके हैं और देहात में काम कर रहे हैं।

श्री बांके लाल---

जो लोग बिजली लगा कर पानी निकालना चाहते हैं, उनको ५, ७, १० हार्स पावर के लिये बिजली नहीं मिल रही है। इस गड़बड़ को आप ठीक करा दें तो काम अच्छा हो जाय।

श्री गेंदा सिंह---

मुझे जहां तक जानकारी है जितना पिछले ५, १० वर्षों में इकट्ठा काम किया गया था माइनर इर्रीगेशन के लिये उतना गत दो वर्षों में हुआ और सभी सदस्यों के सहयोग से हुआ। वह रकम तो इस समय में नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर है कि उस दिशा में किसान भी चल रहा है और सरकार भी कोशिश कर रही है। हमारे लिये तो खुली छूट है भारत सरकार की जितना धन माइनर इर्रीगेशन और पानी निकालने के काम में खर्च हो सके किया जाय। दो करोड़ तो कच्चे कुओं के लिये मिला है। लेकिन अगर बड़े कामों के लिये करोड़ों रुपये आप खर्च कर सकें उस के लिये धन की कमी नहीं है। लेकिन बड़ी भारी जरूरत इस बात की है कि सारे लोग जुट कर उसमें काम करें। मैं समझता हूं कि यह विपत्ति ऐसी है जिसकी जानकारी हम सब को है और लाखों आदमी आज फाकाकशी कर रहे हैं। सूखे की सब से पहले किसी ने अगर आवाज उठायी तो माननीय राजस्व मंत्री ने उठायी, आपने नहीं उठायी ठाकुर साहब को खबर अधिक थी, उतनी हम को और आप को नहीं थी। मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार कोई कसर उठा नहीं रखेगी जिससे लोगों को तकलीफ कम हो। टेस्ट वर्क्स खोल कर ही हम मदद नहीं करना चाहते बल्कि यह भी कोशिश है कि आगे के लिये इस मुसीबत से छुटकारा दिलाया जा सके। इसमें आप को और सब लोगों को एक साथ मिल कर काम करना होगा तभी लाभ होगा, करोड़ों लोगों की मदद हम कर सकेंगे वर्ना यह काम पूरा नहीं हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष को उनके पद से हटाने के प्रस्ताव से सम्बद्ध न होने के सम्बंध में श्री विजय सिंह का पत्र

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय विजय सिंह ने मेरे पास एक खबर भेजी है कि आज जो अविश्वास का प्रस्ताव आया है उससे वे अपने को असम्बद्ध करते हैं।

प्रदेश में सूखे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य पर चर्चा-

(क्रमागत)

श्री चन्दन सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या पश्चिमी जिलों में भी पंम्पिंग सेट्स दिलाये जायंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह आप मंत्री जी से बातचीत कर लीजियेगा।

*श्री शारदा भक्त सिंह--

माननीय गेंदा सिंह जी तथा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो बात कही गयी हैं उनके सुनने के बाद मैं यह जानना चाहता हूं क्या कृषि तथा सिंचाई नीति के सम्बन्ध में २० वर्ष की सफलता की बात वह कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि ३ एकड़ से कम खेती जिसके पास है उस को २० रुपये दे कर जो संकट आज पैदा हो गया है उससे उसे राहत दी जा सके। राहत हो सकती है लेकिन क्या सरकार ने २० वर्ष में अपना यह उत्तरदायित्व निभाया ? जब सूखा पड़ा और परीक्षा का काल आया उस समय कहा जा रहा है कि अगर छोटे-छोटे कुएं बना कर काम चलेगा तो कौन सा उपाय है ? पहले जब हम लोगों ने खास कर भारतीय जनसंघ ने यह कहा था कि छोटे छोटे किसानों के लिये सिंचाई और लघु योजना के साधन निकाले जायं तो उस समय देवता आसमान में विचरण कर रहे थे और यह कहा गया कि छोटे-छोटे किसानों से उत्पादन नहीं हो सकता, सहकारी खेती होनी चाहिये, सब मिलकर बड़े बड़े फार्म बनायें और इस प्रकार प्रदेश के सामने एक बड़ा कल्पित चित्र रखा गया था जो कि आज सूखा पड़ते ही नाकाम हो गया। अगर आप को सद्बुद्धि आ गयी है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है और मैंने आप से कई बार यह कहा कि ऊपर आसमान से उतर कर धरती पर आइये, उत्तर प्रदेश की समस्याओं का समाधान और उसके अनुसार कैसे उत्पादन बढ़ाया जा सकता है उस पर विचार करें क्योंकि कोरे नारों से कि हम सहकारी खेती बना देंगे, समाजवाद ला देंगे, सारे उत्तर प्रदेश में एक स्वर्ग बना देंगे, इन नारों से काम नहीं चलेगा। आज उत्तर प्रदेश के मंत्री हमसे कहते हैं कि क्या करें, हम तो पंम्पिग सेट लाना चाहते हैं, लेकिन मिलते ही नहीं, हम बोरिंग मशीनें लाना चाहते हैं लेकिन मिलती ही नहीं हैं। आप यह भी कहते हैं कि पक्के कुयें हम बनाना चाहते हैं लेकिन समय नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से और माननीय गेंदा सिंह जी से कि अगर ऐसे कुसमय में किसी मंत्री को यह कहना पड़े कि ऐसे समय के लिये हमने कोई प्रबन्ध नहीं किया तो क्या आप को नैतिक नीति से आज इस्तीफा

(इस समय १२ बज कर ५८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीश प्रसाद पीठासीन हुये।)

नहीं दे देना चाहिये ? जो समस्या आप के सामने आती है आप कहते हैं कि हम क्या करें। सरकारों का यह तरीका नहीं होता। आप हमारे उत्तर प्रदेश का भाग्य अपने हाथ में ले कर यह कहना चाहते हैं कि सूखा पड़ गया तब हम पंम्पिग सेट तलाश कर रहे हैं कि वह कहां मिलेंगे। पहले से आपने योजना क्यों नहीं बना ली ? आप सारा समय पार्टीबाजी में खराब करते रहे, टिकट का चक्कर आ जाता है और जब सूखा पड़ जाता है तो विरोधी दल के सामने रोते हैं कि हम क्या करें। अगर आप नैतिक दृष्टि से यह कह सकते हैं कि आज

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो आवश्यकतायें हैं उन्हें पूरा नहीं कर सकते तो क्यों नहीं आप कहते कि हम इस्तीफा देने को तैयार हैं क्योंकि हमने भविष्य को नहीं समझा, हमने किसानों के लिये तैयारी नहीं की और हमने उनको परमात्मा के नाम पर छोड़ दिया। माननीय गेंदासिंह जी आप का सारा भाषण यह बताता है कि आप चौकन्ने नहीं थे, आपने कोई कृषि नीति नहीं अपनायी आपने इसकी तैयारी नहीं की कि अगर आसमान से पानी नहीं मिलता तो हम क्या करेंगे। आप ने कभी सोचा नहीं कि छोटे-छोटे किसानों को पानी मिलने के लिये क्या करें। अभी तक आप यह कहते थे कि छोटे किसानों के पास साधन नहीं हैं। छोटे किसान सिंचाई का काम अपने आप नहीं कर सकते, इसलिये हम कोआपरेटिव बेसिस पर कुछ काम करना चाहते हैं। क्या आप यह कह सकते हैं कि किसान अपने आप ट्यूबवेल लगाये ? अगर उत्तर प्रदेश की सरकार यह कहती है कि अगर छोटे किसान सिंचाई का प्रबन्ध स्वयं नहीं कर सकते तो सरकार कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है तो मैं कहता हूं कि आपको शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। हम प्रश्न पूछना यह चाहते हैं कि आप ने प्रबन्ध पहले से क्यों नहीं किया। अगर आप पहले से सूखे के लिये तैयार नहीं थे तो आज इस नैतिक बात को क्यों नहीं स्वीकार करते। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि २०-२० रुपये दे रहे हैं और कुओं की खुदाई करा रहे हैं। मैं समझता हूं कि गेंदासिंह जी ने एक बड़ी भारी बात सोची है और यह बात इतिहास में लिखी जायगी कि जब किसानों के खेत सींचने के लिये आवश्यकता हो तो कच्चे कुयें खोद। यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आयी थी और यह एक नयी खोज गेंदासिंह जी ने कर के दी। यह बात इतिहास में लिख ली जाय कि एक कृषि मंत्री थे। उन्होंने बताया कि अगर पानी की जरूरत हो कच्चे कुयें खोद लीजिये। उत्तर प्रदेश का किसान आपकी इस खोज के लिये आपको आशीर्वाद देता है अगर आप कुछ और सोच ही नहीं पाये। हां, एक बात आप कह सकते हैं कि हमने हर किसान को २०-२० रुपये देने की सोची, वह भी जो कुआं खोदे उसको। यह बात मैं मान सकता हूं और जब मैं यह कहता हूं कि वोट के लिये आप बीस रुपये देना चाहते हैं तो क्या गलत कहता हूं ? पिछले चार वर्षों में आपने कुयें क्यों नहीं खोदे ? क्यों नहीं आप को यह बात पहले सूझी। अगर आपके सारे साधन लगा दिये जायं तब भी एक तिहाई भूमि से ज्यादा नहीं सींची जा सकती तो आपने क्यों नहीं पहले से दो तिहाई भूमि के सींचने का कुछ प्रबंध किया ? इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आप असफलता को स्वयं स्वीकार करते हैं। अब जो सूखा पड़ा है उसके संबंध में कहना चाहता हूं कि आपको जो प्रबन्ध करना चाहिये था वह नहीं कर रहे हैं बल्कि राज नीति की दृष्टि से आप सोच रहे हैं।

मैं अपने क्षेत्र की बात कहता हूं कि हमारे यहां ५ नदियां हैं। हमने हर साल मांग की है कि हमारा बाढ़ का इलाका है इसलिये उसका कुछ प्रबन्ध किया जाय। हर साल सैलाब आता था जिससे लोग पीड़ित होते थे। लेकिन इस साल लोग सूखे से तबाह हो रहे हैं। आपने कहा है कि जहां नदियों से पानी प्राप्त होता है वहां पंपिंग सेट्स लगाकर प्रबन्ध किया जा रहा है। लेकिन मेरे यहां एक भी पंपिंग सैट नहीं लगाये गये हैं। हजारों बीघा जमीन सूखी पड़ी है, उसमें कुछ बोया नहीं जा सका है और पांचों नदियों में पानी बह रहा है लेकिन एक भी पंपिंग सैट वहां नहीं लगा। आप किसानों को धोखा देने के लिये ऐसी बात कह देते हैं। हमने अधिकारियों से कहा तो उन्होंने कहा कि सैट्स तो मिलते ही नहीं हैं। आपने लिखा है कि पंपिंग सैट्स का प्रबन्ध किया जा रहा है, रुपये दिये जा रहे हैं, कुयें खोदे जा रहे हैं। आपका कहना ठीक है अगर मैं कहूं कि क्यों नहीं दिये गये तो आप कह देंगे कि दिये जा रहे हैं। जहां तक बुवाई का सवाल है उसका समय समाप्त हो रहा है। मैं समझता हूं कि आपको जितनी लिखा पढ़ा है यह सब कागज की योजना है। यह उत्तर प्रदेश के किसानों को धोखा देने के लिये है। किसान धोखा नहीं खायेंगे क्योंकि उनके ऊपर बात रही है। आप अपनी जगह पर २० रुपये दे रहे हैं लेकिन हजारों लाखों किसान बो नहीं पा रहे हैं। जब किसान सुनता है कि जहां नदियों में पानी होगा वहां आप पंपिंग सैट्स देंगे तो उसको कुछ राहत होती है

[श्री शारदा भक्त सिंह]

क्योंकि वह सोचता है कि हमारे यहां नदियों में पानी है तो सरकार सेट्स लगवायेगी। लेकिन जब कुछ नहीं होता है तो वह सोचता है कि यह सारा धोखा ही धोखा है। एक भी जगह पर जहां नदियों म पानी है सरकार की ओर से पंपिंग सेट लगाकर सिंचाई नहीं कराई गई। क्यों नहीं की गई जब आपकी योजना है? अगर यह है कि कहीं कहीं आपके निश्चित स्थान हैं या दिखाने के लिये आपने एक आध आदमी तैयार कर लिये हैं जो आपके मांगने पर आपको सर्टीफिकेट दे तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन जब प्रदेशीय सरकार की योजना है तो हर जिले में उसकी छाया होनी चाहिये और जिले में अनुभव होना चाहिये कि उसके अनुसार कार्य हो रहा है। मैं समझता हूं कि आपकी जितनी योजनायें हैं वे सब कागज पर ही हैं। यह चीज नहीं होनी चाहिये। उसकी विपत्ति में हर तरह से आपको काम करना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि सूखे से फसल नष्ट हो गई। हमारे माल मंत्री जी कहते हैं और उसमें लिखा है कि हमने आदेश भेज दिये हैं कि वसूली मुल्तवी कर दी जाय। आपने ३/४ साल से लगान लगा रखा है और निश्चय नहीं कर पा रहे हैं। एक ओर तो किसान के ऊपर बोझा डालकर पीसा जा रहा है और दूसरी ओर आप कहते हैं कि किसान तरक्की करे तो यह कैसे सम्भव हो सकता है। पिछले ५ साल के लगान के बारे में आप तय नहीं कर पाये हैं। कल माल मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब हमारे सामने फाइल आयेगी आर्डर कर दूंगा। जब उस कुर्सी पर विराजमान हैं तो फाइल मंगानी चाहिये और तुरन्त आर्डर करना चाहिये। क्यों नहीं पूछा कि फाइल अभी तक क्यों नहीं आयी? जिन स्थानों पर सूखे के कारण फसल नष्ट हुई है अगर आप वहां लगान माफी का ऐलान करवाते तो कमसे कम किसान थोड़ी सी पूंजी दिल खोल कर लगा देता। इस बारे में देरी होने से और कठिनाइयां हो रही हैं। जो पैसा आप दे रहे हैं उसमें आपकी राजनीति चल रही है। कृपा कर इस सूखे को राजनीति के लिये उपयोग न करें। अगर बीस, बीस रुपया देकर किसानों के वोट लेना चाहते हैं तो सबसे बड़ा पाप कोई नहीं होगा, जिस का प्रायश्चित यह होगा कि दोबारा आप को इन कुर्सियों पर बैठने का मौका नहीं होगा। कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। कथनी और करनी को एक करें किसानों को राहत दें नहीं तो किसान अपना कर्त्तव्य जानते हैं। यह मैं आप को चेतावनी देता हूं।

*श्री फूल सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, यह साल भारत के इतिहास में बहुत कठिन है। इस साल को समस्याओं का साल कहा जाय तो बेजा नहीं है। एक से एक कठिन समस्या इस साल उपस्थित हो रही है। उन समस्याओं में सूखे की समस्या, अन्न की समस्या सबसे जटिल है। हमारे प्रांत की आवश्यकता लगभग १४७ लाख टन सालाना की है। १९६४–६५ में कुल १२९ लाख टन पैदा हुआ। १८ लाख टन के करीब कम हुआ। इस साल की खरीफ कुल ३४ लाख टन हुई जब कि पिछले साल की खरीफ ५८ लाख टन थी। शुरू साल में सरकार ७५ हजार टन अनाज बांटती थी। जुलाई के करीब केंद्र की सरकार से कुल ४० लाख टन मिलता रहा, तो हर महीने ३५ हजार टन सरकार को अपने भंडार से निकाल कर बांटना पड़ा। अब सरकार की आवश्यकता २ लाख टन प्रति मास की है और केंद्रीय सरकार से प्राप्ति का औसत ९० हजार टन है। इसी कारण से जिन देहातों में राशन बटता था जो कि कुल छः किलो था, जो अत्यन्त नाकाफी था, अब कट कर ३ किलो हो गया है। तो समस्या बहुत जटिल है। बरसात शुरू हुई तो जुलाई में १५ दिन का सूखा पड़ गया। फिर जुलाई अगस्त में बरसा। सितम्बर में गायब हो गया। पूर्वी जिलों की चार कमिश्नरियों में सितम्बर के महीने में आमतौर से बारिश होती थी, कहीं चार प्रतिशत, कहीं दस प्रतिशत और कहीं २५ प्रतिशत

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। यह चारों कमिश्नरियों में रबी की जितनी फसल बोई जाती थी उतनी सभी फसलों में बोई गयी। इसका जो नतीजा होना चाहिये था वही हुआ। ऐसे इसी वक्त यह खबर भी आने लगी कि अमेरिका सरकार अब हमें अनाज देने वाली नहीं है। इससे समस्या ने एक और जटिल रूप धारण किया। यह समस्याओं का साल तो है ही, पर यह परीक्षा का साल भी है। कहर के मुताबिक एक कहावत हमारी तरफ कही जाती है कि किसी घर में कहर के जमाने में अनाज नहीं था किन्तु एक बार कहीं से अनाज मिल गया तो उसकी बीबी रोटी पकाने लगी, पति खाने लगा। तो उनका ही पेट न भरे और यह खाते चले जायें, तो बी बी को फिक्र हुई कि यह ही सब खा जायेंगे, तो मैं क्या खाऊंगी, तो उसने रोटी को छिपाकर रख दिया। तो इस पर उसके पति ने कहा कि कहर तो निकल जायेगा लेकिन यह करने से रोटी में दाग लगेगा। तो कहर तो गुजर जायेगा लेकिन इसके नाम पर जो अपना मतलब बनायेंगे या प्रचार करेंगे उन पर दाग जरूर लगेगा। यह तो देश और सारे प्रदेशों के लिये परीक्षा का समय है, जनता के लिये भी इम्तिहान का समय है, कर्मचारियों, अधिकारियों और मंत्रियों के लिये भी इम्तिहान का समय है। इतना ही नहीं कांग्रेस संगठन और विरोधी पार्टियों के लिये भी इम्तिहान का एक समय है। तो इसमें हर व्यक्ति को अपना-अपना दायित्व निभाना है। मान्यवर, जब मैं देहात में जाता हूं, तो देखता यह हूं कि परीक्षा का समय समाप्त हो रहा है, और उस इम्तिहान में किसान पास हो रहा है। जितना जितना समय निकल रहा है उतना उतना अधिक किसान मेहनत कर रहा है। मैं अपने जिले में देखता रहा, वहां २०० सरकारी ट्यूब वेल्स हैं, हमारे सहारनपुर जिले में, जिनको बनाने में ३ साल लगे होंगे। लेकिन इन तीन सालों में ६०० प्राइवेट ट्यूब वेल्स भी लगे हैं। हमारे यहां एक एक गांव में ५०-५० प्राइवेट ट्यूब-वेल्स लग गये हैं। मेरा अनुमान है कि सहारनपुर जिले में प्राइवेट ट्यूब वेल्स की कुल संख्या २००० के करीब होगी। जहां तक किसान का संबंध है वह अपना उत्तरदायित्व ठीक तरह से निभा रहा है। सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है। जितना रुपया पिछले पांच साल योजना में खर्च किया गया उसकी एक बड़ी मात्रा उन्होंने आखिरी साल में खर्च की। और इस साल का जो प्लान है वह ३ साला प्लान का दो तिहाई है। तो बहुत सी योजनायें हैं, बहुत सारे काम चलते हैं। सरकारी कर्मचारी भी बहुत कोशिश करते हैं। पर यह समय न तो कोई आत्म प्रशंसा करने का समय है, न कोई इल्जाम लगाने का समय है। मुझे लगता ऐसा है कि सरकारी कर्मचारी जितनी मेहनत करते हैं उसका आउट-पुट उतना नहीं है, उसमें इम्प्रूवमेंट की कमी है। ऐसा कह कर मैं सरकारी कर्मचारियों की कोशिश की कोई आलोचना नहीं करता बल्कि उसे और उत्साह दिलाता हूं कि उसको और अधिक कोशिश करनी चाहिये। मुझे सरकारी कर्मचारियों को नजदीक से देखने का मौका मिला। मैंने उसमें देखा है कि कुछ त्रुटियां हैं। मसलन सिंचाई की बात है। कागज का डिस्पोजल कितना होता है यह जानने योग्य बात है। मेरा अनुभव है कि इतनी मीटिंगें होती हैं कि शायद ही उन्हें अपना काम पूरा करने के लिये कुछ समय बचता हो। आवश्यकता इस बात की है कि इस बात का अन्दाजा लगाया जाय कि डिस्पोजल की स्पीड क्या है, काम कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ। बाज बाज मरतबे कागज एक-एक मेज पर हफ्तों रखे रह जाते हैं।

कच्चे कुयें की बात शारदा भक्त सिंह जी ने उठायी। मुनासिब बात है, बहुत आवश्यकता है। इस साल सरकार के प्रयत्न से जितना बीज बंटा है चाहे वह शंकर मक्का का हो, शंकर बाजरा, शंकर ज्वार का हो यह सब पांच पानी मांगते हैं। जो हमारे पास बीज है उनकी अपेक्षा कई गुना इनसे उपज हो सकता है लेकिन ५ से ८ पानी चाहिये। मुझे इस प्रश्न को जरा नजदीक से देखने का मौका मिला। मैंने सरकारी ट्यूबवेलों से बात की। मैंने उनसे पूछा कि कितना रकबा सरकारी ट्यूबवेल पर ऐसा है जिसमें ४ पानी मिलता हो, उन्होंने बताया कि ऐसा रकबा नहीं है। कितना रकबा है जिनको तीन पानी मिलता हो। उन्होंने कहा कि शायद १० परसेंट हो। मैंने जिलों के आंकड़े मांगे। सब आंकड़े तो एक जगह उपलब्ध नहीं हैं लेकिन मुझे सहारनपुर का आंकड़ा देखने को मिला। वहां २१५ सरकारी

[श्री फूल सिंह]

ट्यूबवेल्स हैं। रबी की फसल में इनसे पानी किसी खेत को नहीं मिला। तो अगर देश की तरक्की करना है तो सरकारी ट्यूबवेलों से तरक्की नहीं हो सकती। उससे काम चलाने में आप असफल रहेंगे। उसका इलाज कच्चे कुयें, मेसनरी वेल्स हैं। जो कच्चे कुयें बनेंगे वह पानी दे पायेंगे किसान को या फिर प्राइवेट ट्यूबवेल्स दे पायेंगे सरकारी ट्यूबवेल्स नहीं दे पायेंगे। इसलिये इस कच्चे कुयें की योजना का बहुत बड़ा महत्व है।

नहर की बात लीजिये। जमुना नहर को मुझे देखने का मौका मिला। इस साल जितना पानी उससे मिलना चाहिये था उसका १० परसेंट मिला। सारे लोग जानते हैं कि अगर नहर एक हफ्ते चलीं तो ९ हफ्ते बन्द रहीं, पूर्वी और पश्चिमी दो जमुना नहर हैं। एक तिहाई पानी जमुना नहर से उत्तर प्रदेश को मिलता है और दो तिहाई पंजाब को। उसका हेडवर्क पंजाब के कब्जे में है। मैंने ५ साल के आंकड़े निकलवाये। किसी साल उत्तर प्रदेश का उसके हिस्से का पूरा पानी नहीं मिला। मैंने सितम्बर में आंकड़े निकलवाये थे तो १ लाख ५० हजार क्यूसेक्स पानी आया था उत्तर प्रदेश के हिस्से में। तो आवश्यकता इस बात की है कि हमारे सरकारी कर्मचारी थोड़ा फील्ड में जायें और यह मीटिंगें जो चलती हैं उनको कम कीजिये। मंत्री जी मैं आपकी इत्तिला के लिये यह बात अर्ज करता हूं।

एक बात मुझे यह कहनी है कि फील्ड के कर्मचारी जो नक्शा बनाते रहते हैं उनके लिये एक मरतबा यह प्रयास हुआ था कि उनको कम से कम कागज में लगाना पड़े। फील्ड के आदमियों का नम्बर ढाई सौ से ७० कर दिया गया था लेकिन अब उसे ७ सौ कर दिया गया है। जब इतनी संख्या हो जायगी तो काम नहीं हो सकेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसको देखने की आवश्कता है।

अब मैं शंकर मक्का, शंकर ज्वार, शंकर बाजरा की चर्चा करता हूं। यह तीनों चीजें ऐसी हैं जिनका बीज किसी जिले में साढ़े ५ रुपये की फी किलो में बांटा गया और किसी जिले में १४ रुपये फी किलो में बांटा गया। अब १४ रुपये फी किलो में बीज बंटेगा तो पैदा हुआ बाजरा किस भाव बिकेगा। इसमें सुधार की गुंजाइश है।

एक बात और, सूखा जब पड़ा तब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक मुजफ्फरनगर में हुई। हम लोगों ने प्रस्ताव पास किया कि गन्ने की मिलें जल्दी चलायी जायें। गन्ने का रकबा सिंचाई वाला रकबा है। वह चल जायगी तो और फसल बच सकेंगी। एक ओर गन्ना खड़ा रहेगा तो पानी देना पड़ेगा और वह कट जायगा जल्दी तो पानी के बचत, और दूसरी फसल भी आ जायेगी। लेकिन आपको हैरानी होगी कि यह एलान हुआ कि दीवाली के बाद मिलें चलेंगी, जब कि पहले अक्तूबर में चल जाया करती थीं। जिला अधिकारियों ने अपीलें छाप दीं कि मिलें जल्दी चलाई जायें, हम अपील निकालते तो और बात थी सरकारी अधिकारी अपील छापें, उनको तो आदेश भेजना चाहिये था। हमने मालूम किया कि पूर्वी जिलों में ७ मिलें चलीं और पश्चिमी जिलों में ३० मिलें और ९ मिलें अभी तक पश्चिमी जिलों में बन्द हैं खेती के रोटेशन को बदलने की आवश्यकता है। अगर गेहूं बोया जाय तो जो आमदनी गन्ने से होने वाली थी वह इन चीजों से हो जायेगी। सरकार के दिमाग में एक बात यह है कि गन्ना ज्यादा उपजाया जाय और शकर का एक्सपोर्ट किया जाय और उससे एक्सचेंज अर्ज किया जाय। मेरा ख्याल यह है कि कोई अच्छा तरीका नहीं कि शकर भेजो और गेहूं मंगाओ, इसमें क्या बुद्धिमत्ता है? आप गेहूं पैदा कर लो ताकि शकर न भेजी जा और गेहूं न मंगाना पड़े। इसे हमको सरकारी स्तर पर सोचना चाहिये।

मान्यवर, जब मैं सदन में आया तो मुझे लगा कि यहां तो कोई असर सूखे का नहीं है। यहां तो फिक्र इस बात की है कि इलजाम किस पर लगाया जाय। मैं अपने दोस्त शारदा भक्त सिंह की बातें सुनता रहा। मुझे वह एक तरह से जवाबतलबी लगी। क्यों कुयें नहीं बने, क्यों यह नहीं हुआ क्यों वह नहीं हुआ? अगर जवाबतलबी करेंगे तो जब तक

जवाब आयेगा तब तक तो लोग मर जायेंगे । प्रश्न यह नहीं है कि कौन जिम्मेदार है । प्रश्न यह है कि इस वक्त हमें क्या करना है । यह इम्तिहान का समय है और हम सब के काम करने का समय है और काम करना चाहिये । मुझे खेद इस बात का है कि मैं भी उस लिस्ट में हूं जो इस कठिन समय में भी अपने कर्त्तव्य को पूरा नहीं कर सके हैं । हमें यह करना चाहिये था कि कोई संस्था बनाते और कुछ काम शुरू करते । सन् १९३३ में जब भूकम्प आया बिहार में तो हम सब जुट गये और बिहार में जाकर काम शुरू कर दिया । सूखा जब हमारे घर में पड़ा है तो हम सब बैठे हैं और इस वक्त हम इस बात में फंसे हैं कि कसूर किसका है । मेरा निवेदन है कि यह रास्ता सही नहीं है । इतिहास में यह बात लिखी जायगी कि लोग भूखों मरने जा रहे थे, देश की हालत खराब थी और यहां की लीडरशिप आपस में लड़ाई कर रही थी कि इस हालत को पैदा करने वाले कौन कसूरवार हैं । इसलिये उस रास्ते को बदलने की आवश्यकता है ।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं । एक तरफ जब यह सूखा है, एक कठिन समस्या है दूसरी तरफ कई सौ राज्य कर्मचारी बेकार बैठे ह । आपने तय किया कि ब्लाक नहीं रहेंगे, उनको तोड़ा जायगा, वे लगभग २०० ब्लाक हैं जिनको तोड़ने की बात है । अब उनको स्टे किया गया है । हर ब्लाक के अन्दर २०,२० कर्मचारी बेकार बैठे हुये हैं । उनके पास काम नहीं है । मेरा निवेदन है कि इस वक्त उन सब से काम लीजिये । ये ब्लाक रहेंगे या तोड़ेंगे इसका फैसला बाद को कीजिये लेकिन इस वक्त काम कीजिये । म इस बात को कई दफा सोचता रहा । म आपसे निवेदन करूं कि मुझे यह बात कहने का मौका मिले लेकिन वह नहीं मिला । इसलिये आज कह रहा हूं । हमारे सूबे में २०० के करीब कोआपरेटिव ट्यूबवैल थे । यह कई साल की बात है । वह योजना असफल हुई । उनमें से कुछ ट्यूबवैल सरकार ने ले लिये थे, बाकी ट्यूबवैल बेकार पड़े हुये हैं । जहां यह बात सही है कि नये सिंचाई के साधन बनाने चाहिये वहां यह बात भी सही है कि जो साधन बने हुये हैं उनका फौरन इस्तेमाल करना चाहिये । किसकी जिम्मेदारी होगी और आगे क्या होगा यह सवाल बाद को आयेंगे । मेरे खयाल में उन सब ट्यूबवैलों को सरकार को हाथ में लेकर उनसे सिंचाई के साधन मुहैय्या करना चाहिये ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

अधिष्ठाता महोदय, हमें बड़ा ताज्जुब हुआ जब हमने कृषि मंत्री महाशय का भाषण सुना कि खरीफ की फसल की रक्षा, सूखे से रक्षा भगवान के भरोसे ही हो सकेगी । म उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर भगवान के भरोसे इस देश और प्रदेश को रहना है और ८७ फीसदी लोग जो खेती में लगे हुये हैं, उनको रहना है तो फिर आपकी क्या जरूरत है और इस सरकार की जरूरत क्या है । मैं समझता हूं भगवान के बाद अगर इस मुल्क में कोई ताकत है तो वह सरकार की है । जब भगवान रूठा हो तो उस वक्त उस ताकत को इस्तेमाल करने की ताकत इस सरकार की शक्ति में है । लेकिन सरकार अगर पाजी हो, अदूरदर्शी लोग उसमें बैठे हों जो निकम्मे लोग हों, जो २० साल का अनुभव न करके अपने प्रदेश की खेती बाड़ी को भगवान के भरोसे छोड़ते हों तो उनके लिये क्या कहा जाय । कृपया भगवान के भरोसे उनको न छोड़िये, अपने भरोसे पर रखिये । मैं समझता हूं इस सरकार को ६०० साल इस प्रदेश की खेतीबाड़ी का सिंचन करने में लग जायेंगे । म आपके सामने जो सरकार के आंकड़े ह उनको प्रस्तुत करना चाहता हूं । १९५३–५४ में उत्तर प्रदेश में कुल जो खेती बाड़ी हुई वह ३,९४,२३,१२५ एकड़ में हुई । जिसमें सिंचन का कार्य हुआ–१,१५,१२,००० एकड़ पानी ३१ प्रतिशत, १९५३–५४ में । १९६३–६४ का देखें जब कि ये लोग अपने को कहेंगे कि हम सजीव और चालाक हो गये हैं, बच्चे नहीं हैं, उसमें ४,२७,१३,७१० एकड़ में खेती बोयी गयी और १,३२,८८,५०९ एकड़ में सिंचाई हुई, यानी ३१.४ फीसदी में सिंचाई उत्तर प्रदेश में हुई । पौने दो सौ वर्ष अंग्रेज हुकूमत रही । उसने भी सिंचाई के साधन प्रस्तुत किये

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

और इनकी हुकूमत भी बने २० साल हो गये । तो २०० वर्ष में जिस कच्छप गति से सिंचाई के साधन बढ़ाये गये हैं तो माननीय गेंदा सिंह जी हिसाब लगावें कि उसी अनुपात से जो प्रगति आपने की है उसमें ६०० वर्ष और लगेंगे सिंचाई के साधन ठीक करने के लिये । तो ६०० वर्ष में किसान की हालत क्या होगी ? आप कहते हैं कि पांचवीं योजना में पूरे साधन कर देंगे, लेकिन आपका आचरण हमें यह विश्वास नहीं दिलाता कि आप सारे खेतों की सिंचाई कर सकेंगे । आपका आचरण उल्टा है ।

कल हुकुमसिंह जी कह रहे थे कि १४ नवम्बर को हमने आपके यहां पानी बरसा दिया । खेती भरी-पूरी हो जाय तो सारा श्रेय सरकार ले लेती है और सूखा पड़ जाय तो भगवान के मत्थे मढ़ती है । दोनों चीज लो, यश लेते हो तो अपयश भी लो । माननीय गेंदा सिंह १४ साल हमारे यहां रहे और फिर वहां रहे, वह बतायें कि कभी ऐसा सूखा पड़ा था । एक ९० वर्ष के बूढ़े ने कहा जब मैं सगड़ी तहसील में घूम रहा था कि पंडित जी, ९० साल की हमारी उम्र हुई, ऐसा सूखा हमने कभी नहीं देखा । तो यह स्लोगन देने की बात नहीं है कि हम प्रदेश को भूख से नहीं मरने देंगे । ८७ फीसदी लोग गांव में बसते हैं और जो शहरों में बसते हैं उनके राशन में आपने कटौती किया और ग्रामीण क्षेत्रों में ८७ फीसदी के लिये भी आपने एक भी दूकान नहीं खोली । पहले तालाबों में पानी भरा रहता था और ३४ फीसदी खेतिहर जनता अखाद्य पदार्थों को जैसे भसींड को खाकर गुजर-बसर कर लिया करती थी । तालाबों का पानी सूखने पर वह भी उसको नहीं मिलता है । २-२, ४,४ साल के बच्चे भूखे रोते हैं और रोटी की मांग करते हैं, हमने देखा है । और आप कहते हैं कि हम भूख से किसी को मरने नहीं देंगे ।

श्री फूलसिंह जी ने कहा कि हम बाहर से गल्ला नहीं मंगायेंगे । यह दूसरी बात है कि आप शेख चिल्ली की बात करें लेकिन आपके पास गल्ला और पैसा कहां है और आपका आचरण क्या है ? श्री फूलसिंह ने कहा कि २ लाख टन गल्ला हर महीने में कम हो रहा है । तो फिर आपके पास क्या साधन है उसको पूरा करने का ? सिंचाई का काम नारा लगाने से नहीं होगा । छोटे-छोटे कुयें खोदने की बात है । कच्चे कुयें से फायदा नहीं होगा, आखिर कुयें के पानी से कितने क्यारी खेती सींची जा सकती है ?

श्री गेंदा सिंह—

२ गट्ठे ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

अगर किसी के पास ३ एकड़ भी खेती हो तो आपके हिसाब से भी कितने दिन में वह सींच पायेगा ?

श्री गेंदा सिंह—

एक एकड़ एक फसल में ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

इस तरह से ओस से आप अगर धरती माता की प्यास को बुझाना चाहते हैं तो वह बुझने वाली नहीं है । अगर प्रदेश से भुखमरी को मिटाना है तो पहले धरती माता की प्यास को बुझाओ । इसके लिये यह आवश्यक है कि मुफ्त पानी दो । अगर यह नहीं करोगे तो भीख मांगते-मांगते मर जाओगे और देश और प्रजातंत्र का खात्मा हो जायेगा ।

मान्यवर, इतनी बड़ी यह बुलेटिन छपी है । पिछले सालों में आपने मालगुजारी बाढ़ के जमाने में मुल्तवी की ? लेकिन कुछ समय बाद ही उसका सवा गुना वसूल किया । यह क्या है ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस कमिश्नर ने डेढ़ करोड़ की जनता का सही हक

छीन लिया, गोरखपुर में जनता ने इन्हें वोट नहीं दिया इसलिये मालगुजारी माफ नहीं हुई, उस कमिश्नर को आपने क्या से क्या बना दिया । श्री मित्रा जब आजमगढ़ में भाषण दे रहे थे तो कह रहे थे कि कम खाओ, हमने पूछा तुम कितना कम खाते हो । मैं कहता हूं आप अपने मालगुजारी कानून में संशोधन कीजिये । तभी किसानों को कुछ फायदा होगा । आपका कानून है कि जहां पूरे खाते का आधा नुक्सान होगा वहां मालगुजारी माफ होगी । मगर आजमगढ़, देवरिया आदि जिलों में आज भी मालगुजारी माफ नहीं है । मैंने माननीया मुख्य मंत्री को इसके लिये चिट्ठी भी लिखी, उनका जवाब आया कि १५ नवम्बर तक वसूली रोक दी है । पता नहीं १५ नवम्बर तक कौन सा गल्ला पैदा हो जायेगा, श्री रामकुमार शास्त्री जी के जिले में शायद तब तक वह पैदा हो जाय ।

मान्यवर, कल माननीय रामकुमार शास्त्री जी ने जो वक्तव्य पढ़ा उसमें लिखा है कि १ लाख १३ हजार रुपया गरीब विद्यार्थियों की सहायता के लिये भी प्रभावित जिलों के जिला अधिकारियों को दिया जा चुका है । सरकार यह भी मानती है कि साढ़े ४ करोड़ लोग सूखे से प्रभावित हैं । मैं पूछता हूं १ लाख १३ हजार रुपया आप कितने विद्यार्थियों को दे सकेंगे ? इस छोटी सी रकम से कितने विद्यार्थियों का आप भला कर सकेंगे ?

मान्यवर, माननीय राजस्व मंत्री जी आजमगढ़ गये थे । मैंने उनसे वहां की स्थिति के बारे में निवेदन किया था । वे नौकरशाही की फरजी रिपोर्ट को तो सही मानते हैं, पर जो वास्तविकता है, जो सही हालत है उसको नहीं मानते । केवल ५ हजार रुपया आजमगढ़ के लिये मिला । टेस्ट वर्क के लिये एक भी पैसा नहीं मिला । कहते हैं हमारे जिले की हालत ठीक है । हमने पूछा कैसे ? कहते हैं कि अधिकारियों की रिपोर्ट है । अधिकारियों की रिपोर्ट पर आप कार्य चलाते हैं । किसानों की मदद करना चाहते हैं परन्तु उनकी रिपोर्ट गलत है । तथ्य के विपरीत है और आप अधिकारियों की रिपोर्ट से सही माने में आप सहायता नहीं पहुंचा पायेंगे । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बिजली किसानों को खेती में किस हिसाब से देते हैं और उद्योग धन्धों में कितनी देते हैं । किसानों के लिये आप आंसू बहा रहे हैं । हम तो देखे हैं । आजमगढ़ में मैं घूमा हूं और उस जिले की सब तहसीलों में घूमा हूं । किसान ट्यूबवेल लगा कर बैठा हुआ है, बिजली चाहता है पर आप बिजली नहीं देते हैं । बिजली कहीं नहीं है । उद्योग धन्धों के लिये आप बिजली देते हैं । आप उद्योग धन्धों में ६७.५ फी सदी देते हैं, बिजली और सिंचाई के लिये १२.४ फी सदी । बिजली देने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री चाहे कि हम स्वावलम्बी हो जायेंगे केवल एक ढकोसला है । १२.४ फीसदी बिजली देकर आप किसानों को प्रायोरिटी नहीं दे सकते हैं । अगर देना चाहते हैं तो उद्योग धन्धों को बिजली सस्ती और सिंचाई के लिये किसानों को मंहगी और कम देते हैं । बंगाल, बिहार, म य प्रदेश और पंजाब में बिजली पर कोई टैक्स नहीं है । बाम्बे में चार यूनिट पर एक पैसा, मैसूर में १० पैसे, उत्तर प्रदेश में २५ पैसे । उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा क्यों है ? और फिर आप चाहें कि किसान खेती में गल्ला पैदा करे यह गलत है और नामुमकिन है । इस नीति और विचार को बदलिये और उद्योगों में बिजली कम लगाइये । अधिक से अधिक किसानों का खयाल कीजिये । माननीय गेंदासिंह के पास रिपोर्ट होगी । १९४६–४७ में जब पहिली गवर्नमेंट बनी उत्तर प्रदेश के बाहर से जो उस समय गल्ला मंगाया गया था, वह ६६ लाख तीन हजार मन था और आज की रिपोर्ट बताऊं सन् १९६३–६४ में दो करोड़ ६२ लाख टन गल्ला मंगाने की तादाद बढ़ रही है । एक तरफ तो आप कहते हैं कि आबादी बढ़ रही है इसलिए गल्ला नहीं मिलता । आबादी बढ़ रही है इसलिये लोग बेकार हैं । श्री अशोक मेहता साहब ने तो कह दिया कि जिस प्रकार से आबादी बढ़ी है और योजनायें बढ़ी हैं उसके अनुपात में १० फीसदी योजनाओं में पैसा खर्च होता चला जाय तो न खाने की समस्या, न कपड़े की समस्या कम होगी । उत्तर प्रदेश में क्या है । यहां बजट १२ १/४ (सवा बारह) फीसदी बढ़ता चला जा रहा है । उसके बाद उसके बढ़ाये जाने से खाने, गल्ले और कपड़े में कमी आती जा रही है और बेकारी की तादाद बढ़ती जा रही है, दवा दारू की भी तादाद कम

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

होती जा रही है। आप यहां क्या करेंगे ? गेंदासिंह जी, आप ऐसी जगह पहुंच गये हैं जहां चारों तरफ कौवे बैठे हैं। आप इनमें कोयल न बन पाइयेगा आप भी कौए बने रहिये। यह हालत है। अब आप मालगुजारी और खेती बाड़ी कर आइये। लुई फिशर ने गांधी जी से कहा था--अगर देश में गल्ला पैदा करना हो, इस देश को स्वावलम्बी बनाना हो तो सरकार का यह पहला काम होना चाहिये कि खेती में मालगुजारी किसी प्रकार की न लगाये। सिंचाई पर कोई टैक्स नहीं लगे। वरना खेत में गल्ला पैदा नहीं हो सकेगा। हमें अपने घर में मुफ्त हवा और पानी खाने के मिलते हैं, फिर जब उसी पानी को किसान खेत में लेता है तो उससे पैसा क्यों लिया जाता है? सन् १९५४ में डाक्टर लोहिया ने फर्रुखाबाद जिले में आन्दोलन चलाया था तो गेंदासिंह जी जेल गये थे फिर सरकार मजबूर हुई सिंचाई का कर कम करने के लिये। आज गेंदा सिंह जी, वही गेंदासिंह जी, उलटी बात करते हैं। जब तक सरकार अपनी योजनाओं में स्थायित्व नहीं लावेगी तब तक पैदावार नहीं बढ़ सकेगी। देहात में कहावत है कि धूल का खिलवाड़ बनाते हैं, वही यह सरकार कहती है। कच्चे कुंवा आप जवारे के खेत में बनाइये, उसे २, ३ महीने बाद फिर बनाना होगा। फिर बनाइये। क्या होगा ? आपको कोई ठोस योजना बनानी होगी। गेंदासिंह जी, एक बार नहीं, अनेकों बार कह चुके हैं कि चीनी मिलों का, बैंकों का, राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। आप चाहते हैं कि बाहर से भीख मांगना बन्द हो तो खेत की पैदावार बढ़ाने के लिये हर १० बीघे पर कुंवा दीजिये, मालगुजारी की वसूली बन्द करो, रहट दो, बीज और खाद दो, पानी दो। आपने कोई बीज नहीं बांटा है। जितने आपने ट्यूबवेल बनाये हैं बहुत कम पानी दे रहे हैं। फूलसिंह जी कह रहे थे। रदा कैनाल, आजमगढ़ कैनाल, ये आपने बनाये, लेकिन पानी किसानों को नहीं मिल पा रहा है। लालगंज जाइये, फूलपुर जाइये, दोहरीघाट कैनाल कितनी बड़ी है, उसमें पानी नहीं बहता है। क्या सरकार भीख मांगना बन्द नहीं करना चाहती है ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस संकट के समय ऐसे प्रश्न को, विवाद के प्रश्न को, नहीं उठाना चाहता था जिससे....

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

यह सूखा का विषय ऐसा है जिस पर बहुत से माननीय सदस्यों को अपनी बातें सुनानी होंगी। अभी एक मंत्री बोले हैं, दूसरे ने बोलना शुरू कर दिया। एक मंत्री का सरकार की ओर से अन्त में जवाब हो जाय, यही परम्परा रही है।

श्री अधिष्ठाता--

परम्परा यह रही है....

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--

४१ जिले सूखा से ग्रस्त हैं। हरदोई, उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, इनमें से किसी को न कल मौका दिया गया और न आज आप दे रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि मध्य उत्तर प्रदेश को भी मौका दिया जाय। बाद में पूरब को ओर पश्चिम को दिया जाय।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि शास्त्री जी ने सूखा पर बयान सरकार का पढ़ा। वह केवल अन्त में जवाब दे सकते हैं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

संसदीय प्रणाली और शिष्टाचार का यही तकाजा है कि जो मंत्री की हैसियत से वक्तव्य दे वह बाद में उत्तर दे सकता है। बीच में उसे नहीं बोलना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

शास्त्री जी दो हैसियत से नहीं बोलेंगे। एक ही हैसियत में बोलेंगे।

(व्यवधान)

आपने वक्तव्य पढ़ा, इसलिये बाद में ही बोलें।

श्री रामकुमार शास्त्री—

मैं अनेकों बा : वक्तव्य देकर बीच में भी बोल चुका हूं और बाद में जवाब भी दिया है।

(व्यवधान)

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

हम बार-बार व्यवस्था के प्रश्न के लिये उठ रहे हैं और आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप नहीं सुनते हैं। आपकी निगाह हर सदस्य पर जानी चाहिये। इतने लोग एक साथ खड़े होते हैं। यह अपोजीशन के लोगों के लिये एक मौलिक प्रश्न है। वह एक मंत्री की हैसियत से वक्तव्य देते हैं तो एक सदस्य की हैसियत से कैसे वक्तव्य दे सकते हैं? यह हमारे नौकर हैं और नौकर की हैसियत से जवाब ही दे सकते हैं, वह भी अन्त में। किसी नौकर को मालिक की आज्ञा के बिना नहीं बोलना चाहिये।

श्री रामकुमार शास्त्री—

यदि यहां पर कोई नजीर न हो.....।

(व्यवधान)

मैं भी किसी जिले का प्रतिनिधि हूं।

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन—

वह मंत्रिपद से इस्तीफा देकर ही सदस्य की हैसियत से बोल सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

(श्री उग्रसेन से) अब आप मुझे बात कहने दीजिये।

यहां की परम्परा यही है—और वास्तव में मेरी भी इसमें गलती हुई कि मैंने शास्त्री जी का नाम पुकारा—कि एक मंत्री ने वक्तव्य दिया, उस पर बहस हो रही है, तो वह अन्त में उत्तर दें। यदि बहस किसी दूसरे विषय पर होती तो दूसरी बात थी। अन्त में उत्तर देने का आपका अधिकार है। बाकी, बीच में बोलने का आपको मौका नहीं है।

श्री रामकुमार शास्त्री—

आपकी ऐसी व्यवस्था है तो कोई बात नहीं है। बहरहाल, यह परम्परा रही है।

श्री जे० पी० मिश्र—

अधिष्ठाता महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपकी निगाह मध्य उत्तर प्रदेश, पुराने अवध, की ओर भी गयी। आप की और सरकार की निगाह मध्य उत्तर प्रदेश के लिये एक सी नजर आयीं। इस सरकार ने सूखे का मुकाबला करने के लिये बहुत प्रयत्न किया। उसका वह कार्य बहुत ही सराहनीय रहा। लेकिन वह सराहनीय कार्य केवल थोड़े से जिलों को ही फायदा पहुंचा सका। उत्तर प्रदेश में ४१ जिले, ८९ हजार गांव और साढ़े चार करोड़ यहां जनता सूखे से तबाह है, उसमें से मुट्ठी भर इलाके के लोगों को लाभ हुआ है। हर ोई, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ जिलों को कुछ भी लाभ

[श्री जे० पी० मिश्र]

नहीं हुआ। वे आज भी उत्तर प्रदेश की सरकार की दया के मोहताज हैं। मैं माननीय शास्त्री जी और माल मंत्री जी को दावत दूंगा कि वे इन ५-६ जिलों का दौरा करें कि वहां पर आज भी लाखों एकड़ जमीन बिना पानी के बेकार पड़ी हुई है। कहीं-कहीं कच्चे कुए भी नहीं बन सकते क्योंकि ५०-५० हाथ पर वहां पानी पूरे सिंचाई के लिये मिलता है। उसकी ओर भी माननीय कृषि मंत्री और माल मंत्री जी को तवज्जुह देनी होगी। अगर वहां की लाखों एकड़ जमीन बेकार पड़ी रह गयी तो यह दुर्भाग्य की बात होगी कि लखनऊ की राजधानी में प्रकाश हो और उसके ५० या १०० मील की दूरी पर अंधेरा हो। पश्चिम मालामाल है और उत्तर पूर्व को आप मालामाल करने जा रहे हैं और बीच के जिले पश्चिम और पूर्व की चक्की में बिला वजह पिसे जा रहे हैं। माननीय कृषि मंत्री जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने बताया कि ८३ लाख ऐसे किसान हैं जिनका रकबा आधा एकड़ से ३ एकड़ तक है और भूखों मरने की हालत में हैं। इसलिये मैं तो कहता हूं कि वाकई अगर आप काश्तकारों की मदद करना चाहते हैं तो जितने अलाभकर जोतों वाले किसान हैं उनका लगान और उनकी सब बकाया माफ कर दी जाय। ऐसा करके यह कांग्रेस सरकार इस बात का परिचय दे कि वह गरीब काश्तकारों की हमदर्द है और इसको करने के लिये उत्तर प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपनी जी जान लगा दे। इस वक्त वायदा करने से काम नहीं चलेगा काश्तकारों के सामने प्रत्यक्ष आना चाहिये। काश्तकारों को यह दिखा देना चाहिये कि यह कांग्रेस सरकार समाजवाद के सिद्धान्तों से ओतप्रोत है, उसका लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना है। इसके लिये अलाभकर जोतों वाले काश्तकारों का लगान और उनकी बकाया माफ कर दी जाय।

दूसरी बात यह है कि इस वक्त लड़ाई की बात तो है नहीं। इसलिये इस सूबे को लड़ाई में उनका चार आना लगान भी माफ कर दिया जाय। अब इस पर आपको विचार करने की जरूरत नहीं है, आप को तो अब फौरन एलान करना चाहिये कि यह सवाया लगान जो लगाया गया था उसे अब सरकार वापस लेती है, आज माननीय राजस्व मंत्री जी सदन में इसका एलान कर दें। तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि प्रदेश कांग्रेस ने जो यह तय किया है कि भूमि भवन कर को खत्म करना चाहिये जितने किसान हैं और जिनको सूखे की चोट लगी है उनका भूमि भवन कर अवश्य खत्म होना चाहिये। किसानों के ऊपर इस समय तवज्जह देने की सख्त जरूरत है।

मेरा एक निवेदन यह भी है कि इस सूबे का मुकाबला करने के लिये नलकूप, बड़े नलकूप, प्राइवेट नलकूप, पम्पिंग सेट्स और डीजल सेट्स का बटवारा बराबर होना चाहिये, जिन्हें ४१ जिले सूखे की चपेट में हैं सबका ध्यान रखना चाहिये। ऐसे-ऐसे जिले हैं जहां पर ६-६ रिग मेशीन काम कर रही हैं और आधा दर्जन जिले ऐसे हैं कि जो रिग मेशीनों के मोहताज हैं। हमारे यहां तृतीय योजना में दस नलकूप मंजूर हुये, जिनमें से ४ नलकूप राजेपुर, तेजोपुर, भैंसोड़ा और एकसैय्या के बोर किये हुये पड़े हैं, हजारों एकड़ जमीन सूख रही है लेकिन सरकार को उनको चलवाने की अनुमति नहीं मिली। मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि तीसरी योजना के अन्तर्गत जितने नलकूप हरदोई जिले को स्वीकार हुये हैं उनका अविलम्ब निर्माण होना चाहिये और अब किसी इन्तजार का समय नहीं रहा है। मैं स्वयं इस तरह का काश्तकार हूं जिसके यहां पर ५० हाथ पर पानी है और आज हमारी एक एक इंच खेती बेकार सूख रही है, कोई पानी का ठिकाना नहीं है सारा इलाका सूखा पड़ा है, आज खेत के आंसू हरदोई जिले का किसान रो रहा है उस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये। मैं माननीय गंगासिंह जी को निमंत्रण देता हूं कि इतवार के दिन वह मेरे साथ चलें और जो मैं कह रहा हूं वह प्रत्यक्ष देख लें अपनी आंखों से, कि मैं सत्य कहता हूं या असत्य। एक बात इसके अलावा मैं और कहना चाहता हूं कि हरदोई जिले में पम्पिंग सेट्स के लिये कम से कम २५ लाख रुपये के प्रार्थना-पत्र सरकारी अधिकारियों के पास बांटने को पड़े हैं और एक पैसा भी जिले के पास नहीं है कि जो उन किसानों को दिया जा सके। फौरन यह रुपया दिया जाय। बिजली की बात तो जाने

दीजिये जो लोग प्राइवेट नलकूप डीजेल से चालू करना चाहते हैं उनकी भी कोई सहायता नहीं होती। बिजली महकमे के बारे में जिस तरह से बदायूं के बारे में चौधरी शिवराज सिंह जी ने बयान दिया वह भाषा तो मैं नहीं दुहराना चाहता लेकिन हरदोई के इंजीनियर्स और एक्जिक्यूटिव इंजीनियर शाहजहांपुर आज उन किसानों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जिनके सामने जिंदगी और मौत का सवाल आज पेश है। इस सम्बन्ध में कई बार जिला अधिकारियों, मुख्य मंत्री और चेयरमैन, विद्युत परिषद् का ध्यान दिलाया गया लेकिन आज तक कोई तवज्जह इस तरफ नहीं दी गई। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि जो नलकूप बने खड़े हैं उनको फौरन बिजली दी जाय।

इसके अलावा मुझे आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना है कि भगवान की कृपा से हरदोई जिले में भुखमरी का कोई सवाल नहीं है और न वहां कोई भूखा मरने वाला है और न आगे कोई इतनी अधिक दिक्कत है लेकिन वहां जो इलाका इस तरह का है कि जहां भोजन की कमी है वहां आपको सस्ते गल्ले की दुकानों का प्रबन्ध करना चाहिये, इसकी सख्त जरूरत है। इस सम्बन्ध में हमारे यहां जिलाधीश ने मीटिंग बुलाई थी और उसमें यह सब बातें तय हुई हैं कि कुछ ऐसे अभाव के इलाके हमारे यहां हैं जहां यह सस्ते गल्ले की दुकानें खुलनी चाहिये वह नितान्त आवश्यक है। बाकी टेस्ट वर्क की हमारे यहां जरूरत नहीं है और न वह नौबत आयेगी इसलिये जो पैसा आप का बचता है वह आप वहां पर मेशीनरी सिंचाई और बिजली वगैरा में दे दें। और जो अल्प सिंचाई योजनाओं का मुतालबा है, उसको पूरा करने के लिये सरकार से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसको वे जल्द पूरा करें। यदि यह रुपया एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कमिश्नर ने २ मास बाद में दिया तो इस से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसी समय केवल २५ लाख रुपये का मुतालबा है और सरकार को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र उस रुपये को हरदोई के जिला नियोजन अधिकारी के पास भेजा जाय ताकि माइनर इरीगेशन के लिए लोग डीजल से, या बिजली से अपने ट्यूबवेल्स, जो तैयार खड़े हुए हैं, उनको चला सकें। बिजली अगर आप नहीं दे सकते हैं तो वे इस रुपये से डीजल से अपने ट्यूबवेल चला सकेंगे और अपनी सिंचाई का काम निकाल सकेंगे।

श्रीमन्, हरदोई जिले में केवल ९ प्रतिशत भूमि में सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं और ९१ प्रतिशत भूमि असिंचित है। जिस जिले में केवल ९ प्रतिशत भूमि में ही सिंचाई के साधन उपलब्ध हों, सरकारी रिपोर्ट के आधार पर भी यह रकबा केवल १२–१३ प्रतिशत ही है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पर किस प्रकार सूखे से मुकाबला किया जा सकता है। पश्चिमी जिलों में कहीं-कहीं पर ६०–६५—७० प्रतिशत भूमि में और कहीं कहीं पर ४५—५० प्रतिशत भूमि में सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, लेकिन बीच के जो जिले हैं, उदाहरणार्थ उन्नाव जिले में एक भी स्टेट ट्यूबवेल नहीं है, केवल एक नहर निकली है। उनमें हरदोई, जिसमें नहर व कुछ स्टेट ट्यूबवेल हैं, सिंचाई केवल १/१० है। अतः मेरी माननीय माल मंत्री जी से प्रार्थना है कि अपनी लिस्ट में हरदोई और मध्यवर्ती जिलों को भी शामिल कर लें और जिस तरह से और जिलों में वे कर रहे हैं वैसे ही इन जिलों की ओर भी ध्यान दें। हमारे साथ वे सौतेले बेटे वाला व्यवहार न करें और हमें भी अपने ही खानदान में समझें और जिस प्रकार से सूखे का मुकाबला करने के लिए प्रदेश के और भागों में प्रयास कर रहे हैं उसी प्रकार से हमारे इन जिलों का भी ध्यान रखें।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कल उपाध्यक्ष द्वारा यह निर्णय हुआ था कि कोई सदस्य इस विषय पर ७–८ मिनट से अधिक नहीं बोलेगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप भी कल वाली बात को मान लें ताकि सब लोगों को बोलने का मौका मिल जाय।

श्री अधिष्ठाता—

चूंकि बोलने वालों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए समय कुछ कम करना है। अतः यदि आप लोग कहें तो मैं सब के लिए १० मिनट का समय निर्धारित कर दूं ?

श्री लखपत राम शर्मा (जिला झाँसी)—

अधिष्ठाता महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि सूखे का असर पूरे प्रदेश पर है। कुछ इलाके ऐसे भी हैं, जैसे बुन्देलखंड का इलाका है जहां पर १२ और १४ आने तक की हानि हुयी है। सरकार के आंकड़े भी इस बात को प्रमाणित करते हैं कि वहां पर १२–१४ आने का नुकसान हुआ है। अतः उस इलाके के प्रतिनिधियों को अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए आप उनको समय दीजिए ताकि वे अपने-अपने इलाके की स्थिति से सरकार को अवगत करा सकें।

श्री अधिष्ठाता—

ऐसी कोई बात नहीं है। आप कृपया बैठिए।

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, प्रश्न यह है कि आप पिछले ५ साल के ऐसे मौकों पर बोलने वालों की सूची उठा कर देख लें, आप देखेंगे कि हर बार उन्हीं लोगों को पिछले सेशन्स में भी सूखे पर बोलने का मौका दिया गया है जो आज बोल रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री चन्द्रबली सिंह—

यह निश्चित है कि जान-बूझकर कुछ सदस्यों के साथ पक्षपात किया जा रहा है और ५०, ६० आदमियों को ही अध्यक्षासन से बोलने के लिये बुलाया जाता है और इसीलिये अव्यवस्था खड़ी हो जाती है।

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया बैठ जायें, माननीय भगवान सहाय को बोलने दें।

श्री चन्द्रबली सिंह—

आप ५, ६ साल की लिस्ट मंगा कर देखिये, बराबर उन्हीं लोगों को बोलने के लिये पुकारा जाता है।

(व्यवधान)

श्री भगवान दास यादवेन्दु—

श्रीमन्, आपने मुझे बोलने के लिये कहा है तो बोलने दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने माननीय भगवान सहाय को कहा है।

श्री बांकेलाल—

हमारा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आप को समय का ज्ञान नहीं था और आप सो रहे थे। क्या आप उस कुर्सी पर बैठ कर सो सकते हैं?

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया बैठ जायें।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—

मान्यवर, सूखे के बारे में जो माल मंत्री जी का बयान हुआ....

श्री जगदम्बा प्रसाद—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। फैजाबाद जिला सब से ज्यादा प्रभावित है लेकिन आपने फैजाबाद जिले के किसी भी सदस्य को बोलने का मौका नहीं दिया।

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया बैठ जायें।

*श्री भगवान सहाय—

अधिष्ठाता महोदय, आज जो सूखे की समस्या है वह अपने प्रदेश के लिये एक बहुत भयंकर समस्या है। सरकारी आंकड़े जो माननीय माल मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में पेश किये हैं सूखे के बारे में उनसे मेरा मतभेद है। मिश्र जी ने कहा मध्य यू० पी० के बारे में जहां पर सारदा कैनाल आने के बाद सारा क्रोप पैटर्न चेंज हो गया है और वह इलाके अब धान के लिये मशहूर हो गये हैं जैसे शाहजहांपुर, हरदोई और पास के जिले, वहां पर २९, ३० साल के अन्दर सारदा कैनाल की वजह से क्रोप पैटर्न चेंज हो गया। रबी के मुकाबले में धान की फसल मेन फसल हो गयी है। आज पानी की कमी के कारण रिजरवायर नहीं भर पाया जिसकी वजह से सारदा नहर में पानी नहीं आया और धान की फसल सूख गयी। नुकसान के आंकड़े जो शाहजहांपुर के बारे में दिये हैं वे बिल्कुल गलत हैं। और हमारे यहां मंत्री महोदय नहीं गये जो इन आंकड़ों की जांच करते। मेरी जाती जानकारी है कि जिलाधिकारियों ने इसकी रिपोर्ट दी लेकिन सरकार ने उस पर तवज्जह नहीं की।

मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि धान की फसल को कभी एक खेत को एक पानी और कभी एक खेत को दो पानी मिले लेकिन फसलें फिर भी बरबाद हो गयीं १०० फीसदी। माननीय मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि ऐसे खेत जिनको भले ही एक अथवा दो पानी मिले हो लेकिन जिनकी फसलें बरबाद हो गयी हों, उनसे शारदा नहर की आबपाशी न ली जाय। जब तक पर्याप्त मात्रा में और समय के ऊपर पानी नहीं दिया जाता तब तक सरकार को आबपाशी चार्ज करने का कोई नैतिक हक नहीं है।

कच्चे कुओं की स्कीम अच्छी है। हमारे यहां पहले कच्चे कुओं से आबपाशी होती थी लेकिन शारदा नहर आने के बाद इस व्यवस्था को छोड़ दिया। मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है कि लाल फीता शाही पर अगर तवज्जह नहीं की जायगी तो जो २० रुपये सबसिडी के और ५० रुपये तकावी के कुवें के लिये दिये जा रहे हैं यह मदद बेमानी हो जायगी। मैं पुराने तजुर्बे के आधार पर कहना चाहता हूं कि इसका ज्यादातर रुपया रिश्वत में चला जायगा और काश्तकार के हाथ में बहुत थोड़ा रुपया आयेगा। मैं दरख्वास्त करूंगा कि मेहरबानी करके कम से कम इस भयंकर महंगाई के जमाने में इस लाल फीताशाही पर प्रतिबन्ध लगाइये और गरीब तथा पीड़ित किसान को फौरन राहत मिलनी चाहिये ताकि उसको फायदा हो सके।

पंपिंग सेट्स के बारे में प्रयत्न हो रहा है। मैं सरकार को यह चेतावनी देना चाहूंगा अनुभव के आधार पर कि जो गहरे तालाब हैं उनमें पंपिंग सेट्स लगा कर पानी को आप खींच सकेंगे और सिंचाई कर सकेंगे लेकिन उथले तालाब में स्थिति खराब होगी और सिंचाई नहीं हो सकेगी। इसलिये काश्तकार को यह मालूम करवाना चाहिये कि कहां पर पंपिंग सेट काम कर सकता है और कहां नहीं कर सकता है।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि समस्या बहुत भयंकर है। कुछ ब्लिट्स, टाइम्स आफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस तथा अन्य पेपर्स के संवाददाताओं ने बाढ़पीड़ित इलाकों का दौरा किया और वहां पर फर्स्ट हैंड नालेज उन्होंने प्राप्त की जैसे कि मेजा, करछना तथा करवी तहसीलों की। आप मानेंगे कि उनके आबजर्वेशंस सही हैं और उनका कहना यह है कि जहां-जहां टेस्ट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भगवान सहाय]

वर्क्स खोले गये वहां पर १५, २० दिन तक काम करने के बाद भी पैसा नहीं मिला और दो तीन आदमी जिन्होंने १५, २० दिन तक काम किया था वे भूख से मर गये लेकिन टेस्ट वर्क्स से पैसा नहीं मिला। इसके अलावा जब कि लोकल रेट ढाई रुपया मजदूरी है तो टेस्ट वर्क्स पर १ रुपया दिया जाता है। एक मजदूर को दो किलो गल्ला प्रति परिवार के हिसाब से मिलता है। माननीय मुख्य मंत्री खुद सोच सकती है कि दो किलो प्रति परिवार गेहूं में एक लुकमा भी नहीं मिल सकता, खाने का सवाल तो दर किनार रहा। माननीय मुख्य मंत्री से मैं यह सिफारिश करूंगा कि वह इस बात पर तवज्जह देंगी कि टेस्ट वर्क्स पर काम करने वालों को समय से और सुविधा से पैसा मिलता रहे। मुझे एक बात और कहनी है जैसा कि माननीय फूल सिंह जी ने कहा था, मुझे बड़ा आफसोस हुआ, उन्होंने कहा था कि आपोजिशन के आदमियों ने चार्जेज लगाने शुरू कर दिये बजाय समस्या का हल करने के। जब तकलीफ होती है तो हमको अपनी पिछली कमजोरियां याद आती हैं और याद दिलाना हमारा फर्ज है कि आपने कहां कहां पर भूल की और मेहरबानी कर के आयन्दा भूल न करें। यह कांस्ट्रक्टिव सजेशन है, डस्ट्रिक्टिव नहीं। अगर इसको उन्होंने डस्ट्रिक्टिव सेन्स में लिया तो यह अपोजिशन की बदकिस्मती है।

एक बात और है कि जो आप १५ हजार ट्यूबवेल्स को बिजली देना चाहते हैं तो मैं शाहजहांपुर जिले की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि शाहजहांपुर से पश्चिम की ओर जो लाइन जाती है वह बहुत ही सैचुरेटेड है, उसके ऊपर कोई फाल्तू बिजली नहीं है। क्योंकि इस बीच में जलालाबाद की लाइन निकाल दी लेकिन एन० ई० आर० के ऊपर से निकाली और आज तक ए० ई० आर० ने परमिशन नहीं दी है, ६०, ७० गज का फासला है जिसे कनेक्ट कर देने से सरप्लस बिजली हो सकती है।

दूसरी बात यह कि पारसाल का हमें तल्ख तजुरबा है कि आलू की पैदावार काफी हुई, ८ रुपये बोरा आलू बिका और आलू खेतों में सड़ा। आलू की पैदावार पारसाल उससे पहले के साल के मुकाबले में अधिक हुई और इस साल भी अधिक होगी मगर कोल्ड स्टोरेजेज में उसके रखने की बहुती नहीं हुई। आलू एक पेरिशेबिल कमोडिटी है। अगर काश्तकार ने पैदावार बढ़ा ली तो वह परसाल की तरह से बरबाद न हो।

मैं मुख्य मंत्री जी से एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि जिनकी फसलें नहर के पानी को लेकर भी बरबाद हो गयी हैं उनसे आबपाशी न चार्ज की जाय।

श्री बैजनाथ पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका हृदय से आभारी हूं कि आपने मुझे अपने क्षेत्र की विपत्ति के बारें में कहने का अवसर दिया। हमारे क्षेत्र का किसान लगातार पिछले दो सालों से जिस साहस और उत्साह से इस परिस्थिति का सामना कर रहा है फिर भी हमारी संस्था के प्रति उसका उत्साह बना हुआ है। मैं एक किसान घर का हूं और अपने रहबरों की छत्रछाया में रह कर जो सेवा का वृत लिया है उस वजह से वहां की अधिकांश जनता ने मुझे चुन कर यहां पर भेजा है। मैं अपने नेताओं से निवेदन करूंगा कि हमारे जिले इलाहाबाद की हालत बहुत ही असहाय है। और इसमें तहसील मेजा, करछना और हंड़िया वगैरा का सारा क्षेत्र पीड़ित है और हमारे मंत्री जी भी वहां जाकर देख चुके है। हंड़िया में भी मंत्री जी गये है। मैं वहां की दशा क्या कहूं? हमारे क्षेत्र में दो एरिया है एक धान का और दूसरा कछार का। कछार के एरिया में बाजरा वगैरा की फसल होती है और धान के एरिया में केवल धान होती है। जहां ट्यूबवैल्स है वहां तो लोगों के कुछ आंसू पुंछ गये हैं। बाजरे वगैरा की खेती तो नगण्य है। पिछले साल भी पानी न बरसने के कारण फसल बरबाद हो गई थी। धान और खरीफ की फसल भी बरबाद हो गई थी। हम इस वेदना को लेकर आये हैं कि हमारी वेदना को सुनकर मंत्री जी तथा राज्याधिकारी ध्यान देंगे। हम बराबर प्रार्थना करते आये हैं कि हमारे यहां सड़कों का प्रबंध होना चाहिये।

हम अधिकारियों से कहते हैं तो वे कहते हैं कि हम क्या करें ? इसके लिये हम थोड़े ही जिम्मेदार हैं । यहां के प्रतिनिधि जिम्मेदार ह । आप अपनी सरकार से इस मामले में कहिये। सड़क के मामले में ट्यूबवैल के लिये सवाल है । अगर पानी की व्यवस्था हो गई होती तो इस विषम परिस्थिति का समाना हमारे किसान कर लेते । आज सारे किसानों की एक ही मांग है कि हमें पानी दिया जाये । हमारी तरफ से ट्यूबवैल्स और सड़क के लिये मांग होती रही है । लेकिन विभाग के अधिकारी हमारी कठिनाई नहीं सुनते है । हम यही कहेंगे कि इस समय यहीं कहावत चरितार्थ हो रही है । "जाके पैर न फटी बिवाई, वह क्या जाने पीर पराई" । अगर अधिकारी वर्ग विवेक से काम लेते तो आज यह परिस्थिति नहीं आती ।

हम अपील करेंगे कि किसानों की व्यथा केवल पानी की ही है हम इंजीनियरों से भी कहते है कि अगर आप पानी का इन्तजाम कर दें तो हमें बड़ी सहायता मिलेगी । अगर हमारे यहां ट्यूबवैल्स का इन्तजाम हो गया होता तो हमारी यह हालत न होती । इसी के साथ साथ सड़क के मामले में भी हम प्रार्थना करते आये ह । पंडित जवाहरलाल नेहरू ने १९६१ में कहा था कि हमें पहले ब्लाक्स नहीं चाहिये बल्कि हमें तो सड़के चहिये क्योंकि हड़िया से १४-१५ मील का टुकड़ा है वहां पर आने जाने का कोई साधन नहीं है । वहां पर एक साल सड़क मंजूर भी हुई थी लेकिन वैसी ही पड़ी है । जन शक्ति योजना में तीन ब्लाक्स में कुछ काम सड़क का होने वाला था । इसलिये हमें उम्मीद थी कि आने जाने के साधन मिलेंगे, लोगों को काम मिलेगा लेकिन पता नहीं कब वह काम शुरू होगा । अगर इसमें ढिलाई नहीं की गई होती तो लाखों आदमियों को राहत मिलती । इन कामों में थोड़ी जल्दबाजी करा दी जाय तो गरीब जनता को थोड़ी राहत मिल जायेगी । हम किसानों में विश्वास पैदा कर रहे ह कि सरकार के जो आदेश निकल रहे हैं उससे संतोष करें और ज्यादा से ज्यादा उनको सांत्वना मिलने की उम्मीद है क्योंकि राज्याधिकारी हमारे जिले को कुछ थोड़ी सी राहत दे रहे हैं । मैं एक बात दोहरा कर कहूंगा कि राज्याधिकारियों के दिलों में किसानों के प्रति पूरा दर्द नहीं पैदा हो रहा है । अगर पूरा दर्द पैदा हो जाय तो सरकार जो साधन देती है वह उपलब्ध हो जांय । इस समय हमारी यही मांग है कि किसानों को बीज उपलब्ध नहीं हो रहा है । भगवान की कुछ कृपा हुई है लेकिन एक रु ये का तीन साढ़े तीन पाव अन्न मिल रहा है । एक एकड़ में तीन चालीस रुपये का अनाज खरीदना पड़ता है । गहना गुरिया बेच कर किसान बाजार से खरीद रहे हैं । फिर भी उनमें साहस है । भगवान की कृपा से जमीन बोई नहीं रह जायगी लेकिन इतना जरूर नि वेदन करूंगा कि किसी तरह से टयूबवल का साधन बढ़ा दिया जाय तो हमारी तहसील का विशेष लाभ होगा । जन शक्ति योजना से जो हमको सड़कों का लाभ मिलने वाला है उसमें ढिलाई न की जाय । उससे किसान सुखी रहेगा ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

अधिष्ठाता महोदय, सूखे का असर प्रदेश के अन्दर बहुत ही गहरा है । यह सूखा सिर्फ इस साल हीं नहीं पिछले साल भी सूखे का असर था । इसके पहले भी आपने देखा कि प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से में ओले का प्रकोप हुआ था । दिनों दिन प्रदेश सूखे से, ओले से, बाढ़ से तबाह होता जा रहा है । इस ओर जिस तरह से पहले कदम उठाने की आवश्यकता थी सरकार ने कदम नहीं उठाया । माननीय गेंदासिंह अभी भाषण कर रहे थे ।

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

एक व्यवस्था का सवाल है । जो सदस्य आपकी खुशामद करेगा उसे आप समय देंगे या दलगत देंगे ? कोई मापदंड है ?

श्री अधिष्ठाता—

कुछ मापदंड है उसी के अनुसार चल रहा है ।

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

हर रेकगनाइज्ड पार्टी के माननीय सदस्यों को मौका मिलना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता--

उनको पूरा मौका दिया जा रहा है।

श्री भगवान दास यादवेन्दु--

लेकिन जो लोग आपके पास नहीं आना चाहते उनको क्या सजा देंगे ? कुछ लोग चाटकारिता करना सदन का अपमान समझते है। मैं भी इसको बहुत बुरा समझता हूं कि मैं यहां से जाऊं और कहूं। तब समय मिले। जो आंखों से देख रहा हूं। वह कह रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपा करके बैठें।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)--

प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के किसी मेम्बर को आपने समय नहीं दिया।

श्री अधिष्ठाता--

यदि यह होगा कि हर माननीय सदस्य के बाद दो तीन सदस्य खड़े हो जांय तो सदन का कार्य नहीं चलेगा। मैं प्राथना करूंगा कि कार्य को चलने दिया जाय।

श्री जगदम्बा प्रसाद--

मैं उन सदस्यों में से नहीं हूं कि जो विधान सभा की कार्यवाही में बाधा देते हों। लेकिन मजबूरन मुझे यह कहना पड़ रहा है। आप कृपा करके प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों को भी समय दें।

श्री ऊदल--

मैं जिक्र यह कर रहा था कि गेंदासिंह जी ने इस बात का जिक्र किया कि हमारे देश के लीडर्स असली समस्याओं से भलीभांति परिचित नहीं हैं, मैं उनकी इस बात से सहमत हूं। जब गेंदा सिंह जी इस तरफ बैठते थे, तो उन्होंने कई बार भाषण भी दिये हैं, जो कि प्रोसीडिंग्स में देखे जा सकते हैं--उन्होंने उन पक्के कुओं की तरफ सरकार का ध्यान दिलाया है जो जमींदारी उन्मूलन के पहले पक्के कुयें अच्छी हालत में थे जो कि आज सरकार की दोषपूर्ण स्कीमों के कारण नष्ट हो गये हैं या जो बाकी बचे हैं वे भी नष्ट हो रहे हैं। सरकार के जो ट्यूबवैल्स बनते हैं उनकी नालियां सीधी उन कुओं के रास्ते से या कुओं की नालियों के रास्ते से जाती हैं। इस तरह से यह उनको नष्ट करती हुई और तोड़ती हुई जाती हैं, जो हमारी सिंचाई का एक अच्छा साधन था और बन सकता था। तो मैं गेंदासिंह जी से कहना चाहता हूं कि जो आप पुराने सिंचाई के साधनों को नष्ट कर रहे हैं, तोड मरोड़ रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी है। मैं मांग करता हूं कि सरकार पूरे प्रदेश में पैमाने पर इस बात की छानबीन करे कि कितने पक्के कुओं की नालियां और पक्के कुओं को इस तरह से नष्ट किया गया है। दूसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस सूबे से लड़ने के लिये बाढ़ से मुकाबला करने के लिये उपाय पहले करने चाहिये थे, वे नहीं किये गये। जब मौसम अच्छी होती है, वर्षा अच्छी हो जाती है और उसके फलस्वरूप फसल अच्छी हो जाती है तो उसकी सारी वाहवाही सरकार अपने ऊपर लेती है, किन्तु जब सूखा पड़ जाता है या बाढ़ आ जाती है तो सरकार ईश्वर और भगवान का नाम लेती है और अपनी सारी असफलता उसके नाम पर, उसके बहाने से टालने की कोशिश करती है। गेंदासिंह और दूसरे मंत्रिगण इस प्रकार का नाम लेते हैं।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सारदा सागर कैनाल, जिसको सरकार ने करोड़ों रूपया लगाकर बनाया है, बाराबंकी प्रतापगढ़, जौनपुर तक और बनारस तक गई है, जब से यह कैनाल बनी है, तब से आज तक उसमें पानी नहीं गया। मैं कहना चाहता हूं कि चोलापुर और बिन्दासपुर माईनर की आप जांच करें तो आप पाएंगे कि यह बात बिलकुल ही सत्य है। जिसका

नतीजा यह है कि नहर एरिया होने की वजह से वहां के किसान अपने प्राइवेट ट्यूबवैल्स नहीं लगवा सकते हैं और सरकार स्टेट ट्यूब वेल नहीं लगा सकती है। उस नहर के एरिया में या वैसी ही अन्य तमाम नहरों के एरिया में सरकार ट्यूब वेल की व्यवस्था करे जहां पर सरकार नहरों से पानी नहीं पहुंचा सकती है।

दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि चन्दौली में चन्द्रप्रभा नहर जो जमानिया तक गयी है, जो कि लाखों रुपया लगाकर बनाई गयी है, लेकिन आज तक उसमें पानी नहीं गया और जब किसानों ने उनको पाटना शुरू किया तो सरकार ने उन लोगों को उन किसानों को पकड़ कर जेल में बन्द कर दिया। तो सरकार उनको पानी तो दे नहीं सकती। उल्टे उनको बन्द करती है। मैं समझता हूं कि सरकार की यह नीति ठीक नहीं है, सरकार समय रहते चेते। मैं दूसरी बात आपके सामने वह रखना चाहता हूं कि ट्यूबवैल्स का कमान्ड एरिया ८०० और १००० रखा गया है हमारे पूर्वी जिलों में, लेकिन सरकार का कोई भी ट्यूब वैल २०० के २५० से अधिक के एरिया में पानी नहीं पहुंच पाता है। तो इतना अधिक कमान्ड एरिया रखने से क्या लाभ है सिवा हानि के ही जब आप इतनी दूर तक पानी नहीं दे पाते हैं। मेरा निवेदन है कि आप कमान्ड एरिया ३०० से अधिक का न रखें। कल माननीय राममूर्ति जी ने माईनर इरीगेशन का जिक्र किया, हमारे जिले में ४० लाख रुपया बांटा हुआ है माइनर इरीगेशन की हालत यह है कि वहां पर रिंग मशीन नहीं है। मई में वह मशीन आनेवाली थी। जून के पहले रिंग मशीन के आदेश दिये गये लेकिन वह मशीन अभी ८,१० दिन हुए पहुंची है। जब सूखे का एतराज सरकार को नहीं है तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस प्रश्न को गम्भीरता के साथ सोचे।

सरकार की जितनी राशन की दुकानें हैं वह सारी बन्द पड़ी हैं। हमारे जिले वाराणसी में ५०० के करीब राशन की दुकानें हैं। उन पर गल्ला नहीं है। मैंने सप्लाई अफसर से कहा कि जो आपके यहां पुरानी दुकाने है उन सबको चालू कीजिये तो उन्होंने बताया कि अलाटमेंट हो गया है लेकिन हमारे पास गल्ला नहीं है। सरकार लोगों के फायदे की बात करती है लेकिन सरकार की नीयत खराब है। सरकार गरीब किसानों को मेहनत करने वालों को फायदा पहुंचाना नहीं चाहती है। जे० पी० मिश्र जी कह रहे थे कि ३ एकड़ तक के किसानों का लगान माफ किया जाय। सरकार संकट का बहाना ले लेती है। मैं कहूंगा कि इन पुराने कानूनों को बदला जाय। सरकार इन पुराने कानून को बदलने के लिये तैयार नहीं। अगर यह सरकार गरीब लोगों को राहत देने वाली नहीं है तो किस प्रकार से उनको राहत मिलेगी। आज किसानों की हालत यह है कि खाद २५ फीसदी महंगा हो गया है। पानी में ज्यादा फसल के लिये छूट दी जाती थी वह छूट भी सरकार ने वापस ले ली है। गन्ने की सिंचाई का रेट भी बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में बिजली की दर सब प्रान्तों से महंगी है। पानी महंगा है। लगान का रेट महंगा है। इसके बाद सरकार ने ४ आना अपना लगान उन पर बढ़ा दिया है तो हम कैसे उम्मीद करें कि किसान इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी और इतना महंगा सामान बाजार से खरीदने के बावजूद भी अपनी खेती अच्छी तरह से कर सकेगा? मैं आपसे कहता हूं कि वाराणसी में और भदोही तहसील में ९० फीसदी धान सूख गया है। किसी को एहसास नहीं होता है। मन्त्री जी का कानून इतना निकम्मा है कि उससे उनकी कोई सहायता नहीं होती है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया। अभी बोलने वाले बहुत हैं तो मैं ७ मिनट का समय कर देता हूं।

*श्री रामचन्द्र विकल—

अधिष्ठाता महोदय, यह इस देशका दुर्भाग्य रहा कि अनेक बार १५, १६ वर्षों से इस विधान सभा में किसानों की समस्या की तरफ ध्यान फेंकने की कोशिश की मगर सरकारने किसानों की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामचन्द्र विकल]

समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया। आज जब अकाल की स्थिति है तब भी प्रदेश में सरकार किसानों की सुविधाओं क तरफ ध्यान नहीं कर रही है। अभी माननीय गेंदा सिंह जी कुछ कह रहे थे। उनके बारे मे मैं तो ह कहना चाहता हूं कि एक गड़रिये की लड़की ठाकुर सहाब के यहां शादी होकर आई तो उसके कपड़ें में भेड़ और बकरी की बदबू आती थी तो उसने कहा कि इसमें बदबू आती है। कुछ दिनों के बाद जब वह घर में रहन सहन सीख गई तो लोगों को मुगालता हुआ। तो उसको प्यार होने लगा और बाद में उसने यह कहना शुरू कर दिया कि मैंने तुम्हारे घर की बदबू दूर कर दी। उनका खयाल यह है कि हमारे आने से सरकार की सारी समस्या अब हल हो गई है और जो इधर उधर सारी गलती थी वह सब दूर हो गई है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि कच्चे कुंओं की बहुत चर्चा हुई और नलकूप की भी। या तो सरकार की यह बात गलत है कि सरकारी नलकूपों में पानी नहीं रहा या यह बात गलत है कि कुंओं में १० फुट पर पानी निकल रहा है। मैं निजी अनुभव से कहना चाहता हूं कि इनमें से कोई एक बात गलत है कि नलकूप सूख रहे है या १० फुट पर कुंओं में पानी निकल रहा है। आप २० रुपया कच्चे कुओं के लिये सहायता की बात करते है हमारे यहां के किसान ५० रुपया और १०० रुपया देकर जो कुछ बिजली के कनेक्शन के बिना पड़े हैं उनके लिये बिजली चाहते है लेकिन उनकी कोई सुनवाई यहां नहीं होती। कई लोग रोज लखनऊ बिजली का कनेक्शन लेने के लिये आते है लेकिन आप समस्या का समाधान नहीं चाहते वर्ना इस समय में मुक्त हस्त से उन को बिजली के कनेक्शन दिये जाने चाहिये थे। एक निवेदन भी यह करूंगा कि सरकार इस मौके का लाभ उस हदतक नहीं उठाना चाहती जिस हद तक उठाना चाहिये। कल ही यहां मांग हुई कि सारे प्रदेश को अकालग्रस्त घोषित किया जाय लेकिन वैधानिक प्रश्न उठाकर उस को खत्म कर दिया गया लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जब आप ५१ जिलों को सूखे से प्रभावित मानते है तो वह १३ जिले कौन से है कि जो सूखे से प्रभावित नहीं है। एक घर का अगर तीन चौथाई भाग जल जाय और एक चौथाई बच जाय तो सारा ही घर जला कहा जायगा। आज वह कौन से १३ जिलें है? आज तो सारा सूबा ही अकाल के मुंह में है, वह १३ जिलों के नाम बतायें कि जो बचे हैं। मैं आपको सहारनपुर जिले की तहसील नकुड़ की बात बताता हूं कि वहां पर आज कच्चे कुओं में पानी नहीं रह गया है और मेरठ जिले तक में ऐसे इलाके है कि जहां पर किसानों की फसल सूख गई और किनानी को सूखे गन्ने में आग लगाना पड़ी। अभी तक बहुत से मिल बन्द है और दिवाली तक वह नहीं चले। कितने ही किसान आये कि हमें क्रशर का लाइसेंन्स दिया जाय लेकिन होता यह है कि न तो मिल चलती है और न क्रशर लाइसेंस दिये जाते हैं। इस तरह से कैसे पैदावार बढ़ जायगी यह सोचने की बात है। चाहे किसी की फसल सूख रही हो लेकिन वह प्राइवेट नलकूप से पानी नहीं ले सकता था। हमने कहा कि कानून को तोड़ो और फसल को बचाओ। मालूम हुआ कि सरकार ने अब इसके बारे में आदेश जारी कर दिये हैं। ऐसे अनेक अव्यावहारिक कानून सरकार ने बना रखे हैं। बात यह है कि न तो इन कानूनों को बनाने में किसी किसान का हाथ है, न योजनाओं को बनाने में किसानों का हाथ है और न योजनाओं को कार्यान्वित करने में ही उसका हाथ है। यही कारण है कि आजकल ऐसी हालत हो रही है। देश की भुखमरी को दूर करने के लिये अमेरिका से आप १ अरब २५ लाख का सालाना गल्ला मगाते हैं अगर आप किसानों को पानी के लिये इतना रुपया दे देते तो आज आपको यह कच्चे कुयें बनवाने की जरूरत न पड़ती। ऐसा न करके आपने आज तक देश को अमेरिका के मोहताज रखा है। किसानों से योजनाओं के नाम पर जो रुपया आप ले रहे हैं, उसको आपको बन्द करना चाहिये और जो योजनायें आपकी गलत साबित हो रही हैं उनको भी आपको बन्द करना चाहिये और जिन्होंने इन योजनाओं को चलाया है उनको आपको दंड देना चाहिये क्योंकि उन योजनाओं के बावजूद भी आज देश में भुखमरी की हालत है और इसके बावजूद भी आप इन योजनाओं और कानूनों का ढोल पीटते हैं। अभी मजफ्फरनगर में ४१ जिलों के कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई थी। उन्होंने उसमें एक मत से यह पास किया कि

२५ प्रतिशत लगान कर और भूमि भवन कर को हटाया जाय। किसी भी मंत्री का वहां नैतिक साहस नहीं हुआ कि उसकी मुखालफत करता और वह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ। और सर्वसम्मति से कहा गया कि ६७ से पहले ही लगान को हटा देंगे। इन लोगों ने वहां लोगों से वायदा किया और आज ये सरकार में बैठे हुये हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जब एक कांग्रेस का प्रस्ताव है और यहां गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी की है अगर उसमें इ का ि श्वास नहीं था तो उनको वहां पर अपोज करना चाहिये था लेकिन ऐसा मुजफ्फरनगर में नहीं किया। अगर नहीं किया तो आपको उस पर अमल करना चाहिये। अब आपका कर्तव्य है कि आप २५ फीसदी लगान को और भूमि भवन कर को हटायें। मैं नायक साहब की तारीफ करता हूं कि उन्होंने अपने प्रदेश में २ साल तक के लिये किसानों की आबपाशी माफ कर दी है और उन लोगों को और भी रियायतें दी हैं। लेकिन यहां उत्तर प्रदेश में और भी आबपाशी की दरें बढ़ाई जा रही हैं। क्या इससे किसानों की परिस्थिति और भी बिगड़ती न जायगी? आप तो यह भी नहीं देखते हैं कि आप जो सहायता किसान को देते हैं वह भी उनको ठीक तरह से मिल पा रही है अथवा नहीं। जो मशीनरी उसको सहायता पहुंचाने वाली है उसमें करप्शन व्याप्त है। आप उसको ऐसी छूट क्यों नहीं देते हैं जिससे किसान को घर बैठे लाभ पहुंच जाय। इन कानूनों पर विचार करो और ऐसा काम करो कि जिससे किसानों को सीधा लाभ पहुंचे। आप इस सब पर विचार करने के लिये एक कमेटी का गठन कीजिये, उसमें अगर विरोधीदल के लोग भी हों तो मुझे इसमें कोई एतराज न होगा। उसमें माल मंत्रीजी, कृषि मंत्री जी हों और किसानों के नुमायन्दे उसमें हों और उन आफीसर्स को भी उसमें रखा जाय जिनका किसानों से कोई सम्ब ध नहीं होता और केवल कागजी घोड़े दौड़ाते रहते हैं। आज उस कमेटी का निर्माण करें और वह इस बारे में पूरी जांच करके निर्णय पर पहुंचे।

*श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, आज सदन में सूखा के ऊपर बहस हो रही है उत्तर प्रदेश में सूखा की मसीबत बराबर आती रहती है लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारी सरकार अभी तक इसका कोई इन्तजाम नहीं कर सकी है। जो सामान हमारे देश के अन्दर मौजूद है उसको बाहर से लाने की यह सरकार सोचती है। आज हमारी कृषि मंत्री कच्चे कुओं का नारा लगा रहे हैं। वह चाहे कच्चे कुये हों या मेन पॉवर स्कीम हो उससे आप देखेंगे कि आबपाशी बढ़ेगी और जितनी आब-पाशी बढ़ने का केलकुलेशन आपने किया है, वह बढ़ेगा। आपने ३ प्लानों में १७० करोड़ रुपया इरीगेशन पर खर्च किया है उसके मुकाबले में आपने जो २ करोड़ रुपया अब खर्च किया है, उससे मैं समझता हूं अधिक आबपाशी हो जायगी। अगर आपने १० लाख कुयें बनवा दिये और ३ एकड़ तक की खेती को आपने पानी दे दिया तो एक बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, नोट कर लें कृषि मंत्री कि १० लाख कुयें बनाने का टार्गेट आप पूरा कर लें, लेकिन एक महीने के बाद फिर सर्वे करा लें कि १० लाख में से कितने कुयें चले और उनसे कितनी आबपाशी की गयी तो आपको सही हालत मालूम होगी। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि लकड़ी और पूला दस्तियाब नहीं है तो कौनसी टेक्निक है कि जो बिना बीम लगाये हुये कृषि मंत्री जी कच्चे कुयें लगा सकेंगे? बिना पूले के कैसे बना सकेंगे? आप भले ही २ करोड़ रुपया बांट दें, आप जरूर बांट देंगे लेकिन १० लाख कच्चे कुयें आपके आपरेशन में नहीं आ सकेंगे। कोई खुद कर रह जायगा, कोई एक हफ्ते और कोई एक महीने के बाद गिर जायगा। इसलिये १ महीने बाद फिर इस कच्चे कुयें की स्कीम का सर्वे करा लें कि कितने रकबे की उन्होंने आबपासी की।

जहां तक मौजूदा हालात का सवाल है, उत्तर प्रदेश के ५४ जिलों में सब में सूखे की मसीबत पड़ी, लेकिन हमारे मंत्री जी और सरकार ने पटवारी वाला हिसाब लगा लिया कि जैसे पटवारी ने किसी नदी के अन्दर सबसे गहरी कितनी है और उथली कितनी है दोनों का मिलाकर ऐवरेज निकाल लिया कि इसमें तीन फीट ही पानी है और उसमें से उसने अपना सारा खानदान पास

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसेन]

किया और वह सब डूब गया, इसी तरह से पिछले दिनों जब बारिश आयी और पश्चिमी जिलों में सैलाब आया और उधर खुशकी से पश्चिमी जिलों में भी खड़ी फसल धान, ज्वार, ईख की बरबाद हो गयी । तो हुकुमसिंह जी ने ऐवरेज निकाल लिया कि वहां ऐवरेज बारिश हो चुकी है इसलिये वहां खुशकी का कोई असर ही नहीं है। ये सरकार के डूबने के लक्षण है ।

मैं पूछता हूं कि आज क्या हालत है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की । अगर आप उस २६ करोड़ रुपये में से जो आपने बजट पेश किया है सूखे को मीट करने के लिये पश्चिमी जिलों को दान की हैसियत से नहीं देना चाहते तो कम से कम वह रकम तो दे ही दीजिये जिसको खर्च करके पश्चिमी जिलों में जो मैक्सिको व्हीट और ६८ की पैदावार शरू हुई है उसकी मुकम्मिल सिंचाई हो जाय तो पश्चिमी जिले सारे प्रदेश की जरूरत के लिये काफी व्हीट पैदा कर सकेंगे । आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जे० पी० मिश्र जी ने सवाल भी दिया, कि कोई ऐसा जिला नहीं है जहां ६–६ सौ, ७–७– सौ अप्लीकेशंस माइनर इरिगेशन के लिये, ट्यूबवेल या रहट लगाने के लिये रजिस्टर्ड पड़ी हों, लेकिन डवलपमेंट बैंक वाले कह देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। हर किसान चाहता है कि ज्यादा गल्ला पैदा हो,उसको इस काम के लिये ज्यादा पैसे की जरुरत है और वह चाहता है कि पंपिंग सेट से आबपाशी करे लेकिन अपनी सारी जायदादा और जमीन तो डवलपमेंट बैंक को गिरवी रख दी और आज उससे कहा जाता है कि पैसा नहीं है । मुरादाबाद में ही ७०० दरख्वास्तें रजिस्टर्ड पड़ी हैं माइनर इरिगेशन के लिये और १५ लाख रुपया वहां के डी० एम० ने मांगा है लेकिन आप जो रुपया उन्होंने इरिगेशन पोटेंशियल को बढ़ाने को मांगा है नहीं दे रहें हैं और कहते हैं कि पैसा नहीं है । अगर आप उसको इतना ही रुपया दे देते, पश्चिमी जिले के किसान को जितना कि उससे श्रम करवा लिया तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपकी बड़ी सेवा करता और गल्ले के मसले को बड़ी हद तक हल कर देता । ६८ बोया जाय और धान की फसल दूसरी बोकर पैदा कर सकता था । दूसरी तरफ आपने जहां पिछली दफा साढ़े आठ सौ रुपया फी ट्यूबवेल्स मंजूर किया था, लेकिन जब कि कास्ट आफ मैटिरियल बढ़ गयी है आपने साढे ६ सौ रुपया पर ट्यूबवेल मंजूर किया। बड़ी लिखत–पढ़त के बाद, मझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आपने २०० रुपया बढ़ाया जबकि इंजीनियर्स और एग्जिक्यूटिव इंजीनियर्स ने १२०० रुपये रिकमेंड किये थे । इसके मानी यह हुये कि आपकी इस तरह दिलचस्पी नहीं है कि इरीगेशन बढ़ेगा । अगर दिलचस्पी होती तो आप फी नलकूप पर १ हजार रुपये देते ।

रेमीशन की बात कही गयी । गोरखपर के लिये कहा गया कि वहां के कमिश्नर ने सिफारिश नहीं की । मैं पूछता हूं कि रोहेलखंड डिवीजन में वहां के कमिश्नर ने रेमीशन के लिये सिफारिश की, उसकी सिफारिश के ब वजूद सरकार ने क्यों रेमीशन नहीं दिया । मैं कहता हूं कि रेवीन्यू बोर्ड के अधिकारी मनमानी करते हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हुआ ।

*मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

माननीय अधिष्ठाता जी, मझे खेद है कि मैं कल यहां न रह सकी, जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा । मै सोच रही थी कि मैं अपनी अनुपस्थिति के लिये नेता विरोधी दल से माफी मांगूंगी क्योंकि मैं उनका भाषण सुन नहीं पायी, किन्त उस काम से भी मुझे छुट्टी मिल गयी क्योंकि इस समय कोई भी विरोधी पक्ष क नेता यहां मौजूद नहीं है । मेरे सुनने में तो आया है कि पिछले ५० सालों में कभी ऐसा भयंकर सखा नहीं पड़ा । दो सालों से लगातार सूखा पड़ा है। पिछले साल भी सूखा पड़ा, पर इस साल के मुकाबले में कम था । पिछले साल ऐसा था कि पहले एक फसल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अच्छी हो चुकी थी जिससे लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं हुई । कुछ उससे राहत मिल गयी थी ।

(इस समय ३ बज कर १ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुये ।)

कहा गया कि सरकार सोती रही, सरकार ने कोई काम हीं किया । मैं यह कहना चाहती हूं कि पिछले ३ सालों से लगातार हमारा यह प्रयास रहा है कि सिंचाई बिजली तथा साधनों को बढ़ाया जाय और हमने इसके लिये पूरी कोशिश भी की है । आपको मालूम होना चाहिये कि पिछले ३ सालों में २ लाख से ऊपर हमने कुवें बनाय हैं । गरीब किसानों के पास सिंचाई के साधन बहुत कम होते हैं । हमने सोचा कि अगर उनके पास एक कुवां बन जाय तो वे सिंचाई कर सकते हैं । तृतीय पंच वर्षीय योजना में मेजर और मीडियम साधनों के द्वारा एक करोड़ २७ लाख एकड़ में इरीगेशन पोटेन्शियल हमने बढ़ाया । माइनर इरीगेशन की द्वारा २८ लाख एकड़ में बढ़ाया । इसके अलावा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बिजली की क्षमता हमारी ३०० के करीब किलोवाट की थी । तृतीय योजना के बाद यह बढ़ कर ९९० क्लोवाट हो गयी । जितने हमारे पास साधन थे उसके अनसार हमने सिंचाई के साधनों को बढाया । हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग इस लायक हो जायं कि हमको खाने के लिये किसी के पास जाना न पड़े । बिजली के लिये जितना पैसा हमारे पास था वह सब खर्च हो गया एक साल पहले ही । फिर हमने और सोर्सेज से पैसा काट कर इस तरफ लगाया । केन्द्र से भी हमने कर्जा मांगा है । हर तरह से प्रयास कर रहें हैं कि हम बिजली की क्षमता को और बढ़ायें । हमारी कोशिश है कि हम इतना उत्पादन करने लगें कि हमें मांगना न पड़े । मगर ईश्वर की मर्जी, कुछ गल्ला रहा और ऐसा भयानक सूखा पड़ा जो कि पिछले पचास सालों में नहीं हुआ था । उसमें भी जून, जुलाई में वारिश हुई और हम देखते रहें कि हम अच्छा काम कर लेंगे और इसके लिये भरसक काम किया गया और इसमें सारे लोग जुटे हुये थे । मगर जब एकाएक बारीश बन्द हो गई तो एक विकट परिस्थिति हुई । जो बुवाई हुई थी उसमें भी खरीफ के पौधे सूखने लगे और धान की फसल करीब-करीब बरबाद हो गई । पहिली फसल, दूसरी फसल और फिर तीसरी फसल भी कट गई, जानवरों के खिलाने के लिये भी नहीं रहा । मुझे माननीय सदस्यगण कह रहे थे कि सभी प्रान्त में तकलीफ है । मैं भी मानती हूं कि तकलीफ ४१ जिलों में नहीं बल्कि सारे प्रान्त में है । सभी जगह, कहीं अनावृष्टि और कहीं अतिवृष्टि होकर फसल को नुकसान पहुंचा है । जितनी फसल पारसाल पाये थे उतनी फसल नहीं पायेंगे । जो जिले ड्रौट से एफैक्टेड हैं उन्हें डिक्लियर किया गया है । उनमें सात जिले पहाड़ के भी हैं । उन जिलों में भी पाला पड़कर नुक्सान पहुंचा है । मतलब कहने का यह है कि कहीं कम है और कहीं बेशी तकलीफ है । बेशी तकलीफ वाले ४१ जिले हैं और १७ जिले ऐसे हैं जहां फसल हमारे आंकड़ों के अनुसार ५० से ७५ परसेन्ट बरबाद हुई है ।

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

वे कौन से जिले हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उसका नक्शा छपा है, आप लोग पढ़ लीजियेगा । (व्यवधान) एक तरीके से चार डिवीजन पूर्व के उसमें आते हैं । फिर कुछ जिले हैं जिनमें २५ से ५० फी सदी नुकसान हुआ बाकी में १० से २० प्रतिशत नुकसान हुआ है । अब कहा जाता है कि आप लोगों ने कुछ काम नहीं किया । जैसे ही हम लोगों को पता चला कि अब बारिश बन्द हुई है और सूखे का प्रकोप होने लगा है हम सोचने लगे कि सूखे का किस तरह मुकाबिला करें । जो बातें इतने दिन हुई । एक तो यह कहा जाता है कि चार आने छोड़ो । छोड़ने में तो आप खुश होते हैं । मैं छोड़ देती हूं । इसमें तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती । वोट लेने में आसानी हो जाती । छोड़ भी दें और खर्चा भी करें । सब चीज एक साथ नहीं हो सकती हैं । १४ करोड़ रुपये की मालगुजारी मुल्तवी की

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

है। ३६ करोड़ रुपया तो हमारा खर्चे में लगेगा जो हम नये-नये काम करना चाहते हैं। इस तरह से पचास करोड़ का हिसाब होगा तब जाकर कहीं मामला बन पायेगा। इतनी परेशानी है। जो मुल्तवी किया है, ढाई करोड़ लोन रख दिया है, एक करोड़ ३५ लाख तकावी कैनाल ड्यूज १४ लाख, बाकी ड्यूज ७० लाख। इतना मुल्तवी कर चुके हैं। डी० एम० को इजाजत दी हुई है कि वे आवश्यकतानुसार मुलतवी कर दें जहां जहां परेशानी हो। अभी पश्चिमी जिलों के लोग विकल जी, और रियासत हुसैन साहब बहुत जोश में बोल रहे थे। मैं मेजा, करछना तहसीलों में, बान्दा और मिर्जापुर के इलाकों में स्वयं देख आई हूं। वहां के खेती की खराब हालत है। सब जगह हाहाकार मचा हुआ है। वहां की तकलीफ अन्दाज नहीं कर पाई जा रही है। ऐसी सब जगहों में हमने कलेक्टर्स को टैक्स रिलीफ की इजाजत दी हुई है। टैक्स रिलीफ कई जगहों के लिये हो गया है। २६ जगह यह चल रहा है। पहिले वर्षा हुई तो लोग काम करने चले भी गये लेकिन बाद में सूखा हुआ। शुरू में एकाएक काम हुआ तो पहिले पन्द्रह दिनों में तकलीफ हुई थी मगर अब सब जगह टैक्स रिलीफ दिया जा रहा है। शुरू में तकलीफ के शिकार थे। इसके अलावा ग्रेटुशस रिलीफ के लिये एक करोड़ से ज्यादा रुपया रखा गया है। डेढ़ करोड़ डिस्ट्रैस्ड तकावी देने के लिये रखा गया है। सब जगह पूर्वी जिलों में जहां मैं पहुंची किसानों का परिवार इतना दुखी हो गया है कि उनके बच्चों का पढ़ना बन्द हो गया है। बच्चों की पढ़ाई बन्द न हो इसलिये जितनी रकम की जरुरत हो वह दी जाय। जिलों से लाखों रुपये की जरूरत बतायी जा रही है लेकिन हमने इसके लिये केवल १ लाख १३ हजार रुपया जिलाधीशों को बांटा है और उनको आदेश है कि जहां पर जरूरत हो वहां पर दें। विद्यार्थियों की पढ़ाई खराब न हो इसके लिये हमने कहीं वालन्ट्री एजेन्सीज और कहीं पर प्राइम मिनिस्टर फन्ड से एप्रोच किया है। और असल में हमें इन वालन्ट्री एजेंसियों से दूध तथा सब्सिडियरी फूड मिला भी है। एक संस्था में हमें तो १० लाख बच्चों के खाने के लिये भी मिला है। हमने यह भी प्रबन्ध किया है कि जो हमारी कमजोर मातायें हैं उनको दूध भी दिया जाय। अनाज की बात मैं खास तौर से कहना चाहती हूं। अनाज की परिस्थिति बहुत कठिन है। अभी मैं इलाहाबाद हवाई जहाज से गयी थी। मैंने देखा कि बारिश हो जाने के कारण सारी जमीन में बुआई हो गई है। माननीय बैजनाथ पांडेय जी ने शिकायत की कि इलाहाबाद में क्या हुआ। हम लोगों ने कोशिश की कि समय से बीज के लिये रुपया किसानों को दिया जाय ताकि किसान जहां भी मिल सके बीज के लिये गेहूं खरीद सके। इसके लिये हमने ३० लाख रुपये की तकावी बांटी। एक दिन तो ऐसा हुआ कि किसान इकट्ठे हो चुके थे और हमारे अधिकारी रुपया शाम तक बांटते रहे। उसके बाद भी जब कुछ किसान और रह गये तो ३ बजे तक दूसरे दिन भी उन लोगों ने रुपया बांटा। सरकार के सामने ४१ जिले हैं। उन सबमें प्रबन्ध करना है। इस समय ऐसा मौका है कि आपको भी अपनी कोन्सटीट्युन्सीज में देखना चाहिये कि ठीक से काम होता है या नहीं। आप लोग वहां भी दौरें लगाइये और देखिये और सरकार का हाथ बटाइये। जैसा हमारे देवरिया के माननीय सदस्य ने दिलचस्पी ली, यद्यपि वे हमारी पार्टी के नहीं हैं अपोजिशन के हैं, वैसे ही आप सबको दिलचस्पी लेनी चाहिये। आपकी कौन्सटीट्युन्सी में जो एफैक्टेड एरिया है उसमें सूखे का मुकाबला करने के लिये सरकार के जो अधिकारी हैं उनकी मदद कीजिये। इस समय कांग्रेस और गैर कांग्रेसी का वक्त नहीं है। यह तकलीफ का वक्त है। इस समय कोई चुनाव के बारे में सोचने का समय नहीं है और न ही इस समय में और तुम समझने का समय है। मैं कहती हूं कि अगर माननीय विकल जी को प्लानिंग कमीशन में काम करने के लिये कहा जाय तो मैं पूछूंगी कि कितना काम हो गया। कहना आसान है पर करना मुश्किल है। मैं चाहती हूं कि आप अपनी-अपनी कौन्सटीट्युन्सी में जाइये, यहां पर अपने भाषणों में हमदर्दी मत प्रकट कीजिये। भाषण में भी हमदर्दी दिखाना आपका धर्म है लेकिन इसके साथ साथ कुछ कार्य भी कीजिये। हम भी चाहते हैं कि जो हमारे (सरकार के) हाथ पैर हैं वे ठीक तरह से काम करें। उनकी सहायता आप लीजिये और काम को सुचारु रूप से करवाइये। हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा दिया गया एक-एक रुपया किसान तक पहुंचे। हम चाहते हैं कि जो कच्चे कुयें खोदने

का हमारा लक्ष्य है वह पूरा हो। आप सब से मेरी प्रार्थना है कि आप अपने-अपने इलाकों में जायें और देखें। इससे आपके इलैक्शन का काम भी होगा और आप जनता की सेवा भी कर सकेंगे।

पिछले वर्ष कच्चे कुओं के लिये हमने कोई पैसा नहीं दिया था परन्तु फिर भी २ लाख कुयें बिना किसी अनुदान के बने। इस वर्ष हमने उनको प्रोत्साहन देने के लिये, क्योंकि वे दुखी है, गरीब हैं, उनकी थोड़ी सी मदद करने के लिये २० रुपया प्रति कुयें के हिसाब से दिये हैं। कुयें खोदे जा रहे हैं। कहीं कहीं पर यदि पानी नहीं निकला तो और जगहों पर तो अवश्य ही निकलेगा। मगर यह कहना कि सारा का सारा पैसा बरबाद हो रहा है यह बात मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। जो हमारे कन्सर्न्ड अधिकारी हैं, एमरजेन्सी अधिकारी हैं, मैं उनसे हिसाब लेती रहती हूं हर हफ्ते में। तो सरकार की तरफ से चौकन्नेपन में कमी नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि १० लाख कच्चे कुएं बनायें जायं और एक एक कुएं के पीछे २, ३ एकड़ जमीन हो जाय तो अच्छा है और अगर आप लोग चाहते हैं कि जितने कुएं कच्चे खोदे हैं वे पक्के हो जायें और आपका सहयोग रहेगा तो अगले साल तक पक्के हो जायंगे। हमारा नार्मल प्रोग्राम था ६५ हजार कुएं बनाने का। २ लाख कुएं पिछले तीन साल में बने हैं, मगर तकलीफ होने के कारण ६५ हजार की जगह १ लाख कुएं का अपना लक्ष्य बना लिया है। और यह भी लक्ष्य है कि जो प्राइवेट ट्यूबवेल्स का १२ हजार का लक्ष्य था उस को बढ़ा कर १५ हजार कर लिया है। पंपिंग सेट का कुछ ऐक्सपेरीमेंट किया कि किस तरह से के पंपिंग सेट चल सकते हैं। तो ऐक्सपेरीमेंट करके देखा गया कि छोटी हार्स पावर के सेट लगा दें तो कुछ न कुछ सिंचाई हो सकती है। इसलिये फैसला हुआ कि ५ हजार पंपिंग सेट खरीदे जायं। हालांकि दिक्कत से मिलते हैं, सारे भारत में उसकी खोज कर रहे हैं। दिल्ली में श्री सुब्रामनियम ने जितने डीलर्स हैं उनकी मीटिंग बुलायी और उसमें जो जो अफेक्टेड प्रान्त हैं उन के अफसरों को बुलाया। वहां बातचीत करने के बाद कुछ डीलर्स यहां आये, उनसे बातचीत हुई। ५०० पंपिंग सेट आ गये हैं और जिलों में बांटे जा रहे हैं और साढ़े चार हजार पंपिंग सेट खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा तीन हजार की और कोशिश कर रहे हैं। खुशी की बात है कि किसानों को भी पंपिंग सेट का कुछ चस्का लग गया है। बहुत किसान सेट खरीदने के लिये तैयार हो रहे हैं जो उनका हमेशा के लिये सिंचाई का साधन हो जायगा। हम लोग चाह रहे हैं कि इस साल ९० और सरकारी ट्यूबवेल्स बना दें जिसमें हमारा ८६ लाख रुपया लगेगा। इसके अलावा गूल की बड़ी परेशानी रहती है, टूट जाती है, ठीक से नहीं बनती हैं, मरम्मत नहीं होती है। इसी लिये पारसाल अलग से ३२ लाख रुपया गूल की मरम्मत के लिये दिया था। मगर इस साल पैसे की कमी से पैसा नहीं दे पाये। मगर अब डाउट होने के बाद ३३ लाख रु० नई गूलों के लिये और १२ लाख रु० पुरानी गूलों की मरम्मत के लिये दिया जायगा और १९ लाख रुपया बोरिंग होल करके पम्प असेम्बलिंग के लिये रखा गया है। बिजली के साधन बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि बिजली की काफी कमी है। अब हमने यह हुक्म निकाला है कि इंडस्ट्री में ३० परसेंट बिजली काट देंगे क्योंकि वह बिजली ट्यूब वैल्स को देना चाहते हैं। उसके पीछे काफी झगड़ा हो रहा है क्योंकि इंडस्ट्री में बिजली काट देने से मजदूरों की नौकरी जायेगी। इसलिये हमने आर्डर तो निकाल दिया है मगर थोड़ा सहमे हुए हैं और देख रहे हैं कि अगर बारिश हो कर हालत सुधर जाय तो अच्छा है, इंडस्ट्री में बिजली न काटनी पड़े। मगर आर्डर निकाला हुआ है। बिजली को बढ़ाने के लिये केन्द्रीय सरकार से हमें ६ करोड़ रुपया मिला है। यह जो रुपया मिल रहा है, मैं आप की गलतफहमी दूर कर दूं, यह कोई हमें खैरात में नहीं मिल रहा है, बल्कि इस सारे रुपये का हिसाब हमारे प्लान में आ जायेगा, इस समय केवल ऐडवांस के तौर पर मिल रहा। हमारा प्रोग्राम था कि जनवरी तक १ हजार ट्यूबवेल्स को बिजली पहुंचायेंगे मगर यह ६ करोड़ रुपया मिलने के बाद ७०० और ट्यूब वैल्स को मार्च तक बिजली पहुंचा देंगे। फिर आगे काम होगा।

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

पीने के पानी की बहुत तकलीफ है। इलाहाबाद की करछना, मेजा और बांदा जिले की पाठा तहसील में काफी तकलीफ है। केन्द्रीय सरकार ने हमारी कुछ मदद की है। अब कुछ परमानेंट स्कीम करना चाहते हैं जिसमें ५ करोड़ ७० लाख रुपया खर्च होगा। यह काम इमीडियेटली शुरू नहीं हो सकता। ३५ लाख रु० का काम गरमी तक हो जायगा और ३ करोड़ रु० के काम में हम हाथ लगा लेंगे, काम चालू हो जायगा यह हम उम्मीद रखते हैं।

इलाहाबाद में स्कीम्स हैं जिनमें डेढ़ करोड़ रु० खर्च होगा। कृषि साधनों के लिये हमने क्या सोचा यह मैं आप को बताऊं। जहां-जहां पानी मिलेगा वहां-वहां ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। जहां पानी सिंचाई के लिये उपलब्ध है वहां बेहतरीन किस्म का बीज देकर ज्यादा एकड़ में हम खेती उपजाना चाहते हैं। मेक्सिकन गेहूं ५ लाख एकड़, हाई ब्रिड मेज साढ़े ३ लाख एकड़ में, आलू ५ लाख एकड़ में किया जा रहा है। सब्जी का बीज पहले से बहुत बढ़ाया है।

ऊदल जी ने कोल्ड स्टोरेज की बात कही कि काफी कमी है। हमारे प्रदेश में १९७ कोल्ड स्टोरेज हैं लेकिन जितने साधन हैं उनके अनुपात में कम हैं। इसलिये ४२ और कोल्ड स्टोरेज बनाने का निर्णय हुआ है। १ करोड़ रुपये के ऊपर साधन चाहिये जिसे पैस्टीसाइट्स के लिये केन्द्रीय सरकार ने हमें देने का वायदा किया है। फर्टिलाइजर के लिये भी दो करोड़ रुपये का इन्तजाम किया गया है। खाने व खूराक की भी हमको तकलीफ है। इस प्रान्त में खूराक के लिये १४५ लाख टन की जरूरत है। इस साल हम अन्दाज कर रहे हैं कि खरीफ और रबी दोनों फसलों को मिला कर ९४ लाख टन अन्न हो जायगा, अधिक से अधिक १०० लाख टन हो जायगा। ४५ लाख टन की जरूरत है। आगे कितना मिलेगा उसका हिसाब छोड़ दिया है। हमने केन्द्र से यह कहा है अब से मार्च तक जो सबसे तकलीफ का समय है हमें २ लाख टन हर महीने की मदद करें तो यहां के सूखे और भूख को दूर कर सकते हैं। केन्द्रीय सरकार ने बहुत मजबूरी बतलाई है। धीरे धीरे हमारे अनाज के कोटे घटते जा रहे हैं। इस अन्दाज से कि हमने सिंचाई की व्यवस्था कर ली है, खेती बढ़ गयी है। लेकिन सूखे के कारण हमारी उपज घट गयी है। केन्द्र ने दिसम्बर के लिये ९० हजार टन देने का वायदा किया है जो कि बिलकुल नाकाफी है। जनवरी फरवरी और मार्च इन दिनों के लिये हमको २ लाख टन हर माह से कम में काम नहीं चलेगा लेकिन केन्द्रीय सरकार के सामने दिक्कत है। यू० एस० ए० से, जैसा आप जानते हैं फैसला नहीं हुआ है। जनवरी के मिडिल बाद पता नहीं आयेगा या नहीं आयेगा। केनाडा से फिलहाल कोई फैसला हुआ है। वहां से आ जायगा। दुनिया की हर जगह से प्रयास किये जा रहे हैं। लेकिन अगर न आये तो हमको किसी तरीके से मुसीबत के ये दो महीने काटने हैं आलू, शकरकन्द खाकर, सब्जी खाकर। दुःख का समय दूर करने के लिये हम को एक दूसरे की मदद करनी चाहिये। परिस्थिति बहुत नाजुक व गम्भीर है। बिहार में यहां से भी हालत बहुत खराब है इसलिये सब ध्यान बिहार की ओर जा रहा है। हमारे हिसाब से यहां साढ़े ४ करोड़ आदमी पर इस सूखे का असर है और कुछ लोग इतने गरीब हैं कि नार्मल टाइम्स में भी दो टाइम नहीं खा सकते थे। पहले ८ किलो प्रति यूनिट देते थे, फिर ५ कर दिया था और अब ३ कर दिया है। केन्द्रीय सरकार के ऊपर आप लोग जोर लगायें कि यहां की हालत इतनी खराब है, यहां फौरन अनाज भेजा जाय। मैं भी जानती हूं कि दो किलो से पेट नहीं भरा जा सकता लेकिन उसके साथ दूसरे सब्स्टीट्यूट फूड चलने चाहिये। २५ आदमी से ज्यादा लोग दावतें न करें लेकिन तीन, तीन दावत पूरा करने के लिये चला देते हैं और नान सीरियल्स के नाम से दावत कर देते हैं। अपना वक्त आता है तो हर आदमी मैजिस्ट्रेट के पास आता है कि हम को इजाजत दे दो, लड़की का व्याह है। हर एक को समझना चाहिये कि अनाज की कमी है, सब्स्टीट्यूट फूड का कोई तरीका इस्तेमाल करना चाहिये ताकि भूखों को अनाज मिल सके तभी जा कर इस मुसीबत से पार लगा जा सकता है।

फाडर की दशा भी बहुत खराब है। फारेस्ट में रिजर्वेशन एरियाज कायम कर दिये हैं जहां लोग जानवरों को चरा सकते हैं। इसके अलावा फारेस्ट की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ५० हजार मन घास का इन्तजाम करें ताकि जहां जहां जरूरत हो वहां पहुंचाया जा सके। इस वक्त फाडर की दिक्कत थोड़ी कम हो गयी पिछले दिनों बारिश होने के बाद। अगर दिसम्बर में भी बारिश हो गयी तो हमारी रबी की फसल भी बच जायगी। अभी इतना ही हुआ है कि बुवाई हो गयी है। बीज की कमी थी लेकिन उसका इन्तजाम किसी न किसी तरह से किया गया। कुछ नान-आफिशियल एजेन्सीज भी तैयार हो गयी हैं। एक खेर साहब की चेयरमैनशिप में बनी है। उसने थोड़ा थोड़ा काम भी शुरू किया है लेकिन अभी बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है। मैंने भी अपील की है और इन्दिरा जी ने भी अपील की है। सब की हमदर्दी है लेकिन अभी हमारे पास कोई खास पैसा पहुंचा नहीं है। जब हमदर्दी रखते हैं तो उसके लिये कुछ न कुछ करना भी चाहिये, खाली हमदर्दी रखने से काम नहीं चलने वाला है। अगर हम लोग अपने चुनाव और पालिटिक्स के झझटों में ही फंसे रहेंगे तो काम नहीं चल सकता। बड़ी अच्छी बात है कि असेम्बली से हम लोग छुट्टी पायेंगे, हमको मौका मिलेगा कि हम लोग अपने क्षेत्रों में जा कर ईमानदारी से जनता की सेवा करें। वैसे कमियां तो बहुत हैं और यह कह देना आसान है कि फलाने ट्यूबवेल में बिजली नहीं, फलां नहर में पानी नहीं है। साधनों की कमी है, मगर साधन बनने के बावजूद भी कहीं न कहीं कड़ी में कमी रहती है। हो सकता है कि किसी जिले का इंजीनियर सुस्त हो, किसी जिले का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सुस्त हो लेकिन हम आशा करते हैं कि हमारी सेकंड स्ट्रिंग आप बनेंगे और दोनों मिल कर बहुत बढ़िया काम हो सकता है और इस मुसीबत से हम बच सकते हैं। इस समय संकीर्ण दृष्टि से हमें नहीं देखना चाहिये केवल समालोचना करने की दृष्टि से ही हर चीज नहीं देखनी चाहिये। समालोचना करें लेकिन एक रचनात्मक दृष्टि से देखिये कि किस तरह से यह मुसीबत का समय हम पार कर सकते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के सामने इतनी बड़ी परीक्षा बहुत कम आयी है। इसका हमें हिम्मत के साथ मुकाबला करना है।

श्री रियासत हुसैन--

डेवलपमेंट बैंक में भी रुपया भिजवा दीजिये।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

उसका भी इन्तजाम हो रहा है।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)--

हम और सभी लोग यह कहते हैं कि आप ने जो गांवों में बिजली लगवाई है वह इसलिये कि गांव वालों को यह मालूम हो जाय कि हमें वोट कांग्रेस को देना चाहिये लेकिन बिजली बोर्ड के चेयरमैन, श्री लक्ष्मणदेव यह कहते हैं कि यह काम बिल्कुल गलत हुआ है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

हमारे सामने तो उन्होंने कहा नहीं और अगर कहा है तो निरी बेवकूफी की बात कही है। इस प्रान्त में एक लाख से ऊपर गांव हैं। ५ हजार गांवों में अगर बिजली लग गया तो केवल ५ हजार गांवों में ही तो कांग्रेस लड़ेगी नहीं।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)--

श्रीमन्, जनसंघ दल में काफी सदस्यों की संख्या है। उसका केवल एक सदस्य बोल पाया है। पी० एस० पी० में केवल ५ सदस्य हैं और माननीय रियासत हुसैन जी बोल चुके हैं। इसलिये अब आप की यह व्यवस्था गलत है कि माननीय जगदम्बा प्रसाद जी बोलें क्योंकि वे पी० एस० पी० के सदस्य हैं। दल के अनुपात से बोलने का अवसर देना चाहिये।

श्री जगदम्बा प्रसाद—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आप का बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे सूखे के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करने का समय दिया है। फैजाबाद जनपद में अकाल की स्थिति है। वहां एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें सर्व सम्मति से सारे प्रमुखों ने फैजाबाद जनपद को अकाल ग्रस्त घोषित करने की मांग की थी। हमारे मुख्य मन्त्री ने फरमाया है कि बिजली की व्यवस्था होते हुये भी सुहावल पावर हाउस के साथ इतने जिले लगा दिये गये हैं कि फैजाबाद जिले में ट्यूबवेल्स हैं उनके जरिये पानी नहीं पहुंच सकता जिसकी वजह से वहां पर गन्ने की फसल को क्षति पहुंची है।

हमने माननीय मन्त्री जी का इधर ध्यान दिलाया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है फैजाबाद जिले में नहरों के बारे में इन्जीनियरों ने कहा कि उनकी सफाई की आवश्यकता है। लेकिन कोई व्यवस्था नहीं की गई। अगर सिंचाई का प्रबन्ध ठीक किया गया होता तो आज यह हालत नहीं होती। जो आज फसल को क्षति हुई है उससे बचा जा सकता था लेकिन आज वे यहां उपस्थित नहीं हैं। यह विधान सभा के लिये अशोभनीय और विचारणीय विषय है। आज जो दैवी प्रकोप हुआ है उसका मुकाबला किया जा सकता था यदि सिंचाई के साधन उपलब्ध होते। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बावजूद भी बहुत सा क्षेत्र अभी तक असिंचित हैं। सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हैं। उदाहरण के लिये मैं अपने यहां की तहसील जलालपुर की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां नलकूप की कोई व्यवस्था नहीं है।

माननीय बिकल जी ने कहा है कि ट्यूबवेल्स बनाने के लिये जो रुपया कर्ज दिया जाता है उसमें तस्दीक वगैरह की बड़ी दिक्कत होती है और लोगों को बड़ी कठिनाई होती है। आपका कानून ऐसा है कि जब तक उसके अन्दर सुविधायें नहीं दी जायेंगी तब तक इस रुपये का सदुपयोग नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है कि आप के यहां बोरिंग की मशीन नहीं है। बनारस में केवल एक मशीन है। इससे सारे लोगों के कुओं का बोरिंग नहीं हो सकता है। इसलिये जो रुपया सरकार दे रही है उसका सदुपयोग नहीं हो सकता है।

मैं समझता हूं कि कच्चे कुओं का उपयोग है और छोटा किसान यदि उस रुपये का उपयोग करे तो लाभान्वित हो सकता है। मैंने अपनी कांस्टीट्यूएंसी में रुपया बंटवाने की तरफ ध्यान दिया। हमारे काफी किसानों ने वह रुपया लिया है। उससे लोगों को अत्यन्त लाभ होगा। लेकिन इसके साथ साथ आप के इरीगेशन डिपार्टमेंट जिसमें नहर और ट्यूबवेल हैं की मशीनरी उपेक्षित है। वह ध्यान नहीं देता। पूरे प्रदेश में शिकायत है कि ट्यूबवेल्स के आपरेटर्स ड्यूटी छोड़ कर चले जाते हैं जिससे पानी होते हुए भी सिंचाई से वंचित रहना पड़ता है। माननीय मन्त्री महोदय का कर्तव्य था कि इस दो दिन की डिबेट से लाभ उठाते। यह विभाग राजस्व मन्त्री का है लेकिन जब तक सिंचाई विभाग का कोआर्डिनेशन नहीं होगा तब तक जो अभाव का प्रकोप प्रदेश में है उसका सही रूप में मुकाबला नहीं हो सकता। इस समय जितने आप सिंचाई के साधन बढ़ाएंगे उतना ही सूखे का प्रभाव दूर होगा। बारिश हो जाने से रबी की फसल बो गयी लेकिन बो जाने के बावजूद भी जब तक सिंचाई का साधन पूरा नहीं होगा तब तक पूरा लाभ नहीं हो सकता।

हमारे जिले में मीटिंग हुई थी जिसमें एक प्रस्ताव पास हुआ कि सस्ते गल्ले की दूकानें खोली जायं। अनाज इतना मंहगा और कम है कि गरीब और औसत दरजे का आदमी खाने का प्रबन्ध नहीं कर सकता जब तक सस्ते गल्ले की दूकानें न खोली जायं लेकिन उनका उत्तर यही था कि उनके पास अन्न ही नहीं है। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव सरकार के पास भेजते हैं, अगर सरकार से गल्ला मिलेगा तो सस्ते गल्ले की दूकानें खोलेंगे। यह नितान्त आवश्यक है कि सस्ते गल्ले की दूकानें हर जिले में खोली जायं। इससे हर तबके के लोग लाभान्वित हो सकेंगे। चूंकि हमारे बहुत माननीय सदस्य बोलने के लिये उत्सुक हैं इसलिए मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

(श्री रामनाथ पाठक का नाम पुकारे जाने पर)

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

इस सदन में कल से जो डिबेट चल रहा है उसमें या तो पूर्वी अंचल या पश्चिमी अंचल का जिक्र होता है। मालूम होता है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर दक्षिण है ही नहीं। मुल्क के साथ इंसाफ करने के लिये उत्तर और दक्षिण का जिक्र इस सदन में होना चाहिए।

श्री नाथूराम शिक्षक—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। कल समय का बंटवारा हुआ था कि आठ मिनट से ज्यादा बोलने नहीं दिया जायगा। आज दस मिनट हो गया।

श्री अधिष्ठाता—

आप का ध्यान घड़ी की ओर नहीं है, ठीक ३-२० पर जगदम्बा प्रसाद जी बोलने को खड़े हुये और अब आप घड़ी देख लें कि क्या बजा है?

श्री नाथूराम शिक्षक—

कल ७-८ मिनट की बात हुई थी लेकिन आज १० मिनट हो गये। हमारा कहना है है कि ५ मिनट ही काफी है बोलने के लिये, आप ५ मिनट का समय रख दें तो अच्छा हो।

श्री अधिष्ठाता—

आप उसके लिये कोई प्रस्ताव रख दें।

श्री नाथूराम शिक्षक—

मेरा प्रस्ताव है कि ५ मिनट का समय रख दिया जाए तो अच्छा हो। यह काफी समय है।

श्री अधिष्ठाता—

आप इसका प्रस्ताव बाद में रख दीजिएगा।

*श्री रामनाथ पाठक (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, मैं मिर्जापुर जिले का रहने वाला हूं और वहां पर पहाड़ी स्थान पनाला क्षेत्र है। मिर्जापुर जिले का मैदानी भाग भी है और पहाड़ी भाग भी है। मैदानी भाग में जौनपुर और बनारस की तरफ का हिस्सा आता है और दूसरी तरफ बिहार का हिस्सा है जिसमे रीवां आदि जिसमें आता है यदि बीच में रीवां न हो तो वह हिस्सा बांदा से मिल जाए। लेकिन हमारे यहां उस क्षेत्र में अब बुन्देलखन्ड की कोई भी सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं, वहां के निवासियों को कोई भी सुविधा नहीं मिली हुई है। जो सुविधायें मिर्जापुर जिले के लिये प्राप्त भी होती हैं वे मिर्जापुर के मैदानी इलाके के अफसर हजम कर जाते हैं। उस पहाड़ में आज तक कोई भी जनता के हित के लिये पानी पीने के कुवें या सड़कें नहीं बनाई गयी हैं। वहां पर ३ वर्ष से अकाल पड़ रहा था, लेकिन कोई भी कदम उस दिशा में नहीं उठाया गया। न कोई अकाल पीड़ित सुविधा दी गयी। इस वर्ष तो मिर्जापुर के पहाड़ी भाग में और पूरे मिर्जापुर में ही अकाल पड़ गया है लेकिन वहां के अफसरों ने अपने आंकड़ों में ही दिखाया है कि केवल यहां पर अकाल से ५० से ५५ प्रतिशत ही फसल की बरबादी हुई है। जब कि वहां पर कोई भी रबी की बुवाई नहीं हुई, कोई भी ऊंख और गन्ने की फसल नहीं हुई। ऐसी सूरत में इतना कम दिखाना हमारे साथ कितना अन्याय है। वहां के अफसर बांध तक तो तफरीह के लिये, घूमने के लिये और अपना भत्ता बनाने के लिये जाते हैं लेकिन हमारे क्षेत्र में जो इन्टीरियर में हैं वहां कोई भी अधिकारी असलियत देखने नहीं जाता है। और जगह टेस्ट वर्क का काय चल रहा है वहां पर छोटे छोटे लड़कों को मुफ्त खाना दिया जाता है लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामनाथ पाठक]

हमारे क्षेत्र में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है जब कि लोग भूख से पीड़ित हैं। मैंने जब इसके लिये अधिकारियों से पूंछा तो कहा कि जब यह क्षेत्र सूखा ग्रस्त घोषित होगा तभी सहायता मिल सकती है। तो न तो उनको काम पर ही लगाया जाता है और न उनको खाना ही दिया जाता है। सन् १९६२ में जब गुप्ता जी मुख्य मन्त्री थे, तो उन्होंने १० लाख रुपया यहां पर पानी पीने के लिये दिया था। एल० एस० जी० ई० डी० ने सर्वे कराया, फिर वह रुपया परिषद् के पास आ गया, लेकिन वहां पर एक भी कुआं इससे नहीं बना। सारा रुपया मैदानी इलाकों में जहां पर एक एक गांव में ४-४ कुवें थे वहां पर कुआं बनाने में खर्च कर दिया गया। कुओं की मरम्मत कराकर रुपया खा गये। इन पहाड़ों पर एक भी कुआं नहीं बना। वहां पर पानी पीने का कोई भी साधन नहीं है, वहां के लोग अन्न से भले ही न मरें क्योंकि आप वहां पर अन्न पहुंचा देंगे लेकिन पानी के अभाव में वहां के लोग प्यासे अवश्य मरेंगे। गर्मी में सैकड़ों लोग प्यास के कारण पानी के अभाव में मरेंगे। वहां पर पानी पीने की कोई ठीक व्यवस्था नहीं है। आर० एम० पी० स्कीम भी उस इलाके में नहीं चलायी गयी। आप उसे अकाल पीड़ित क्षेत्र घोषित कीजिए और वहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराइये। नहरों के बंधे बांध दिये गये हैं उनसे नहरें निकाल कर सिंचाई का इंतजाम कीजिए, नहीं तो लोग भूखों प्यासों मर जाएंगे।

*श्री सुखदेव प्रसाद (जिला गोंडा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सूखे के कारण आज सारे प्रदेश की जनता परेशान है। इसके ऊपर दो दिन से चर्चा हो रही है। अभी सूखे के सम्बन्ध में जो कागज बंटा है उसमें हमने देखा है कि गोंडा जिले में ५१ से ५७ प्रतिशत नुक्सान दिखाया गया है। उसको देख कर मुझे बड़ा दुःख हुआ और इसलिये दुःख हुआ कि जब मैं घूमता हुआ गांवों में पहुंचा तो वहां मुझे यह पता चला कि जहां पर ९८ और ९९ फीसदी नुक्सान है वहां पर ५० फीसदी से नीचे लेखपाल सूखे का नुकसान दिखा रहे हैं। उसका कारण हमको यह बतलाया गया कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि जनता में जरूर इस बात की घोषणा की जाय कि सूखे से बहुत लोग परेशान हैं और अधिक नुकसान हुआ है परन्तु ऊपर से जिलाधिकारियों से या प्रान्तीय स्तर से जो सूचना गई उसके आधार पर यह कहा गया कि नुकसान कम दिखाया जाय, नहीं तो ज्यादा छूट देनी पड़ेगी। मैं इसके लिये गांव का उदाहरण दे सकता हूं। ५१ से ५७ तक नुक्सान का गांवों का नकशा दिखाया गया है जो मैं समझता हूं गलत है। गोंडा जिले में ९८ फीसदी नुकसान हुआ है। मुझे आज माननीय कृषि मन्त्री और माननीय मुख्य मन्त्री के भाषण को सुनने का मौका मिला। मैं समझता था कि शायद इस संकटकालीन स्थिति में सारे प्रदेश के अन्दर जो परेशानी है उसके बारे में हल निकाला जायगा और उसको हल किया जायगा और इस विधान सभा के अन्दर यह घोषणा की जायगी कि जिससे प्रदेश की जनता को राहत पहुंचेगी परन्तु मुझे निराशा हुई। कृषि मन्त्री जी जर्मनी से ट्रेनिंग ले कर आये हैं। चूंकि हमारे देश के अन्दर अन्न की कमी है तो वहां के डाक्टरों ने राय दी है कि चूहा खाइये क्योंकि इसके अन्दर बहुत विटामिन होते हैं। इसी प्रकार से मुख्य मन्त्री जी भी बाहर से आई हैं। मैं समझता था कि वह कोई अच्छा हल निकालेंगी और उससे प्रदेश की जनता स्वस्थ रहेगी लेकिन यह उनका केवल जाल मात्र है जो २० वर्षों से कांग्रेस सरकार यहां करती रही है। हमारे कृषि मंत्री और मुख्य मन्त्री जी यहां पर ऐसी दशा प्रदेश की रखते हैं कि बहुत कुछ किया जा रहा है जो भ्रम मात्र है। मुख्य मन्त्री जी कहते हैं कि प्रदेश में पहली लाइन सरकार है और दूसरी लाइन विरोधी दल है। विरोधी दल अपनी राय जिलों में और यहां पर भी रखना चाहते हैं लेकिन उनकी राय की कोई सुनवाई नहीं होती। मैं आप को बतलाऊं कि उन्होंने कहा कि कोई कहीं जिलाधीश नालायक हो सकते हैं लेकिन मैंने स्वयं मुख्य मन्त्री जी के पास पत्र भेजा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। खाद्य पूर्ति की मीटिंग जब वहां २० तारीख को हुई गोंडा में तो सूखे के सम्बन्ध में मैंने जिलाधीश से निवेदन किया कि हमारे क्षेत्र में, जो नेपाल सरहद के पास पड़ता है, वहां पर बड़ा भारी अकाल पड़ा हुआ है, कुछ इन्तजाम किया जाय तो उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया। वहां पर हालत यह है कि कोई आदमी वहां जाता नहीं है। वहां की बुरी हालत को कोई देखने वाला नहीं है। जब वहां की स्थिति को मैंने देखा तो उसकी सूचना मुख्य मंत्री जी के पास भेजी है। इसके पहले भी मैंने एक सूचना दे रखी है लेकिन उसके बारे में कोई कार्यवाही आजतक नहीं हुई। मेरे जिले में जितने खोदने का ढिंढोरा पीटा गया है वह सब कोरे कागज पर है और जहां खड़े है वहां वोट लेने के लिए पैसा बांटा जा रहा है। मैं यह मांग करता हूं कि मेरे जिले को एक पैसा भी नहीं दिया हर न्याय पंचायत में एक कुआं खोदा जाय गांव से मेनरोड तक सड़क बनायी जाय और पोखरे खोदे जांय। बिजली की व्यवस्था इतनी खराब है। स्टेट ट्यूबवेल्स को ही अगर बिजली अच्छी मिल जाय तो काफी राहत मिल सकती है।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया।

*विद्युत उपमंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज प्रदेश में सूखा पड़ रहा है। सूखे से काफी परेशानियां भी हुई हैं। हमने अपने विभाग से यह प्रयास किया कि इन परेशानियों को जितना संभव हो दूर किया जाय। हमारे पहाड़ों में बारिश हुई, लेकिन जो नहरें नदियों से निकलती थीं उनकी स्थिति अन्य सालों के मुकाबले में इस साल कोई खराब नहीं थी। हमारी सबसे बड़ी नहर गंग नहर है। आज से ३ वर्ष पहले ९,२०० क्यूसेक्स पानी अपर गंग नहर दे रही थी। लोअर गंगा कैनाल में ३१०० क्यूसेक्स पानी है। शारदा कैनाल में ७,५०० क्यूसेक्स था, अपर जमुना में १ ३०० क्यूसेक्स और आगरा कैनाल में १,७०० क्यूसेक्स पानी चल रहा है और जो साधारणरूप से नहरें हमारी पानी दिया करती थीं उनसे आज स्थिति अच्छी ही है। तो जहां तक नहरों का सम्बन्ध है नहरों ने पानी दिया और उससे सिंचाई भी हो रही है, काफी पैदावार भी हुई है। हमने प्रयास किया कि हमारे स्टेट के जो ट्यूबवैल्स हैं वह ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से काम करें और मैंने अपने आंकड़े गिनाये कि सन् ६४ में जो ट्यूबवेल्स थे स्टेट के वह २,३८,६३९ घंटे चले थे। १९६५ में १७,७०,४८७ घंटे चले थे और अक्तूबर में इस साल २५ ५७,६२५ घंटे चले थे। तो करीब करीब जो ट्यूबवैल्स २ लाख घंटे तीन साल पहले चले थे वह अब २५ लाख घंटे चले हैं। तो बावजूद इसके कि सूखा है, हमने प्रयास किया और यह दिखाई देता है कि हमने उसमें काफी सफलता भी पायी है।

हमें यह भी मालूम है कि पिछले साल जो खरीफ को फसल की सिंचाई हुई थी वह करीब-करीब ४४ लाख एकड़ के हुई थी। अभी हमारे पास पूरे आंकड़े तो नहीं आये, लेकिन ४२ लाख एकड़ के आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं और मुझे विश्वास है कि और भी जब हमारे पास आंकड़े आ जायंगे तो करीब करीब जितनी पारसाल सिंचाई हुई थी नहरों से और दूसरे जरियों से उतने लाख एकड़ सिंचाई हम कर सकेंगे।

जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है, उसका हमने प्रयास किया, लेकिन पानी ऐसी चीज तो है नहीं कि एक दम से आप रोक लें। एक चीज यह भी है कि सिंचाई के लिये दो तरह की स्कीम हुआ करती है। एक तो यह है कि तुरन्त आप चालू कर सकते हैं और एक वह है कि बांध बना दिया और दूसरी स्कीम हुआ करती हैं। बड़ी स्कीम के लिए बड़ा भारी रुपया चाहिये। इंजीनियर्स यह कहा करते हैं कि उसका यह फरमूला है कि जितने करोड़ रूपया आपको लगाना है उसका एक स्क्वायर ले कर एक वर्ष उसमें जोड़ दें तो वह वह स्कीम उतने वर्ष में तैयार हो सकती है। जैसे १६ करोड़ की स्कीम है तो ५ वर्ष में होगी और १०० करोड़ की है तो २६ वर्ष

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा]

में बनेगी । इतना समय चाहिए हर स्कीम को बनाने के लिये । अगर तुरन्त हम कोई स्कीम चलाते हैं तो दो चीजें हो सकती हैं–एक तो हम कच्चे कुंयें खुदवायें, क्योंकि मैंने लखीमपुर में एक जगह देखा कि कच्चा कुंआ दो रोज में तैयार हो जाता है और २–३ एकड़ में उससे तुरन्त सिंचाई का प्रबन्ध हो जाता है । यह ऐसी स्कीम है जिससे तुरन्त फायदा हो सकता है । दूसरी चीज यह है कि हम प्राइवट नलकूपों को बिजली दें । हमने इस बात का प्रयास किया है कि हम प्राइवेट नलकूपों को जन्दी से जल्दी बिजली दें । हमने इस साल यह स्कीम बनायी है कि हम १७ हजार नलकूपों को बिजली देंगे । ३१ अक्तूबर तक हम ५ हजार को बिजली के कनेक्शन दे चुके हैं । नवम्बर के ही महीने में हमने २ हजार कुओं में बिजली लगवायी है । हमें आशा है कि हम १७ हजार का जो हमारा लक्ष्य है इसको जल्दी ही पूरा कर लेंगे । जहां सूखा पड़ा है वहां हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी बिजली पहुंचाई जाय । देवरिया की भी फीगर्स मैंने मंगाई हैं । दवरिया में ३० नवम्बर तक १०६ कुवों को बिजली हम दे सके हैं । ५६ ऐसे हैं जहां हमने लाइन लगा दी है मगर बिजली लेन वाले लोग तैयार नहीं हैं । बस्ती में भी हम ९२ कुओं में बिजली लगा चुके हो । ९९ कुवें ऐसे हैं जहां लाइन पहुंच गयी है मगर कोई लेने को तैयार नहीं है । (व्यवधान) असल में बिजली हम वहां ही दे सकते है जो कुवें बिजली लाइन के करीब हैं । अगर कोई कुआं लाइन से ६ मील पर है तो वहां परेशानी हो जाती है । देंगे हम वहां पर भी, मगर उसमें कुछ समय लगेगा । जितने साधन हमारे पास हैं उसके अनुसार हम जल्दी से जन्दी बिजली देने का प्रयास करेंगे । (व्यवधान)

बिजली देने में हमने कुछ और सहूलियतें भी दी हैं । साधारणतया बिजली देने के पहले एक इस्टीमट बनाया जाता है कि जिसे पहले मंजूर करना होता है और जिसमें बहुत समय लग जाता है । इसमें देरी हो जाया करती है । हमने अब ऐसा किया है कि ५ हार्सपावर तक का कनेक्शन लेने वालों को २५० रुपया देना पड़ेगा । और जो ५ से १० तक होगा उसमें ३०० रुपया देना पड़ेगा और १० से ३० तक ४५० रुपया देना होगा । मैं आपकी जानकारी के लियें बता दूं सारा खर्चा साढ़े आठ हजार का होता है जिसमें २५० या ३०० रू० देना पड़ता है । कभी आपने देखा होगा कि लम्बे २ खंभे होते हैं । एक खंभे का दाम चार सौ रुपया आता है और कुल का खर्चा ८,५०० आता है । पर हमने यह किया है कि जो २५० रुपया दे दे तो हम कनेक्शन दे देते हैं । हमने इस बात का प्रयास किया और प्रयास कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा ट्यूबवेल लगायें । १७ हजार ट्यूबवेल लगाने का हमारा इरादा है और हम इस बात को चाहते हैं कि उससे देवरिया के ड्राउट प्रोग्रोम में हमको ४५० ट्यूबवेल लगाने हैं । नवम्बर प्रोग्राम में ३०० । इस तरह से ७५० में हम दे देंगे । इस बात के बावजूद भी यह देखा हमने कि ट्यूबवेल्स भी लग रहे हैं बिजली का भी प्रबन्ध कर रहे हैं फिरभी यहां सूखा बहुत बड़ा है उसके लिये भी लांगटर्म का इन्तजाम करें । (व्यवधान) शर्मा जी इस समय बैठे हुए हैं । झांसी में परेशानी है । हमने वहां माताटीला का बांध बनाया है उससे सिंचाई काफी हुई है । इस साल उसमें पानी की कमी हो गई हमने ३० लाख की एक योजना बन ई है जिससे उसके द्वारा हम एक लाख तीस हजार एकड़ अधिक जमीन की सिंचाई व्यवस्था कर सकें । (व्यवधान) इसी तरह गोंडा में कुछ बंधियां थीं । उनसे कुछ फायदा भी हुआ करता था । उनके विस्तार से जो हम ज्यादा पानी इकट्ठा कर सकते हैं ऐस स्कीम हमने इस बारे में भी बना ली है । सबसे ज्याद जो परेशानी जिलों की है उसके लिये दूसरी स्कीम हम सोच रहे हैं । गंगा, यमुना और गोमती जी जनदियां हैं इनके द्वारा पानी पम्प करके जो इलाहाबाद प्रतापगढ़ और सुलल्तानपुर के सूखाग्रस्त इलाके हैं उन्हें पानी पहुंचायें । इसके अलावा जो हमारी नहरें हैं उन्हें भी हम दिखा रहे हैं कि क्या यह सम्भव है कि फतेहपुर, गोमती में मुसाफिरखाना यमुना में और गाजीपुर में भी हम इस बात का प्रयास कर रहें हैं कि लान्ग टर्म स्कीम के द्वारा यहां से पम्प कैनाल बनाकर पानी निकाल सकें जिससे परेशानी दूर हो सके । जहां तक हमारे विभाग की परफारमेन्स का सवाल है, हमने बताया कि पारसाल जितनी भी सिंचाई हुई थी करीब-करीब उतनी हीं सिंचाई

हमने कर दी । ट्यूबवैल्स जो चलते थे वे सबसे ज्यादा चल चुके । जितने भी साधन समारे विभाग के पास थे चाहे वह बिजली का हो या नहर का वह इस बात का प्रयास करें कि सिंचन की जो सुविधायें हैं वे वे और हमें विश्वास है कि हम सफल होंगे ।

श्री चन्दनसिंह--

माननीय मंत्री जी का लक्ष्य तो बहुत सुन्दर है लेकिन उसमें जरा नरमी ले आयें तो बहुत अच्छा हो । ५ हार्स पावर के पंपिंग सेट पर से पांबदी को हटा लिया जाय आपके यहां एच० टी० और एल० टी० जो एक चीज है वह भी अगर मैरिट लिस्ट से मिलने लगे तो लोगों को बहुत फायदा होगा ।

श्री रामायण राय--

आप बाद में मंत्री जी से मिल लीजिये ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

माननीय मंत्रीजी ने बताया कि इस वर्ष नहरों में पर्याप्त पानी है और संतोषजनक चल रही हैं । बलिया में जो कैनाल है उसके बारे में मंत्री जी बता दें कि उससे एक एकड़ भी सिंचाई हुई है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जो जो आंकड़े मेरे पास थे वह मैंने आपको पढ़ कर सुना दिये । मैंने बातया कि हमारे यहां ४४ लाख एकड़ की सिंचाई हुई है । हो सकता है बलिया की हालत दूसरी हो ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज इस आदरणीय सदन के समक्ष सूखा जैसी गंभीर परिस्थिति पर विचार प्रकट करने का माननीय सदस्यों को अवसर मिल रहा है । सरकार की ओर से कहा गया है प्रदेश के १ लाख १० हजार गांवों में से करीब ८९ हजार गांवों में इस सूखे का प्रकोप है और २७० करोड़ का नुकसान हुआ है और करीब ६ करोड़ लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा । सरकारी पुस्तिका के द्वारा इस सदन के समक्ष बहुत से चित्र प्रस्तुत किये गये । इसमें से दो चित्र मैं आदरणीय सदन के समक्ष रखना चाहता हूं । एक चित्र तो है बूढ़े किसान का जो एक घड़ा पानी के लिये तरस रहा है । दूसरा ग्रामीण जनता का चित्र है जिसमें एक बड़ी भारी भीड़ देहात को छोड़ कर भाग रही है । इस सूखे ने प्रदेश में इतना विकराल रूप धारण किया है । जैसा कि मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि इस समय कांग्रेस पक्ष और विरोधी पक्ष का कोई सवाल नहीं है और उन्होंने सब लोगों को साथ-साथ काम करने के लिये आमंत्रित किया है । यह ठीक है । लेकिन जिस समय चीन ने या पाकिस्तान ने भारत पर चढ़ाई की थी उस समय में लोग इतना अपने और दिमाग में घबराये हुए नहीं थे जितना कि आज हैं । उस समय लोगों में जोश था लेकिन आज बड़ी भारी निराशा है । लेकिन खाली कागजों पर योजना बनाने से प्रदेश के लोगों को रोजी रोटी मिलने वाली नहीं है । आज प्रदेश की जो हालत है उससे मैं कह सकता हूं कि आज भुखमरी का ही प्रश्न नहीं है, ऐसा वक्त भी आने वाला है कि जब लोगों को अपना कफन भी मुहैया नहीं हो सकेगा । आपने विदेशी खाद लोगों को दिया है, उससे भी कई गुना अधिक पानी की आवश्यकता होती है । अगर कम पानी दिया जायेगा तो फसल और जल जाएगी । अगर आप अच्छी से अच्छी खाद और बीज दे देते है लेकिन पानी का इन्तजाम आप नहीं कर पाते तो मेरा ऐसा ख्याल है कि प्रदेश की जनता को आप अधिक समय तक जीवित नहीं रख सकते । आज बुन्देलखंड भी भूख की लपटी में झुलसा रहा है वहां हा हा कार मचा हुआ है उसे बचाइये ।

कल ही यहां एक माननीय सदस्य ने कहा था कि सूबे के अन्य विभाग भ्रष्टाचार के मामले में सब से पीछे हैं और बिजली विभाग सब से आगे बढ़ गया है । मैं माननीय मंत्री जी की तरफ इशारा करूंगा कि उन्होंने स्वयं कहा है कि माताटीला बांध में पानी कम हो चला है, वह बांध

[श्री लखपत राम शर्मा--]

जो करीब तीन चार करोड़ से आरम्भ हुआ और जिसमें २४ करोड़ रुपया लग गया और जिस में तमाम आप के काबिल इंजिनियर्स लगे और उस पर भी आज मंत्री जी को सदन में यह एलान करना पड़ा कि उस में पानी कम हो चला है और अब उस को ऊंचा करने के लिये ३० लाख की योजना बनानी पड़ी है, इस से मालूम होता है कि विभाग की बुद्धि का दिवाला निकल चुका है।

यह सही है कि आज प्रदेश में इन्सानों की जिन्दगी खतरे में है लेकिन इसके साथ ही साथ माननीय मुख्य मंत्री जी, इस प्रदेश में रहने वाले करोड़ों पशुओं की जिन्दगी भी खतरे में है। इन्सान तो किसी न किसी तरह से अपने लिये खाना पानी मुहैया कर ही लेगा, वह कुए से पानी खीच सकता है लेकिन बेजबान, असमर्थ पशु स्वयं कुछ नहीं कर सकते, उनके लिये घास भुसा कुछ नहीं रह गया है। मेरा सुझाव है कि सरकार के पास लाखों एकड़ में वन है और वहां पर घास मौजूद है वह ऐसे समय में काम में लाये जा सकते हैं, सरकार को चाहिये कि इस समय जानवरों के लिये ज्यादा से ज्यादा सहूलियत बनों में दी जाय ताकि उनकी जिन्दगी बच सके। इसके अलावा कुओं और पुराने बन्धी, बन्धियों को ठीक करने के लिये गांव समाजों को लाखों रुपया दिया जा रहा है। अभी परसों सोमवार के लिये ही इस सम्बन्ध में प्रश्न लगा है कि हजारों ऐसी बन्धियां बनी हैं कि जिन में सीमेंट लिया गया लेकिन इस्तेमाल नहीं हुआ है। आज जब कि सूबे के इन्सानों की जिन्दगी खतरे में है और ऐसे समय में यदि हमारा कोई अधिकारी इन्सानों की जिन्दगी से खेलता है और इस तरह की बेईमानी और भ्रष्टाचार करता है तो उसके खिलाफ कार्यावाही बहुत सख्त होना चाहिये। आज आप का चीन या पाकिस्तान कुछ नही बिगाड़ सकते, न बिगाड़ सके है लेकिन यह सूखा इन्सान को तबाह कर सकता है। आज ६ करोड़ इन्सान इस से प्रभावित हैं। (समय समाप्त) ऐसी दशा में लगान तथा भूमि भवन कर व बच्चों की फीस माफ करके राशन की दूकानें बढ़ाएं।

*काजी जलील अब्बासी (जिला बस्ती)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे कल से मेहनत करने के बाद आज आप ने समय दिया। कल हमारे स्वतन्त्र दल के नेता श्री भानु प्रताप सिंह ने यहां भाषण दिया था, मैं उसी वक्त उनकी उस बात का सदन में उत्तर देना चाहता था लेकिन उस वक्त मौका नहीं मिला। डुमरियागंज तहसील जो हमारी कांस्टीट्यूऐंसी है वहां के बारे में उन्होंने कहा कि चौड़े में ५ रुपये फी हल लेखपालों के जरिए से लिया गया। मैंने डुमरियागंज का एक हफ्ते, बल्कि ९ दिन तक पूरा दौरा किया, एक-एक गांव में गया और मैं जब कि पैसा बटने वाला था उसके पहले ही गया और सबको जाकर बताया कि किसी को एक पैसा न दिया जाय और शायद मैं पहला आदमी था जिसने कि यह बताया कि यह रुपया आपका है। हालत इतनी चिन्ताजनक थी कि अगर २० रुपये से उनकी मदद न की जाती तो बहुत से खेत बोने से पड़े रह जाते और पानी नहीं पहुंच पाता। मैंने उनको (किसानों को) विश्वास दिलाया कि अगर तुम्हें सरकार रुपया नहीं देगी तो मैं अपने पास से रुपया दूंगा। आप कुएं खोदिए और पानी लीजिए। मैंने वहां पर तहसीलदार से और हाकिम परगना से यह कह दिया था कि इस रुपये में अगर एक पैसा भी किसी के द्वारा लिया गया तो उसके गम्भीर परिणाम होंगे। जिस जिम्मेदारी के साथ अधिकारी लोग कम कर रहे हैं उसको बयान नहीं किया जा सकता है। अगर किसी लेखपाल की शिकायत करनी है तो उसके लिए बहुत से मामले हो सकते हैं जिनमें उसके खिलाफ शिकायत की जा सकती है लेकिन इस लिए नहीं हो सकती है। इस मामले में सरकारी अफसरों की, जो कि इतनी दिलचस्पी से काम कर रहे हैं, अगर शिकायत की जाती है तो मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी नाइन्साफी होगी।

जहां तक मित्रा साहब का ताल्लुक है, वे बड़े धुनी है। मैं उनकी बहुत बड़ी तारीफ नहीं करता हूं, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि वे इस वक्त के लिए मौजूं अफसर नहीं है। शिकायत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की गयी कि वे देर में आये । यह सही है कि वे देर में आये लेकिन उसकी वजह यह थी कि वे गांवों में चोड़े की जांच कर रहे थे । वे उस दिन २ बज के बजाय ४ १/२ बजे आये । मैंने उन्हें अन्दर जाते वक्त देखा लेकिन चूंकि मझ वक्त नहीं थो मैं चला आया लेकिन इसके लिये शिकायत करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है । सदन में विरोधी दल के माननीय सदस्यों द्वारा अधिकारियों को बेवजह बदनाम करना मुनासिब नहीं है ।

यहां पर हमारे सभा सचिव के बारे में भी बहुत लम्बी चौड़ी बांते कही गयीं । यहां पर कहा गया कि वे थानेदार के यहां पर बैठकर लोगों को बुलाते हैं । मैं समझता हूं कि यह सिर्फ इलेक्शन कैम्पैन है ।

अभी हमारे बिजली के माननीय मंत्री जी, इस समय चले गये हैं, ने कहा कि बस्ती में ५० ट्यूबवैल्स तैयार हैं लेकिन वहां के लोग बिजली नहीं लेना चाहते हैं । यह बात गलत है । वास्तव में स्थिति यह है कि लोग बिजली लेना चाहते हैं लेकिन आपके पास बिजली देने के साधन नहीं हैं । मुरादाबाद से एक टीम आयी, है, जिसके पास इन्जीनियर तो हैं लेकिन काम करने वाले स्टाफ के मैम्बर्स नहीं हैं ।

जहां तक बिजली देने का सवाल है, ४ फर्लांग का जो कायदा बना दिया गया है, हालांकि वह अब ३ फर्लांग कर दिया है लेकिन वह वंदिश नहीं रहनी चाहिए और बिजली बिना किसी कमांड एरिया के लिहाज से हर एक को देनी चाहिये जो भी लेना चाहे ।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सूखा पूरे प्रदेश में है और उसकी चर्चा बहुत लम्बी चौड़ी हो गयी इस सदन में । इस सम्बन्ध में मैं इस सरकार को और माननीया मुख्य मंत्री को कुछ सुझाव देना चाहता हूं । हमारे यहां पर जो दोराची और मौन नाले हैं, उनको अगर नारायणी कैनाल से पानी दे दिया जाय तो उससे वहां के खेती को सींचा जा सकता है । दूसरी बात सरकार की सोचना चाहिए कि कभी बाढ़ आयेगी, सूखा आयेगा, तो आने के पहले इसके लिये क्या व्यवस्था करनी चाहिये । छोटे छोटे सिंचाई के साधनों की आप जो व्यवस्था कर रहे है वह तो अच्छी है, बड़े काम आप कर नहीं सकते । यह कच्चे कुए वाली जो बात आयी है यह बहुत अच्छी है और देवरिया जिले की हाटा तहसील में किसान बड़ी खुशी से कूआ खोद रहा है । एक कूए से कम से कम २, ३ एकड़ की सिंचाई आसानी से हो जाती है । लेकिन इस के लिये सरकार ने जो २० रुपये का अनुदान रखा है यह कम है । मैं चाहूंगा कि इसको बढ़ा कर ३० रुपय कर दिया जाय क्योंकि १५ रुपया बांस का लगता है और १५ रुपया खुदाई में लगता है । छोटे छोटे साधन इस वक्त बहुत उपयोगी हो रहे हैं । हमारे यहां की जड़हन तथा भदई की फसल मारी गई और मैं शिकायत करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी सुन लें, कि शुरू में तो बीज और खाद तकावी पर दी जाती थी लेकिन इस साल तकावी पर बीज और खाद नही दी गयी । किसानों से इस सूखे के वक्त में पैसा लिया गया । ऐसी हरकत इस समय नहीं होनी चाहिय । जिस खाद को किसान पसन्द करता है वह खाद मौके से नहीं मिल रही है । आप कहते हैं कि कृषि कृषि उत्पादन बढ़ । बढ़ेगा, लकिन वह तभी होगाजब मौक पर किसान को खाद और पानी मिलेगा ।

हमारे इलाके की हाटा तहसील में बांगर इलाके के गन्ना काश्तकार परेशान हैं, उन का गन्ना सूख रहा है । उसको पिरवाने के लिये तत्काल व्यवस्था की जाय । मिल वाले वरायटी के नाम पर उन का गन्ना नहीं लेते हैं । सरदार नगर, कैप्टनगंज, रामकोला, कठकुइयां आदि मिलें वेरायटी के नाम पर किसानों की गाड़ियों को वापस कर देते हैं । बांगर इलाके का गन्ना सूख रहा है । सरकार को उसे पिरवाने की व्यवस्था करनी चाहिये और इस सम्बन्ध में मिल वालों को उचित आदेश दिया जाना चाहिये ।

इसके अलावा जितने बच्चे हमारे यहां स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों स पढ़ रहे हैं उनकी सहायता होनी चाहिये । जैसा मैंने कहा, अगर आप हाटा तहसील की मदद करना चाहते है

[श्री बांके लाल]

तो बरिया मौंन और दोराचीं नाले में नारायणी नहर का पानी छुड़वाइये जिससे किसान सिंचाई कर सके ।

*श्री कृष्णचन्द्र शर्मा (जिला झांसी)—

श्रीमन्, सूखे से बुन्देलखंड बहुत पीड़ित है और उस में भी झांसी तथा उसका ललितपुर उपखंड अत्यधिक पीड़ित है । उसके सब गांव ग्रस्त हैं सूखे से और वहां पर फसल १२ आने से लेकर १ रु० तक बर्बाद हो गयी है । मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि कुछ कार्य तुरन्त प्रारम्भ होने चाहिये । सबसे पहले बीज की व्यवस्था होनी चाहिये । वहां से प्रार्थना की गई है कि जौ और चने का बीच तुरन्त मुहैया हो । किन्तु हमको सूचना मिली कि चना व जौ वहां नहीं पहुंच सके । इस सन्दर्भ में मैं सरकार के कृषि मंत्रालय की प्रशंसा नहीं कर सकता और इस कृषि मंत्रालय के कारण ही बीज का कंफ्यूजन प्रदेश और झांसी प्रखंड में व्याप्त हुआ है । पहले सरकार के आदेश गये कि बीज नगदी पर दिया जाय । जब यहां पर विरोध किया तो यह व्यवस्था की गयी कि तकावी पर दिया जाय लेकिन आज भी बहुत से जिलों में और झांसी जिले में कहीं पर नकदी पर और कहीं पर तकावी पर बीज दिया जा रहा है । मैं प्रार्थना करता हूं कि तकावी पर दिया जाना चाहिये । जो दो वर्ष के बकायादार हैं उनको बीज दिया जाना चाहिये ।

जहां तक टेस्ट वर्क्स का संबंध है, झांसी जिला अत्यन्त गरीब है । दो तीन ब्लाक्स में तुरन्त रूरल मेन पावर स्कीम शुरू हो जानी चाहिये । सरकार ने ५० हजार रुपया निश्चित किया है लेकिन वहां पर अभी टेस्ट वर्क्स शुरू नहीं हुये हैं । लोग चाहते हैं कि टेस्ट वर्क्स शुरू हों, सड़कें और तालाब बनाये जायं । इसके अलावा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो अगले साल कार्य शुरू होने वाले हैं उनको इसी साल प्रारम्भ हो जाना चाहिये ।

इसके अतिरिक्त गूलें जो नई नहरों से निकलने वाली हैं उनका कार्य भी शुरू होना चाहिये । सिंचाई विभाग ने कहा कि गूलों के लिये पैसा नहीं देना चाहिये जब कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि एक धनराशि निश्चित हो गयी है । मेरा निवेदन है कि गूलों का कार्य जल्दी से जल्दी शुरू होना चाहिये ।

माइनर इरीगेशन का कार्य भी ढिलाई से चल रहा है । ब्लाकों में ओवरसियर्स नहीं थे लेकिन अब गये हैं । लेकिन कार्य बहुत सुस्ती से चल रहा है । सूखे की स्थिति को देख कर माइनर इरीगेशन का कार्य ए० डी० ओज० तथा अन्य अधिकारी जल्दी से जल्दी कार्य करें । महीनों और वर्षों से जो सर्वे हो चुका है उस पर कार्य शुरू नहीं हुआ है, जो कार्य शुरू भी हो गया था वह अधूरा पड़ा हुआ है, सुपरवीजन बहुत अच्छा नहीं है उसमें सख्ती की जानी चाहिये । इसके अतिरिक्त बेतवा केनाल से जो माइनर्स निकले हैं उनके टेल एंड पर पानी नहीं पहुंचा है, वहां पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जानी चाहिये, वहां पर पंपिंग सेट्स का प्रबन्ध होना चाहिये । तीन बड़ी नदियां वहां पर हैं अगर वहां पर १०० पंपिंग सेट्स लगा दिये जायं तो सिंचाई की बहुत अच्छी व्यवस्था हो सकती है ।

श्री नाथूराम शिक्षक—

अधिष्ठाता महोदय, यह जो सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई उससे सरकार का बिलकुल पर्दाफाश हो गया है । देश में ही नहीं विदेशों ने भी इस बात को मान लिया कि भारत को अब सहायता तभी दी जायगी जब कि उनके प्लानों की जांच कर ली जाय और जब कि भारत अपने पैरों पर खड़ा हो जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मैं इलाहाबाद जिले की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तीन प्राकृतिक भाग हैं गंगा पार, जमुना पार और दोआबा। आज तक जितना पैसा इलाहाबाद जिले में खर्च हुआ है वह राजनीतिक दृष्टि से खर्च हुआ है। दोआबा जो कि बराबर जगह है, उपजाऊ क्षेज है उस क्षेत्र में सरकार की तरफ से न के बराबर ही पैसा खर्च हुआ है। आज जो आंकड़े बतलाये जा रहे हैं कि इलाहाबाद में इतना पैसा व्यय किया गया लेकिन वह सब गंगा पार और जमुना पार आंख मूंद कर के फेंका गया। मैं इसका विरोध नहीं करता लेकिन मै कहता हूं कि पहाड़ पर कुआं खोदने से क्या लाभ जब दोआब में न के बराबर खर्च किया गया है। यों तो पूरे उत्तर प्रदेश को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करना चाहिये किन्तु इलाहाबाद जिले की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये क्योंकि वहां पर चारे और दाने की विशेष कठिनाई है, गल्ले की भी दूकानें नहीं है और सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने और कृषि मंत्री महोदय ने कहा कि हम २० रुपये की छूट दे रहे हैं कुआं खोदने के लिये। इलाहाबाद जिले में ५०-६० फीट नीचे पानी निकलता है। वहां २० रुपया बेकार बहाया जा रहा है जहां डेढ़, दो हजार रुपये कुंयें में लगता है। इलाहाबाद जिले को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करके जो वहां खरीफ की फसल मारी गयी है उसके लगान की छूट के लिये माल मंत्री जी के पास जिले के अधिकारियों ने कहा कि हमने सिफारिश की है लेकिन आजतक पता नहीं चला कि माल मंत्री महोदय ने वह छूट दी या नहीं, पूरा लगान वसूल कर लिया गया। इसलिये मेरा मांग है कि जब इलाहाबाद जिले में पिछले तीन वर्षों से लगातार सूखा पड़ रहा है तो वहां का लगान स्थगित कर देना चाहिये और तीन साल की छूट देने की घोषणा शीघ्रातिशीघ्र की जानी चाहिये और बढ़ा हुआ सवाया लगान समाप्त करने की घोषणा तुरन्त होनी चाहिये।

श्री चन्द्रसिंह रावत--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं जो आपने मुझे मौका दिया।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

विरोध पक्ष को बुलवाइये, सरकारी पक्ष को बुलवाने से कोई लाभ नहीं है।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रसिंह रावत--

मैंने दोनों ओर के सदस्यों के भाषण सुने। (व्यवधान) मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने अपने विचारों को इस सदन में रक्खा, परन्तु मुझे खेद इस बात का है कि भयंकर स्थिति अपने मुल्क की है उसको उन्होंने समझा नहीं है। उन्होंने यही समझा कि मुल्क के अन्दर सूखा पड़ा है, पानी के स्रोत सूख गये परन्तु इससे भयंकर परिस्थिति इस बात की है कि हमारे मुल्क के अन्दर ईमानदारी और सद्बुद्धि का स्रोत उससे अधिक सूख गया है और परिस्थिति का मुकाबला करने के लिये ऐसे साधन दिये जाते हैं जो मानव की बुद्धि से परे होते हैं। मुख्य सवाल यह है कि फसल बरबाद होती चली जा रही है और आपकी स्कीम १०।५ वर्षों की बनती हैं जो कभी भी हमारी भूख को मिटाने में सहयोग नहीं दे सकती हैं। इसलिये बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि इस समय जो मुल्क की परिस्थति बड़ी भयंकर है तो ऐसी दशा में क्या इलेक्शन करना जायज है?

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया है।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रसिंह रावत--

अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो इसके माने हैं कि आप देश की विषम परिस्थिति से आंख मुंदे हुये हैं। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त ।

श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं फतेहपुर जिले के बारे में आपके सामने साफ साफ बातें रख रहा हूं। मैंने २५-२६ सितम्बर को सूखे के बारेमें मुख्य मंत्री के पास सूखे धान की पत्तियां भेजीं और उनको लिखा कि किस तरह से इस जिले में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन आपने हमारे यहां केवल ५० फीसदी नुकसान दिखाया है जब कि वहां के कलेक्टर की रिपोर्ट है कि नुकसान ७५ से लेकर १०० फीसदी हुआ है। मैंने उस रिपोर्ट को देखा है। मैं कहना चाहता हूं कि आपने यह किया है। मैंने अखबारों में लिखा और आपको लिखा कि जितनी आपकी पुलिस और फौज है उसको लगा दीजिये और दस दिन के लिये कचेहरी बन्द कर दीजिये और कुयें खोदे जाने चाहिये। रबी की फसल की सिंचाई हो सके। लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अगर आप जनता को पानी नहीं देते हैं तो इसके माने हैं कि सरकार पानीदार सरकार नहीं है। इसलिये जनता को हक है कि ऐसी सरकार को निकाल दिया जाय। पानी के सिवाय सरकार को और कोई चीज नहीं चाहिये। अगर आप अनुदान बांटेंगे तो बड़े बड़े लोग खा जायेंगे। हमारे जिले में ट्यूब-वेल्स नहीं हैं और पंपिंग सैट्स नहीं हैं। मैं आप से कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद जिले को आपने बैकवर्ड घोषित कर दिया है और फतेहपुर को नहीं किया है। आज फतेहपुर जिला बगावत करने के लिये उतारू है। आप बड़े जमींदार हैं कितने ही किसानों को खा गये हैं। हिन्दुस्तान की जमीन आप लोग हड़प गये हैं। किसान को अगर पानी मिल जाय तो वह दस मन अनाज एक बीघा में पैदा कर सकता है। सिंचाई के साधन देना सरकार का काम है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय दीपनारायण जी आपका समय समाप्त हो गया।

* माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज दो रोज से सूखे पर विवाद हो रहा है। जिस समय हमने तय किया था कि सूखे पर पहले विवाद हो जाय क्योंकि हमारे सामने बड़ी कठिन परिस्थिति है। हमें आशा थी कि इस सिलसिले में हमें कुछ सुझाव मिलेगा, बहुत संभव है कि हमने कुछ गलती की हो उसको मीट करने के लिये कल से जब बहस शुरू हुई तो मैं कान फैला कर यही सुनता रहा कि कोई सुझाव हमारे सामने पेश हों। (व्यवधान) आपके जिले में पानी नहीं है। पानी नहीं है तो आपकी बात का कोई जोर नहीं होगा। बड़े-बड़े नेता बोल गये इधर से भी और उधर से भी। लेकिन किसी ने कोई सुझाव नहीं दिया कि इसके करने के बजाये कोई दूसरी बात करो। ज्यादा से ज्यादा कुछ साहबान ने यह कहा कि कच्ची कुइंयां कामयाब नहीं होंगी। हमने खुद देखा है, हमारे साथियों ने देखा है (व्यवधान) आपने भी देखा है लेकिन आप आंख बन्द किये रहते हैं। जहां-जहां कच्ची कुइंयां किसानों ने खोद ली हैं वहां उनकी खेती हरीभरी है। मैंने मुआयना भी किया है। उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ (व्यवधान) आप नहीं थे तो हम क्या करें? आप रहते हैं वोट के चक्कर में। उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, बनारस, बस्ती, गोरखपुर गया। बाराबंकी और फैजाबाद भी मैंने देखा। बहराइच को भी देखा क्योंकि वह जिला खास तौर से मुझे अलाट किया गया। लेकिन माल मंत्री की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी सारे सूबे की है। (व्यवधान) मथुरा नहीं गया। मथुरा में आप ब्रजवासी हैं। बहुत से इलाके हैं मैं मानता हूं जहां कच्ची कुइंयां नहीं खुद सकतीं। नीचे बालू पड़ जाती है। लेकिन बहुत से इलाके हैं जहां कच्ची कुइयां से पानी निकलता है। किसानों ने कच्ची कुइंयां खोदने में बड़ी दिलचस्पी दिखाई है। एक चिट्ठी आयी है एक अखबार के सहायक सम्पादक की,

---

*बक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीया मुख्य मंत्री के पास। उन्होंने लिखा है कि गोंडा जिले में तरबगंज में कच्ची कुइयों का जाल बिछ गया है। (श्री उग्रसेन के बोलने पर) अगर ऐतबार न हो तो मैं आप को ले जाऊंगा। माननीय उग्रसेन तैयार हो जायं। शर्त यह है कि वह अपने नाम में सिंह लगा लें। चलें मेरे साथ, चल कर देखें। मैं दिखा सकता हूं कि किस तरह से कच्ची कुइयां कामयाब हुई हैं। (व्यवधान) आपको कच्ची कुइयों से नफरत है क्योंकि आप पक्के कुओं का सब्ज बाग देखा करते हैं।

श्री उग्रसेन—

अंग्रेजों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

आपका मकान बड़ी आसाइश में है। चारों तरफ दरिया है बीच में टापू पर बसे हैं। हरिजन बेचारे दरिया के किनारे बसे हैं। हमारे नेता विरोधी दल को सिवा इलेक्शन के कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक भूखे से पूछा कि एक एक कितना? उसने कहा दो रोटी। वह कहते हैं २० रुपया दे कर हम वोट खरीदना चाहते हैं। ऐसी बात मेरे ध्यान में कभी नहीं आ सकती। मैं उनसे ऐसी आशा नहीं करता था। लेकिन लीडर आफ अपोजीशन होकर इस स्तर पर आकर बात कहें तो ठीक नहीं समझ में आती है। क्या वोटर्स बीस रुपये में बिक सकते हैं? जनसंघ कोशिश करके देख ले, वे उन्हें १०० रुपये में भी नहीं खरीद सकते हैं। हम उनकी सहायता करते हैं, हम उनके साथ उनकी मुसीबत में ऐसी नीच बात सोच भी नहीं सकते हैं। उनकी इन बातों से एक बात का अन्दाजा लगा है कि जनसंघ गरीबों की मदद नहीं करना चाहता है। स्वतन्त्र पार्टी की क्या कहें, वह तो राजा महाराजाओं की पार्टी ही है, उसे गरीबों के दुख: से क्या लेना देना, वह तो दकियानूसी पार्टी है। चाहे जितनी वह बातें बना ले, चाहे कितनी ही अपनी प्रशंसा कर लें लेकिन वह तो फासिस्टवादी लोग हैं। हमारी मुख्य मंत्री ने सारी बहस का उत्तर दे दिया था, उन्होंने पूरे प्वाइन्ट कवर कर लिये थे, मुझे खड़े होने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे तो केवल रस्म अदायगी करनी थी। मेरे कहने से यदि आपको चोट लगती है, तो उसे आप थोड़ा बरदाश्त करें, हमने भी आपकी चोटें सही हैं, अब हमारा मौका है आप हमारी चोटें सहें। हमारे शारदाभक्त जी ने भी २० रुपये में वोटर परचेज करने की बात कही। एक बात उन्होंने और कह दी कि लेखपालगण ५ रुपया लेकर तस्दीक करते हैं। मैं कहता हूं कि उनकी क्या मजाल कि वह ५ रुपया या एक पैसा भी लें। इस मामले में वे पैसा नहीं लेते हैं। तहसीलदार, ए० डी० ओ० और बी० डी० ओ०, लेखपाल सब एक जगह एकत्र होकर तस्दीक करके तुरन्त ही उसे सहायता दे दी जाती है, उसी समय सारी कार्यवाही पूरी हो। जाती है। पैसा देने लेने का कोई मौका ही नहीं है।

हमारे अफसरों के बारे में कहा गया कि वे कुछ करते नहीं हैं। कहना तो आसान है, कह दिया गया कि करते कुछ नहीं हैं लेकिन मैं इसे मानने के लिये तनिक भी तैयार नहीं हूं। हमारे अफसर रात-दिन एक करके कठिन मेहनत करते हैं, वे रात को रात और दिन को दिन नहीं समझते हैं। हम आप तो नाश्ता क: आते हैं, लेकिन उन्हें इसके लिये भी समय नहीं मिल पाता है, वे काम में लगे रहते हैं। आपके इस तरह कहने से उनकी आत्मा को कितनी चोट पहुंचती है इसे आप जरा देखें। अभी हमारे सत्यनारायण पांडेय और हमारे लीडर आफ अपोजीशन ने कह दिया कि टेस्ट वर्क में तो वही पुरानी मजदूरी दी जाती है। इसे सुनकर हम तो बहुत घबड़ाये कि हमने तो यह दर अब १० आना से बढ़ाकर १०० पैसे यानी एक रुपया कर दिया है और यह क्या कह रहे हैं?

एक सदस्य—

यह बहराइच में आप देते होंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

बहराइच में हो चाहे न हो, लेकिन वहां की जनता चिल्लाती नहीं है। हमने अपनी जनता को इतना कमजोर नहीं बना रखा है। एक बार पारसाल उग्रसेन जी ने कहा कि फलां गांव में

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

फलां आदमी भूख से मर गया। मैंने जांच करी तो मालूम हुआ वह भूख से नहीं मरा, उसकी बीबी हट्ठी कट्ठी है। हमने उग्रसेन जी से कहा–वह कहां है, चलिये मैं देखूंगा, तो उन्होंने बहाना बना लिया कि पानी बरसा है, रास्ता खराब है, आप कहां जाइयेगा। तो मुझे इस तरह से टाल दिया जब मैं असलियत देखने जाना चाहता था। उसकी तेरहीं वर्षी में मनों गेहूं खर्च हुआ तो जो भूख से मरे और उसके तेरहीं वर्षों में मनों अनाज खर्च हो तो क्या यह मानने की बात है।

श्री उग्रसेन—

अब चलकर देख लीजिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

एक बार देखा जाता है, बटुली का एक चावल ही देखकर बटुली के चावलों की जांच हो जाती है। न कोई भुखमरी है न कोई मौत। तो अभी कह दिया कि वह पुराना रेट दिया जा रहा है। मैं घबड़ाया और मैंने फौरन कलेक्टर से कान्टेक्ट किया तो मालम हुआ कि जब से रेट बदला है नये रेट पर ही दिया जा रहा है। इस तरह का बयान कर दिया जाता है कि उनसे एक उलझन पैदा हो जाती है हमारे लिये। (व्यवधान) आज तक सन् २२ से जब से मैं यहां का सदस्य हूं कभी मैंने गैर जिम्मेदाराना ढंग से बातें नहीं की हैं। तो ऐसा सुनकर मुझे बड़ी परेशानी हुई। माननीय सदस्य इस सदन के सामने आकर ऐसी बातें कह देते हैं जिनका कोई सिर-पैर नहीं होता है। वे ख्वामख्वाह के लिये सरकार का काम बढ़ा देते हैं। इस विवाद से यह मालूम हो गया कि हमारे उधर के बैठने वाले भाई यहां एलेक्शन के सिलसिले में ऐसा बवाल खड़ा किये हैं और हमेशा रात दिन एलेक्शन के चक्कर में रहकर इन चीजों को देख रहे हैं। हमारे ऊपर यह इम्प्रैशन पड़ा। इसलिये मैं यह बात कह रहा हूं कि आपका इसके पीछे कुछ इन्टेन्शन है। अगर हमको माननीय उग्रसेन जी समझा देंगे तो हम अपनी राय बदल देंगे।

श्री उग्रसेन—

गांवों में लोग भूखों मर रहे हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ऐसा नहीं है। आप ख्वामख्वाह ऐसी बातें कह रहे हैं।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

आपने कहा कि इलाहाबाद में टैस्ट वर्क की मजदूरी नये रेट पर दी जा रही है। मैं १५ नवम्बर की बात कहता हूं कि वहां पर अभी पुराने रेट से ही मजदूरी दी जा रही है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जिस तारीख से नया रेट बदला है उस तारीख से नया रेट लागू है और नये रेट पर मजदूरी दी जा रही है। हमने देखा है। हम असत्य बात नहीं कहते हैं। हमने जांच कराई है और जांच कराकर हम ऐसी बात कहते हैं।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

हम तो यह उम्मीद करते थे कि शायद हमारे माल मंत्री जी कुछ लगान माफी की घोषणा करेंगे। तो उसकी भी घोषणा कर दें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

लगान की माफी, छूट और स्टे के संबंध में कुछ नियम और रेगुलेशन बने हुये हैं माल विभाग में। अगर माल विभाग के नियम बने न हों तो प्रदेश में ऐडमिनिस्ट्रेटिव केओस पैदा हो जाय।

वे सारे सूबे में लागू हैं और ठीक तरह से लागू हैं। हमारा असमेंट हो रहा है। १५ दिसम्बर तक कागजात हमारे पास आ जायेंगे बोर्ड के जरिये से। जिस तारीख को आयेंगे उसी दिन आर्डर हो जायेंगे। इसमें कोई शक शुबहे की बात नहीं है। यहां पर हम लगान माफ करने के लिये तैयार नहीं हैं।

इन शब्दों के साथ मैं उधर के भाइयों से निवेदन करूंगा कि वह स्थिति को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

इस पर विवाद चलने दिया जाय। अभी समय बाकी है।

श्री अधिष्ठाता—

अब यह विवाद समाप्त हो गया।

(व्यवधान)

(इस समय ४ बजकर ५२ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी अधिष्ठाता महोदय ने यह कहा कि यह विषय समाप्त हो गया। जब यहां उग्रसेन जी ने अपना इस विषय पर प्रस्ताव पेश किया था तो अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी कि इसमें कोई संशोधन प्रस्ताव नहीं आ सकता, ५ बजे तक चर्चा होगी। कोई कारण नहीं है कि ५ बजे से पूर्व ही इस पर चर्चा समाप्त कर दी जाय। माननीय मंत्री जी बोल चुके हैं, उनका कोई वह रिप्लाई नहीं माना जा सकता। अभी १० मिनट हैं, हमको बोलने का समय मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

हर चर्चा में सरकार को अंतिम अवसर मिलता है। (व्यवधान) अब अगर मंत्री जी ने अपना भाषण २–४ मिनट पहले समाप्त कर दिया तो वह विषय अब कन्टीन्यूड नहीं रह सकता। अब मंत्री जी के बाद अगर लोग बोलेंगे, तो उनके बाद फिर मंत्री जी बोलें, इस तरह से तो यह विषय ५ बजे के बाद भी चल सकता है।

श्री रामकुमार शास्त्री—

वक्तव्य तो मैंने दिया था, उत्तर देने का अवसर मुझे मिलना चाहिये, जो समय है उसमें मुझे बोलने दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

अच्छा आप बोल लीजिये।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

यह आप गवर्नमेंट से मिल कर अपोजीशन के राइट को खत्म कर रहे हैं। अभी यह कहा गया चेयर कि से यह विषय समाप्त हुआ। अब आप रामकुमार शास्त्री जी को बुलाने के लिये तैयार हो गये। यह क्या है? (व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद—

श्रीमन्, विवाद माननीय सभा सचिव ने शुरू किया था। उनको अंत में बोलने का अवसर मिलना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

आप तो सरकार की ओर देख-देख कर रूलिंग बदलते हैं, इसलिये इस विरोध में हम सदन का त्याग करते हैं।

(जन संघ दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री मैनेजरसिंह—

श्रीमान्, अधिष्ठाता, महोदय ने यह घोषणा कर दी कि चर्चा का अन्त हो गया। मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूं कि जब आपसे पूर्व अधिष्ठाता महोदय ने कहा कि चर्चा का समय हो गया तो सभा सचिव महोदय को किस नियम के अन्तर्गत बुलाना चाहते हैं। जब चर्चा ४ बजकर ५५ मिनट पर समाप्त हो गई और पांच बजे के पहिले कोई कार्यक्रम आपका नहीं है तो आप सदन स्थगित करेंगे क्या पांच बजे तक के लिये ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री उग्रसेन—

आप इनकी बात का जवाब दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये।

(व्यवधान)

अब किसी को मौका नहीं देंगे। पांच बज गये।

श्री अध्यक्ष को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

मैं जब इस संकल्प को प्रस्तुत करता हूं तो कुछ माननीय सदस्य उधर के बैठने वाले लोग ऐसा न समझें कि कुछ दिनों के लिये माननीय अध्यक्ष का जीवन काल है, इसलिये ऐसा.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप संकल्प तो पेश कीजिये।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

मैं प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि माननीय श्री मदन मोहन वर्मा, अध्यक्ष, विधान सभा, को अध्यक्ष पद से हटा दिया जाय। (तालियां)

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रस्ताव नहीं है, यह संकल्प है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

यह सदन निश्चय करता है कि माननीय श्री मदन मोहन वर्मा, अध्यक्ष, विधान, सभा को अध्यक्ष पद से हटाया जाय।

उपाध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि यह आसन ऐसा महत्वपूर्ण है जिसकी देश और प्रदेश में लोकतन्त्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी है और साथ ही इस प्रदेश और देश के जनजीवन में इस प्रकार की आस्था उत्पन्न करने का है कि लोगों को महसूस हो सके कि इस कुर्सी से इस प्रदेश में बनने वाले सारे कानून की रक्षा होगी और किसी प्रकार का अन्याय, जोर-जुल्म नहीं होगा और अध्यक्ष

लोकतन्त्रीय पद्धति से ही पीठासीन होता है, इसलिये उसे लोकतन्त्र की रक्षा करनी होती है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा का जीवन हमारा पन्द्रह साल का है। पन्द्रह साल के जीवन में हमने तीन माननीय अध्यक्षों को देखा है। इनको देखने के बाद, श्रीमन्, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हुआ व्यक्ति हूं कि माननीय मदन मोहन वर्मा का व्यवहार न तो निष्पक्षता का है और न निर्भीकता का है। मैं समझता हूं कि जो अध्यक्ष निर्भीक नहीं हैं, निष्पक्षता का आचरण सदन में न करे, सदन में कुछ दूसरी बात करे और बाहर दूसरी बात करे उससे उसके व्यवहार के प्रति न सदन में आस्था होती है और न बाहर के सुनने वालों की आस्था होती है और न सदन का कार्यक्रम होता है। मैं समझता हूं कि माननीय मदन मोहन वर्मा ने जो अध्यक्ष की कुर्सी है उसको कलंकित किया है और आप जब देखेंगे माननीय टंडन जी के कार्य को, खेर साहब के कार्य को, और श्री नफीसुलहसन के कार्य को, तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंता हूं कि इन्होंने जान बूझकर कांग्रेसी पक्ष की की है। श्रीमन्, एक-दो उदाहरण आपको देना चाहता हूं। माननीय खेर साहब ने एक रूलिंग दी है। उन्होंने कहा था कि उपाध्यक्ष अथवा अधिष्ठाता के निर्णय तात्कालिक निर्णय के रूप में तथा अध्यक्ष के निर्णय अंतिम रूप में माने जाते हैं। अध्यक्ष अपने अथवा उपाध्यक्ष या अधिष्ठाता के निर्णयों को परिवर्तित कर सकते हैं। अब जरा वर्मा जी की रूलिंग भी देखें। ये कहते हैं कि पीठासीन व्यक्तियों को वही अधिकार हैं जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के होते हैं और उनके निर्णय के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं उठायी जा सकती है और न उनके निर्णय को बदल सकने का अधिकार उपाध्यक्ष या अध्यक्ष को है। तो आप सोचें कि पीठासीन अधिकारी, अधिष्ठाता या उपाध्यक्ष कोई गलत रूलिंग करता है तो उसको उनके अनुसार रिवाइज नहीं किया जा सकता है। उदाहरण में आपको देता हूं कि एक बार नहीं, पचासों मिसालें ऐसी हैं कि रामायण राय जी बैठे हुए हैं अधिष्ठाता मंडल के सदस्य की हैसियत से और उन्होंने एक बार नहीं अनेकों बार ऐसी रूलिंग दी हैं जो गलत थीं और अपील सुनने के लिये कहा गया तो कभी नहीं मानी गयीं और न उनको उस कुर्सी से हटाया गया। एक और उदाहरण पेश करूं कि माननीय रामायण राय जी कांग्रेस पार्टी के अधिकारी हैं, और श्री कमला सिंह जी जो कि अधिष्ठाता मंडल के अधिकारी थे वह हमारी पार्टी के अधिकारी थे। तो माननीय कमला सिंह जी को इसीलिये अधिष्ठाता मंडल से निकाल दिया चूंकि वह हमारी पार्टी के थे और जबकि रामायण राय जी चूंकि कांग्रेस पार्टी के अधिकारी हैं, उनको हटाने की बात जब कही जाती है तो उसको वह मानने को तैयार नहीं होते।

एक सब से पेचीदा बात और बता दूं कि क्षेत्रीय परिसीमन कमीशन है दिल्ली में, उसमें कांग्रेस पार्टी, जन संघ पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के लोग मनोनीत किये गये। जब रामायणराय जी जोकि हमारी पार्टी की ओर से मनोनीत किये गये थे वह कांग्रेस पार्टी में चले गये हमारी पार्टी को छोड़कर तो उनका स्थान हमारे यहां नहीं रहा और वह कांग्रेस में हो गया। अब वह स्थान रिक्त घोषित कर देना चाहिये था और इधर की पार्टी के लोगों को मनोनीत करना चाहिये था, लेकिन उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हुई और कांग्रेस की ताकत को बढ़ाने के लिए और उनके हित में परिसीमन करने के लिये रामायणराय जी को बरकरार रखा गया, उनको हटाया नहीं गया। इससे बढ़कर एक विशेष पार्टी पर विशेष कृपा और क्या हो सकती है?

श्रीमन्, आप भी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिये हैं और उधर के बैठने वाले बहुत से सम्मानित सदस्य हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है और मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति की जिन्दगी और काम देश के लिये नहीं है और लोकतंत्र के लिये नहीं हैं, जिसने एक बूंद खून भी देश के लिये नहीं बहाया है और अगर वह उस कुर्सी पर बैठता है तो उससे लोकतंत्र और स्वतंत्रता की रक्षा नहीं हो सकती है।

अध्यक्ष किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है। हमारे पास माननीय टंडन जी की रूलिंग है। लारी साहेब जब अविश्वास का प्रस्ताव पेश किये, तो उस पर उन्होंने कहा था कि स्पीकरी

[श्री राम सुन्दर पाण्डेय]

के लिये मैं मैजारिटी की तादाद के ऊपर भरोसा नहीं करता हूं, लेकिन अगर कभी अपोजीशन की ख्वाहिश हो तो मैं छोड़ने के लिये तैयार हूं। यह टंडन जी की राय है। साथ ही शायद १० अगस्त को हमको माननीय स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव उठाने का अवसर हुआ। आज उसे लगभग ४ महीने हो गया और उसमें उन्होंने कोशिश यह की कि हमारे खिलाफ जो प्रस्ताव है उस पर जल्दी से जल्दी विचार न किया जा सके। आप को याद होगा, इस प्रस्ताव को लाने में उन्होंने कितनी दिक्कत पैदा की। हम लोगों को निकाला गया। अब जरा देखिये पंजाब के अध्यक्ष की बात। वर्तमान अध्यक्ष के खिलाफ भी ऐसा ही प्रस्ताव आया। फौरन उसी दिन विचार करने की बात हुई। १४ दिन के अन्दर प्रस्ताव पर विचार करने का निर्णय टंडन जी ने दिया। आज ४ महीना हो रहा है। यह हालत है।

श्रीमन्, अध्यक्ष का काम तीन तरह का होता है। एक तो सदन को संचालित करना, सदन में निष्पक्षता का व्यवहार करना और बाहर भी उसी वाणी का प्रसार करना जिस से लोकतंत्र की रक्षा हो। मैं एक ही मिसाल दूंगा। हमारी विधान सभा ने हाई कोर्ट के जजों के गिरफ्तार करने के लिये वारन्ट जारी किये। वह ठीक था या गलत, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन हाउस का आदेश हुआ कि जजों को गिरफ्तार करके यहां लाया जाय। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, संविधान से और इन नियमावली से हमें अधिकार मिला हुआ है। माननीय सदन ने फैसला किया जजों को गिरफ्तार करने का, लेकिन वर्मा जी ने यहां झूठ बोला। उन्होंने न्यायाधीशों को गिरफ्तार करने के लिये मार्शल को नहीं भेजा। उन्हें अपने कमरे में बन्द रखा। अपने कमरे में मार्शल को कैद रखा। जब सदन ने अधिकार दिया तो कमिश्नर के यहां मार्शल को भेजने की क्या आवश्यकता थी? जब आप को अधिकार है वारन्ट जारी करके गिरफ्तार कराने का, तो कमिश्नर के पास क्यों भेजा? माननीय नवलकिशोर जी यहां बैठे हुये हैं। यह गवाही देंगे कि माननीय मदन मोहन वर्मा ने कांग्रेस पार्टी में बैठक में जाकर हाउस के प्रस्ताव को संशोधित करने के लिये लोगों को मजबूर करने की कोशिश की और कहा कि न्यायाधीश को हम स्पष्टीकरण के लिये बुलाते हैं, हम गिरफ्तार करके जेलखाने में डालने के लिये नहीं बुलाते हैं। इस तरह का अध्यक्ष जो यहां सदन में एक बात कहता है और दूसरी जगह दूसरी बात कहता है, यहां कहता है कि सदन की आज्ञा का हम पालन करेंगे और कांग्रेस पार्टी में जाकर दूसरी बात कहता है, सदन के प्रस्ताव को संशोधन करने की बात कहता है, मार्शल को नहीं भेजता है, अपने कमरे में बन्द रखता है और सदन में कहता है कि वे गिरफ्तार नहीं होते हैं, इस प्रकार का अध्यक्ष इस कुर्सी पर जिसकी इतनी बड़ी गरिमा है और महिमा है, विराजमान रहे, और हम लोग उसे देखते और बरदाश्त करते रहें, हम समझते हैं कि इसके बढ़कर कलंक की कोई और बात हो नहीं सकती।

जब से यह इस कुर्सी पर विराजमान हुए तब से आप जरा इनकी हालत देखिये। माननीय खेर साहेब को देखिये और इनको देखिये। सन् ५२ से ५७ में माननीय खेर साहेब के जमाने में ४४५ बैठकें सदन की हुईं। ५७ में ११२ हुईं, ५९ में ८८ हुईं, ६१ में ९४। अब जरा इनका जमाना देखिये। ६२ में केवल ९९, ६३ में ८६, ६५ में ४९ और ६६ में केवल ४७। लोक तंत्र की सबसे बड़ी खूबी यह होनी चाहिये, इस विधान सभा का और इसके अध्यक्ष का सबसे बड़ा कर्त्तव्य है कि जनता की दुखदर्द की आवाज उसके प्रतिनिधियों के सवालों के द्वारा, भाषणों के द्वारा, सरकार तक पहुंचाई जाय। वह केवल सदन की बैठक में ही हो सकता है। हम लोग १।।, २ लाख जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। अगर हमको इसकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का अवसर न दिया जाय तो इससे बढ़कर लोकतंत्र की हत्या और क्या हो सकती है? माननीय वर्मा जी ने इसको किया है।

अब जरा निष्कासन और निलम्बन देखिये। माननीय सदस्य जो पुराने हैं वे जानते होंगे कि माननीय राजनारायण जी कितनी बार निष्कासित किये गये। ५७ में खेर साहब

के जमाने में, ५९ में १,२ और ३ इस प्रकार मिलकर १९ सदस्यों के निष्कासन हुये और श्री मदन मोहन वर्मा जी के जमाने में जो अपने को संविधान का बड़ा भक्त और प्रहरी कहते हैं, उसमें बड़ी आस्था रखने वाले कहे जाते हैं, उनके जमाने में ३४ हुए । निलम्बन खेर साहब के जमाने में केवल ४ और वर्मा जी के जमाने में ६९ हुए । कितना अन्तर है ! आखिरकार असेम्बली का सदस्य क्यों निष्कासित होता है ? हिन्दी क सवाल को ले लीजिये । सवाई मालगुजारी के सवाल को ले लीजिये । इन बातों पर हम लोगों को निकाला गया । वर्मा जी आर्य-समाजी है और कहते हैं कि हम हिन्दी के बड़े रक्षक हैं । हिन्दी के बड़े मानने वाले हैं और उस प्रश्न को यहां उठाने पर हमको निलम्बित करते हैं । इससे यह स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र के प्रहरी के स्थान का उन्होंने अनादर किया है, उसकी मर्यादाओं का उल्लंघन किया है ।

सवालों के करने का अधिकार माननीय सदस्यों को क्यों मिला हुआ है ? भाषण का अधिकार क्यों मिला हुआ है ? यह नियमावली जो १९५८ की है, इसकी दो एक धाराओं के बारे में हम कहेंगे । नियम ३३ में प्राविधान है कि सरकार को प्रश्नों के उत्तर एक दिन पहले मेम्बरों को देना चाहिये । आप हमको बतला दीजिये कि एक भी उदाहरण हो जिसमें इस नियम का पालन अध्यक्ष ने सरकार से कराया हो, बहुत से सवालों का तो जवाब मिला तक नहीं, सवाल स्थगित होते हैं । अध्यक्ष के दस्तखत से सरकार स्थगित करा लेती है ।

अब लीजिये मंत्रियों की घूसखोरी, भ्रष्टाचार और गाय या मोटरों के बारे में जो प्रश्न किये जाते हैं उनको । सवाल आया कि माननीय मुख्य मंत्री मोटर के परमिट किसको देती हैं । ऐसे सवालों को अध्यक्ष जी ने टाल दिया है । इसके मानी हैं कि अध्यक्ष जी पार्टी विशेष के रक्षक हैं, सदन के रक्षक नहीं हैं और सही मानों में लोकतंत्र के हिमायती नहीं हैं ।

नियम ३३ में कहा गया है कि एक सदस्य को एक दिन में तीन तारांकित प्रश्न भेजने का अधिकार है । परन्तु उनका यह आदेश हो गया कि नियम ३३ लागू नहीं है और एक तारीख में एक ही सवाल आप भेज सकते हैं । लीजिये साहब, हम लोग अपने क्षेत्र में घूमते रहते हैं, जहां जो समस्या हमारे सामने आती है उसको लिख कर तुरन्त ही भेज देते हैं और उसको आज से पहले अध्यक्ष के कार्यालय में स्वीकार कर लिया जाता था । लेकिन यहां तो कहते हैं एक तारीख में केवल ३ भेजिये और दूसरे सवालों के लिये दूसरी डाक भेजिये लेकिन खेर साहब के जमाने में जितने भी प्रश्न हम भेजते थे सबको स्वीकार कर लिया जाता था । इस प्रकार का व्यवहार आजकल माननीय मदन मोहन वर्मा के जमाने में हमको इस सदन में मिलता है ।

अब सत्रावसान की बात सुन लीजिये । अगर सत्रावसान होता था तो केवल एक चिट्ठी विभाग को लिख देने से पुराने सारे प्रश्न फिर से पुनर्जीवित हो जाते थे लेकिन अब सब समाप्त कर दिये जाते हैं । देखिये, उसमें हमारा परिश्रम लगा, कार्यालय का परिश्रम लगा और सरकार का भी धन खर्च हुआ, उसकी इनफारमेशन मंगाने में, उस सबको व्यर्थ कर दिया जाता है । माननीय खेर साहब के जमाने में १४ सितम्बर, ६२, तक १९४१८ प्रश्न किये गये, जिनमें से १३८२७ स्वीकार हुए यानी ६६ प्रतिशत प्रश्नों को स्वीकार किया गया । अब जरा आपकी बात सुनिये । २७ जुलाई, ६४, से १९ सितम्बर, ६४, तक कार्यालय में ६६३९ प्रश्न आये और केवल २९२२ स्वीकार किये गये यानी कुल ३३ प्रतिशत । ६६ प्रतिशत से ३३ फीसदी पर आ गये । २४ सितम्बर से २२ दिसम्बर, ६५, तक ७४०३ पूछे गये, जिनमें से २१०४ स्वीकार किये गये । २५ प्रतिशत । खेर साहब के जमाने में ६६ प्रतिशत और इनके जमाने में २५ प्रतिशत ! यह न्याय मेम्बरों के साथ किया गया । जो माननीय सदस्यों का मूलभूत अधिकार प्रश्न पूछने का, जिसका अधिकार संविधान ने उनको दिया था, उस पर इन्होंने अपने काल में कुठाराघात किया है । इस प्रकार से मंत्रियों और सरकार को बचाने के लिये अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा, ने निरन्तर प्रयास किया है ।

इसके बाद आप देखें, माननीय सदस्यों को विभिन्न कमेटियों में नामजद करने का अधिकार है । मैं किसी पार्टी का नेता हूं और मैं उनसे कहूं कि मेरी जगह किसी कमेटी में केशरी प्रसाद

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय--]

पांडेय को रख दीजिये तो कभी नहीं भेजेंगे । वे उन्हीं लोगों को भेजते हैं जो उनके आसपास घूमा करते हैं । इस प्रकार की नीति ये अपनाते हैं और चाहते हैं कि दोनों ओर लोगों में फूट रहे और इनके दरबार में कुछ लोग आते जाते रहें । मैं इस प्रकार की मिसालें दे सकता हूं जब उन्होंने जन संघ, हमारी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के लीडरों की बातों को नहीं माना । आप ४३० मेम्बरों के प्रतिनिधि हैं लेकिन आप पार्टीबन्दी करते हैं ग्रुपबाजी करते हैं । हम आपको १० मिसालें दे सकते हैं जब माननीय मदन मोहन वर्मा ने माननीय बनारसीदास और श्री रामायण राय के तथा बंशीधर पांडेय के इशारे पर इस सदन को स्थगित किया है और उनके इशारे किये लोगों को भाषण देने का आदेश दिया है । यह विकल जी, यह श्रीपति जी हमारे दल केनहीं हैं । वह शर्मा जी बैठे हैं वह हमारी पार्टी के नहीं हैं और विरोधी पक्ष के लोग अध्यक्ष के निर्णय के खिलाफ अगर सदन का त्याग करते तब तो बात होती है कि वह अध्यक्ष का व्यवहार और आचरण ऐसा होना चाहिये कि किसी सदस्य के अन्दर अविश्वास जैसी चीज पैदा न हो । जब माननीय कमलापति जी और माननीय बहुगुणा जी जो उन के दल के अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी हैं वह भी उनके व्यवहार से क्षुब्ध हो कर यहां से निकल जाते हैं तो उन का कर्त्तव्य था और कांग्रेस दल के नेता का कर्त्तव्य था कि ऐसे अध्यक्ष को हटावें लेकिन जो एक गुट विशेष है उस की गुटबाजी में वह शरीक होते हैं, वह उस को खुश करने के लिये सब काम करते हैं और इसलिये वह गुटबाजी और पार्टी बन्दी में संरक्षण पाते हैं लेकिन मैं बताये देता हूं कि इस से लोकतंत्र की व्यवस्था बिगड़ती है ।

हमारे संविधान में व्यवस्था है कि सत्रावसान होने के बाद मुख्य मंत्री की राय से राज्यपाल सदन को आहूत कर सकते हैं लेकिन जब सत्रावसान न हुआ हो तब क्या होगा । १५ नवम्बर से सदन चलने का नोटिस हमें असेम्बली बुलाने का गया था और फिर दूसरा नोटिस पहुंच गया दस दिन बाद कि अब सदन ३० से होगा । श्री कमलापति त्रिपाठी ने बयान दिया कि प्रदेश में बड़ा सूखा पड़ा है, सदस्य लोग क्षेत्रों में जाकर काम करें और सूखे से जनता को बचायें, इतने पर ही श्रीमती सुचेता कृपालानी ने अध्यक्ष को चिट्ठी लिख दी कि सदन स्थगित हो जाय और सदन स्थगित कर दिया गया । वह कौन सा संविधान है, कौन सा नियम है, जब चाहे सदन बुला लिया और जब चाहे समाप्त कर दिया । किसकी मर्जी पर सदन बुलाया जाता है और खत्म कर दिया जाता है ? इस तरह से इन अध्यक्ष के द्वारा केवल एक गुट विशेष की रक्षा की जाती है, वह उस के आदेशों का पालन करते हैं और गुटबाजी में शामिल होते हैं । आज तक इतिहास में ऐसा कुकर्म अध्यक्ष द्वारा कहीं नहीं मिलेगा ।

ऐसा कहां हुआ है कि आधा घंटे में गेंदा सिंह उधर चले जायं वह भी जब नेता थे हमारे साथ थे तब निकाले गये और ५ मिनट के समय में ही ५ बिल पास हो गये । आप को याद दिलाऊं कि हाउस आफ कामन्स में एक दिन बहस हो रही थी और एक सदस्य खड़े होकर बोलना चाहता था, उस पर स्पीकर ने कहा कि नहीं बोल सकते । उस ने कहा कि हम डेढ़ लाख जनता के प्रतिनिधि हैं हमें क्यों नहीं बोलने दिया जाता । उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ मोशन लायें, मेम्बर मोशन लाया और बहस हुई । यहां पर नियम में है और फैसला हो चुका है कि जब कोई व्यवस्था का सवाल उठाया जाय तो सारा काम बन्द कर के सुनना चाहिये । लेकिन इस के होते हुये भी यहां पर रोजाना लोग व्यवस्था के सवाल उठाने पर निकाले जाते हैं । माननीय उग्रसेन माननीय भगवान सहाय, माननीय चन्द्रबली सिंह निकाले गये हैं । माननीय जयराम वर्मा जी अगर कोई प्रस्ताव मूव करना चाहें तो मूव नहीं करने दिया जाता और कह दिया जाता है कि वह मूव नहीं कर सकते और वह भी बेचारे चटपट बैठ गये । इसके खिलाफ माननीय बंशीधर जी और माननीय रामायण राय जी हर समय हरचीज पर मंत्री जी की तरफ से उत्तर दे सकते हैं और माननीय जयराम वर्मा वित्त मंत्री का उत्तर भी नहीं दे सकते ।

तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके यहां पर एक बहुत बड़ा सचिवालय है । आप जानते हैं कि इसमें कितने कर्मचारी हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इन कर्मचारियों की कौन सुनवाई करता है । पिछले बजट में सचिव, विधान मंडल का कोई प्राविधान नहीं था और न ही संविधान में विधान मंडल के सेक्रेटरी का कोई पद है बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि पिछले बजट में विधान मंडल के सेक्रेटरी का पद ही समाप्त कर दिया गया था लेकिन आज भी विधान मंडल के सेक्रेटरी बने हुये हैं । मैं जानना चाहता हूं कि जब बजट पास नहीं हुआ उसमें कोई प्राविधान नहीं था तो कैसे उनको बनाये रखा गया जबकि मितव्ययिता की बात कही जाती है । ५० हजार रुपये विधान मंडल के सेक्रेटरी को हटाकर बचाया जा सकता है । माननीय नवल किशोर जी, आपको याद होगा कि जब विधान मंडल की पुनर्गठन समिति के समक्ष मुख्य सचिव को बुलाया गया था, उनसे जब सवाल किया गया था तो उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा था कि विधान मंडल के सेक्रेटरी की कोई आवश्यकता नहीं है । तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है ?

मैं जानना चाहता हूं कि ये जो ५०–१०० के लगभग कर्मचारी हैं, उनकी कौन सुनने वाला है । जूनियर को सीनियर और सीनियर को जूनियर बना दिया जाता है । इनके विभाग में श्री कैलाश नाथ मेहरोत्रा जी हैं, उनकी क्या योग्यता है । वे सिर्फ हाई स्कूल पास हैं । उनको सहायक सचिव बनाया गया है । इनके ही विभाग में एक श्री श्रीपति सहाय हैं, बी० ए० एल-एल० बी० पास हैं सीनियर हैं और पुराने भी हैं, उनको नहीं बनाया गया है । जरा उनसे पूछिये ऐसा क्यों किया गया है ।

दूसरे इनके विभाग में एक श्री कपूर हैं, उनको पी०ए० बना दिया गया है। इनके विभाग में १६ और आशुलिपिक (रिपोर्टर्स) हैं जो काफी तेज हैं, पुराने हैं, उनमें से किसी को नहीं बनाया गया है । श्री कैलाश नाथ मेहरोत्रा को, जिन्होंने लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शून्य अंक पाया है, उनको प्रश्न शाखा में सहायक सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया गया है जबकि २०–२० साल के अनुभवी, मेधावी और कुशाग्र बुद्धि के लोग और अच्छी योग्यता रखने वाले लोग यहां पर भटक रहे हैं । हम नहीं जानते कि उसकी क्या आवश्यकता हो गयी । आप अपने सचिवालय के कर्मचारियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार नहीं करते हैं । आप आदेशों की अवहेलना करते हैं और उनका उल्लंघन करते हैं । जब आप लोकतंत्र की मान्यताओं पर नहीं चलते हैं तो कैसे वे अध्यक्ष के पद पर आसीन रह सकते हैं ?

मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि जब उनके खिलाफ पिछले सालों में यहां पर प्रस्ताव आया था तो उधर के बैठने वालों ने भी जब इनके विरुद्ध कहा था तो इन्होंने अपने कमरे में स्पष्ट रूप से यह कहा था कि हमारा आचरण भविष्य में मेल जोल का होगा। सब को मिला कर आचरण करूंगा हम कोई ऐसा आचरण नहीं करेंगे जिससे विरोधी के दल लोग मेरे खिलाफ सदन में बातें करें । लेकिन उसका उल्लंघन होता रहा । श्रीमन्, आप भविष्य को देखें। अगर इस प्रकार के अध्यक्षों का चुनाव आपने (कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने) बहुमत के बल पर किया तो फिर लोकतंत्र की हानि होगी और विरोधी पक्ष के लोग और बाहर वाले लोग, अर्थात् जनता भी, आपके लोकतंत्र को नहीं मानेगी । उसका फल यह होगा कि वे दूसरी बात सोचने लगेंगे । मैं चाहता हूं कि इस देश की जनता कोई और दूसरी बात न सोचे। पंचायत राज बनाने वाली सरकार और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली सरकार अगर ऐसे अध्यक्ष को रखती है तो उससे इस कुर्सी को कलंकित करेगी ।

यदि आप भाषणों को देखें तो जो भाषण हाउस में होते हैं, उनमें २–३ भाषण, जब आप कोई कामरोको प्रस्ताव सदन में लाते हैं, या विशेषाधिकार के प्रश्न लाते हैं, उनके होते हैं। यह पोथी (पुस्तक दिखाते हुए) हमारे सामने है, जिसे मैं खास कर इस समय लाया हूं, आप देखें। एक ही स्पीकर, श्री खेर साहब, ने क्या रूलिंग दी और इन्होंने क्या रूलिंग दी । जब कहीं भी मान्यता होती है, एक स्पीकर जो रूलिंग देता है उसके खिलाफ कोई रूलिंग नहीं दी जानी चाहिए। परन्तु क्या होता है ? इसमें खेर साहब ने एक स्पष्ट रूलिंग दी है कि इस प्रदेश की सीमा पर कोई खतरा हो, कोई बात हो तो सदन में प्रश्न उठाया जा सकता है । यहां पर बाराहोती का सवाल

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

उठाया गया, नैपाल का सवाल उठाया गया, सब को माननीय अध्यक्ष ने स्थगित किया। सारे सवालों को देखने के बाद, स्पीकर के आचरण को देखने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इनको तत्काल अपने पद से हट जाना चाहिये और सदन को उनको हटाने का प्रस्ताव पारित कर देना चाहिये।

*श्री ब्रजभूषण शरण (जिला देहरादून)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य का विषय है कि आज जब इस विधान सभा का करीब-करीब अन्तिम काल आ गया उस समय श्री रामसुन्दर पांडेय ने और कुछ अन्य विरोधी दल के मित्रों ने यह मुनासिब समझा कि माननीय अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाय। जब इस समय प्रदेश सूखे से पीड़ित है, हमारी शक्ति उस समस्या को सुलझाने में लगनी चाहिये थी। यदि इतना समय मिलता और सूखे पर बहस हो सकती तो उचित था। लेकिन यहां ऐक्रोबेटिक्स हो रही हैं कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाय और किन कारणों से? वे एक-एक करके माननीय पांडेय जी ने आप के सामने रखे बार-बार हमारे पूर्वजों का जिक्र किया जाता है कि माननीय टंडन जी, माननीय पटेल के जमाने में लोक सभा में ऐसा हुआ करता था। जिस समय माननीय टंडन जी इस कुर्सी पर पीठासीन थे उस समय हमारे जैसे सदस्य भी यहां नहीं आया करते थे। उस समय बड़े प्रतिभाशाली, मेधावी और विद्वता वाले लोग आते थे। टंडन जी के जमाने में मुस्लिम लीग का अपोजीशन था मगर वे किस शायस्तगी के साथ मुखालिफत करते थे, जरा इसको भी तो आप देखें। आज होता यह है कि सदस्य स्टूल पर खड़े हो जाते हैं, सब एक साथ बोलते हैं। बताइये ऐसे समय में स्पीकर क्या करे। कहा जाता है कि स्पीकर हमारे अपोजीशन के मेम्बर्स को नाराज रखते हैं। खुश रखने का तरीका आप बताइये कि कौन-सा स्पीकर सबको खुश रख सकता है। कोई नियमावली की किताब पढ़ने की तकलीफ गवारा नहीं करते।

श्री लखी सिंह (जिला मथुरा)—

माननीय मुमताज मुहम्मद कुर्सी पर चढ़ गये थे।

श्री ब्रजभूषण शरण—

माननीय लखी सिंह के किसी सत्र के भाषणों को उठा कर देख लीजिये, हर वक्त बीच में बोलते रहते हैं और फिर कहते हैं कि स्पीकर उनकी बातों का आदर करे। नियमावली में है कि जब स्पीकर बोल रहे हैं तो कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। लेकिन आज क्या होता है? एक व्यवस्था के प्रश्न का जवाब माननीय अध्यक्ष दे नहीं पाते, बीच में ही अनेकों व्यवस्था के प्रश्न उठा दिये जाते हैं। तो ऐसी हालत में क्या किया जाय। मैं अनुरोध करूंगा कि हर सत्र में दो दिन ऐसे दे दिया करें जिनमें उधर के माननीय सदस्य बोल लिया करें, और हम लोग बैठें या न बैठें। जो ये बोलते रहें सुनते रहिये। जब तक इतना लेटीट्यूड नहीं देंगे तब तक विधान सभा की कार्यवाही नहीं चल सकती प्रजातंत्र की हत्या इस प्रकार आप ही कर रहे हैं। कहा गया कि श्री कमलापति त्रिपाठी जी और अध्यक्ष ने यह कहा था कि अब ऐसी घटनायें नहीं होंगी लेकिन यह भी तय हुआ था कि स्पीकर अगर इंगित करेंगे तो चुपचाप बाहर चले जायंगे लेकिन आप खुद तो अव्यवस्था करते हैं और स्पीकर पर दोषारोपण करते हैं।

यह कहा गया कि स्पीकर साहब ने यह रूलिंग दी थी कि डिप्टी स्पीकर अथवा पेनल का मेम्बर जो हाउस को प्रेसाइड कर रहे हों स्पीकर चाहे तो उनकी रूलिंग को रिवाइज कर सकता है लेकिन माननीय स्पीकर वर्मा जी ने कहा कि उस रूलिंग को रिवाइज नहीं किया जा सकता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो कौन सी चीज ज्यादा औचित्यपूर्ण है और अधिक प्रजातांत्रिक है, यह तो मामूली कामनसेन्स की बात है। अगर माननीय स्पीकर यह कहते कि हमको अधिकार है रिवाइज करने का और इस प्रकार पावर को सेंट्रलाइज करते तो यह अप्रजातांत्रिक होता, न कि प्रजातांत्रिक।

रामसुन्दर पांडेय जी ने कहा कि रामायण राय पार्टी आफिसर भी बने रहे और चेयरमैन आफ दी पैनल भी बने रहे, लेकिन कमला सिंह यादव को निकाल दिया गया, ऐसी बात नहीं है। श्री चन्द्रजीत यादव डिप्टी लीडर कम्युनिस्ट पार्टी थे लेकिन वह पैनल आफ दी चेयरमैन से नहीं हटाये गये। श्री नेकराम शर्मा जी भी डिप्टी लीडर थे अपनी पार्टी के लेकिन पैनल आफ दी चेयरमैन के पद से नहीं हटाये गये। श्री कमला सिंह जी को हटाने का कोई और कारण रहा होगा। किसी और समिति में उनको भेजना चाहते होंगे। माननीय अध्यक्ष ने किसी द्वेष अथवा वेंजेंस की भावना से यह कृत्य नहीं किया।

यह भी कहा गया कि श्री रामायाण राय को डिलिमिटेशन कमेटी का मेम्बर बना दिया। ऐक्ट आफ पार्लियामेंट पास हुआ। स्पीकर से नाम मांगे गये। श्री रामायण राय की योग्यता के कारण उनका नाम दे दिया गया और उसी के साथ श्री माधव प्रसाद जी त्रिपाठी का भी नाम दे दिया। श्री रामायण राय जी जब तक आपके साथ बैठते थे तब तक बहुत अच्छे थे लेकिन आपको छोड़ कर सच्चे रास्ते पर, सही रास्ते पर, आ गये तो वह बुरे हो गये, यह कोई तर्कपूर्ण बात नहीं है।

यह कहा गया कि १९५२ में अध्यक्ष महोदय आर० एस० एस० के मेम्बर थे। तो क्या बात है? आपके साथ तो आज तक बैठे हुए हैं आर० एस० एस० के मेम्बर जिन्होंने अध्यक्ष के खिलाफ खड़े होकर अनुज्ञा लेने में आपका साथ दिया। कल अगर कोई गलत रास्ते पर था तो आज वह सही रास्ते पर आ सकता है। सिनर के सिन का पास्ट कुछ भी हो सकता है लेकिन आगे के लिये अच्छे रास्ते पर आ जाय तो हम उसका स्वागत करेंगे। कांग्रेस पार्टी इतनी उदार है कि वह किसी के खिलाफ कोई द्वेष भावना नहीं रखती। जो हमारी पालिसीज से एग्री करने लगते हैं हम उनका स्वागत करते हैं। दो और उसूल की बातें हैं। आपने अभी एक यह दलील दी कि स्पीकर महोदय हमारे खिलाफ पक्षपात करते हैं और उसी सांस में यह भी कह गये कि कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी श्री बहुगुणा और श्री रामचन्द्र विकल वगैरह भी जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं वे भी उनसे कभी-कभी रुष्ट हो कर चले जाते हैं। अब इससे ज्यादा निष्पक्षता का सबूत हम और क्या दे सकते हैं? यही तो अध्यक्ष की खूबी है कि वह सब को खुश नहीं कर सकता है। कभी जब हम रूष्ट होंगे तो हम बुरा कहेंगे और कभी जब आप रुष्ट होंगे तो आप बुरा कहेंगे।

एक बात यह कही गयी कि सदन १५ नवम्बर को बुलाया गया और फिर स्थगित कर दिया गया क्योंकि श्री कमलापति त्रिपाठी जी ने एक भाषण दे दिया और माननीया सुचेता कृपालानी ने एक पत्र लिख दिया। तो अध्यक्ष महोदय की कोई राय नहीं हुई। देखना, सब्जेक्ट मैटर को चाहिये कि जिस वजह से सदन का स्थगन हुआ वह सही है या गलत है। १५ तारीख का नोटिस हमारे पास भी पहुंचा था, यह बात सही है। परन्तु जब गवर्नर को यह प्वाइंट आउट किया गया कि इस वक्त प्रदेश में भीषण स्थिति है और अगर इस अच्छी ऐडवाइस को मान लिया तो अध्यक्ष ने क्या गलत किया? जो शख्स परिस्थितियों के अनुकूल अपने आपको बदल नहीं सकता वह चेतन नहीं है, जड़ है। माननीय मदनमोहन वर्मा इतने अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं, इतनी विद्वता के आदमी हैं, उन्होंने जिस विद्वता से हमारे इस सदन का संचालन किया है और खास तौर से जिस बात का जिक्र माननीय रामसुन्दर पांडेय ने किया कि मार्शल को कमरे में बिठाये रखा तो माननीय रामसुन्दर जी खुद उस वक्त कितना विरोध कर रहे थे और माननीय अध्यक्ष ने तो आपका सिर ऊंचा किया और इतनी अच्छी तरह से टेकिल किया कि लोक सभा के स्पीकर ने भी समर्थन किया और बाहर की पत्रिकाओं ने भी उस बात की प्रशंसा की है।

श्रीमन्, आपने लाल बत्ती जला दी है। मैं यह मुनासिब समझूंगा कि अपना भाषण खत्म करने से पहले मैं माननीय रामसुन्दर पांडेय और अपने दूसरे मित्रों से जो उधर बठे हैं फिर एक मर्तबा हाथ जोड़ कर अपील करूं कि यह समय वक्त खराब करने का नहीं था, इस प्रस्ताव को वापस लेना चाहिये।

*श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, अविश्वास का प्रस्ताव एक दुःख का विषय होता है और यदि वह अविश्वास का प्रस्ताव स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ हो तो वह और भी दुःख का विषय हो जाता है। लेकिन स्पीकर हों या डिप्टी स्पीकर, पार्लियामेंटरी पद्धति को अगर जीवित रखना है तो यह बात तय है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का रवैया ऐसा होना चाहिये कि जो काबिले एतराज के ऊपर हो। मुझे बड़ा दुःख है कि आज मैं मजबूर हुआ इस बात पर और आज के पहले मजबूर हुआ इस बात पर कि अविश्वास के प्रस्ताव पर दस्तखत करूं और आज उसी मजबूरी के मातहत मैं बोलने के लिये खड़ा हूं।

यह जो ज्यादा स्पीकर के खिलाफ गड़बड़ी है वह इस सिस्टम का भी कसूर है। वह सिस्टम यह है कि हमने जो पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी अपनायी है इसमें जहां प्रिवीलेजेज का सवाल है वह हाउस आफ कामंस से लिये गये हैं। लेकिन जहां रूलिंग पार्टी को सुभीता हुआ वहां उसकी बात को मान लिया है और जहां सुभीता नहीं हुआ वहां उसकी बात को नहीं माना है। हाउस आफ कामन्स का एक वेल इस्टेब्लिश्ड कन्वेन्शन है कि स्पीकर चुने जाने के बाद वह किसी पार्टी का मेम्बर नहीं रहता है। इस तरह से वह हाउस के विभिन्न दलों का विश्वास प्राप्त कर सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। कुछ वर्ष हुये जब फैजाबाद कांग्रेस कमेटी का रिजोल्यूशन आया कि श्री मदन मोहन वर्मा जी के खिलाफ डिसिप्लीनरी ऐक्शन लिया जाय क्योंकि जो आफिशियल कैंडीडेट था उसके खिलाफ उन्होंने कोशिश की...

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये उनके पद से....

श्री भगवान सहाय—

आप परेशान न हों, मेरी बात सुनिये। जो आदमी अपनी पार्टी के अन्दर अपनी गुटबन्दी के लिये बेईमानी कर सकता है वह हुकूमत और विरोधी दलों के लिये कहां तक बेईमानी कर सकता है, इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। आदमी अगर बेईमान है और साथ ही बुद्धिमान है तो काम चल सकता है, अगर ईमानदार है और बुद्धिमान है तो भी काम चल सकता है; लेकिन अगर बेईमान है और मूर्ख है तो काम नहीं चल सकता है।

श्री बृजबिहारी—

श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

स्पीच के बीच में नहीं।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

बीच में ही उपस्थित किया जा सकता है अन्त में नहीं किया जा सकता। मेरे अधिकार को सुरक्षित रखना आपका कर्तव्य है। बेईमान शब्द का प्रयोग किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने किसी व्यक्ति के लिये नहीं कहा।

श्री भगवान सहाय—

उपाध्यक्ष महोदय, वह ईमानदारी से परे हैं और विद्वत्ता से कोसों दूर हैं, इस तरह से सही जुडीशियरी और लेजिस्लेचर का जब क्लैश हुआ उस समय जैसा कि माननीय रामसुन्दर पांडेय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ने कहा, हाउस का जो भी रिजोल्यूशन हुआ और हम समझते हैं कि आज भी वह सही है लेकिन उसको छोड़िये उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं। जिस तरह से उन्होंने हाउस का संचालन किया वह यह था—एक तरफ तो उन्होंने बढ़ावा दिया लेकिन जब वारंट का सवाल आया तो मार्शल को अपने कमरे में बिठाये रखा और कह दिया कि मैंने भेजा है। इस तरह से इन्होंने डबल रोल प्ले किया। एक तरफ तो उत्तेजना देने वाला और दूसरी तरफ कमजोरी दिखाने वाला। ऐसा आदमी चिराग लेकर तलाश करने से भी मुश्किल से मिल सकता है। यू० पी० लेजिस्लेचर को बेइज्जत किया, उसकी तौहीन की, हिन्दुस्तान के सामने और दुनिया के उन देशों के सामने जहां पार्लियामेंटरी सिस्टम है, जलील किया। सदन के माननीय सदस्य जज्बात में न जायें। जो कमेटी लेजिस्लेचर के काज के लिये बनी उसके १०—१२ मेम्बर्स बम्बई तथा सुप्रीम कोर्ट भेजे गये और जब हमने खर्चे का अकाउंट मांगा तो आज तक नहीं दिया गया। मजबूरी यह थी कि लेजिस्लेचर में उनकी राय के बिना काम नहीं कर सकते। उन्होंने उस कांस्टीटयूशनल मजबूरी का बेजा फायदा उठाया। हाउस को अवगत नहीं कराया जो कि उनका नैतिक कर्तव्य था कि स्पीकर की हैसियत से दोनों दलों में समानता बरतते। अभी देहरादून के सदस्य माननीय शरण साहब ने कहा कि हम लोगों का रवैया गलत रहा। हम पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करते। माननीय शरण साहब नहीं हैं। बैजनाथ सिंह जी का किस्सा इस हाउस के सामने हुआ। उसमें क्या नहीं हुआ? उससे कम शोर के लिए कंधों पर बैठाया गया, बैजनाथ सिंह जी वहीं बैठे रहे और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह है बेइमानी। मुझे माफ करें। यह है ईमानदारी से परे होना। ईमानदारी शब्द हमारे स्पीकर साहब जानते नहीं। उसका पर्यायवाची भले ही जानते हों। अध्यक्ष महोदय को यह समझा जाता है कि वह हाउस के हितों के रक्षक हैं, उसके कस्टोडियन हैं। लेकिन कितनी रिपोर्टें सदन के सामने पेश हुई? पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट, आडिट रिपोर्ट, पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट हाउस के सामने नहीं आयीं। आखिर यह किसका कर्तव्य था? सदन के इस राइट को जिसको हमने हाउस आफ कामंस से लिया है, जो हमारे रूल्स में है, आखिर उसको किसने ठुकराया? एक ही शख्स है, वह है मदनमोहन वर्मा।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। वह है डाकूमेंटरी। एक ऐक्ट आया जबकि हाउस के बहुत से सदस्य निकाले गये। आध घंटे के अन्दर सात बिल पास हुए। अगर सात बिलों को पास कराने के लिए सिर्फ प्रोसीज्योर अडाप्ट किया जाता तो कोई जीनियस आधे घंटे में सात बिलों को पास नहीं करा सकता। लेकिन ऐसा किया क्योंकि सरकार से मिले हुए हैं क्योंकि अपनी कुर्सी की हिफाजत के लिए सरकार पर अवलम्बित हैं। सरकार के इशारे के मुंतजिर हैं। इसलिए उन्होंने यह बात की, जो ईमानदारी से परे हैं। सात बिलों को आध घंटे में पास करा लिया जो कि दुनिया के किसी पार्लियामेंटरी इंस्टीटयूशन में नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, १५वें और १६वें कांस्टीटयूशन अमेंडमेंट्स साथ आये। पन्द्रहवें को छोड़कर सोलहवें को ले लिया। मैंने आपत्ति की। स्पीकर की रूलिंग हुई, एक बात में अर्ज करना चाहता हूं कि स्पीकर की रूलिंग और हाउस का रवइया प्रगतिशील होना चाहिए, जनता के हितों की हिफाजत करने के लिए होना चाहिए, उनके हितों पर कुठाराघात करने के लिए नहीं होना चाहिए। प्रोग्रेसिव कदम होना चाहिये, दुनिया के सामने नजीर होनी चाहिये। स्पीकर साहब ने रूलिंग दी कि अगर जैसा कांस्टीटयूशन में दिया हुआ है कि असेम्बली उसे पास कर देती है तो उसे हाउस में डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने उदाहरण दिया। यह बहुत महत्वपूर्ण समस्या है और मैं इस सदन के सामने उसके ऊपर विचार रखना चाहता हूं। मैंने नजीर दी थी कि यदि नीचे की रियासतों ने उसे पास कर दिया तो १७ करोड़ जनता ने उस पर बहस की और पास कर दिया और १४ करोड़ ने कोई राय नहीं दी। यह रूलिंग हमारी समझ से और हर समझदार आदमी की बुद्धि से परे है। यह रूलिंग केवल सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को पक्ष में लेने के लिये दी गयी थी। इससे उन्होंने इतनी बड़ी सत्यानाशी की कि पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी को उन्होंने ६—७ सौ वर्ष पीछे पहुंचा दिया और जनता के हितों के ऊपर कुठाराघात किया। मैंने यह भी पूछा कि आपको कैसे मालूम हुआ। कोई भी कांस्टीटयूशनल अमेंडमेंट हाउस आफ

[श्री भगवान सहाय]

पार्लियामेंट में अपर, या लोवर हाउस में इनीशिएट होता है और उसके बाद वह विभिन्न असेम्बलीज में भेजा जाता है और उन सबकी राय ली जाती है और फिर उसे प्रेसीडेंट के पास भेजा जाता है। मैंने पूछा कि यह कैसे मालूम हुआ कि यह आधे से ज्यादा पास हो चुका है तो उनकी रूलिंग का नमूना और तर्ज यह है। पिछली बार एक रूलिंग हुई थी कि मिनिस्टर्स की जिम्मेदारी नहीं है यदि कोई गलत जवाब आता है। इसको सही करने के लिये अपोजीशन मेम्बर्स की एक मीटिंग बुलाई गयी थी और उसमें यह ठहराया गया था कि अफसर तो मिनिस्टर के प्रति जिम्मेदार है। अफसर माननीय सदस्यों के प्रति कोई रिस्पान्सिबुल नहीं है, अफसरों को हम कैसे जिम्मेदार बना सकते हैं, हम लोगों के प्रति मिनिस्टर की ही जिम्मेदारी होगी, गलत बयान देने के लिये। उसके बाद यह हुआ कि सिद्धान्त में मानते हुये भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई क्योंकि उसमें भी पार्टी के लोगों का इशारा था

असेम्बली सेक्रेटेरियट के प्रमोशन्स के बारे में भी कहना चाहता हूं, क्योंकि इसके बारे में बजट में भी बहस नहीं हो सकती है। असेम्बली सेक्रेटेरिएट में इधर जो नियुक्तियां हुईं, उन्हें कोई भी ईमानदार आदमी जस्टीफाई नहीं कर सकता है। न तो उन पोस्टों को कमीशन को भेजा गया और न यहां ही योग्यता का ध्यान रख कर उनमें ईमानदारी बरती गयी। स्पीकर ने उन्हें अपना जातीय मामला बनाया और मंत्रियों के कहने पर उनके अप्वाइन्टमेंट और प्रमोशन किये गये। तो इन छोटे-छोटे से मामलों में भी ईमानदारी नहीं बरती गयी। जब अनियमितता और बेइमानी हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो कहना ही पड़ता है, यों मैं छोटी-छोटी बातों के लिये कहने को तैयार नहीं हूं, किन्तु बड़ी बड़ी बातों पर भी न कहा जाय तो यह बुजदिली दिखाना साबित होता है। इसलिये मुझे मजबूर होकर कहना पड़ता है। हमारे स्पीकर साहब के लिये एक ड्राइवर की जरूरत थी, थोड़े दिन की बात है। वली मोहम्मद को नियुक्त किया गया। पहले तो उन्होंने इस पर एतराज किया कि मुझको मुसलमान ड्राइवर नहीं चाहिये। लेकिन वह हो गया। जब उसको फैजाबाद ले गये तो उनका नाम बदल कर उन्होंने रखा 'हरी'। तो यह है उनकी कारगुजारी। तो हमारे मित्रों के जो चार्ज हैं, वे इस बात से साबित होते हैं कि वे सब कितने सत्य हैं। लेकिन जो हमारे मित्रों का चार्ज है, इस घटना से मालूम होता है कि वह बात सही है और उनका चार्ज सही है।

मैं इस सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि सदन के बहुत से माननीय सदस्य इस अहम मसले पर अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं। मैं एक ही बात कहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। मैं बहुत दुख के साथ कहता हूं बल्कि बड़ी हार्दिक तकलीफ के साथ कहता हूं। कि हमारे इस प्रदेश असेम्बली में श्री मदन मोहन वर्मा ने अपने स्पीकरशिप के दौरान जिस कुर्सी पर आप बैठे हुये हैं, उसकी तौहीन की है, यू० पी० लेजिस्लेचर के गौरव को गिराया है और उसके मुंह पर कालिख पोती है। हिन्दुस्तान की पार्लियामेन्ट्री इंस्टीट्यूशन को उन्होंने जिल्लत पहुंचाई है। दुनिया में जहां-जहां भी पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन हैं उनके सामने इसको जलील किया है। उनके लिये उन्होंने एक काला नमूना रखा है। उनके दौरान स्पीकरशिप इस सदन के हितों की रक्षा नहीं हुई है। उसकी मर्यादा की रक्षा नहीं हुई है बल्कि सब जगह गहराई तक उसकी जिल्लत हुई है।

इन शब्दों के साथ मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो प्रस्ताव माननीय राम सुन्दर पांडेय ने पेश किया है मैं उसका विरोध करता हूं।

मान्यवर, मुझे इस बात का दुःख है कि इस तरह का प्रस्ताव एक ऐसे समय, मैं जैसा कि बी० बी० सरन जी ने कहा, आया है जब कि यह सदन उठ रहा है और हम आम चुनाव में जनता से प्रजातन्त्र में विश्वास के लिये मत मांगने जा रहे हैं। मगर मुझे ताज्जुब नहीं हुआ क्योंकि रामसुन्दर जी पांडेय ने यह प्रस्ताव पेश किया है। उनका विश्वास, मान्यवर न सोशलिज्म में है और न डेमोक्रेसी में है। वह इनमें से कुछ भी अपने देश में नहीं चाहते हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे हिन्दुस्तान की सोशलिस्ट पार्टी ने डेमोक्रेसी देश में चाहती है और न समाजवाद चाहती है। वह चाहते हैं कि मुल्क के अन्दर डिस आर्डर हो, वह चाहते हैं कि देश में केओस हो। मान्यवर, उनका सदन के बाहर और सदन के अन्दर एक ही प्रोग्राम है कि पार्लियामेंट में घेरा डालो, पार्लियामेंट का काम रोक दो और पार्लियामेंट को मत चलने दो। वही चीज हमारे प्रदेश में भी हुई। माननीय रामसुन्दर पांडेय ने कहा "मदन मोहन वर्मा जेलखाना नहीं गये। मान्यवर, आज आप कुर्सी पर बैठे हुये हैं। आप उत्तर प्रदेश के स्वतन्त्रता संग्राम में एक बार नहीं कई बार जेल गये हैं.....

श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)—

मदन मोहन वर्मा कितनी बार जेल गये हैं ?

श्री रामसुन्दर पांडेय—

जब इस प्रकार की बात कही जाय तो स्पष्टीकरण का मौका होना चाहिये। मैंने कहा था कि उधर के बैठने वाले ऐसे अनेक माननीय सदस्य हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है और जेल गये हैं लेकिन मदन मोहन वर्मा जेल में नहीं रहे हैं।

श्री नवल किशोर—

जो रामसुन्दर जी कहते हैं वही बात मैं कह रहा हूं। उनकी शिकायत यह है कि वह जेल नहीं गये हैं। मगर उपाध्यक्ष महोदय कई बार जेल गये हैं। मगर उनके ऊपर भी अविश्वास का प्रस्ताव यहां पर पेश किया गया। इसलिये यह दलील देना कि वह चूंकि जेल नहीं गये हैं केवल थोथी बात है। आपने कहा कि सन् १९४८ में वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक के मेम्बर थे। मुझको इसके बारे में इल्म नहीं है। लेकिन इतना निवेदन करूंगा कि अगर जन संघ के अन्दर कोई इन्सान अपने विचार बदल दे तो क्या उसके लिये दूसरी पार्टी में स्थान नहीं है ? श्रीमन्, आपको याद होगा कि बहुत से ऐसे सदस्य हैं जो पहिले कांग्रेस पार्टी में थे और आज सोशलिस्ट पार्टी में हैं। वे हमारे यहां आये और हमने उनको स्थान दिया। इस प्रकार की बात कहना रामसुन्दर जी के लिये शोभा दे सकता है लेकिन सभी समझते हैं कि वास्तविकता क्या है। अगर वे अपने दिल को टटोलेंगे तो उनको मालूम हो जायगा कि कौन समाजवाद का हामी है और कौन हामी नहीं है। मैं जानता हूं कि आज यह बात उनकी तरफ से कही जा रही है जिनकी समाजवाद में कतई आस्था नहीं है।

एक बात यह कही गयी कि रामायण राय जी को अपोजीशन की तरफ से डिलिमीटेशन कमीशन का मेम्बर बनाया गया था। अध्यक्ष जी जिस समय नामांकित करते हैं उस समय पार्टी का कंसीडरेशन नहीं होता। वह हमारा इंटरनल मेटर है। किसी के लिये कोई कोटा फिक्स नहीं होता। यह सही है कि रामायण राय जी को जब बनाया गया था तब वे अपोजीशन पार्टी के मेम्बर थे। वे अपनी खुशी से छोड़ कर वहां से यहां आ गये तो उनकी कोई डिस्क्वालिफिकेशन हुई नहीं और जब नहीं हुई तो अध्यक्ष महोदय उनको कैसे डिलिमिटेशन कमेटी से हटा देते ?

लोकतंत्र की रक्षा की बात कही गयी। कैसे उसकी रक्षा होगी मैं यह जानना चाहता हूं। पैनल आफ चेयरमैन बना हुआ है। उसमें अपोजीशन पार्टी के मेम्बर हैं और इस पार्टी के मेम्बर भी बैठते हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और चेयरमैन सभी पार्टी के बैठते हैं। यह कहा गया कि मदनमोहन वर्मा किसी साम्प्रदायिक संस्था के मेम्बर थे। डाक्टर लोहिया जी जन संघ से एडजस्टमेंट करते फिरते रहे हैं वह साम्प्रदायिकता नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति किसी समय रहा हो और विचार अपना बदल दे तो वह गुनाह है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

माननीय नवल किशोर जी जन संघ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में क्या फर्क है, इसी को नहीं जानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

आप किसी और से उनका जवाब दिलवा दीजियेगा।

श्री नवल किशोर---

मान्यवर, पांडेय जी ने यह भी कहा कि स्पीकर किसी पार्टी का मेम्बर नहीं होना चाहिये। टंडन जी की आपने मिसाल पेश की। श्रद्धेय टंडन जी जब इस कुर्सी पर विराजमान थे उन्होंने यह कहा हिन्दी के मसले पर कि--अगर ३ अपोजीशन के मेम्बर कह दें कि मैंने पक्षपात किया है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उस वक्त मुसलिम लोग का अपोजीशन था लेकिन किसी सदस्य ने यह कहने की हिम्मत नहीं की। अगर रामसुन्दर जी उस वक्त होते तो वह जरूर कह दे,ते इसका मुझे यकीन है। मैं यह जरूर मानता हूं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में ऐसा कन्वेंशन है। मगर उसके पीछे यह भी कन्वेंशन है कि एक दफा जब कोई स्पीकर बन जाता है तब इंग्लैंड की कोई भी पोलिटिकल पार्टी उसकी मुखालिफत नहीं करती। मैं हामी हूं। सब पोलिटिकल पार्टी यह तय करें कि स्पीकर के खिलाफ किसी कंडीडेट को नहीं खड़ा करेंगी तो मैं उसमें उनकी हिमायत करूंगा कि स्पीकर किसी पार्टी का मेम्बर न हो। श्रद्धेय टंडन जी कांग्रेस पार्टी के मेम्बर रहे। सही बात है कि स्पीकर को पार्टी की ऐक्टिव पालिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिये। लेकिन माननीय वर्मा जी के ऐक्टिव पालिटिक्स में हिस्सा लेने का कोई एक्जामिम्पल कोट नहीं किया गया। पंजाब असेम्बली के स्पीकर की एक्जाम्पिल दी गयी। वहां के स्पीकर ने चीफ मिनिस्टर और स्पीकर के टकराव के कारण इस्तीफा दिया था न कि आपोजीशन पार्टीज के कहने पर या उनके अविश्वास प्रस्ताव के कारण।

न्यायाधीशों की बात कही गयी। यह भी कहा गया कि माननीय वर्मा जी ने इस सदन को कलंकित किया और इसकी गरिमा को गिरा दिया। मैं कहना चाहता हूं कि जुडिशियरी, एक्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के अन्दर जब झगड़ा पैदा हुआ तो मुझसे पार्लियामेंट के मेम्बरों ने कहा कि अगर पार्लियामेंटरी गौरव और गरिमा को किसी ने जिन्दा रखने दिया है तो वह उत्तर प्रदेश की असेम्बली ने और उसको फालो अप किया हिन्दुस्तान की तमाम स्टेट असेम्बलीज ने। छागला साहब जो आजकल हमारे एक्स्टर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं मेरी उस समय उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था कि आज १४ सालों में जुडीशियरी के मामले में आपने जो तरीका अख्तियार किया है उससे पार्लियामेंटरी पद्धतियों को बल मिला है। हिन्दुस्तान के तमाम स्पीकरों से मैंने फरदन-फरदन बातचीत की और सब का यह मत था कि उत्तर प्रदेश की असेम्बली ने एक नई लीड दी है। हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उसको मानते हुये भी इस कन्वेन्शन को माना है कि हाउस की प्रोसीडिंग्ज के अन्दर इंटरफियरेंस नहीं होगा।

यह कहा गया कि वह बम्बई गये, दिल्ली गये। क्या गुनाह की बात की? एक सब कमेटी बनी कि इस केस को किस तरह से फाइट किया जाय। सोशलिस्ट पार्टी हमारे खिलाफ थी. भगवान सहाय जी हमारे खिलाफ थे। सीरवाई साहब ने इन्वाइट किया कि तमाम केस को स्टडी किया जाय। हम केस को समझाने उनको गये। आप कहते हैं कि खर्चा नहीं दिया गया। स्पीकर के द्वारा खर्चे की बात हाउस में रखने की बात पैदा नहीं होती। क्या आप उस कन्वेंशन को तोड़ना चाहते हैं? तो नियम आपको ऐसा करने नहीं देंगे। लेकिन आप जाकर उनके कमरे में उस खर्चे को देख सकते हैं, उसमें कोई गोलमाल नहीं हुआ है।

एक बात और कही गयी स्पीकर महोदय के बारे में कि साहब उन्होंने प्रोमोशंस के मामले में पक्षपात किया। मुझे याद है कि जिस समय पे कमेटी बैठी थी, इस हाउस के अन्दर स्पीचेज हुईं, माधव प्रसाद जी त्रिपाठी जो विरोधी दल के नेता हैं उन्होंने कहा कि स्पीकर का सेक्रेटेरियट गवर्नमेन्ट के अधीन नहीं होना चाहिये। हमने एक सब कमेटी बनाई। रामसुन्दर जी भी उसके सदस्य थे। उन्होंने कहा कि सरकार का कोई इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिये स्पीकर के सेक्रेटेरियट के कर्मचारियों के प्रोमोशंस, वेतन, नियुक्ति आदि के मामले में।

तो एक तरफ तो आप यह कहें कि स्पीकर का सेक्रेटेरियट इंडेपेंडेंट होना चाहिये और स्पीकर को अधिकार होना चाहिये कि वह जिसको चाहें प्रोमोशंस दें और जो चाहें उनके लिये स्केल्स तय करें और फिर उसके बाद यह कहें कि उन्होंने पार्शियलिटी की है, डिसक्रिमिनेशन किया है, यह दोनों चीजें साथ-साथ नहीं चल सकतीं। आप किसी को स्पीकर बनायेंगे, आपको उस पर इन्डेरेन्ट फेथ रखना पड़ेगा।

निलम्बन की बात कही गयी। उसके आंकड़े पेश किये गये। जिस समय डाक्टर लोहिया फरुखाबाद से पार्लियामेंट के मेम्बर हुये थे तो कई पार्लियामेंट के मेम्बरों ने मुझसे कहा कि हमें अब पार्लियामेंट में हाउस गार्ड्स बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि जब यह हाल उग्रसेन जी और रामसुन्दर जी का यहां है तब हिन्दुस्थान के उनकी पार्टी के सब से बड़े नेता का क्या हाल होगा? राममनोहर जी तशरीफ ले गये पार्लियामेंट में और उनका जो कहना था वह सच हुआ।

श्री उग्रसेन--

डाक्टर लोहिया और मधुलिमये ने आपकी और आपकी पार्टी की सारी पोल खोल कर रख दी। वह पहले कभी नहीं हो सका था। आपके जवाहरलाल नेहरू मर गये, वह भी इस बात को मानते थे।

श्री नवल किशोर--

मान्यवर, जवाहरलाल जी का नाम लिया गया। मुझे खुशी है कि उग्रसेन जी कभी कभी पंडित जवाहर लाल जी का नाम ले लेते हैं पहली बार जिस वक्त पार्लियामेंट के स्पीकर के खिलाफ सेंसर मोशन आया तो पंडित जी ने कहा था कि मेरी गरदन शर्म से झुक गयी कि आज हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट में लोगों ने स्पीकर के खिलाफ सेंसर मोशन मूव कर दिया। आज जवाहरलाल जी का नाम लिया जाता है. ...

श्री उपाध्यक्ष--

जरा शान्ति से ...(व्यवधान) उग्रसेन जी बैठें।

श्री नवलकिशोर--

वैसे मेरा काम नहीं है कि मैं आपको गाइड करूं, लेकिन अगर आप माननीय उग्रसेन जी को दो-तीन मिनट का मौका दे दें तो मुमिकन है कि उनकी गर्मी डिस्चार्ज हो जाय।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता था कि आपने पार्टीजनशिप की बात कही, वह मखौल-सी बात है। आपने कहा कि ३३ परसेंट उनके क्वेश्चंस ऐक्सेप्ट किये गये। अगर ८० परसेंट इधर के २० परसेंट उधर के क्वेश्चंस ऐक्सेप्ट किये गये होते तो वह बात ठीक थी लेकिन अगर क्वेश्चंस ढंग से न भेजे जायं, अनाप-शनाप हों तो क्या हाउस के वक्त की कोई कीमत है या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष--

ये फीगर आये कहां से?

श्री नवलकिशोर--

एक शिकायत यह थी कि कमेटीज में जो नामिनेशंस होते हैं उनमें पार्शियलटी होती है। लेकिन उन्होंने एक भी कमेटी का नाम नहीं लिया कि ऐसी कौन-सी कमेटी बनी जिसमें प्रामिनेंट अपोजीशन ग्रप्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। अगर नियमों को पढ़ें तो कमेटियों के अन्दर डिस्क्रिशन है स्पीकर को और अगर रामसुन्दर जी पार्टीबाजी में गलत नाम दें तो क्या वहां स्पीकर को डिस्क्रिशन हो या नहीं? आप पार्टीबाजी करें तो ठीक है और अगर स्पीकर न करने दे आप को तो उसकी शिकायत है आप को।

[श्री नवलकिशोर---]

एक बात यह कही गयी कि जो भाषण होते हैं उनमें श्री बनारसीदास इंटरफियर करते हैं, श्रीरामायण राय इंटरफियर करते हैं। यह मान्यवर, कनवेंशन है हाउस का कि व्हिप्स होते हैं पार्टी के, वह स्पीकर की आसानी के लिये ताकि हाउस का काम आसानी से हो जाय और पार्टी के जिन लोगों ने अपने पार्टिकुलर विषय को प्रिपेयर किया है उस पर उनको बोलने का मौका मिले, एक लिस्ट स्पीकर को दे देते हैं। स्पीकर बाउन्ड नहीं है उसको फालो करने के लिए। इंसान तो अपने कर्मों से निकाला जाय और बनारसीदास जी को दोष देना, यह कहां तक उचित है ?

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

मैं उग्रसेन जी की सूचना के लिए बताना चाहता हूं कि जब वह निकाले गये बनारसीदास जी के इंटरफियरेंस से तो उस समय कुर्सी पर डिप्टी स्पीकर साहब थे, स्पीकर साहब नहीं थे।

श्री नवलकिशोर---

एक हमारी दिक्कत यह है कि अपोजीशन का अगर डिप्टी लीडर हो तो उनकी नाराजगी, स्पीकर हो तो उनकी नाराजगी ! गेंदासिंह जी इनके बहुत बड़े नेता थे। इन्होंने गेंदा सिंह जी के नेतृत्व में बहुत दिन काम किया और मान्यवर, जब वह इनकी हरकतों से ऊब कर इधर आ गये और हमने मंत्रिमंडल में उनको जगह दे दी तो उनसे भी नाराज हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

उग्रसेन जी, आप शान्त रहिये।

श्री नवलकिशोर---

मैं आखिर में दो बातें कहना चाहता हूं। एक शिकायत और की गयी कि १५ नवम्बर के बजाय ३० नवम्बर हो गया। शायद रामसुन्दर जी जानते होंगे कि हाउस का आह्वान गवर्नर साहब की परमीशन के ऊपर होता है। हाउस की मीटिंग जब होती हैं तो वह गवर्नमेंट की जो बिजनेस होती है उसके आधार पर होती हैं। अगर बिजनेस न हो तो खामख्वाह तो मीटिंग हो नहीं सकती हैं। इसलिए उनकी शिकायत गलत है।

आखिर में मैं माननीय रामसुन्दर पांडेय जी से एक ही दरख्वास्त करूंगा, हालांकि वे मानेंगे नहीं कि वे इस पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी को मखौल मत बनायें, इसको वे मजबूत बनायें और इस प्रकार के थोथे प्रस्ताव लाकर उसकी गरिमा को नीचे न गिरायें।

*श्री झारखण्डे राय---

उपाध्यक्ष जी, इस प्रस्ताव को आये कई महीने हो चुके हैं, बात पुरानी हो चुकी है लेकिन फिर भी इस प्रस्ताव का महत्व कम नहीं हो पाया है। इसीलिये हमने इसको आपके सामने पेश किया और मैं इस प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। पिछले ५ वर्षों में मैंने यह अनुभव किया है कि माननीय मदन मोहन वर्मा जी बहुत ही कमजोर आदमी हैं और वे अपनी कमजोरी को मीठी-मीठी बातों में ढकने का बराबर प्रयास करते रहे हैं। मैंने यह भी देखा है कि सरकार के सामने वे दबे हैं। जब तक माननीय गुप्ता जी मुख्य मन्त्री थे, तब तक तो उनके दबने की घटनायें आये दिन हुआ करती थीं, परन्तु जब से सुचेता जी मुख्य मन्त्री बनी हैं, तब से उन्होंने कुछ बल ग्रहण करने की कोशिश की है, लेकिन बहुत कम मात्रा में वे इसमें सफल हुये हैं। यहां पर बैठ कर हमने यह भी देखा कि माननीय वर्मा जी ने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सोशलिज्म में है और न डेमोक्रेसी में है। वह इनमें से कुछ भी अपने देश में नहीं चाहते हैं। एक रूलिंग दी, लेकिन सरकारी पक्ष के किसी प्रवक्ता के कहने पर, उन्होंने उस रूलिंग को एक अनोखे ढंग से बदल दिया, जिसको हम सब ने देखा होगा। आपकी बगल में बैठे हुये सचिव महोदय ने भी उसको मार्क किया होगा।

मान्यवर, जल्दबाजी के तो वे सिम्बल हैं। जब कभी माननीय लखीसिंह बोलने के लिये खड़े होते हैं या हमारे नवजवान माननीय चन्द्रबलीसिंह जी खड़े होते हैं तो वे उनसे भी ज्यादा उत्तेजित होते देखे गये हैं। बिना किसी की बात सुने, झटपट निष्कासन, निलम्बन करते उनको देखा है और जो भी उनके अधिकार हैं उनको प्रयोग करते उन्हें देखा गया है। एक समय ऐसा भी था जब कि कम्युनिस्ट पार्टी का मैं ही अकेला एक सदस्य था, लेकिन मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि अध्यक्ष महोदय स्वयं ज्यादा बोलते हों। उसकी माननीय पांडेय जी ने बहुत स्पष्ट व्याख्या की है। मैं समझता हूं कि कुर्सी पर बैठ कर इतना अधिक स्वयं बोलना बहुत अनुचित है, उससे काम में भी बाधा पड़ती है और समय व्यर्थ में बरबाद होता है। मैंने उनसे कई बार आग्रह भी किया कि आप पहले जो मेम्बर बोलना चाहें उसे सुन लिया करें, उसके बाद आप जो भी चाहें व्यवस्था दें। लेकिन जब भी कोई बोलने को खड़ा होता है, वे बीच से ही बात को काट कर, स्वयं बोलने लगते हैं और ऐसा करना उनका एक विशेष गुण हो गया है और वह बढ़ते-बढ़ते यहां तक हो गया है कि वे अपने ऊपर संयम नहीं कर पाते। मान्यवर, मुझे जो महसूस हुआ वह मैं कह रहा हूं। क्यों मैंने दस्तखत किये और क्यों मैं इस वक्त बोलने खड़ा हुआ हूं। मैंने यह देखा कि कोई उधर का हो या मैं ही हूं अगर जरा धमकी दे दी जाय तो झुक गये। मुझे याद है जब गेंदासिंह जी इस तरफ बैठते थे और जब वे कभी विरोधी पक्ष के नेता भी थे उन्होंने कहा था कि भाई, अगर सीधा होना, सरल होना, बात को नम्रतापूर्वक कहना आदि अगर यही अपराध है तो मुझे भी सोचना पड़ेगा कि मैं भी वही करूं जो और लोग करते हैं। इसी तरह का भाव उन्होंने दिया मेरे ही नाते। तो मैं समझता हूं कि वह अपने स्थान पर बैठने में सफल नहीं हुए। मैं पिछले आंकड़ों में नहीं जाऊंगा। जितनी अव्यवस्था, जितने निष्कासन, निलम्बन और वाक आउट्स इन पांच वर्षों में हुए हैं उतने पहिले कभी नहीं हुए हैं। ऐसे भी मौके आये हैं कि जब पार्टी के प्रवक्ताओं को बोलने का अवसर ही नहीं दिया गया। मुझे याद है कि हमारी पार्टी की ओर से श्री भगवान सहाय बोलना चाहते थे लेकिन उनको बोलने के लिये केवल दो मिनट भी नहीं दिये गये। पिछले पांच वर्षों में मुझे भी मौका नहीं मिला। हमारी पार्टी के लोगों को तो अक्सर मौका नहीं मिला। इस तरह की अव्यवस्थाओं का रहना और महत्वपूर्ण विषयों पर बोलने का अवसर न मिलना यह एक अद्वितीय बात है। जब मैं इस सदन में सन् १९५१-५७ के बीच अकेला कम्युनिस्ट पार्टी का मेम्बर था तो मुझे एक ही मौका मिला कि एक साहब को बोलने का मौका नहीं दिया गया और उन्होंने इस बात पर रोष प्रकट किया। यहां पर तो जो आप द्वारा ही मान्यता प्राप्त पार्टियां और उनके प्रवक्तागण हैं उनको भी अवसर नहीं मिला है। आज यदि आपके समय में बोलने वालों के आंकड़े देखे जायं तो यह मालूम होगा कि आपके समय में चालीस पचास आदमी ही बोल पाये हैं। अगर आप आंकड़े निकालें तो आप पायेंगे कि कब ऐसे मेम्बर्स होंगे जो इन पांच वर्षों में यहां अपना मुंह भी नहीं खोल पाये हैं। अगर ऐसे आप आंकड़े छिपा दें तो इस सदन की बड़ी बेइज्जती होगी। वे अव्यवस्था रोक नहीं सके और वह बढ़ती ही गई।

मैंने यह भी देखा कि कांग्रेस पार्टी की जो अन्दरूनी गुटबाजी है उसका भी शिकार उन्होंने मौके-मौके पर इस सदन को बनाया। मान्यवर, माननीय नवलकिशोर जी पहिले विद्वान व्यक्ति है जिन्होंने वकालत करने की कोशिश की और वे इसमें सफल भी रहे हैं। इन्होंने कहा कि पन्द्रह दिन के लिये सदन बढ़ गया। गवर्नर को अधिकार है और उन्हीं के नाम पर सब काम होता है। करता कौन है यह हम और आप सब जानते हैं। ऐसा वह कह कर वकील की बहस करते हैं कि १५ तारीख को बुलाया हुआ सदन चार दिन पहिले स्थगित कर दिया गया। मुझे याद नहीं है कि पन्द्रह वर्षों में कभी भी ऐसा हुआ हो।

श्री नवलकिशोर—

इस हाउस के स्थगित करने में कोई हैन्ड स्पीकर का नहीं होता।

श्री झारखण्डे राय—

जहां तक पूरे सदन के नियन्त्रण का सवाल है उसमें तो वे बहुत ही असफल रहे हैं। पार्टियों को वाक-आउट करना पड़ा। यह घटना मामूली नहीं है। उनके समय में पूरे सदन की मान-मर्यादा घटती दिखाई पड़ी है। इनके समय में रूलिंग पार्टी के कई एक सदस्यों को भी इनकी अव्यवस्था के फलस्वरूप वाक-आउट करना पड़ा है और उनका वह वाक-आउट उनका सही कदम था। डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने कांग्रेस मेम्बरों तक में किया है। इसका प्रबल प्रमाण माननीय विकल जी हैं। मैं चाहता हूं आज उनको भी बोलने का मौका दिया जाय। एक ऐसा प्रस्ताव, जिस पर विरोधी पक्ष वालों और कांग्रेस वालों ने भी दस्तखत किये उस प्रस्ताव पर पिछली मर्तबा उनको बड़ी मुश्किल से बोलने दिया गया। उन्होंने सदन के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। यह दूसरी बात है कि किसी कारण से टैक्नीकली उसके पक्ष में अपना मत न दिया हो। जिस अध्यक्ष के विरोध में उसी के दल के लोग इस प्रकार की भावनाओं का प्रदर्शन करें उसको तो अपने आप ही इस पद से हट जाना चाहिये था। यह नैतिकता का तकाजा था। लेकिन पदलिप्सा और पद का मोह बहुत बड़ा होता है।

माननीय श्रीपति सहाय और कैलाशनाथ जी की अलग ही कहानी है। उसके बारे में केवल एक ही बात कहूंगा कि कुछ लोग उनसे मिलने के लिये गये उनसे इस बात का आग्रह किया कि उनका यह कदम उचित नहीं है, इससे आपकी बड़ी बदनामी होगी, उनके पद की बदनामी होगी और पूरी सरकार की बदनामी भी हो सकती है। उसका उन्होंने क्या जवाब दिया जो "माई डियर" कहा करते हैं। "माई डियर, बिकाज आई लाइक हिम"। यह भी कोई तर्क हुआ? यह कोई दलील नहीं है। अगर कोई उच्चस्थान पर बैठा हुआ आदमी किसी बात को या किसी व्यक्ति को पसन्द करे तो सारे नियमों को तोड़ दिया जाय। यह उस पद की गरिमा के विरुद्ध है और जिस गरिमा की अपेक्षा उन जैसे व्यक्ति से की जा सकती है।

[इस समय ६ बज कर ३३ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट पीठासीन हुये]

विधान सभा जन-जीवन का आइना है इसमें कोई संदेह नहीं है और ऐसा होना भी चाहिये। जनता में जो असंतोष बढ़ रहा है उससे आप लोग भली भांति परिचित हैं। उस असंतोष का प्रकटन इस सदन में होना अनिवार्य है। उसको टाला नहीं जा सकता। चाहे वह मेम्बर के भाषण में प्रकट हो, उसके उद्घोष में प्रकट हो, चाहे उसकी किसी कमेटी में प्रकट हो लेकिन उसको प्रकट होना चाहिये। लेकिन ऐसे सदन के संचालन में माननीय वर्मा जी नितान्त असफल रहे हैं, यह मेरी दृढ़ भावना है। इसलिये ही मैंने उस प्रस्ताव पर दस्तखत किये थे और उसी भावना को सदन के सामने रखा। मैं समझता हूं कि इन सब बातों के बाद उनको इस स्थान पर नहीं रहना चाहिये।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, जो इस समय वक्त है उसमें तो यह प्रस्ताव बिलकुल प्रतिकूल ही है। इससे पहले हम जिस गंभीर समस्या पर विचार कर रहे थे उसके बाद इस अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करना कुछ संगत नहीं मालूम होता। लेकिन माननीय रामसुन्दर जी पांडेय ने इस प्रस्ताव को सदन के सामने रख दिया। प्रस्ताव को रखते हुये उन्होंने शाब्दिक जगलरी में इस सदन को डालने का प्रयत्न किया। अध्यक्ष निष्पक्ष और निर्भीक हो इससे किसी को विरोध नहीं है और इस विषय में सभी सहमत हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एक खेर साहब की रूलिंग हुई थी कि उपाध्यक्ष या अधिष्ठाता जो अध्यक्ष की ही पोजीशन में होते हैं वह दूसरे के विरुद्ध निर्णय दे सकता है और उन्होंने यह कहा था कि हम किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्णय के खिलाफ राय देने को

यहां नहीं बैठे हैं। उस वक्त खेर साहब का मतलब यह था कि एक हाईकोर्ट रूलिंग देता है और दूसरा हाईकोर्ट उसी प्रकार के केस में उसके खिलाफ भी निर्णय दे सकता है लेकिन एक हाईकोर्ट रूलिंग दे और उस के समकक्ष कोई कोर्ट उसकी दी हुई रूलिंग को पलट दे यह सही नहीं हो सकता।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

ऐसा होता है।

श्री जगदीशप्रसाद--

अपील की बात दूसरी है या कोई उसी प्रकार का दूसरा केस हो तो पहले निर्णय के खिलाफ राय हो सकती है लेकिन अगर यह स्वीकार कर लें तो यह भी मानना पड़ेगा कि अधिष्ठाता की रूलिंग को उपाध्यक्ष बदल सकता है और उपाध्यक्ष की रूलिंग को अध्यक्ष बदल सकते हैं।

परिसीमन आयोग का जिक्र किया गया। मैं भी उस आयोग का सदस्य था और संयुक्त समाजवादी दल के नेता राज नारायण जी भी थे। आयोग के अध्यक्ष से मिले। शिकायत की कि इसपर सदन का प्रतिनिधित्व होना चाहिये। वहां इस पर चर्चा हुई। नियम यह है कि अध्यक्ष नाम भेजते हैं। वहां ४-५ नाम भेजे गये और उन में से किसी सदस्य ने अगर ऐसा अच्छा काम किया है जो बुद्धिमानी का काम कहा जा सकता है अगर किसी ने समझ से काम लिया और तरक्की की तो उन्हें तो और गर्व होना चाहिये कि उसने अच्छा काम किया। रामायण राय ने अपनी बुद्धि से एक निर्णय लिया और वह इस दल में शरीक हुये तो पद उनको परिसीमन आयोग से मिला हुआ था उस पर वह रहने चाहिये थे। उन से इस्तीफे की रात दिन मांग न मालूम क्यों की जाती है। लेकिन वह अपनी जगह पर बिलकुल ठीक हैं और रहने चाहिये।

माननीय अध्यक्ष के जीवन का भी यहां जिक्र किया गया और कहा गया कि फलां वक्त जिला कांग्रेस कमेटी ने ऐसा किया। अध्यक्ष पद पर आने से पहले उन के विचार क्या थे और क्या किया इस के यहां इस वक्त कहने की जरूरत नहीं है और न उससे कोई संबंध अध्यक्ष पद से है। माननीय टंडन जी का उदाहरण बार-बार दिया जाता है और यही बातें माननीय उपाध्यक्ष के खिलाफ मोशन के समय भी कही गई थीं, हमेशा टंडन जी का जिक्र किया जाता है लेकिन यह देखना होगा कि उनके जमाने में इस सदन की अवस्था क्या थी। मैं एक उदाहरण उनके सामने का रखूं कि एक बार टंडन जी ने एक मुस्लिम लीग के सदस्य से कहा कि सदन के बाहर चले जाओ, २ मिनट वह रुके और आधा मिनट या कुछ सेकेंड ही उनके आदेश को हुये होंगे कि उन के दल के नेता उनको बाहर ले गये, यह उस समय की मर्यादा और व्यवस्था थी कि जब टंडन जी ने कहा था कि अगर ३ सदस्य कह देंगे कि मैं इस्तीफा दे दूं तो मैं हट जाऊंगा" जैसा कि माननीय नवल किशोर जी ने बताया आज क्या अवस्था सदन की हो गई है। आज हालत यह है कि कोई भी मर्यादा सदन की नहीं रह गई है, हाथ में जूता लेकर कुर्सी पर खड़ा हुआ जाता है, इस डेस्क पर खड़ा हुआ जाता है। अध्यक्ष की कुर्सी खाली होने पर उस तक पर पहुंचने की हिम्मत की जाती है और अब कोई ऐसी चीज नहीं रह गई है जो इस सदन में न हुई हो। क्या यही तरीके हैं जिनसे यह चाहा जाता है कि अध्यक्ष उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार न करें जो सदन की मर्यादा के लिये आवश्यक हो? श्रीमन्, मुझे याद है कि इसी सदन में सबसे पहले जब यहां पर माननीय राजनारायण जी सदस्य थे तो वे यहां पर लम्बे-लम्बे लेटे थे। शायद इसके पूर्व कभी ऐसा नहीं हुआ था, अध्यक्ष के कहने पर लोग बाहर चले जाते थे लेकिन वे लम्बे-लम्बे लेट गये। सदन में यह नयी मर्यादा कायम हुई थी। मैं तो यहां तक कहूंगा कि यदि देश में यह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी रहेगी तो यह प्रजातंत्र का नकारात्मक रूप होगा। यदि वह पार्टी देश में रहेगी तो प्रजातन्त्र देश में नही पनप सकता है। आप यहां पर किसी भी अध्यक्ष को बैठा दीजिये, यदि इस प्रकार का हुल्लड़ होगा तो ऐसी ही स्थिति होगी। पहले हमारे प्रदेश की विधान सभा ही बदनाम थी लेकिन अब हमारी लोक सभा में भी यही हालत है। जबसे वहां पर डाक्टर लोहिया पहुंचे हैं, वहां पर भी यही हाल है। जैसा यहां पर पहले होता था। पहले वहां पर किसी को निष्कासन का प्रश्न ही नहीं होता था परन्तु अब वहां पर भी आये दिन होता रहता है।

[श्री जगदीशप्रसाद—]

जजों के मसले का यहां पर जिक्र किया गया। इस संबंध में माननीय नवल किशोर जी ने जैसा पहले ही कहा, यह एक ऐसा कदम था जो इतिहास में अमर रहेगा। ऐसे कदम का नेतृत्व भी हमारे माननीय अध्यक्ष का ही था। इस नेतृत्व के ही कारण आज इस प्रजातांत्रिक संसार में हमारा मस्तिष्क ऊंचा उठा है। उन्होंने प्रजातांत्रिक परम्पराओं की रक्षा करने के लिये कितनी मजबूती से कदम उठाये हैं। इन सबके लिये हम माननीय मदन मोहन वर्मा जी को बधाई देते हैं, जिनके नेतृत्व में यह सब हुआ।

जहां तक "व्यवस्था" के प्रश्नों के बारे में कहा गया, होता यह है कि हमारे माननीय सदस्य जितने व्यवस्था के प्रश्न उठाते हैं, श्रीमन्, आप भी देखते होंगे और मेरा भी यह अनुभव है कि यहां पर ८० या ८५ प्रतिशत व्यवस्था के प्रश्न वे होते हैं जिनका व्यवस्था से कोई संबंध नहीं होता है। इनका इन व्यवस्था के प्रश्नों से इतना संबंध होता है कि यदि कोई माननीय सदस्य बोल रहा है तो उसको रोक कर मुझ को क्यों कोई अवसर नहीं दिया गया। अधिकतर व्यवस्था के प्रश्न इसी उद्देश्य से उठाये जाते हैं कि बोलने में रुकावट पड़े। यदि उन्हें रोका जाता है तो कहा जाता है कि हमें व्यवस्था का प्रश्न उठाने का अवसर नहीं दिया जाता।

अभी जैसा कि मैंने कहा कि यह जगलरी आफ वर्डस है। यहां पर अध्यक्ष को निर्दलीय होने की बात कही गयी। यहां पर माननीय खेर साहब की बड़ी तारीफ की गयी और मैं भी उनकी तारीफ करता हूं। लेकिन जब वे चुनकर आये तो उन्होंने भी सदन में यह कहा था कि उनका संबंध दल से रहेगा और फिर भी कोई आपत्ति नहीं हुई।

श्रीमन्, बैठकों और सदन के समय को नियत करने में कि कितने दिन सदन चलेगा ४० दिन, १०० दिन या २०० दिन चलेगा, फलां दिन सदन चलेगा, मैं नहीं समझता कि यदि कार्य न हो सरकार के पास, तो अध्यक्ष महोदय हाउस को क्यों बुलायेंगे। क्यों यहां पर रातदिन झगड़ा करने के लिये बुलायेंगे? अतः मैं समझता हूं कि कितने दिन सदन चलेगा, कब तक चलेगा, यह सब सरकार के कार्यक्रम के अनुसार निश्चय होता है। उसमें अध्यक्ष का हाथ नहीं।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक इस सदन का संबंध है किसी भी अध्यक्ष को आप रखेंगे उस के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव आयेगा।

जो प्रजातांत्रिक अधिकार है अविश्वास का प्रस्ताव लाने का यह उस का प्रयोग है और यह होता रहता है। लेकिन एक बात है कि आज का समय इस के लिये उपयुक्त नहीं था और दूसरी वजह यह है कि "आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमां होंगे" क्यों अपने आप को नीचा दिखाते हो?

*श्री दीपनारायणसिंह—

श्रीमन्, बड़ा ताज्जुब है कि माननीय नवलकिशोर जी ने बहुत खराब केस की वकालत करने की कोशिश की। स्वंय वे अपने कामों को देखें। अपने दल मुख्य मंत्री के खिलाफ गुट बन्दी में किस तरीके से काम करते हैं। प्रजातन्त्र में जिस दल में रहें और लीडर जिसको चुनें उसके खिलाफ साजिशें नहीं की जाती हैं। क्या जनतंत्र की यही परिपाटी है कि अपने नेता को नीचा दिखावें?

मैं नवल किशोर जी की बातों का जवाब दे रहा हूं। इंगलैन्ड में लिमिटेड मोनारकी है, वहां डेमोक्रेसी है, वहां की प्रिविलेज हमारी प्रिविलेज हैं। वहां लिमिटेड मोनारकी है जिस में बादशाह जमा रहता है और किंग इज दी फाउन्टेन आफ जस्टिस। तो बादशाह की लड़ाई हुई स्पीकर से। स्पीकर कैद होते रहे हैं। जैसे जैसे डेमोक्रेसी डेवलप हुई तो जनता उठी कि जनता के चुने हुये प्रतिनिधि जब स्पीकर चुनते हैं उस स्पीकर के कैद होने को उन्होंने अपनी तौहीन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मानी। मैं माननीय नवलकिशोर जी को बताना चाहता हूं कि जनता के चुने हुये प्रतिनिधि ही स्पीकर बनाते हैं और सदन स्पीकर चुनता है। सदन से ऊपर स्पीकर नहीं होता है। जब सदन के ऊपर हो कर डिक्टेटर वह बन जाय तो जनतंत्र की हत्या कर सकता है। ऐसे स्पीकर को एक मिनट नहीं रहना चाहिये। संविधान की शपथ ले कर मिनिस्टर बने हैं। मुख्य मंत्री, श्री चन्द्रभानु गुप्त थे उन्होंने श्री ए० एम० मुल्ला के बारे में कमेंट किया। मैंने प्वाइंट आफ आर्डर उठाया कि जज के कंडक्ट के बारे में यहां चर्चा नहीं हो सकती। तो स्पीकर साहब ने कहा कि वह कह सकते हैं। ४ मई, १९६२ को प्रिवलेज का मोशन आया। मेरा प्वाइंट यही था कि संविधान के अनुच्छेद २११ में यह लिखा हुआ है कि कोई कमेंट किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के कंडक्ट के बारे में, जो डिसचार्ज आफ ड्यूटी करे, नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि संविधान के क्लैश में अगर कोई लाया नियम आता है तो वह इल्लीगल होता है। लेकिन माननीय बनारसीदास और नवल किशोर जी ने यह नहीं समझा कि स्पीकर ने गुप्ता जी को प्रिवलेज के मोशन से बचाने के लिये १७ मई, १९६२ को रूलिंग दी कि हमारी विधान सभा की नियमावली का नियम २७९ आर्टिकल २११ को कवर कर लेता है। यानी नियम ऊंचा है और संविधान नीचे है। हमारे स्पीकर साहब ने सिर्फ अपने लीडर को बचाने के लिये ऐसी रूलिंग दी। ये एक मिनट रहने लायक नहीं हैं। माननीय उग्रसेन जी दो महीने के लिये निकाले गये थे, आपने एक चिट्ठी लिख दी कि अब यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी खत्म हो गयी, पी० एस० पी० और सोशलिस्ट पार्टी अलग-अलग चलेगी। आप ने उस पर ऐक्ट कर दिया कि अलग-अलग है। आप जानते हैं कि सदन का प्रस्ताव स्पीकर की रूलिंग के ऊपर होता है। मैंने प्वाइंट उठाया कि आप ने सदन के प्रस्ताव को पैरों तले कुचला है, यह रूलिंग दे कर। वास्तव में जब तक माननीय उग्रसेन निलम्बित हैं तब तक उन के पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिये। उल्टे उन्होंने कहा कि "मुझे अधिकार है" मुझे प्रिविलेज में भेज दिया। आप ने हत्या की है जनतंत्र की। अगर उग्रसेन जी कहते कि "तुम बेईमानी पर उतर आये हो, बहुमत के आधार पर जनतंत्र की हत्या कर रहे हो" तो उस का इलाज क्या है? यही इलाज है जो इस प्रस्ताव द्वारा हम करना चाहते हैं।

यू० के० की पार्लियामेंट के स्पीकर की वाइफ ने डेली मेल में छपा दिया कि लेबर पार्टी की औरतें जो एम० पी० हुई हैं वे इस हैसियत की नहीं हैं तो सर हैरी ने कहा कि यह तो ब्रीच आफ प्रिविलेज का सवाल है। स्पीकर ने कहा कि यह मेरी वाइफ से संबंधित है इसलिये यह मेरा प्रश्न बन गया और अगर मैं रूलिंग दूं तो हाउस को अधिकार है कि वह उस को रद्द कर दे। लेकिन १७ मई, १९६२ की रूलिंग के खिलाफ मैंने रखा कि वह सदन में डिस्कस हो तो उन्होंने उस को आने ही नहीं दिया। इसका तरीका यही हो सकता है कि ऐसे स्पीकर को हटाया जाय। मैं कहता हूं कि हिटलरवाद आप ने पैदा किया, अधिनायकवाद आप ने पैदा किया, जनतंत्र को आपने मारा है और ऐसे आदमी को स्पीकर के पद पर बैठा दिया जिसकी अकल खराब है, शक्ल सूरत जरूर अच्छी है। मालूम होता है कि वे किसी के हांके चल रहे हैं। मार्शल हांकता है माननीय उग्रसेन जी को लेकिन स्पीकर साहब को माननीय बनारसीदास हांकते हैं, गुप्ता जी हांकते हैं।

असेम्बली और जजेज के मामले की बात कही गई। मैं उन में से हूं जिन्होंने कहा कि अगर जजेज हमारे प्रस्ताव पर ३१ या २५ की तादाद में बैठ सकते हैं तो हम भी बैठ सकते हैं। ट्रेड यूनियनिज्म गलत है। लेकिन मैंने यह अनुभव किया कि जहां आपके प्रिविलेज हैं तो कोई इंटरप्रिटेशन करेगा ही। आपने ऐसी स्थिति कर दी जजेज को हैंड कफ बुलाने की लेकिन नवल किशोर तथा मदन मोहन जी की हिम्मत नहीं पड़ी हाई कोर्ट के दोनों जजेज को पकड़ कर बुला लेते। आपकी सर्वशक्तिमानता तो तभी होती कि आप उन पर नोटिस तामील कर देते। आपका मार्शल घूमता रहा। इस हिजड़ी असेम्बली का हिजड़ा घूमता रहा। आप दोनों जजेज को पकड़ कर बुलवा लेते वर्ना आप ऐसा प्रस्ताव पास न करते। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी। उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स का इंटरप्रिटेशन है। वोटर के

[श्री दीपनारायणसिंह]

प्रविलेजेज का क्वेश्चन है । असेम्बली के मेम्बरान को उसने चुना और असेम्बली के मेम्बरान ने चुना स्पीकर को । कलेक्टिवली वोटर ही सर्वोपरि है । आपने कालिमा पोत ली । आपने यह प्रस्ताव पास कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज की जो ओपेनियन है वह संविधान के विरुद्ध है लेकिन आपकी हिम्मत नहीं थी कि आप दोनों जजेज को पकड़ कर बुला लेते और

(इस समय ६ बजकर ५८ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

इस प्रकार आपने यह प्रस्ताव पास करवा कर स्पीकर की गरिमा को गिराया और अपनी जिल्लत कराई । एक्जिक्यूटिव का डंडा दोनों विधायिका और न्यायपालिका पर रहा, दोनों ही अंग जनता के फंडामेन्टल राइट्स की रक्षा करते हैं लेकिन डंडा दोनों पर चला एक्जिक्यूटिव का । इस प्रकार यह जनतंत्र की हत्या हुई । जुडीशियरी और लेजिस्लेचर नीचे गये और एग्जिक्यूटिव आगे गई क्योंकि उसी के द्वारा वारंट तामील करवाने पर जजेज गिरफ्तार हो सकते थे, स्पीकर मदन मोहन भी जलील हो कर गिरफ्तार हो सकते थे । ऐसी हालत में जो आदमी सदन की गरिमा तथा इज्जत नहीं रख सका उसे इस्तीफा दे देना चाहिये वर्ना दुनिया के सामने ऐसे स्पीकर की छीछालेदर होगी । जिस समय मदन मोहन जी की व्यवस्था के कारण कमलापति त्रिपाठी तथा बहुगुणा जी को वाक आउट करना पड़ा था उसी समय आपको उनको निकाल देना चाहिये था ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त ।

(श्री रामायण राय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपने इशारा जे० पी० मिश्र की तरफ किया और जबान से रामायण राय जी को बुलाया ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह गलत है । मैंने मिश्रा जी के लिये नहीं कहा ।

श्री झारखंडे राय—

व्यवस्था का प्रश्न है । होना यह चाहिये कि जिन लोगों ने दस्तखत किये हैं उनको पहले बुलाना चाहिये और जिन लोगों ने अनुशासन के नाम दस्तखत करने के बाद वापस ले लिये उनको मौका मिलना चाहिये लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है । आप माननीय विकल जी को मौका नहीं दे रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने कैसे जाना कि नहीं दे रहा हूं ?

*श्री रामायण राय—

उपाध्यक्ष जी, आज जो यह विवाद चल रहा है जनतंत्र के इतिहास में यह दुर्भाग्यपूर्ण विवाद के रूप में स्मरण किया जायगा । अध्यक्ष सदन की मर्यादा का प्रतीक होता है । उसका दायित्व है सदन में व्यवस्था बनाये रखना और यही उनका पुनीत कर्त्तव्य है लेकिन आज अध्यक्ष के विरुद्ध उनको हटाये जाने का प्रस्ताव ला कर जिन मनोवृत्तियों का परिचय दिया गया है उनका विश्लेषण में सदन के समक्ष करना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अपना पुनीत कर्त्तव्य समझता हूं । जिन लोगों की तरफ से यह प्रस्ताव लाया गया है मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि उनका विश्वास आज जनतंत्र पद्धतियों से सर्वथा उठ गया है । जब सदन का अन्तिम सत्र चल रहा हो, दो-तीन महीने के बाद आम चुनाव होने वाले हों ऐसे अवसर पर अध्यक्ष को हटाये जाने का प्रस्ताव लाना उनकी इस मनोवृत्ति का परिचायक है कि विधान सभाओं में अध्यक्ष पीठ पर छछूंदर छोड़ना चाहिये, हुल्लड़ करना चाहिये, वर्ग संघर्ष से भी उनका विश्वास उठ गया है । जो वर्ग संघर्ष के माध्यम से किसान, मजदूर तथा संगठन शक्ति के बल पर किसी तरह की भी परिकल्पना करते हैं उन्होंने आज जिस रास्ते को अपनाया है उसका जब तक सही विश्लेषण नहीं किया जायगा तब तक सदन के सामने और जनता के सामने सही नक्शा पेश नहीं किया जा सकता । आपको स्मरण होगा सदन में उनके द्वारा जो-जो कृत्य होते हैं, जिस तरह के प्रदर्शन होते हैं उनका प्रभाव जन मानस पर क्या पड़ता है इसकी हम और आप सभी कल्पना कर सकते हैं । आज श्री मदन मोहन की बात नहीं, आज प्रश्न यह है कि क्या किसी को अध्यक्ष की रूलिंग के खिलाफ उसे झूठा कहने का अधिकार है ? यहां बैठे अकेले श्री रामायणराय ने नहीं, सदन के तमाम सम्मानित सदस्यों ने सुना होगा कि अक्सर ये शब्द सदन में सुनायी पड़ते हैं । मैंने 'मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस" भी देखी और विश्व के उन तमाम मुल्कों के विधान को पढ़ने का प्रयास किया जहां पर जनतंत्रीय व्यवस्थायें हैं । 'मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस' की और लाइनों को नहीं, केवल एक वाक्य मैं आपकी सेवा में रखना चाहता हूं : "A choice which is never disputed." अगर अध्यक्ष किसी को बोलने की आज्ञा देता है तो उसके उस निर्णय को चैलेन्ज नहीं किया जा सकता । इसके साथ ही साथ मुझे स्मरण है कि लोक सभा के स्पीकर माननीय हुकुमसिंह ने एक दिन कहा था 'What I am saying is right because I am saying." इस कथन का मैं भाष्य करना चाहता हूं । अध्यक्ष, लोक सभा का यह कहना था कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वह सत्य है और वह सत्य इसलिये है कि मैं कह रहा हूं । आखिर कोई सीमा होगी किसी बात की । सुप्रीम कोर्ट का जज कोई फैसला करता है और कोई कहे कि वह फैसला ठीक नहीं है तो मैं ऐसा समझता हूं कि वह बिलकुल अनुचित है। इन संस्थाओं का उदय किस तरह से हुआ, किस तरह से मानव समाज में राज्य की, सरकारों की कल्पनायें की गयीं, उसका मैं यहां जिक्र नहीं करना चाहता, सभी को मालूम है । अगर आप उसे पढ़े होते तो आपको मालूम होता कि संसार में फैली हुई अव्यवस्था को दूर करने के लिये समाज को नियमित रूप से प्रशासित करने के लिये मानव ने अपनी स्वेच्छा से किन्हीं अधिकारों को, किन्हीं पदों को समर्पित किया और उसका श्रेष्ठतम रूप हमारी यह अध्यक्ष की कुर्सी है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

मान्यवर, मानव ने अपने अधिकारों को समर्पित इसलिये किया था कि व्यवस्था हो, डिक्टेटरशिप के लिये कभी नहीं किया था । जो डिक्टेटरशिप हुआ उसका सिर उड़ा दिया गया ।

श्री रामायणराय--

मान्यवर, आप अपने रूल्स को भी उठा कर देखें । उनमें यह बात पूर्णतया व्यवस्थित है कि किसी भी माननीय सदस्य को यह अधिकार नहीं है कि वह अध्यक्ष की व्यवस्था के विरुद्ध जबान भी खोल सके । किन्तु क्या आये दिन अध्यक्ष को अपमानित नहीं किया जाता है ? क्या इस सदन में बार-बार अध्यक्ष के निर्णयों के विपरीत कार्य नहीं किया जाता है ? अध्यक्ष महोदय सर्वशक्तिमान नहीं हैं । वह सदन की मर्यादा को व्यवस्थित तभी रख सकते हैं जब तक माननीय सदस्यों का सहज सहयोग उन्हें प्राप्त हो । लेकिन यदि सदन के कुछ सदस्य यह फैसला कर लें कि हम आये दिन ऐसे प्रस्ताव यहां उपस्थित करेंगे कि अध्यक्ष को विवश होकर उन्हें सदन छोड़ने का आदेश देना पड़े, उन्हें इंगित करने के लिये विवश होना पड़े तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि ऐसे अध्यक्ष की क्या स्थिति होगी ।

[श्री रामायण राय]

मैं और बातों की क्या चर्चा करूं इस प्रक्रिया नियमावली में जिस दिन कोई व्यक्ति इस सदन का माननीय सदस्य हो कर आता है उसके पालनीय कुछ नियम दिये हुये हैं। माननीय सदस्य का क्या कर्तव्य होता है, उसे सदन में कैसे प्रवेश करना चाहिये, कैसे बाहर जाना चाहिये, कैसे प्रश्न पूछना चाहिये, इत्यादि इत्यादि बातें इसमें दी गयी हैं। मैं आग्रह कर रहा हूं, आपके माध्यम से कि जिन लोगों ने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है वे अपने गरेबां में झांक कर देखें कि क्या उन्होंने सुबह से शाम तक इस प्रक्रिया नियमावली के विरुद्ध आचरण नहीं किये हैं। मैं अपने उन मित्रों से आग्रह करना चाहता हूं जिनका विश्वास जनतंत्र में है, मैं उनको बार-बार यह चेतावनी देना चाहता हूं कि इनको सही शक्ल को आप पहचानिये। आखिर जिस नाजी जरमनी की चर्चा की गई वहां क्या हुआ ? वहां के सैनिकों को सिखाया गया कि लोगों के ऊपर संगीनें भोंकीं। इनका अहिंसा, प्रेम और जनतंत्र सब के ऊपर से विश्वास उठ गया है। यह उसके स्थान पर घृणा की राजनीति का शोर मचाते हैं। उनकी टैक्नीक क्या है ? "घेरा डालो" उनकी टैक्नीक है। मैं उस घटना को दुहराना नहीं चाहता हूं। इस मर्यादित सदन की बार-बार चर्चा की गई है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जब माननीय टंडन जी इस आदरणीय सदन के अध्यक्ष थे तो किसी माननीय सदस्या का चीरहरण, लज्जा हरण या उसके साथ अपमान भी क्या इस सदन के सामने हुआ था ? हमें लज्जा से नत मस्तक हो जाना पड़ता है। (व्यवधान)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा जानना चाहता हूं कि वह कौन माननीय सदस्या हैं जिनकी लज्जाहरण की गई ?

श्री रामायण राय—

मान्यवर, मैंने अपमान कहा था।

श्री उग्रसेन—

सदन में इस तरह से गलत बात नहीं कहनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय पांडेय जी, आपने प्रश्न रख दिया। वह चाहेंगे तो जवाब दे देंगे यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। अब कृपया बैठ जाइये।

श्री रामायण राय—

श्रीमन्, मेरा मतलब अपमान करने से है। कोई ऐसा शब्द जिससे उनको भ्रम हुआ हो तो मैं उसको वापस लेता हूं।

मान्यवर, तीन परिस्थितियां होती हैं जिनमें किसी सदस्य को अध्यक्ष से चिढ़ हो सकती है। वह कौन सी हैं ? पहली परिस्थिति है कि किसी माननीय सदस्य ने कोई प्रस्ताव भेजा जिसको अध्यक्ष ने अस्वीकार कर दिया। अब प्रस्ताव के सबंध में नियम है कि सदस्य एक दिन में एक ही काम रोको प्रस्ताव भेज सकते हैं। उग्रसेन जी ३ प्रस्ताव भेजते हैं।

श्री उग्रसेन—

जब आप यहां बैठे थे तो नहीं देते थे ?

श्री रामायण राय—

यह अक्ल का दिवालियापन है, मान्यवर।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

रामायणराय जी बोल रहे हैं, उन पर अभी तक संसोपा का असर है ।

श्री रामायण राय—

सही है । दूसरी परिस्थिति होती है जब यह कहा जाता है कि माननीय अध्यक्ष का निर्णय ठीक नहीं था । तीसरी परिस्थिति होती है जब समय की सीमा होती है । जाहिर है आज का दिन था, प्रदेश के हर जिले में सूखा है, हर माननीय सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात रखना चाहता था । लेकिन नहीं रख सका । अब उनकी जगह पर माननीय उग्रसेन जी को भी बिठा दिया जाता तो क्या वे इसका प्रबन्ध कर सकते थे ? कभी नहीं ? आवश्यक होता है कि जो समय दिया गया होता है उसी में सबको बोलने दें । मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सुनना हराम है, सुनाना हराम है और सुनने के बाद तैश में आना हराम है । अभी घबराओ नहीं वह वक्त आ रहा है जब आपको रामायणराय से मुकाबला करना पड़ेगा । वह दिन दूर नहीं है क्योंकि मैंने कसम खाई है कि जनतंत्र की रक्षा के लिये ऊंची से ऊंची कुरबानी करूंगा और वे जनतंत्र को लांछित नहीं कर सकेंगे । यह पताका लहराती रहेगी । इन शब्दों के साथ मैं बैठता हूं ।

श्री उग्रसेन—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज अपने संयुक्त समाजवादी दल के नेता माननीय रामसुन्दर पांडेय के प्रस्ताव के समर्थन में कहने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं पहले माननीय रामायणराय, अपने पुराने मित्र संसोपा और सोशलिस्ट सदस्य को एक श्लोक सुनाना चाहता हूं । (व्यवधान) आततायिनमायान्तं हन्यादेवा विचारयन ।' जो आततायी हो उसको खत्म करने में जरा भी सोच विचार नहीं करना चाहिये । यह माननीय मदनमोहन वर्मा, इसने जनतंत्र की हत्या की, संसदीय परम्पराओं की हत्या की, संविधान की हत्या की, न्याय की हत्या की, सभ्यता की, लखनऊ के तहजीब तमद्दन की हत्या की इसलिये हम इसको हटाना चाहते हैं । (व्यवधान) सही रामायण राय चुन कर आ हैं । मैं उनसे पूछना चाहता हूं । जो अदलबदल कर दूसरे दल में चले गये (व्यवधान) . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप डिकोरम कायम रखिये ।

श्री उग्रसेन—

सबसे बड़ी हत्या संसदीय परम्पराओं की गेंदासिंह एंड कम्पनी लिमिटेड ने की जो चुन कर हमारी झोपड़ी में आये और चले गये बैलों की जोड़ी के साथ (व्यवधान) 'इब्तदाये इश्क है, रोता है क्या । आगे आगे देखिये होता है क्या ।" (व्यवधान) हम तो बोलेंगे । सदन उठ जायगा, उग्रसेन बोलता रहेगा । हम को हल्ला करके बैठा नहीं सकते । सबसे ज्यादा संसदीय परम्पराओं की हत्या गेंदा सिंह ऐंड कम्पनी लिमिटेड ने की जो हमारी झोपड़ी में आये थे और दो बैलों की जोड़ी के साथ चले गये । मैंने हाउस आफ कामंस के स्पीकर के बारे में पढ़ा है । (व्यवधान) मैं तो मान रहा हूं । मैं वहां पैसा ले कर पढ़ाता था । यहां बिना पैसे के पढ़ाना चाहता हूं । मैंने पढ़ा कि स्पीकर वही है जो सबसे कम बोले । श्री मदनमोहन वर्मा एक मिनट में १७ बार "माई डियर" कहते हैं । क्या यह सत्य नहीं है ? बोलो बैजनाथ । देखिये हंस रहा है । हाउस आफ कामंस के बारे में "मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस" में लिखा है । दो ही आदमी मेज पढ़ते हैं एक तो बी० बी० शरण और दूसरे रामायण राय जी । बी० बी० शरण जी मेज पढ़ते हैं हालांकि उनके नाम में "बी बी" लगा है । हाउस आफ कामन्स के स्पीकर के बारे में लिखा है कि जब स्पीकर गरम हो जाता है तो वह स्पीकर रह ही नहीं जाता है । लेकिन हमारे स्पीकर मदनमोहन वर्मा जी लंगर के तवे के समान हैं जो दिन भर में पचासों बार गर्म होते हैं और ठंडे होते हैं । स्पीकर जब गुस्से में आता है तो वह स्पीकर रह ही नहीं जाता है, लेकिन वह इस सबके बावजूद उस आदरणीय कुर्सी पर बैठे हैं । यह आदरणीय

[श्री उग्रसेन]

सदन है, यह कोई चुनाव का अखाड़ा नहीं है, जैसा झारखंडेराय जी ने कहा यह जनता के दुख दर्द का आईना है, लेकिन मदन मोहन जी अपने कारनामों से इस आईने को मसलने के लिये बैठे हुये हैं।

(व्यवधान)

आप रामायण राय जी प्रेमालाप छोड़ दीजिये और हमारी बात सुनिये, स्पीकर कौन बन सकता है, स्पीकर वह बन सकता है

(व्यवधान)

जिसमें यह क्षमता हो कि जब उसे बुलाया जाये सरकार बनाने के लिये तो वह तुरन्त सरकार बना ले।

(व्यवधान)

श्री राजदेव (जिला देवरिया)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, उग्रसेन जी ने कहा कि जब स्पीकर गर्म होता है तो वह स्पीकर नहीं रह जाता है, लेकिन मैं पूछता हूं कि जब सदन की मान मर्यादा और गरिमा को भुलाकर कोई सदस्य उच्छृंखल हो जाए तो क्या वह मेम्बर रह जाता है ?

श्री उग्रसेन—

मैं कहता हूं कि आप इस पर व्यवस्था दें। देखें क्या देते हैं। डाक्टर सम्पूर्णानन्द स्पीकर बन सकते हैं, माननीय सी०बी० गुप्ता बन सकते हैं, माननीया सुचेता कृपालानी बन सकती हैं, जिनमें कुछ क्षमता है कि वह सरकार और अपनी पार्टी बना सकती हैं, लेकिन यह मदन मोहन वर्मा जिनके पास एक आदमी भी नहीं है अपने पक्ष में ? नवलकिशोर जी रोज लाबी में कहते हैं कि मदनमोहन वर्मा को बदलो, निकालो, जिससे हमारा चांस आ जाये। लेकिन यहां पर ऐसी बात करते हैं।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो अध्यक्ष की मौजूदगी में कुर्सी पर खड़ा हो जाये, क्या वह भी स्पीकर हो सकता है ?

श्री उग्रसेन—

मेरी तो सरकार ही नहीं है, लेकिन जब मेरी सरकार होगी तो उस समय उग्रसेन से ज्यादा काबिल आदमी उस पर बैठेगा। स्पीकर इसलिये बैठता है कि सदन की कार्यवाही नियम और प्रक्रिया के अन्तर्गत ठीक से चले और नियमों का वे सदस्यों से पालन करायें। मैं इस सदन के जनतंत्र के सजग प्रहरियों से कहना चाहता हूं कि कल क्या हुआ, मुख्य मंत्री जी बता दें, गुप्ता जी बता दें कि यदि कोई शोक-प्रस्ताव होता था तो प्रश्नोत्तर काल के तुरन्त बाद लिखा जाता था, लेकिन बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सो सुबहानल्ला। कहा गया कि प्रश्नोत्तर के बाद शोक प्रस्ताव ले लीजिये चार-चार आदमी मरे हैं लेकिन वह कहते हैं कि नहीं बजट लेंगे। अगर सोशलिस्ट पार्टी की सरकार होती तो उनको डिसमिस कर दिया जाता। जो लोग मर गये उनके लिये मदनमोहन वर्मा कहे कि उनके बारे में शोक प्रस्ताव नहीं लिया जायगा, पहले बजट लिया जायगा। चन्द्रबली जी जरा भद्दी सी एक कहानी कहते हैं और वह यह है कि एक गांव में आग लग गयी तो सब लोग भागने लगे। एक औरत कहने लगी जरा मुझे अपना श्रृंगार तो कर लेने दो। यही हालत इन लोगों की है। ऐ 'पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस" के राग अलापने वालो, कहां लिखा है कि अध्यक्ष की व्यवस्था का विरोध करने वाले सदन से बहिर्गमन न करें, सदन न छोड़ें। एक दिन में जब सोशलिस्ट पार्टी का

नेता था तो मेरे साथ मेरे दल के लोगों ने वाक आउट किया । मेरे खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव समिति में भेज दिया गया और वह इसलिये कि हमने वाक आउट किया । आप उस समिति के सभापति थे और आप ने स्वयं कहा कि इसमें कहां विशेषाधिकार का हनन होता है । आपने जब मेरा बयान सुना तो आपने मुझे छोड़ दिया । दूसरा आदमी होता तो न जाने क्या होता लेकिन आप भुक्तभोगी हैं, वह एक बड़े वकील रहे हैं जैसे बी० बी० शरण जी हैं । बी० बी० शरण जी कानून को मान्यता देते हैं लेकिन माननीय वर्मा जी, उन्हें कानून से क्या मतलब ? जब केशवसिंह जी का मामला हुआ तब मैं सोशलिस्ट पार्टी का नेता था । मैंने कहा था कि जजों का अधिकार है कि जब कोई अर्जी उनके सामने पेश हो तो वह इंटरिम आदेश दे दे, हो सकता है कि अंतिम आदेश में उसको बदल दे लेकिन अन्तरिम आदेश वह देगा ही । लेकिन नहीं, जजेज के खिलाफ वारन्ट ईश्यू हुआ । मैंने कहा था कि अगर जजेज को सदन के सामने पेश कर दोगे तो मैं असेम्बली से इस्तीफा दे दूंगा लेकिन जजों को नहीं बांध सके । वकील होते हुए इसमें सदन की, कानून की व्यवस्था को जिल्लत पहुंचाई । मैं यह साफ कहना चाहता हूं कि माननीय काशीनाथ जी ने, इस खाकसार उग्रसेन ने जो कहा था उस वक्त वही गजेन्द्रगडकर जी के साथ ७ जजों ने कहा और गौरव की बड़ी तारीफ असेम्बली की नवल-किशोर जी कर रहे थे तो सुनो न्यूयार्क ट्रिब्यून और इंग्लैन्ड के पत्रों ने कहा कि यह बचकाना संसदीय परम्परा है जिसे हिन्दुस्तान की एक असेम्बली ने अपनाया है और इस तरह से इनकी वजह से दुनिया भर में इस असेम्बली की परम्पराओं का मजाक उड़ाया गया । तो मैं कहना चाहता हूं कि जो अध्यक्ष जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहा हो, वकील होते हुये कानून को न माने उसको क्या स्पीकर रहने का अधिकार है ? नम्बूद्रीपाद जी जब केरल के मुख्य मंत्री हुये और उनको जजों के मध्य भाषण करना था तो उन्होंने कहा कि मैं क्या भाषण करूंगा, वे बड़े परेशान थे कि क्या करूं मैं तो कानून पढ़ा नहीं हूं । लेकिन उन्होंने कहा कि कानून की सबसे बड़ी बात कामनसेंस है, सबसे पहला मुद्दा है, लेकिन वर्मा में तो कामन सेंस बिलकुल नहीं है । वकील होते हुये भी कानून की पहली बात न जाने और संसदीय परम्पराओं को निपटाने के लिये कुर्सी पर बैठा रहे यह दोनों विरोधी परिस्थितियां हो ही नहीं सकतीं ।

अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं । लोग कहते हैं कि उनके व्यक्तिगत बातों से क्या मतलब ? व्यक्ति ही समूह बनाते हैं । सामूहिक आजादी क्या है, व्यक्तिगत आजादी क्या है ? व्यक्तिगत आजादी वह है जिसमें काम करने से एक समूह बनता है । उसको सामाजिक आजादी कहते हैं । उसको सोशल लिबर्टी कहते हैं । व्यक्तिगत आजादी होने के बाद दायें से चलने वाले बायें को नहीं चल सकते हैं । मास्को में क्रांति होने के बाद दायें से चलने वाले बायें को नहीं चल सके क्योंकि लेनिन ने वहां पर क्रांति पैदा कर दी थी । रिक्शा के चलाने वाले जो दायें को चलते थे वह बायें को नहीं चल सकते थे । अगर वह ऐसा करते तो किसी भी चौराहे पर भिड़ जाते और टक्कर खा जाते । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जिसने सदन की गरिमा को गिराया है, जिसने लोक तंत्र की हत्या की है, संसदीय प्रणाली की जिसने हत्या की है, कानून की व्यवस्थाओं में जिसके कारण जिल्लत का दरवाजा देखना पड़ा है उस मदन मोहन वर्मा को एक मिनट भी इस कुर्सी पर नहीं रहने देना चाहिये ।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के अध्यक्ष पर अविश्वास का प्रस्ताव यहां पर ५ वर्ष में ३ दफा आया है, जहां तक मैं जानता हूं । एक दफा सन् १९६२ में उस वक्त आया था जब इस देश पर चीन का हमला हुआ । उस प्रस्ताव को यहां पर माननीय गुप्त जी, मुख्य मंत्री ने विरोधी दल से निवेदन करके उस वातावरण में वापस कराया था । दूसरी दफा उस समय आया जब इस देश पर पाकिस्तान का हमला हुआ । उस वक्त कांग्रेस के ११४ मेम्बरों ने अध्यक्ष के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष के पास यह प्रस्ताव भेजा था । कांग्रेस अध्यक्ष ने उस वक्त उन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामचन्द्र विकल]

परिस्थितियों ने उस प्रस्ताव को वापस कराया था। अब तीसरी दफा यह अविश्वास का प्रस्ताव आया है जिसको चार महीने का समय मिला। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं जो जनतंत्र के नाम पर दो महीने रहने की बात कहकर इसके वापस करने की दुहाई देते हैं। काश वे लोग और मदन मोहन वर्मा दोनों इस वक्त दो महीने के लिये अध्यक्ष पद से हट जाते। इससे मदन मोहन वर्मा का सम्मान बढ़ता और कांग्रेस का मान बढ़ता इस प्रदेश और देश में। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं जो मदन मोहन जी की हिमायत करते हैं और उनका समर्थन करते हैं कि उन्होंने न उनके साथ उपकार किया है, न जनतंत्र का उपकार किया है और न कांग्रेस के साथ उपकार किया है। आखिर टंडन जी का उदाहरण मैं छोड़ देता हूं। नफीसुल हसन जी की भी उपमा छोड़ दीजिये और खेर साहब की उपमा भी नहीं लेता हूं। डिप्टी स्पीकर राम नारायण त्रिपाठी जी से उनका मुकाबला कर लीजिये कि उन्होंने क्या किया था। विरोधीदल का सदस्य होते हुये भी मैं कहता हूं कि राम नारायण त्रिपाठी की उपमा पर वह नहीं उतरेंगे। अगर वह इस सदन के कहने से एक दफा भी इस्तीफा दे देते तो आज इस अविश्वास के प्रस्ताव की दूसरी शकल होती और मेरा विश्वास है कि उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती। लेकिन इस चार महीने के समय में उन्होंने इसको महसूस नहीं किया बल्कि उनके समर्थकों ने जरा भी इस गलती को महसूस नहीं किया कि यह प्रस्ताव क्यों आया। वह जरा भी इसको महसूस कर लेते तो वह बात दूसरी होती। मनुष्य से गलती होती है। गलती को मानने से उपाध्यक्ष महोदय, आपको अनुभव होगा कि आदमियों के दिल बदलते हैं और खयाल बदलते हैं लेकिन एक गलती की दृढ़ता के साथ सही मानकर और गलती की जाय तो फिर वह जनतन्त्र के खिलाफ बात होती चली जाती है। केवल इस सदन के मेम्बर के कहने से, कांग्रेस पार्टी के कहने से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया बल्कि उन्होंने गलती भी महसूस नहीं की कि क्या हुआ। उन्होंने इस सदन में कहा था जब जजों का मामला यहां पर आया था जब अली जहीर साहब ने कहा कि मुख्य मन्त्री जी यहां पर नहीं हैं उनको आने दीजिये, इस मामले को गम्भीरता से सोचा जाय, कई बार उनसे कहा गया कि यह जजों का मामला है इसमें जल्दी न की जाय, एडवोकेट जनरल को बुलाया जाय लेकिन एडवोकेट जनरल को भी आने नहीं दिया गया। उन्होंने एक निर्णय लिया और गुस्से में वह निर्णय लिया लोगों को इस बात की आशंका थी कि ऐसा कदम उठ रहा है जो उनके अधिकार के बाहर है उन्होंने बहुत गुस्से में प्रण किया कि अगर इस सदन के प्रस्ताव को सरकार कार्यान्वित नहीं करेगी तो मैं अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दूंगा लेकिन क्या आखिर तक वह समन तामील हो सका? मार्शल गये, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर गये, क्या वह समन तामील हुआ? वह कहां बैठ कर चले आते मार्शल? यह अध्यक्ष जो स्वयं और इस सदन को और हम सब को मालूम है समन तामील नहीं हुआ इस सदन के निर्णय को तामील नहीं किया और अध्यक्ष जी इतना कहने के बावजूद भी आज तक बैठे हुए हैं। उन्हें किसी बात का कोई खयाल नहीं है। उन्हें इस कुर्सी की प्रतिष्ठा की, जनतंत्र की गरिमा की कोई फिक्र नहीं है।

नवल किशोर जी कह रहे थे कि यहां की विधान सभा से देश का नाम ऊंचा हुआ और जगदीश प्रसाद जी कह रहे थे कि यहां के कारनामों से संसदीय परम्परा की बदनामी हुई। एक बात और कहना चाहता हूं कि जब आपके विरुद्ध पिछले सत्र में प्रस्ताव था तो जगदीश-प्रसाद, मुरादाबादवाले, ने कहा था कि उपाध्यक्ष जी, आप तो अध्यक्ष के लपेट में खामख्वाह आ गये, अविश्वास आप में नहीं है। गलतियां उपाध्यक्ष की नहीं हैं, अध्यक्ष की ज्यादा गलतियां हैं, यह उन्होंने कहा था। मुझे इसका सही ज्ञान है और पूरी याद है, उसी वक्त उग्रसेन जी ने दस्तखत कराने शुरू कर दिये थे। जगदीश जी की स्पीच मौजूद है, मैंने तलाश करायी थी, वह छपी नहीं है, लेकिन ऐसा उन्होंने कहा अवश्य था। तो यह प्रस्ताव जगदीश प्रसाद की प्रेरणा से ही आया है। उन्होंने इस बात को माना है।

उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में, क्या बाहर भी ऐसा नहीं होता होगा कि व्यवधान है और सदन में विधेयक पास हो रहे हैं, बजट पास हो रहा है, संकल्प पास हो रहा है। अध्यक्ष ऐसे वक्त में जबकि व्यवधान है, यह हिम्मत नहीं कर सकता कि १० मिनट के लिए असेम्बली स्थगित कर दे। खेर साहब और दूसरे अध्यक्ष स्थगित करते थे। हमारी सरकार कहती है कि शोर गुल में विधेयक पास कराकर हमने चालाकी से काम करा लिया और यह भी उपाध्यक्ष महोदय, क्यों नहीं होता है कि सारे विरोधी दलों को सदन से गैर-हाजिर करके उस स्थिति का नाजायज फायदा उठाया जाय और विधेयक पास कराया जाय, बजट पास कराया जाय और जनतंत्र की दुहाई भी दी जाय कि यही जनतंत्र है। मार्शल के जरिये से बजट पास कराये जायं, कानून पास कराये जायं। यही नहीं, सौभाग्य से गुप्ता जी मौजूद हैं। सन् १९६२ में जब किसानों पर लगान का सवाल था, तो अध्यक्ष महोदय से सिफारिश करने के लिये स्वयं रामकुमार शास्त्री, कमलापति त्रिपाठी, चौधरी चरणसिंह गये। मुख्य मन्त्री ने मुझे शाम को बुला कर कहा कि अच्छा तू बोल ले। तो पहले मंगला प्रसाद थे और आज रामायणराय हैं, मुख्य मन्त्री और चीफ व्हिप के इशारे से सदन में बोलने के लिए समय मिलता है, यह हालत आज हो रही है। चीफ व्हिप अपनी कानफरेंस करते हैं, स्पीकर अपनी कर लेते हैं। तो मैं तो यह कहता हूं कि अगली दफा यहां सारे देश के विधायकों का सम्मेलन कर के यह तय किया जाय कि यह उचित नहीं है कि चीफ व्हिप और अध्यक्ष से अपनी मरजी के मुताबिक सरकार कानून पास करवा लेती हैं, हमारी मरजी के मुताबिक नहीं। उनके पास लिस्ट भेज दी जाती हैं। कुछ लोगों से जाकर कहा जाता है और जोर दिया जाता है कि तुम बोलो। बी० बी० शरण साहब कहेंगे, पिछली दफा उन्होंने मुझे बताया कि मैं बोलने के लिये तैयार नहीं था लेकिन मुझे कहा गया कि बोलो। मैं किसी की गवाही में तो पेश नहीं करूंगा। आज रामायणराय जी एक दफा भी खड़े नहीं हुए। आज ऊपर से जोर दिया जाता है और लिस्ट दी जाती है कि ये लोग बोलेंगे। इतना कभी इस कुर्सी पर बोझ नहीं हुआ है जितना मदन मोहन वर्मा जी के जमाने में हुआ है। एक दफा तो उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा हुआ कि ६ मिनट तक कोई बोलने के लिये खड़ा नहीं हुआ और मुरलीधर कुरील को लाबी से बुलाया गया और वह भी बोलना नहीं चाहते थे। इस तरह के पक्षपातपूर्ण रवैये से जनतंत्र नहीं पनप सकता। यह बात सही है कि कांग्रेस पार्टी में भी वे एक विशेष दल, एक विशेष गुट और विशेष गुट में भी विशेष व्यक्तियों के इशारे पर चलते हैं।

इतना कमजोर अध्यक्ष होना जनतंत्र के लिये खतरा है, अपने लिये नहीं। अध्यक्ष तो वह व्यक्ति होना चाहिये जैसा कि यहां माननीय सदस्यों ने व्याख्या की है कि उसे ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसे अगर चांस मिले मुख्य मन्त्री बनने का तो वह उस पद को सम्भाल सके। माननीय पंत जी भी टंडन जी से कोई काम अपनी मरजी के माफिक नहीं करा पाते थे। किन्तु आज तो माननीय रामायणराय जी जैसा सदस्य भी, जो कल ही विरोधी दल से इधर आये हैं, अध्यक्ष महोदय, को इशारा करते हैं। मैं जब एक बार बोलने के लिये खड़ा हुआ तो मुझसे आकर कहा "आप नहीं बोल सकते"। मैंने प्रिविलेज का मोशन दिया। लोक सभा के अध्यक्ष को माननीय अध्यक्ष महोदय ने चिट्ठी लिखी, मैंने उसकी एक कापी मांगी, मगर मुझे वह कापी नहीं दी गयी। मैंने यह सवाल उठाया था कि क्या कोई व्हिप आकर किसी सदस्य को बोलने से रोक सकता है? आज तक मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया। जो चिट्ठी लिखी गयी वह मुझे नहीं दिखायी गयी और गलत जवाब मुझे दे दिया गया। जब एक माननीय सदस्य को बोलने से रोका जा सकता है तो फिर इस कुर्सी पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस लिये बैठे हैं? मान्यवर, यह जनतंत्र के लिये बड़ा घातक है। इस कुर्सी पर निष्पक्ष हो कर बैठना चाहिये, तभी इस कुर्सी का सम्मान होगा और तभी जनतन्त्र पनप सकेगा।

श्री जगदीशप्रसाद (मुरादाबाद)—

मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा नाम लिया गया है। यह बिलकुल गलत है कि मेरी प्रेरणा से यह प्रस्ताव आया है। मैं अध्यक्ष महोदय को बड़े सम्मान की दृष्टि

[श्री जगदीश प्रसाद]

से देखता हूं। जो शब्द माननीय विकल जी ने कहे हैं वे मैंने कभी नहीं कहे और वे इसको साबित करें।

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन--

इन्होंने यह शब्द कहे हैं, मैंने इस पर उस वक्त यह कहा था कि अध्यक्ष महोदय के खिलाफ भी हम ला रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने जो अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका घोर विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। प्रजातंत्र की रक्षा करने वाला इस प्रदेश में यदि कोई व्यक्ति है तो वह माननीय मदनमोहन वर्मा हैं। इन ५ वर्षों में जितनी पेशन्स और टालरेन्स का परिचय माननीय मदन मोहन वर्मा जी ने दिया है उतने पेशन्स और टालरेन्स का परिचय आज तक यहां कोई नहीं दे पाया है। माननीय टंडन जी और खेर साहब के जमाने में न तो इस तरह के बाजार लूटने के कार्यक्रम बनते थे, न हड़तालों के कार्यक्रम बनते थे। माननीय उग्रसेन गोरखपुर, देवरिया में जाकर बाजारों को लूटने का एलान करते थे और दूसरी तरफ इसी सदन के जरिये से उत्तर प्रदेश और हिन्दुस्तान में उस झूठ-लूट का प्रचार करते थे वह माननीय मदन मोहन वर्मा ने नहीं करने दिया। बाहर घेरे डाले, हर तरह से विधान सभा के अन्दर आना रोका गया, विधान सभा के अन्दर कुर्सियों पर खड़ा होना, सब कुछ हुआ। उग्रसेन, माननीय लखीसिंह भी माननीय कुर्सी पर जा बैठे। मैं माननीय मदन मोहन वर्मा के पेशेन्स और टालरेन्स की प्रशंसा करता हूं कि इतने अप्रजातान्त्रिक लोगों के सामने उन्होंने अदम्य धैर्य और साहस का परिचय दिया है। इससे माननीय विकल जी को तकलीफ हो सकती है। उसका कारण वे बेहतर जानते हैं। सभी माननीय सदस्य विकल जी की राय से असहमत हैं अगर इस वक्त वोटिंग हो तो विकल जी का अकेला वोट रह सकता है। डा० लोहिया का जहां तक ताल्लुक है वह तो बड़ी साफ बात है। माननीय रामसुन्दर पांडेय के आका माननीय उग्रसेन के नेता हैं। इनका एक जुमला है जो मैं आप को पढ़ कर सुना देना चाहता हूं। जब अध्यक्ष, पंजाब कौंसिल ने पूछा डा० लोहिया से कि आप के ख्याल में जम्हूरी ढांचा रहना चाहिये या नहीं तो लोहिया साहब क्या फरमाते हैं कि इसके बारे में आप मेरे से न पूछिये। ये हैं वो उग्रसेन जी के आका और रामसुन्दर जी के नेता जिनसे आप को सद्बुद्धि प्राप्त हुई है और इस सदन में भी सद्बुद्धि प्राप्त होने के नाते आपने इन पांच वर्षों में कोई उपद्रव करने में कोई कसर बाकी नहीं रक्खी है। कहते हैं कि इसके बारे में आप मुझ से न पूछिये। क्योंकि मेरी इस बात से विश्वास खत्म होता जाता है कि क्या हम अहिंसा के तरीके अपना कर इस गन्दे समाज को खत्म कर सकेंगे या नहीं। यह है तालीम आपके नेता और आका की और इस तालीम की बदौलत जो-जो इस प्रदेश में होता है मैं तो कहता हूं कि अगर माननीय मदन मोहन वर्मा इस कुर्सी के ऊपर विराजमान न होते और मेरा जैसा कोई खतरनाक आदमी विराजमान होता तो माननीय उग्रसेन जी सड़क नापते होते।

(तालियां)

(व्यवधान)

दूसरा और कोई व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जितने सोबर मेम्बरान विधान सभा के हैं वे चुपचाप बैठे हैं। वे तो बोलना भी नहीं चाहते तमाम उत्तेजनाओं के बावजूद। माननीय भगवान सहाय और रामसुन्दर और कुछ मेम्बर्स बोले लेकिन जो सदस्य समझदार हैं वे खामोश हैं। एक माननीय दीप नारायण सिंह, डा० लोहिया के एक नये फालोअर निकल

पड़े हैं। तहसील वाली वकालत करते हैं। बहुत शोर सुनते थे हाथी की दुम का, दुम उठाई तो बालिश्त भर, जो पास आके देखा तो रस्सी का टुकड़ा निकला। इस सदन के अन्दर उस इन्सान के मुकाबिले में, जिस इन्सान ने इन पांच वर्षों में इस सदन की गरिमा और महिमा को उंचा उठाया, मैंने दूसरा कोई शख्स नहीं देखा है। इसी सदन में केशव सिंह पेश हुए और उनका मुकदमा इन्टरनेशनल मुकदमा बना। काफी अरसा वे सोशलिस्ट पार्टी में रहे और बाद में वे भी कोहिनी से नमस्कार करके चलते बनें। यह आप के कारनामें हैं जिनकी बिना पर आज आप यह अविश्वास का प्रस्ताव लाये हैं। माननीय राम सुन्दर जी की अक्ल तो इस समय चुनावों में फंसी हुई है। सीट उनकी बदल गयी है। उनकी लड़ाई इन्द्रासन सिंह से होगी या किस से होगी, उनकी अक्ल हैरान है और अब वे अखबार के हैडिंग पकड़ने में लगे हैं। उनको डर है कहीं जनता "राम नाम सत्य" न कर दे।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)--

श्रीमन्, मैं क्लोजर मूव करता हूं।

श्री उग्रसेन--

मैं उसका विरोध करता हूं।

*श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझसे पहले वक्ताओं ने कानून की बहुत सी बातें कहीं। मैं कानून जानता नहीं। मुझसे पहले पुराने माननीय सदस्य झारखंडेराय जी और बी० बी० शरण जी बो ने उन्होंने बहुत सी कानून की बातें बतलाईं। मैं तो अभी सन् १९६२ में इस विधान सभा में चुन कर आया हूं। मैंने माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था इस सदन में ऐसी देखी कि उन्होंने इस सदन को पुलिस लाइन बना दिया। मुझसे पहले माननीय सदस्यों ने माननीय टंडन जी और खेर साहब की बातें बतायीं। भला उनकी क्या बराबरी ये कर सकते हैं जो सदा से अंग्रेजों के खुशामदी रहे। उन लोगों ने कुरबानी की थी। वे कांग्रेसी थे। उन्होंने देशभक्ति की थी। उन्होंने काली रातों में गोरी हुकूमत का मुकाबला किया था। व समझते थे कि यह सब चीजें अंग्रेजों की चलाई हुई हैं। लेकिन ये क्या जानें उन बातों को। हमारे ब्रज में एक कहावत है --"पूआ न पापड़ी गदाम बहू आ पड़ी"। ये तो माननीय गुप्ता जी के गुट की देन है। कांग्रेस में भी बहुत से योग्य लोग थे, अध्यक्ष बनने के लिये। यदि हमसे पूछा जाता विरोधी दलवालों से तो अवश्य ही कोई अच्छा आदमी उधर का अध्यक्ष बनाया जाता, लेकिन होता यह है कि गुप्ता गुट, त्रिपाठी गुट और तीसरा सुचेता गुट। यह सरकार अब भी गुटबन्दी में लगी हुई है और अध्यक्ष भी उस में फंस जाता है और नतीजा यह होता है कि सारे सूबे की जनता के प्रतिनिधियों पर और जनता पर हमला होता है और नौकरशाही दफ्तरों में शतरंज खेलती है और यह गुटबन्दी में टिकट की खन्दक में पड़े हैं। यह जो हल्ला मचा रहे हैं यही टिकट के चक्कर में पड़े हैं, हाय टिकट, हाय टिकट, हाय टिकट, हाय टिकट। यह टिकट का शिकार खेल रहे हैं।

हमें विश्वास था कि हमारे अध्यक्ष आर्यसमाजी हैं लेकिन वह रोजाना लगभग दस बार वहां बैठ कर "प्लीज" करते हैं, कौन सी चिड़या का नाम होता है यह "प्लीज" हम तो समझते नहीं क्या है यह "प्लीज"। मैं कैसे समझ लूं कि यह आर्य समाजी हैं। , वह तो कार्य समाजी भी नहीं हैं। आर्य समाजी जो ऋषि दया नन्द जी का शिष्य है वह तो राष्ट्रभाषा की कद्र करेगा, वह "प्लीज" नहीं बोल सकता।

(व्यवधान)

क्या हल्ला मचाते हो, बड़े हल्ला मचाने वाले आये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लखीसिंह—]

एक बात यह कही गई कि अध्यक्ष की अगर व्यवस्था गलत हो तो वह सुधार सकते हैं लेकिन केवल जब कि अध्यक्ष योग्य हो। लेकिन अगर अध्यक्ष अयोग्य हो तो वह क्या करता है वह व्यवस्था को सुधार नहीं सकता बल्कि जो गुप्ता जी कहें या जो मुख्य मन्त्री जी कहें या जो बनारसी दास जी कहें उसी हठधर्मी पर अयोग्य अध्यक्ष बना रहता है। यही अयोग्य अध्यक्ष का प्रमाण है। इस लिये माननीय राम सुन्दर जी पांडेय ने जो अविश्वास का प्रस्ताव रखा है माननीय अध्यक्ष को केवल अब २ मास रह गये हैं, इस विधान सभा के उन को एक मिनट भी हक नहीं है इस कुर्सी पर रहने को, उन को हटा दिया जाय।

*सहकारिता मन्त्री (श्री बनारसी दास)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सेशन के अन्तिम सत्र में यदि माननीय संयुक्त सोशलिस्ट दल के नेता की ओर से यह प्रस्ताव आज पेश न होता तो उनकी नीति, उनके कार्यक्रम और उनके सिद्धान्तों के बारे में और उन के स्वरूप के बारे में जनता के अन्दर भारी भ्रम पैदा होता। इस प्रकार का प्रस्ताव उन की नीति, उन के कार्यक्रम, उनके सोचने की प्रणाली के अनुकल है परन्तु वह देश की सारी मान्य परम्पराओं के प्रतिकूल है और मैं समझता हूं कि इस सदन में सब से ज्यादा कोई दुखी व्यक्ति हो सकता है तो वह माननीय विरोधी दल के नेता माननीय त्रिपाठी जी हो सकते ह क्योंकि वह मन ही मन अपने को लज्जित सोच रहे हैं कि किस संगति के अन्दर वे अपने को पाते हैं कि एक तरफ माननीय रामसुन्दर पांडेय हैं और दूसरी ओर माननीय उग्रसेन जी हैं। आज प्रश्न यह पैदा होता है कि इसका औचित्य क्या है। इस अंतिम सत्र के अन्दर यह प्रस्ताव क्यों लाया गया है? क्या १९६२, १९६३, १९६४, १९६५ और १९६६ के पूरे कार्यों के लिए या अध्यक्ष महोदय के अविवेकपूर्ण रवैये के विषय पर यह अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है? श्रीमन्, यहां पर उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पेश हुआ। माननीय अध्यक्ष १० अगस्त, १९६६, को फैजाबाद गये। यहां पर कहा गया कि माननीय अध्यक्ष इसलिये चले गये ताकि अधिवेशन जल्द समाप्त कर दिया जाय। ११ तारीख को यह अविश्वास का प्रस्ताव आया और १२ अगस्त को विधान सभा का सत्र स्थगित किया गया। जहां तक मुझे विदित है माननीय अध्यक्ष किसी विशेष कार्य से फैजाबाद गये पर मुझे इस बात का बड़ा दुःख है कि केवल अविश्वास के प्रस्ताव का नोटिस देकर इस सदन की कार्यवाही को रोका जाय। यदि यह प्रस्ताव पेश किया जाय तो अभी तक की जो मान्यतायें हैं, यह उनके विरुद्ध है। क्या कभी सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध ट्रान्सफर की दरख्वास्त दी जाती है या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के विरुद्ध ट्रान्सफर की दरख्वास्त दी जाती है। अविश्वास का प्रस्ताव विरोधी दल द्वारा तमाम लोगों की कन्सेन्सस औफ ओपिनियन लेकर बहुमत की राय से ही लाया जा सकता है जब कि विरोधी दल के लोग भली भांति जानते हैं कि बिना सरकारी पक्ष के लोगों की सहमति के अध्यक्ष को उनके पद से नहीं उतारा जा सकता है। तो जैसा कि माननीय जे० पी० मिश्र ने कहा है और मैं भी कहता हूं कि यह हमारे अध्यक्ष की उदारता है उनके हृदर के अन्दर कटुता नहीं है उनके हृदय में बदला लेने की भावना नहीं है।

जहां तक अधिक भाषण करने की बात है मैं तो यह कहता हूं कि यदि सबसे ज्यादा भाषण का उपयोग अगर करते हैं तो माननीय उग्रसेन जी हैं। इस सम्बन्ध में मैं विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम २८६ को पढ़ कर सुनाये देता हूं जो कि उनके लिए मृत प्रायः है। इसमें लिखा गया है कि "किसी सदस्य के भाषण करते समय उसमें अव्यवस्थित बात या शोर या किसी अन्य अव्यवस्थित रीति से बाधा नहीं डालेगा।" श्रीमन्, आज हमारा देश, हमारी जनता और हमारे दर्शक लोग इस बात के साक्षी हैं कि किस प्रकार से यहां पर रनिंग कमेंट्री होती है और किस प्रकार से माननीय उग्रसेन जी अपने धैर्य, अपने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

साहस, अपनी सहिष्णुता का परिचय अपने भाषणों में देते हैं। इससे प्रतीत होता है है कि उनके हृदय में संसदीय प्रणाली के प्रति कितना आदर है।

श्री उग्रसेन--

तब बनारसी दास जी नहीं थे, लाल बहादुर शास्त्री थे।

श्री बनारसी दास--

मैं १९४६ में था। मुझे अब किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं है। मैं आपकी आज्ञा से बोल रहा हूं। यह प्रक्रिया नियमावली जो इस सदन के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा की घोषणा करती है माननीय उग्रसेन जी आज स्वयं उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। आखिर ११ अगस्त को एक साथ यह प्रेरणा कैसे हुई? यहां पर अधिवेशन हुआ, माननीय उपाध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव पेश किया गया। क्या १० अगस्त तक ऐसा आचरण था उनका जिससे माननीय सदस्य क्षुब्ध हो गये थे? यदि ऐसी बात थी तो १० अगस्त से पहले ही उन्होंने अपना प्रस्ताव क्यों नहीं पेश किया? इसका अर्थ यह है कि १० अगस्त से पहले विरोधी दल के किसी माननीय सदस्य को अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध शिकायत नहीं थी। लेकिन चूंकि वह फैजाबाद चले गये, उस वक्त कुछ आन्दोलन चल रहा था, चाहते थे कि प्रेस में पब्लिसिटी मिले, थोड़ा गैलरीज को सम्बोधित करने का मौका मिले, चाहते थे सेशन कुछ और चले। उस वक्त कुछ लोग चाहते थे कि सदन स्थगित हो। हमने कहा कि सदन किसी ध्येय से स्थगित नहीं हो सकता। सदन का घेरा डाला गया। सम्मानित महिलाओं की साड़ियां फाड़ी ज.य, आज वे लोग यहां अविश्वास का प्रस्ताव पेश करने का--अगर आप इजाजत दें तो मैं यह कहूं कि दुस्साहस करते हैं।

श्री उग्रसेन--

आप तो गोली चला कर यहां बैठे हैं।

श्री बनारसी दास--

गोली चलाने का जहां तक सवाल है, कभी-कभी ऐंटी बायोटिक की जरूरत भी होती है। जिस तरह से बछड़े को दुःखी देख कर गांधी जी ने उसे दुःख से छुटकारा दिलाने के लिये गोली चलवाई तो जाहिर है कि समाज के हित के लिये अगर आवश्यकता हो तो गोली भी चलायी जा सकती है। कम से कम आज तो उनके दिमाग के अन्दर जब वे अविश्वास का प्रस्ताव पेश कर रहे हैं इसका गाम्भीर्य उनके सामने होना चाहिये। दस तारीख का जो प्रस्ताव है वह अविवेकपूर्ण है। यह अध्यक्ष महोदय की किसी भूल के विरोध में नहीं है। केवल अधिकार का दुरुपयोग करके, असेम्बली को बलाने के लिये यह दिया गया है। अध्यक्ष चाहते थे कि १२ तारीख को इन नियमों का निलम्बन कर के इसे उसी दिन से लिया जाय लेकिन नियमों के अनुसार १४ दिन से पहले प्रस्ताव यहां पर नहीं आ सकता था। इसलिये असेम्बली स्थगित हुई। माननीय सदस्य चाहते थे कि १४ दिन तक जबकि यहां पर एक आन्दोलन चल रहा था तो एक पब्लिसिटी का मौका मिले। तो यह जो प्रस्ताव है इसके पीछे नेकनीयती नहीं है।

हमारी प्रक्रिया नियमावली में सदस्यों द्वारा जो बोलने के नियम है उनमें दिया हुआ है कि "अध्यक्ष पीठ और ऐसे सदस्य के बीच से जो भाषण दे रहा हो, नहीं गुजरेगा, और जब अध्यक्ष सदन को सम्बोधित कर रहे हों तो न सदन के बाहर जायगा और न एक ओर से दूसरी ओर जायगा।" (एक आवाज, आप भी तो जाते है) तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं भी जाता हूं तो मैं भूल करता हूं। इसका मतलब यह है कि आप नियमों को नहीं मानते हैं। कितने ऐसे सदस्य हैं जो कि माननीय अध्वक्ष, माननीय अधिष्ठाता, या जब माननीय उपाध्यक्ष बोलते है तो उसका आदर करते हैं, संसदीय प्रणाली की रक्षा के लिये। वे लोग अपनी आवाज बुलन्द करते हैं। जनतंत्र के नाम पर इस सदन को रेन्सम के लिये होल्ड किया जा सकता है। टंडन जी के बारे में यहां पर कहा गया लेकिन मैं कहता हूं कि जैसी देवी होती हैं,

[श्री बनारसी दास]

वैसे ही पुजारी भी होते हैं। जहां पर माननीय उग्रसेन जी जैसे सदस्य हों, जहां पर संसोपा जैसी पार्टी के माननीय सदस्य हों, वहां पर इस परम्परा को टंडन जी जैसे इस सदन का अपमान समझेंगे। इसके पीछे औचित्य नहीं है, इसके पीछे अध्यक्ष महोदय की भर्त्सना का कोई कारण नहीं है, इसके पीछे नियमावली के नियमों का दुरुपयोग है, केवल सदन को कुछ दिन के लिये बुलाने को है। हम तैयार थे। मैं माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी को बधाई दूंगा। एक दिन के सेशन के लिये उनको जनता के सामने नग्न शक्ल में खड़ा किया जाय, उनको जनता के सामने एक्सपोज किया जाय। विरोधी दल के नेता ने प्रार्थना की कि सैशन न बुलाया जाय क्योंकि उन्होंने देखा कि वे स्वयं अपनी भूल के शिकार बन गये। हम तो चाहते थे कि उनके प्रस्ताव को फेस करने के लिये एक दिन के लिये सेशन बुलाया जाय ताकि जनता देखे कि जनता के सेवक, जनता के पोषक, समाजवाद के पोषकों को देखें कि किस तरह से वे ५ लाख रुपये से खिलवाड़ करके इसको क्रीड़ास्थल बनाना चाहते हैं। लेकिन उनके अन्दर सद्भावना आई। मेरे लिये कोई यह हर्ष का विषय नहीं है। माननीय विकल जी रामायण राय जी से तुलना करते हैं। एक नवयुवक जिसने चार साल जेल में बिताये हों और कहां विकल जी जिनका जीवन प्राइमरी अध्यापक से शुरू होता है। जिस तरह से पब्लिक सरविस कमीशन के चेयरमैन माननीय झा साहब थे, वे कहते थे कि लड़के को प्रथम होना चाहिये। चाहे वह पढ़ने लिखने में हो, खेलने में हों या शरारत में हो वैसे ही माननीय विकल जी प्रथम पंक्ति में आना चाहते हैं। यहां बैठ नहीं सकते हैं इसलिये उन्होंने ठेका ले लिया है कि इस तरह से भ्रामक चर्चा करें। यदि उनमें कांनशस होता, यदि उनमें चरित्र होता तो उनको.....

श्री उग्रसेन—

चरित्र की बात इनको कहने से फौरन रोकिये।

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि विकल जी का स्थान उनके अनुकूल उग्रसेन जी के पास होता और वे एक अच्छी कम्पनी में होते। श्रीमन्, मैंने एक ड्रामा १९५२ में देखा, १९५७ में देखा। वह डिसटिंकशन हासिल करने का प्रयत्न करते हैं लेकिन जब चुनाव का सवाल आता है क्षमा प्रार्थना वगैरा सारी चीजें नेता के साथ होती हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की अनुशासनहीनता इस प्रकार का व्यवहार जो नैतिक कोड के खिलाफ है, उसमें ताली बजाने से आप स्वयं आत्म निन्दा कर रहे हैं, आप इस प्रकार स्वयं आत्म निन्दा कर रहे हैं। जैसा कि माननीय जे० पी० मिश्रा ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा दुर्भाग्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमें लज्जा आती है। हमारे देश में डाक्टर लोहिया जैसे आदमी हैं जो कहते हैं कि यह अन्तिम चुनाव होगा।

श्री उग्रसेन—

बनारसीदास जी लोहिया जी से भी महान हैं। (व्यवधान)

श्री बनारसीदास—

लोहिया जी महान हो सकते हैं लेकिन इस स्वतंत्रता संग्राम में मैं उनसे दस साल सीनियर हूं।

श्री उग्रसेन—

गांधी जी ने उनके बारे में क्या लिखा है उसको पढ़िये।

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, मैं समझता था कि भाई परमानन्द जी जिनको देवता स्वरूप कहा जाता था, यदि भाई परमानन्द जी मर जाते तो मैं जन्म पर्यन्त उनका भक्त रहता। लेकिन १९२९ में लाहौर में कांग्रेस हो रही थी और पब्लिक सेफ्टी ऐक्ट पास हो रहा था तो वह भाई परमानन्द

अंग्रेज के साथी बन गये और देवता स्वरूप से राक्षस स्वरूप बन गये। डाक्टर लोहिया से मैं दस साल पहले जेल गया हूं और दस साल उनसे सीनियर हूं। लोहिया साहब जब आये तब पहली मिनिस्ट्री बनी थी। लोहिया साहब भी भाई परमानन्द की तरह हो गये।

(व्यवधान)

उग्रसेन जी का जवाब देना मैं इस दल का अपमान समझता हूं। उग्रसेन जी अपना दिमाग, संतुलन खो बैठे हैं। इसलिये मेरी उनसे सहानुभूति है। उनका दिमाग उनके कब्जे के अन्दर नहीं है। निराशा ने, असंतुलन ने उस पर कब्जा कर रखा है। तो जो अविश्वास का प्रस्ताव है उसका कोई औचित्य नहीं है। उसमें कोई भी तथ्य नहीं है, कोई तर्क नहीं है। यह केवल द्वेषपूर्ण है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

(श्री रामसुन्दर पांडेय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री गया प्रसाद (जिला वाराणसी)—

केवल पांच मिनट का समय मुझे दे दीजिये।

श्री उग्रसेन—

बहस बारह बजे रात तक होगी। आप कैसे रोकेंगे?

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री गया प्रसाद से) अच्छा आप, पांच मिनट बोल लें।

*श्री गया प्रसाद—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं, प्रारम्भ से दोनों पक्षों की बात सुनता रहा। बड़ा सफल अभिनय था जो उधर के लोगों ने अध्यक्ष की मर्यादा के पक्ष में भाषण दिये और इधर के लोगों ने विपक्ष में किये। इस ड्रामे का जो भी नतीजा हो लेकिन वास्तविक बात सब के सामने है और सब लोग इसको महसूस करते हैं कि वर्तमान अध्यक्ष, जिस मर्यादा का पालन उस कुर्सी से करना चाहिये, उसको नहीं कर पा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है। अपोजीशन में सबसे बड़ी पार्टी जनसंघ की है। जनसंघ का कोई भी सदस्य इस समय बैठा नहीं है।

श्री गया प्रसाद—

उपाध्यक्ष महोदय, यह बैजनाथ सिंह जी को मालूम है कि किस अनुशासन और किस डिसिप्लिन का मैं आदमी हूं। मैंने किसी सदस्य के भाषण के दरम्यान कभी कोई आवाज नहीं की, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं जिस तरीके से बिहेव करता हूं, सदन में आप लोग उसके हामी नहीं हैं। इस दशा में मैं कहूंगा कि बनारसीदास जी ने जो वकालत की है उससे मुझे यही आभास हुआ कि किसी व्यक्ति के किसी पद पर रहने से ही उसमें काबलियत आ जाती है। आज आचार्य कृपालानी इस प्रदेश के इस देश के महान नेता हैं। आज वह विरोधी दल की तरफ से कोई बात कहते हैं तो उस बात को आप यह कहकर उड़ा सकते हैं कि यह अज्ञानी है और यह लायक नहीं है तथा उनके मुकाबले श्रीमती सुचेता कृपालानी चूंकि कुर्सी पर बैठी हैं तो सारी काबलियत उनमें आ गयी। इस मनोवृत्ति से, इस तरह की भावना से काम नहीं चलेगा। हर बात की गहराई में जाकर उसकी अच्छाई और बुराई का विश्लेषण करने से, उसको अच्छी तरह से तौलने से ही काम चलेगा। अध्यक्ष महोदय के माध्यम से जब भ्रष्टाचार के मामले को मैंने उठाया तो उन्होंने कहा था कि गया प्रसाद जी, तुम लिख कर दे दो इसको, मैं इसे सरकार के पास भेज दूंगा और अपने तरफ से जांच कराऊंगा। किन्तु मुझे अत्यन्त खेद है कि उस मामले का क्या हुआ?

---

*देवता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गयाप्रसाद]

यह बार-बार पूछने पर भी अध्यक्ष महोदय ने आज तक उसका मुझको कोई उत्तर नहीं दिया। उनमें इतना दम नहीं है, साहस नहीं है कि वह सरकार से पूछ सकें कि उस मामले में जानकारी करने के बाद क्या नतीजा निकला। अध्यक्ष महोदय में इतनी हिम्मत नहीं है।

दूसरा मसला मैं आपके सामने दूं। मैंने अध्यक्ष से कहा कि आपने एक विजिलेंस कमीशन बनाया है। कृपा करके उसकी जो वर्ष ६५-६६ की रिपोर्ट है उसको सदन की मेज पर रखवा दें। मैंने इस चीज को इस आशय से कहा था कि उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को यह बताना चाहिये कि कितने मामले उत्तर प्रदेश की सरकार ने विजिलेंस कमीशन के पास जांच के हेतु भेजे और उसकी रिपोर्ट के बाद किन-किन मामलों पर कार्यवाही हुई और किन पर कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों नहीं की गयी। पिछले सत्र में मुझे ५ मिनट का अवसर बोलने के लिये मिला था, मैंने अपने भाषण के दौरान में विजीलेंस कमीशन के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि मैंने जिन-जिन मामलों को रेफरेंस के तौर पर रखा था उनके एक साल बाद विजीलेंस की रिपोर्ट आई और वह होम सेक्रेटरी जो कमीशन के अध्यक्ष थे उनकी अलमारी में बन्द होकर रह गयी, सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। उसमें एस० पी० रावत का मामला भी था, जो डी० वाई० एस० पी० हैं और मिनिस्टर साहब के सम्बन्धी हैं और जब उनके मामले को कहा तो उसको देखा गया। दो दिन पहले मैंने कहा था जो मलिक के खिलाफ मामला था उसने उसको दबाया था उसके जबाव में उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, मेरी बात के कहने पर उस पर कुछ कार्यवाही हुई। मैं जानना चाहता हूं कि विजीलेंस कमीशन की तरफ से जो एडवर्स रिपोर्ट सरकार के विभागों, अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ आई है, उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट सदन में लाई जाये और उस पर सदन में बहस हो ताकि प्रदेश की जनता को यह मालूम हो कि भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध यह सरकार कितनी कठोर कार्यवाही कर सकती है? लेकिन अध्यक्ष महोदय ने उस रिपोर्ट पर बहस नहीं कराई, बहस नहीं होने दी। सारी रिपोर्टों पर बहस कराते हैं, लेकिन जो एक अत्यन्त महत्वपूर्ण काम था, एक महत्व की रिपोर्ट थी, उस पर उन्होंने बहस नहीं कराई। और उनके फैसलों में पक्षपात के बारे में कार्यस्थगन प्रस्तावों के बारे में, निष्कासन और निलम्बन के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। उन सारी बातों से एक नतीजा निकलता है कि अध्यक्ष केवल सरकार के इशारे पर काम करते हैं और कभी-कभी तो मुख्य मंत्री के इशारे पर, चन्द्रभानु गुप्त के या उनके किसी स्टालवर्ट के कहने से काम करते हैं। और जब वह इस तरह से किसी के इशारे से काम करते हैं तो हमारे साथ निर्णय पक्षपात रहित हो ही नहीं सकता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रस्ताव के पक्ष में ७ और विपक्ष में ६ माननीय सदस्यों ने भाषण दिये। इससे यह प्रमाणित हो गया कि पक्ष में बोलने वाले ज्यादा और विपक्ष में बोलने वाले कम, इसलिये सरकार को हमारे प्रस्ताव को कबूल करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये और उन्हें हटा देना चाहिये। विपक्ष में बोलने वाले थे माननीय बी० बी० शरण, नवल किशोर जी, जगदीश प्रसाद जी, रामायण राय जी, जे० पी० मिश्र और बनारसी दास जी। रामचन्द्र विकल जी को मैंने अपने समर्थन में पाया यद्यपि वे कांग्रेस पार्टी में हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी व्यक्ति विपक्ष में बोले हैं उनमें से नवलकिशोर जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कुछ मेरे तर्कों का उत्तर दिया, बाकी लोग केवल बागाडम्बर में फंसे रहे। कोई तो डाक्टर लोहिया तक चला जाता है। बात हो रही है मदन मोहन वर्मा की और बनारसीदास चले गये डाक्टर लोहिया पर। मुझे तकलीफ हुई। हम तो छोटे आदमी हैं उनके मुकाबले में लेकिन डाक्टर लोहिया के बारे में गांधी जी ने क्या कहा था—सन ४२ में डाक्टर लोहिया नहीं छोड़े गये थे। उन्होंने कहा था कि आज भी हिन्दुस्तान की आत्मा जब है।

अब आप गांधी की जो बात न मानें वह तो अलग बात है। आज अगर डाक्टर लोहिया भी आपकी हां में हां मिलाते तो बड़े अच्छे नेता होते। अशोक मेहता जी आप में चले गये, जब तक हम में थे बड़े खराब, आपके पास पहुंचे गये, बड़े अच्छे नेता। तो यह मापदंड आपका किसी तरह से उचित नहीं है। आचार्य कृपालानी जो १४ साल तक जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस के रहे, तब तक थे महान कांग्रेसी नेता, राष्ट्रीय नेता रहे और आज विरोधी पक्ष में बैठे हैं तो खराब। आखिरकार आचरणों की कोई सीमा होनी चाहिये। यह आचरण आपका आतंकवादी है। यह आचरण अयूब का हो सकता है, जवाहरलाल, टंडन और गांधी जिसकी आप बात करते हैं उनका नहीं हो सकता। टंडन जी का नाम लेते हो, जवाहरलाल जी का नाम लेकर वोट प्राप्त करते हो उनके आदर्श पर चलने की प्रतीज्ञा करते हैं। फिर जब सदन में आकर बैठते हैं तो उन आत्माओं का उल्लंघन करते हैं। संकोच आना चाहिये। गांधी जी अकेले थे। उन्होंने कहा कि हम बंगाल में जायंगे, कलकत्ता जायंगे और मर जायंगे। मैं बनारसीदास जी से पूछना चाहता हूं कि आप क्या करते हैं? आप इलाहाबाद गये? एक बार इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया। आप बांदा गये। इस सदन में आपकी पार्टी के लोगों ने, आपके दल के सदस्यों ने कहा कि बांदा जिले के एस० पी० को हटाइये। अगर बांदा जिले के एस० पी० को हटाया नहीं जाता है तो हम इस्तीफा दे देंगे। मैं बनारसी दास जी से कहना चाहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश का इतिहास बताइये कि कहीं पर ऐसा हुआ है तीन महीने तक बांदा के सारे वकील कलेक्टरेट और कचहरी में नहीं गये। कचहरी और कलेक्टरी बन्द रही। उनकी एक मांग थी कि एस० पी० दीक्षित को हटाइये। आपकी पार्टी की मांग थी जिसको आपने नहीं माना। अब आप चाहते हैं कि लोकतंत्र के आप मानने वाले हैं। आप कहते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी के लोग जनतन्त्र की हत्या करते हैं। लोकतन्त्र की रक्षा करना तो आपकी जिम्मेदारी है। आप बहुमत में हैं तो यह बहुमत की जिम्मेदारी हुआ करती है कि वह उसकी रक्षा करें। कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र को बचाया जाय। बांदा की १० लाख जनता ने बांदा के एस० पी० को हटाने के लिये कहा, आपकी पार्टी के लोगों ने कहा मगर आपने नहीं टहाया तो फिर आप जनतन्त्र की बात करते हैं हम उसकी रक्षा नहीं करना चाहते हैं। लोकतंत्र के अनुरूप आचरण आप नहीं करते हैं खुद, और दूसरी से आशा करते हैं कि हम उसकी रक्षा करें।

श्री बनारसीदास जी ने नियमावली को पढ़कर सुनाया। मालूम ऐसा होता था कि नियमावली जानने वालों की तादाद इधर कम है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि नियमावली की जानकारी हम लोगों को उनसे ज्यादा है और आचरण भी ज्यादा करते हैं। आप उग्रसेन जी की क्यों नकल करते हैं। आप सुचेता जी की नकल क्यों नहीं करते हैं। जब कोई भी यहां पर बोलता है तो वह बोलती नहीं है। अपने नेता की नकल क्यों नहीं करते हैं? आप विरोधी दल की नकल करते हैं और विरोधी दल के लोगों की जीभ निकाल लेने की बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति विशेष बोलेगा तो उसकी जीभ काट लेने की आप बात करते हैं और इस भाषा में उत्तर देते हैं। जम्हूरियत में विश्वास रखने वाले मन्त्री यदि इस प्रकार की भाषा में, उत्तर देते हैं कि जीभ काट लेंगे तो क्या इस प्रकार के उत्तर से लोकतंत्र की रक्षा होगी। इसलिये मैं बतलाना चाहता हूं कि इस तरह की भाषा और इस तरह की बोली बोलने का गम्भीर परिणाम इस प्रदेश में हो रहा है। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि लोकतंत्र को समर्थक अधिकारियों के होते हुये भी आपके प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या होती जा रही है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि बनारसी दास जी जैसे जो मंत्री हैं उनकी जबान पर ताला लगाइये और उनसे कहिये कि आपका आचरण सीखें।

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि बनारसी दास जी संसदीय मन्त्री तो हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं लेकिन ऐसा लगता है कि वह इस असेम्बली के कामों को जानते हैं लेकिन एक और बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि अपनी पार्टी को चलाने में ही सारा वक्त निकल जाता है। उससे वक्त बचे तब तो असेम्बली के काम को जानें। अभी रामचन्द्र विकल ने क्या कहा, उसको सुना नहीं है। उन्होंने कहा है कि माननीय अध्यक्ष के खिलाफ इस प्रस्ताव के पहले दो बार और प्रस्ताव आ चुके हैं। प्रोसीडिंग्स को कभी खोला नहीं। यह तीसरी बार प्रस्ताव आया है। ५ वर्ष के जमाने में किसी भी अध्यक्ष के खिलाफ तीन बार प्रस्ताव आये और आप कहते

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

हैं कि एक ही दिन में क्यों आया ? यह क्या बात है ? माननीय खेर साहब ५ वर्ष रहे, हम सब लोग विरोधी थे सन ५२ से लेकिन हमारे मन में एक बार भी इच्छा नहीं हुई है कि खेर साहब के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लायें। उनके खिलाफ तो ११४ कांग्रेस दल के सदस्यों का प्रार्थना पत्र आया। ११४ प्रतिनिधियों ने आपकी मरजी के खिलाफ, आपके हित के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के नेता कामराज के पास जाकर लिखित प्रस्ताव दिया कि इस अध्यक्ष को हटाइये। यह क्या बात है ? १५६ सदस्य विरोधी बेंचों में बैठते हैं और ११४ कांग्रेसी, सब की मांग हो तो वह ११४ की बात नहीं, १५६ की बात नहीं, वह बनारसीदास की बात है। बनारसीदास की गुटबाजी को चलाने वाला अगर इस अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान है तो अच्छा और जो चलाने वाला नहीं है तो रह नहीं सकता। (लालबत्ती होने पर)

उपाध्यक्ष जी, प्रस्ताव पर कोई समय नहीं नियत किया गया है, समय नहीं बांटा गया है। स्वयं अध्यक्ष जी ने हमारे सवाल के उत्तर में स्पष्ट बतलाया था। इस लालबत्ती को बुझाइये हमको मौका दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रस्ताव के लिये समय निर्धारित नहीं है लेकिन भाषण के लिये तो नियम लागू होते हैं। नियम में ज्यादा समय नहीं मिल सकता। २–४ मिनट बोल लीजिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का प्रस्ताव १० अगस्त को आया और बनारसीदास जी कहते हैं कि कोई नहीं आया। बनारसीदास जी के दिमाग में सरकार के काम के अलावा और कोई काम है ही नहीं। उनको मालूम होना चाहिये कि इस सदन का भी कुछ काम होता है सरकार के काम के अतिरिक्त। आप जरा देखिये, सन ५८ के बाद इस सदन में ४ बार नियम समिति बनी। नियम समिति पर हजारों रुपये खर्च हुये हैं उसकी रिपोर्ट सदन में है। आप क्या बात करते हो सदन के अधिकारों को बढ़ाने वाली सदन के सदस्यों की.....

श्री बनारसीदास—

व्यवस्था का प्रश्न है। जवाबी जो तकरीर होती है वह एक उत्तर होता है.....

श्री रामसुन्दर पांडेय—

जरा आप सुनिये। अव्यवस्था आपने की। आप अपने उत्तर में संयम करते तो यह नौबत न आती। जरा सुनने की कोशिश कीजिये। उपाध्यक्ष जी, बनारसी दास जी और नवलकिशोर जी तो डा० लोहिया और संसोपा तक चले गये हैं तो हम तो विधान सभा की ही बात करते हैं कि आप यहां क्या कर रहे हैं और जो आपके इशारे से अध्यक्ष कर रहे हैं उसी को हम कहते हैं..... (व्यवधान)

श्री बनारसीदास—

प्वाइंट आफ आर्डर में पेश कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

रिप्लाई का जो कायदा है उसको आपको मानना चाहिये और जो बातें इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कही गयी हैं उनका उत्तर दीजिये।

श्री बनारसीदास—

प्वाइंट आफ आर्डर, यह सब असंगत है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपके रिप्लाई में कितना टाइम हो सकता है ?

श्री राम सुन्दर पांडेय—

आप अध्यक्ष के वक्तव्य को पढ़ें। मैंने सवाल किया कि क्या टाइम है तो उन्होंने कहा कि कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

सारे डिस्कशन का कोई समय नहीं है, बोलने के लिये समय है।

(व्यवधान)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि यह गड़े मुर्दों को न उखाड़ें।

एक बात मैं श्रीमन्, आचार संहिता के बारे में और कहना चाहता हूं। १९६१ में एक आचार संहिता बनायी गयी। कांग्रेस पार्टी ने और विरोधी पक्ष के नेताओं ने एक आचार संहिता बनायी और यह तय किया कि यदि कोई सदस्य एक पार्टी को छोड़ कर दूसरी पार्टी में आना चाहता है तो उसे पुनः उस पार्टी का चुनाव लड़ कर आना होगा, तभी वह दूसरी पार्टी में सम्मिलित हो सकेगा। मैं पूछता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया या नहीं? (व्यवधान) सोशलिस्ट पार्टी के उन लोगों को जिनको जनता का विश्वास प्राप्त नहीं रह गया था, उनको कांग्रेस पार्टी ने अपना लिया।

श्रीमन्, अध्यक्ष महोदय, बार-बार नियमों का उल्लंघन करते हैं, नियमों को तोड़ते हैं। यहां अविश्वास का प्रस्ताव लाकर जनता की आवाज को हम यहां उठाते हैं। (व्यवधान) मैं समझता हूं कि माननीय मदन मोहन वर्मा को हटाने का जो प्रस्ताव है वह उचित है। सदन उसे स्वीकार करे। आप इसके पक्ष में अगर वोट करेंगे तो आपकी साख बढ़ेगी। वैसे बहुमत आपके साथ है, संख्यासुर केवल पर आप जो चाहे कर सकते हैं, मगर जनता आपको, आपके बहुमत को चकनाचूर कर देगी।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन निश्चय करता है कि माननीय श्री मदन मोहन वर्मा, अध्यक्ष, विधान सभा को अध्यक्ष पद से हटाया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ८ बजकर ४६ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१ दिसम्बर, १९६६।

नत्थी

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६७ पर)

प्रश्न संख्या ४ अध्यक्ष कोष। (चेयरमैन फण्ड)

४—सर्व सम्मति से तय हुआ कि अध्यक्ष कोष का निर्माण किया गया तथा निम्नांकित सदस्यगण उप समिति के सदस्य मनोनीत किये गये।

१—श्री नारायन दास जी अग्रवाल—

२—श्री इश्वरी प्रसाद श्रीवास्तवा

३—श्री काशी नाथ पांडेय जी अध्यक्ष

अध्यक्ष कोष में जो भी सहायतार्थ धन प्राप्त होगा यह सब इस फंड में जमा होगा।

बनारस स्टेट बैंक शाखा सैदपुर में कोष का धन जनहित में खर्च होगा। इस कोष के अध्यक्ष श्री काशीनाथ पांडेय जी रहेंगे और चेक बुक उनके पास रहेगा और जो दान नगदी अथवा सामान के रूप में प्राप्त होगा उसकी छपी हुई रसीद श्रीमान अध्यक्ष महोदय के हस्ताक्षर से दी जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है प्रतिलिपि असल मूल के अनुसार सत्य है।

(ह०) काशी नाथ पांडेय,
अध्यक्ष,
डाउन एरिया कमेटी,
गाजीपुर।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी "ख"

[देखिये नियम ३० (४) के अन्तर्गत ता० प्र० सं० ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७८ पर]

प्रश्न संख्या ७ के उत्तर में उल्लिखित सूचना ।

भागी हुई औरतों के नाम	रहने का स्थान
१	२
१—श्रीमती राज, पत्नी दीदार सिंह, कौम हरिजन सिख ।	साकिन मौजा मगियाड़ी थाना जालंधर, पंजाब ।
२—श्रीमती जानकी, पुत्री विशाल, कौम गौड़	साकिन ओंकूं, थाना दुर्ग, जिला दुर्ग, मध्य प्रदेश ।
३—श्रीमती सुशीला देवी, पुत्री श्रीलाल मसी	साकिन अचलपुर, थाना माहरैरा, जिला, एटा ।

सत्यमेव जयते

नत्थी "ग"

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८८ पर)

सेवा में,

श्रीमान जिलाधीश महोदय, इलाहाबाद ।

निवेदन है कि आप का ध्यान इलाहाबाद तथा आस-पास के जिलों में होने वाली असामाजिक घटनाओं की ओर आकृष्ट करके, उसके जिम्मेदार व्यक्ति को सही रास्ते पर ले जाने की प्रार्थना करता हूं :

१—यह कि शिवेन्द्र भूषण उर्फ बब्बू पुत्र सूर्य नारायण पांडे, ग्राम पांडेपुर, पोस्ट छिबैया थाना सराय इनायत जिला इलाहाबाद, के रहने वाले हैं ।

२—यह कि शिवेन्द्र भूषण तथा उनके भाई दयाशंकर के नाम कुल २७ बीघा १३ बिस्वा कछार की आराजी है । जिसमें बालू पड़ जाने से कुछ भी पैदा नहीं होता तथा लेखपाल मौजा जिरात लवायन बालू रेत की आराजी भी दर्ज करता है ।

३—यह शिवेन्द्र भूषण न तो कोई नौकरी करता है न कोई व्यापार करता है और न किसी मुकदमा में ही फंसा है । फिर भी अधिकतर घर के बाहर रहता है पूछने पर लोगों से कहता है कि लखनऊ गये थे दिल्ली गये थे, मीटिंग में गये थे ।

४—यह कि खद्दर पहन कर माथे पर चन्दन लगा कर अपने को एक भूतपूर्व मिनिस्टर का प्रिय पात्र कह कर सरकारी कर्मचारियों, आफिसरों, थाना इंचार्जों आदि को प्रभावित करता है तथा सम्पर्क बनाये रहता है ।

५—यह कि इसकी स्वयं की कोई स्थिति न होने पर भी एक राइफल तथा एक पिस्तौल का लाइसेंस इसने प्राप्त कर लिया है । जिससे लोगों को डराने, धमकाने तथा रोब जमाने में इसे बड़ी सहूलियत हो गई है ।

६—यह कि शिवन्द्र भूषण का बहुत सी डकैतियों में हाथ रहा है जिले के तथा आस-पास के सभी नामी डकैतों एवं बदमाशों से इसका संबंध है, केस में फंसे हुये बदमाशों की पैरवी में यह अधिकतर कचेहरी में उपस्थित रहता है । डकैती का माल पचाता है तथा रायफल व पिस्तौल लेकर डकैतों के साथ जाता है ।

७—यह कि इन्होंने जो पिस्तौल खरीदी है वह इनके पास पहले से ही नाजायज तौर से थी । यदि उचित ढंग से जांच की जाय तो जाली रसीद बनवा कर तथा पिस्तौल के नम्बर में कुछ कर करा कर अपने लाइसेंस पर चढ़वा लिया है इसका पता चल जायगा ।

८—यह कि इनके संदिग्ध रवैये से गांव में एक भय का वातावरण एवं आतंक व्याप्त है ।

अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि अविलम्ब उपरोक्त बातों की जांच करा कर बढ़ते हुए अपराधों की रोक-थाम की जाय ।

प्रार्थी

(ह०) माधवप्रसाद तिवारी,
सा० पूरातिवारी, पो० दुबावल,
थाना सराय इनायत ।

१—श्रीमान सीनियर सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस, इलाहाबाद,

२—श्रीमान् इन्सपेक्टर जनरल पुलिस, लखनऊ,

३—श्रीमान अध्यक्ष बिजलेन्स कमीशन, यू० पी० लखनऊ,

४—श्रीमान गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

५—श्रीमान नेता बिरोधी दल श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश ।

दिनांक १२ मार्च १९६६ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये ता० प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८८ पर)

सेवा में :—

१—माननीय श्री गुलजारी लाल नन्दा जी, गृह मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

२—माननीया श्रीमती सुचेता कृपालानी, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

३—माननीय ठाकुर हरगोविन्द सिंह जी, पुलिस मंत्री, लखनऊ ।

४—श्रीमान, इन्सपेक्टर जनरल पुलिस, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

५—श्रीमान डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल पुलिस, कानपुर ।

६—श्रीमान जिलाधीश महोदय, फतेहपुर ।

७—श्रीमान अध्यक्ष सदाचार समिति (भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति), उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ ।

मान्यवर,

मैं प्रार्थी मौजा खलरियन पुरवा मजरा आमदपुर, थाना कोतवाली, फतेहपुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूं जो आपके समक्ष निम्न तथ्य प्रस्तुत करके आप से न्याय की भीख मांगता हूं मुझे पता चला है कि श्रीमान् जी बड़े ही न्यायी और गरीब परवर हैं। इस नाते लिख रहा हूं साथ ही लिखना भी आवश्यक पड़ा कि श्रीमान् जी तो दूर रहते हैं और हम गरीब काश्तकारों के ऊपर क्या बीत रही है, इस बात का भी मैं श्रीमान्, जी को इल्म कराऊं। मुझे पता चला है कि श्रीमान् जी ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये एक समिति बनाई है जिससे कि भ्रष्टाचार दूर किया जाय। अतः मैं आप के समक्ष अपनी बात रख रहा हूं जिसके तथ्य निम्न हैं।

एक मुकदमा असिस्टेन्ट सेशन जज माथुर साहब की इजलास में (फतेहपुर में) चल रहा है जो हमारे गांव की डकैती का केस २० फरवरी सन् १९६५ ई० से चल रहा है उसका मैं चश्मदीद गवाह पुलिस की तरफ से हूं। मेरे नाम उक्त जज साहब की इजलास से उनका दस्तखती सम्मन २२ फरवरी सन् १९६५ ई० को गवाही देने के लिये मुझे पुलिस के जरिये कुछ दिन पहले मिला था मगर छोटे दरोगा त्रिवेदी जिसे सुरेन्द्र कहते हैं मेरे गांव परसों रविवार को गये थे। मुझे व मेरे भाई संकठा को धमकी दे आए कि तुम ४–५ रोज तक फतेहपुर में दिखाई न देना नहीं तो तुम्हारी दुरगति जो हमने की है उससे भी अधिक तुम्हारी दुरगति हम फिर करेंगे। और किसी डकैती या कत्ल के मुकदमें में तुम्हें जेल भेजेंगे। अभी हमने असलहा में व ४५२/३२३ मामूली जुर्म में तुम्हें जेल भिजवाया है।

श्रीमान्, भेष बदल कर चुपचाप व मेरे आस पास के गांव जाकर या सदाचार समिति द्वारा या किसी अन्य ढंग से अगर नीचे लिखी हुई असलियत का पता लगायें तो शायद हम गरीब देहात के काश्तकारों के साथ सही इन्साफ कर सकेंगे और पुलिस की बढ़ी हुई रिश्वतखोरी, फर्जी चालानों और आतंक की सही हालत का पता चला सकेंगे। पुलिस के आतंक से कोई सच्ची बात न अदालत में रख सकता है और न श्रीमान् जी के ही समक्ष रखने को ही तैयार हो सकता है क्योंकि जो मुझ पर जो दूसरों पर पुलिस के कहने के मुताबिक झूठी गवाही न देने पर बीत रही है और आगे भी बीतने को उससे इस कोतवाली के इस सुरेन्द्र दरोगा के मार्फत रिश्वत लेने वाले और मनमानी जुल्म व न्याय करने वाले कोतवाली के कोतवाल महीपत सिंह जो ईमानदारी का एलान करते हैं मैं गलत कामों व गलत चालानों व जुल्मों को कोई अपनी जबान से कह भी नहीं सका। श्रीमान मुझ जैसे गरीब और अब तक किसी भी जुर्म में शक न किये गये काश्तकार नीचे लिखी बातों की खुद मौक पर जा कर या जांच करवाने की कृपा करें और मेरी दर्द भरी कहानी को सरकार तक पहुंचावें इससे मैं यह दरख्वास्त आप के समक्ष प्रस्तुत कर

रहा हूं। क्योंकि मेरी बड़ी दुर्गति की जायेगी जब कोतवली के पुलिस वाले मुझे व मेरे भाई संकठा को परेशान करने पर उतारू हैं :—

१—यह कि हमारे गांव खलरिपन पुरवा में पार साल चैत में दुर्गा अष्टमी की रात में आधी रात बाद डकैती पड़ी और हम सब गांव वाले मौके पर गये तो डाकू भाग गये थे, कोई रोशनी न थी और न कोई आग लगाई गई, बदमाशों को कामता की मां व बहिन व औरत व खुद कामता को उसके बाबा छोटू को मारा था, कोई सामान गया या नहीं यह बात कामता का इमान जाने, मगर मौके में किसी ने भी अन्धेरे के कारण किसी बदमाश को नहीं पहचाना, सुबह को चौकीदार के साथ देवी दयाल, कामता, कोतवाली फतेहपुर गये और फिर पुलिस कोतवाल साहब महीपतसिंह व दो छोटे दरोगा जिसमें सुरेन्द्र त्रिवेदी भी हैं, गांव आए मगर छोटे दरोगा व पुलिस ने डकैती के सिलसिले में हमारे गांव के मथुरा कुर्मी व राम बली कुर्मी व रामेश्वर लोहार को पकड़ा और कोतवाली ले गये उनको मारपीट कर के व डाड़ बान्ध यानी रिश्वत लेकर छोड़ दिया इसके बाद सेनीपुर के जागेश्वर कुर्मी व अयोध्या किसनी खेरा जो जागेश्वर का बहनोई है, को पकड़ कर कोतवाली में कई दिन बिठा रक्खा और उन्हें भी डाड़ बान्ध लेकर छोड़ दिया। हमारे गांव का देवी दयाल उर्फ बड़कू पुलिस की डर से डेढ़ दो माह से भागा भी रहा, इसके बाद यानी डकैती के करीब दो महीने बाद हम लोगों को पुलिस ने बताया कि कुछ बदमाश कोतवाली में पकड़ कर लाये गये हैं चलों देख आओ। उसके पहले ही हमारे रिश्तेदार हीरा लाल कुर्मी, साकिन मदारीपुर थाना कोतवाली के यहां भी एक डकैती पड़ चुकी थी जब हम लोग यानी मैं, कामता, संकठा, देवीदयाल, सुखराम कुर्मी, बृजलाल कुर्मी, अयोध्या कुर्मी, बसन्ता, पुत्र कन्धई कुर्मी, मान लोहार बचानी गड़ेरिया, राम अवतार कुर्मी, मंगली कुर्मी कोतवाली आये तो कोतवाली में हमको हमारे रिस्तेदार राम स्वरूप उर्फ टिर्रा साकिन सेनीपुर शिव-दर्शन कुर्मी व सरपंच राम निवास साकिन कोराई को दिखा कर पुलिस ने कहा हमसे कि इनको अच्छी तरह पहचान लो इनकी शिनाख्त करना है तब हम सहम गये और दरोगा जी से बोले कि यह तो हमारे रिस्तेदार हैं यह डकैती में नहीं थे, तब कोतवाल साहब और त्रिवेदी दरोगा ने कहा कि अगर इनकी शिनाख्त न करोगे और कहने के व मूजिब न चलोगे तो हमें तुम्हारा ही चालान करना पड़ेगा। तब हम हां कह कर गांव चले आये इसके बाद भी ३—४ बार जब-जब हमारे गांव की डकैती के मुलजिमान पकड़े गये पुलिस हम लोगों में से जिनको गांव से कोतवाली बुला कर, पहचनवा कर पकड़े गये। पुलिस हम लोगों में से जिनको गांव से कोतवाली बुलाकर, पहचनवा कर और धमकी दे कर शिनाख्त करने को कही थी दुबारा जब मैं कोतवाली फिर बुलाया गया था तो मैंने अपने रिस्ते के साले राम मनोहर साकिन जैनपुर को कोतवाली में बन्द देखा उस समय मेरे साथ मंगल, बृजलाल, देवी दयाल, अयोध्या कुर्मी भी थे। मैंने तब हिम्मत कर के दरोगा त्रिवेदी से कहा कि क्या आप हमारे सभी रिस्तेदारों को ही इस डकैती में बन्द कर के मानेंगे सही मुलजिम पकड़ेंगे, तब दरोगा जी ने मुझे तीन-चार तमाचे मार कर धमकी भी दी कि साले तुझे भी बन्द करना पड़ेगा तब मैंने हाथ जोड़ कर कहा कि अच्छा जैसा कहते हो वही करेंगे।

२—इसके बाद पार साल असाढ़ के महीने पूर्णमासी के दो-तीन दिन पहले एकादशी के दूसरे दिन मंगल के दिन सुबह दिन निकलने के बाद कोतवाली का एक सिपाही रामनारायण हमारे गांव आया और मुझसे बोला कि तुम्हें दरोगा जी ने बुलाया है, उसके एक घंटा बाद फिर एक और सिपाही जिसका नाम नहीं मालूम मेरे पास आया और बोला कि फौरन कोतवाली चलो कोतवाल साहब बुला रहे हैं। तब मैं तुरन्त सिपाही के साथ कोतवाली आया तो त्रिवेदी दरोगा मिले कोतवाल साहब इलाहाबाद गये थे त्रिवेदी दरोगा ने मुझसे कहा कि साले तू शिनाख्त करने खुद तैयार नहीं है और गांव के लोगों को भड़का रहा है। इतनी बात थी कि मैंने राम मनोहर के गिरफ्तारी के बाद यह पुलिस के रवैय को देख कर गांव के लोगों से जरूर बोला था कि डकैती हमारे यहां पड़ी और अब यह दूसरी डकैती पुलिस वाले डाल रहे हैं। जो हमी लोगों के रिस्तेदारों को पकड़ कर और हमी लोगों से झूठी गवाही दिलाकर खाना पूरी करना

चाहते हैं। यदि हम पुलिस के डर से अपने रिस्तेदारों को ही झूठा फसाने में मददगार हुए तो कल वे भी हमारे साथ यही करेंगे। मैंने त्रिवेदी दरोगा से कहा कि आप लोग हमको कहीं का नहीं रक्खेंगे। हम लोग अदालत में सच्चाई को कहां तक छिपायेंगे। रिस्ते-नाते को कहां ले जायेंगे और रिस्तेदारों से हमारे झूठ बोलने से हमारी क्या हालत होगी आपलोग इस पर भी गौर करें तब दरोगा त्रिवेदी ने २-३ बेंत मेरे मारे और मुझे बन्द कर दिया व असलहा का फर्जी केस बेरूई हार गांव में गिरफ्तार दिखा कर और फर्जी गवाह बरामदगी के बनवा कर जेल भिजवा दिया। दूसरे दिन मैं जमानत पर अदालत हाकिम परगना फतेहपुर के यहां से छूटा छूटते ही फिर त्रिवेदी दरोगा ने मुझे कहा कि अभी खैरियत है कल शिनाख्त कर लोगे, शिनाख्त में हमारे मुताबिक काम करोगे तो मैं केस में अदालत से छोड़वा दूंगा। मैं डरा हुआ था और दरोगा जी को हां कह दिया छूटने के दूसरे दिन और गवाहों के साथ में शिनाख्त करने गया वहां भी दरोगा जी त्रिवेदी मौजूद रहे व मदारीपुर के भी गवाहान मिले उन्होंने भी ये बताया कि त्रिवेदी दरोगा बड़ा खतरनाक है हमें भी धमकी व लालच दिया पुलिस से दुश्मनी ठीक नहीं, मगर मैंने उन लोगों की शिनाख्त नहीं की जिनसे मेरी सीधा रिस्ता था और जिनसे कामता का कोई सीधा रिस्ता नहीं था, मैंने सिर्फ राम स्वरूप उर्फ टिर्रा कुर्मी साकिन सेनीपुर की शिनाख्त की जो कामता मुद्दई के नाना जोवा का खानदानी है क्योंकि खुद कामता पुलिस के डर से जब झूठे व गलत आदमियों को फंसाने पर राजी था तो मैंने समझा कि उसकी भी रिस्तेदारी को क्यों छोड़ा जाय।

३—इसके बाद ए० डी० एम० साहब की इजलास में इस केस में जब मेरा बयान हुआ और जिरह में मुझसे सवाल पूछे गये यह और रिस्ते नाते की बातें मुझसे पूछी गई थी तो मैंने मजबूरन यह कह दिया कि राम मनोहर साकिन जैनपुर मुलजिम हाजिर अदालत को मैं डकैती के पहिले से जानता हूं असलियत कैसे छिपाता राम स्वरूप मुलजिम के बारे में मैंने पुलिस के दवाव से असलियत जरूर छिपा ली मेरे इस ध्यान से पुलिस और नाराज हो गई और उसके बाद मुझे असलहा के उक्त झूठे मुकदमें में डेढ़ साल की सजा कर दी गयी जिसकी अपील जजी फतेपुर में दाखिल है और मैं जमानत पर हूं जजी में इस मुकदमा की गवाही देने के संबंध में, आने पर जब मैंने फिर यह कहना शुरू किया कि अब मैं सच्ची-सच्ची बातें अदालत में कह दूंगा तो त्रिवेदी दरोगा ने मेरे गांव के पास के गड़रियन पुरवा उर्फ शिवपुरा मजरा आदमपुर के परसादी गड़ेरिया से एक झूठी रपट उस के घर में घुस कर मारपीट करने की फर्जी चोटें बनवा कर ४५२/३२३ ता० हि० को कोतवाली में मेरे व गड़रियन पुरवा के शिव दत्त मिश्रा व उसके भाई शिव मंगल मिश्र व पचमिटा के ठमकुर राम रतन सिंह व मेरे गांव का गंगा प्रसाद उर्फ वकील कुर्मी के खिलाफ दर्ज कराई और मुझे गिरफ्तार कर के जेल भेज दिया जमानत पर छूटा हूं। यह केस इसी फरवरी सन् १९६५ ई० को इसके बाद रविवार को (परसों) त्रिवेदी दरोगा ने गांव आकर मुझे व मेरे भाई संकठा को धमका आए हैं कि तुम लोग अदालत गवाही पर न आना और न वहां फतेहपुर में चार-पांच दिन तक यानी इस डकैती के केस के चलने तक दिखलाई न देना वर्ना फिर डकैती या कत्ल में फंसवायेंगे और फिर दुर्गति बनावेंगे। मेरे खिलाफ त्रिवेदी ने जोर जो असलहा का चलाया और जिसमें सजा कराया उसमें मेरे सफाई के गवाह उक्त गंगा प्रसाद उर्फ वकील कुर्मी और उक्त ठाकुर राम चेतनसिंह अदालत में पेश हुए थे उक्त गड़ेरिया पुरवा में १०७ जाब्ता फौजदारी का मुकदमा उक्त पंडित शिवदत्त मिश्र व उसके भाई शिव मंगल के खिलाफ कोतवाली के पुलिस ने एक तरफा चलाया था और उसके बाद शिवदत्त मिश्र ने इस्तगासा अदालत में देकर पुलिस के जबाबी केस दायर किया था इसी कारण अमुक पार्टी के खिलाफ उक्त फर्जी मुकदमा पुलिस ने बदले की भावना से चलाया है। श्रीमान् आप भी यदि हम गरीबों के साथ इन्साफ न कर सकेंगे और पुलिस की ज्यातियां बढ़ती गईं तो फिर क्या होगा। इसका खुद अन्दाजा लगा सकते हैं। मैं किसी तरह छिप कर आज फतेहपुर आया हूं और यह दरख्वास्त टाइप करा कर दे रहा हूं मैंने और ऊंचे अफसरों को भी अपनी इस दर्द की कहानी लिख कर भेजी है व मेरा भाई संकठा इसी कारण अब तक उक्त जज साहब का सम्मन पाकर अदालत नहीं आया हमें सख्त खतरा है कि फिर पुलिस वाले कहीं न कहीं से हमें व हमारे घर वालों को झूठे चालान में जेल

भिजवायेंगे। मेरी इन बातों को ऊंचे अफसरों द्वारा और आप के द्वारा भी मौके पर जांच होनी चाहिये और पुलिस के फर्जी व आतंकपूर्ण कारनामों से हम लोगों को मुक्ती मिलना चाहिये वरना न्याय पर किसी का विश्वास नहीं चाहेगा। आप खुद मौके पर जाकर मेरे गांव से मील, पर डेढ़ मील पर स्थित बाढ़े का ताल मौजा रावतपुर। सैनीपुर व निटोरा व जैनपुर व जगन्नाथ पुर वगैरह गांव में सही जांच करनी चाहिये, कागजी कार्यवाही से सही न्याय सरकार के यहां से नहीं मिलेगा।

मान्यवर आशा है कि श्रीमान जी सदाचार समिति द्वारा या जैसा भी उचित समझे जांच करवा कर अनुग्रहीत करेंगे जिससे कि हम गरीब किसान आप के आभारी होंगे, बड़ी कृपा होगी।

(द०) शोभा
प्रार्थी

दिनांक २३-२-६५

(ह०) शोभा पुत्र शिवबालक कुर्मी
साकिन खलरियन पुरवा,
मजरे आदमपुर थाना कोतवाली,
जिला फतेहपुर।

अमर शहीद पदुमा देवी स्मारक समिति

नत्थी "ङ"

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० ३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९१ पर)

क्रम-संख्या लघु उद्योग इकाई का नाम व पता	इकाई की की स्थिति (निबन्धन के समय)	बी०पी०सीट	जी०पी०सीट
१—मे० अमजद अली, मु० रस्सी वाटान, लखनऊ	चालू	उपर्युक्त सामान के लिये इन्होंने कोई प्रार्थना-पत्र नहीं किया ।	
२—म० इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव आफ इंडिया, हीवेट रोड, लखनऊ ।	प्रस्तावित	,,	,,
३—मे० जनता मेटल वर्क्स, सराय माली खां, लखनऊ	चालू	,,	,,
४—मे० मोडरन स्टील वर्क्स, सी० ९३८ सेक्टर बी, महानगर, लखनऊ ।	चालू	,,	,,
५—मे० मोहम्मद सलीम ब्रादर्स, मु० दरयायी टोला, लखनऊ ।	चालू	,,	,,
६—मे० यू०पी० स्टील वर्क्स, मो० रकाबगंज, लखनऊ ।	चालू	,,	,,
७— मे० एस० एस० अग्रवाल, इंजीनियरिंग वर्क्स, आलमबाग, लखनऊ ।	चालू	,,	,,
८—मे० जयहिंद एग्रीकल्चरल वर्क्स आगामीर ड्योढ़ी, लखनऊ ।	प्रस्तावित		
९—मे० साउथ नार्थ इंडिया ट्रेडिंग कं० हजरतगंज, लखनऊ ।	चाल	,,	,,
१०—मे० पाटर्स इंडिया सर्विसिंग लि० अशोक मार्ग, लखनऊ ।	प्रस्तावित	,,	,,
११—मे० यूनाइटेड कामर्शियल कारपोरेशन प्रा० लिमिटेड, १०, अशोक मार्ग, लखनऊ ।	चालू	,,	,,
१२—मे० शोभा सिंह ऐंड सन्स, ऐशबाग, लखनऊ ।	चालू,	,,	,,
१३—मे० पायोनियर सर्जिकल इम्पोरियम आलमबाग, लखनऊ ।	प्रस्तावित	,,	,,
१४—मे० फास्टनर्स ऐंड वायर प्राडक्ट्स, आलमबाग, लखनऊ ।	चालू	,,	,,
१५—मे० रिलाइबिल सर्जिकल कं०, नरही बाजार रोड, लखनऊ ।	प्रस्तावित	,,	,,

क्रम-संख्या लघु उद्योग इकाई का नाम व पता	इकाई की की स्थिति (निबन्धक के समय)	बी० पी० सीट	जी० पी० सीट
१६—मे० के० सरवही ऐंड कं०, नादान महल रोड, लखनऊ ।	चालू	उपर्युक्त सामान के लिये इन्होंने कोई प्रार्थना-पत्र नहीं किया ।	" "
१७—मे० जयहिन्द इंजीनियरिंग वर्क्स, उदयगंज, लखनऊ ।	चालू	"	"
१८—मे० मैक्तूल इंडस्ट्रीज औद्योगिक आस्थान, लखनऊ ।	प्रस्तावित	"	"
१९—सर्वश्री सन स्टार इंडस्ट्रीज, महमूदनगर, लखनऊ ।	प्रस्तावित	चूंकि इन्होंने अपनी पूर्वनिश्चित इकाई को स्थापित नहीं किया । अतः उनके पक्ष में निर्धारण नहीं हुआ ।	
२०—सर्वश्री अमर हास्पिटल उद्योग, खुरशेदबाग, लखनऊ ।	प्रस्तावित	इन्होंने अपना कारखाना अस्पताल की चीजों को बनाने के लिए पंजीकृत कराया था लेकिन कारखाने की स्थापना पूरी नहीं की गई । अतः इन्हें भी माल नहीं दिया गया ।	
२१—सर्वश्री वर्मा कृषि यंत्रालय, हुसेनगंज, कुर्मी टोला, लखनऊ ।	चालू	इन्हें जो ऋण दिया गया था उसका इन्होंने पूर्णतः उपयोग नहीं किया । जांच के समय इनका कारखाना भी बन्द पाया गया । अतः इन्हें माल देने का प्रश्न नहीं उठता ।	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "च"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९५ पर)

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, कानपुर द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं, समितियों की सूची जिनको ५०, प्रतिशत अनुदानित मूल्य पर हाथ चालित आटा चक्कियां बिक्रय करने के लिये सेलिंग एजेंसी प्रदान की गई है ।

क्र० सं०	नाम समिति (संस्था)	प्रमाण-पत्र दिये जाने का दिनांक	चक्की निर्माण केंद्र का नाम	साइज	५० प्रतिशत अनुदानित विक्रय मूल्य
१	२	३	४	५	६
१.	धान कुटाई उद्योग स०स० लि० उमापुर, इलाहाबाद	२९-५-६५	ग्राम कला निकेतन इलाहाबाद ।	१४ इंच	१३.२८
				१६ ,,	१३.८१
२.	,, ,, जेतापुर बहराइच ।	२९-५-६५	ग्राम उद्योग,ट्रस्ट, कानपुर	१४ ,,	१४.०४
				१३	१४.३०
			ग्रामोद्योग यंत्र निर्माण	१४ ,,	१४.३७
			उ० स०सं०लि०, धन-कुट्टी, कानपुर ।	१६ ,,	१४.९०
३.	मां कस्तूरबा सेवाआश्रम बिलीपनगर, कानपुर	२९-५-६५	ग्रामोद्योग यंत्र निर्माण	१४ ,,	१३.७५
			उ०स०स०लि० धनकुट्टी, कानपुर	१६ ,,	१४.२८
४.	धान कुटाई औद्योगिक स०स०लि० दुर्गाबाजार, मिर्जापुर ।	२९-५-६५	ग्राम कला निकेतन, इलाहाबाद ।	१४ ,,	१३.८१
				१६ ,,	१४.३५
५.	विकास केंद्र आजाद-नगर, कानपुर ।	२९-५-६५	ग्रामोद्योग ट्रस्ट, कानपुर	१४ ,,	१३.४३
				१६ ,,	१३.७१
६.	श्री गांधी सेवाआश्रम ज्वालापुर, सहारनपुर	७-१-६६	१ जन कल्याण विकास समिति, जमुना रोड, आगरा	१८ ,,	१८.९९
				१६ ,,	१७.४३
				१४ ,,	१६.८७
				१२ ,,	१४.२२
			२-सत्य नारायण ऐंड संस चोरगली, हाथरस, अलीगढ़	१४ ,,	१५.०३
				१६ ,,	१६.६२
७.	अनाज एवं दाल प्रशोधन उद्योग सं० सं०लि०सुल्तानगंज, मैनपुरी ।	७-१-६६	जन कल्याण विकास समिति, जमुना रोड, आगरा	१४ इंच	१६.१२
				१६ ,,	१७.१८
८.	सर्वोदय आश्रम एटा	७-१-६६	जन कल्याण विकास समिति, जमुना रोड, आगरा	१२ ,,	१३.२२
				१४ ,,	१५.८७
				१६ ,,	१६.९३
				१८ ,,	१७.९९
९.	ग्राम स्वावलम्बी विद्या-लय, आचार्यनगर, फैजाबाद ।	७-१-६६	ग्रामोद्योग ट्रस्ट, कानपुर	१६ ,,	१४.१८
				१४ ,,	१३.९२
			ग्राम कला निकेतन, इलाहाबाद	१६ ,,	१४.२५
				१४ ,,	१३.७२

१	२	३	४	५	६
१०. धान कुटाई उद्योग स०स०लि०, सिगनी मैनपुरी ।	७–१–६६	जन कल्याण विकास समिति जमुना रोड, आगरा ।	१६ इंच १४ ,,		१७.६८ १६.६२
११. यू०पी०धान कुटाई उद्योग स०स०लि०, कानपुर	७–१–६६	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के सेलिंग एजेंसी के निर्धारित नियमानुसार ६ प्रतिशत व्यवस्था खर्च एवं वास्तविकता मार्ग व्यय लगाकर सरंजाम निर्माताओं के उनके उपकरण मूल्य पर क्रय कर कानपुर एवं आवश्यकतानुसार प्रांत के अन्य स्थानों पर विक्रय भंडार खोल कर संरजाम अनुदानित मूल्य पर विक्रय किये जावेंगे ।			
१२. आदर्श धान कुटाई उद्योग स०स०लि० मुन्नूगंज, शाहजहांपुर	७–१–६६	ग्रामोद्योग यंत्र निर्माण स०स०लि० कानपुर ।	१६ १४	,, ,,	१५.२८ १४.७५
१३. राम बाग उपभोक्ता स०स०लि० रामबाग, कानपुर ।	७–१–६६	ग्राम कला निकेतन, इलाहाबाद ।	१४ १६	,, ,,	१३.२२ १३.७५
१४. हाथ धान कुटाई, स०स०लि० जैठूपुर, वाराणसी ।	७–१–६६	श्री सालिगराम गुप्ता, शंकरगढ़, इलाहाबाद ।	१४ १६	,, ,,	१४.७६ १५.२९
१५. संयुक्त सहकारी खेती समिति लि० करधना, वाराणसी	७–१–६६	ग्राम कला निकेतन, इलाहाबाद ।	१४ १६	,, ,,	१३.४७ १४.००
१६. धान कुटाई उद्योग ०स०स० लि० श्यामनगर, शुक्लापर, इलाहाबाद ।	७–१–६६	ग्राम कला निकेतन, इलाहाबाद ।	१४ १६	,, ,,	१३.३५ १३.८७
१७. धान कुटाई उद्योग स०स०लि० बिजहरी, कानपुर ।	७–१–६६	ग्राम कला निकेतन, इलाहाबाद ।	१४ १६	,, ,,	१३.३५ १३.८८
१८. धान कुटाई उद्योग स०स०लि०, पेशनगर पीलीभीत ।	७–१–६६	सत्यनारायण ऐंड संस चोरगली, हाथरस, अलीगढ़ ।	१४ १६	,, ,,	१५.५३ १७.१२
१९. धान कुटाई, उद्योग स०स० लि० माजरा, देहरादून ।	७–१–६६	,, ,,	१६	,,	१६.७८
२०. अनाज एवं दाल प्रक्रिया उद्योग स० स०लि०टीकाराम, मैनपुरी ।	७–१–६६	जन कल्याण विकास समिति जमुना रोड, आगरा ।	१४ १६ १२	,, ,, ,,	१५.८७ १७.०६ १३.२२
२१. ग्रामोदय आश्रम कलवरा, गाजीपुर	७–१–६६	मे०सालिगराम गुप्ता, शंकरगढ़, इलाहाबाद ।	१४ १६ १८	,, ,, ,,	१४.३६ १४.९४ १५.४७

नत्थी "छ"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ५१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९६ पर)

२९-५-६६ को ग्राम नयाबांस, थाना फरिहा निवासी राम निवास हरिजन के बाबा डमरू लाल और एक अन्य व्यक्ति उत्तम चन्द की पार्टियों में एक बगीचे की आम की फसल के बटवारे को लेकर झगड़ा हो गया। उत्तम चन्द के लड़के दिनेश चन्द ने एक रिपोर्ट थाना शिकोहा बाद में दर्ज कराई जिसके थाना फरिहा में प्राप्त होने पर भा०दं०वि० की धारा १४७/३२३ के अन्तर्गत एक मुकदमा दर्ज किया गया जो अदमतफतीश रक्खा गया। राम निवास ने भी इस संबंध में एक प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक को दिया। उसके आधार पर थाना फरिहा पर धारा १४७/३२४ भा०दं०वि० के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज हुआ। प्रारम्भिक जांच से यह पाया गया कि प्रार्थना-पत्र बढ़ा चढ़ाकर दिया गया था और घटना केवल मारपीट की थी और बल्लम के प्रयोग और माल के लूटे जाने की बातें सही नहीं थी। अतः मामला धारा १४७/३२३ भा०दं०वि० के अन्तर्गत परिवर्तित किया गया और इसे भी अदमतफतीश रक्खा गया। दोनों पार्टियों को अपने झगड़े न्यायालय से तय कराने के लिये कहा गया। शांति बनाये रखने के लिए दोनों पार्टियों के विरुद्ध धारा १०७/११७ जा०फौ० के अन्तर्गत कार्यवाही की गई। बाद में दोनों पार्टियों में समझौता हो गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ज"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९७ पर)

शाहजहांपुर जिले में राजकीय सीमेंट फैक्टरी चुर्क के स्टाकिस्टों तथा उनके द्वारा १९६६ के प्रथम एवं द्वितीय क्वार्टर (१-१-६६ से ३०-६-६६) में उठाये गये सीमेंट की सूची

क्रम सं०	स्टाकिस्ट का नाम	एलाटमेंट (मैट्रिक टनों में)		लिफ्टमेंट (मैट्रिक टनों में)		अग्रिम मूल्य प्राप्त न होने के कारण एलाटमेंट रद्द (मैट्रिक टनों में)	
		प्रथम क्वार्टर १-१-६६ से ३१-३-६६	द्वितीय क्वार्टर १-४-६६ से ३०-६-६६	प्रथम क्वार्टर १-१-६६ से ३१-३-६६	द्वितीय क्वार्टर १-४-६६ से ३०-६-६६	प्रथम क्वार्टर १-१-६६ से ३१-३-६६	द्वितीय क्वार्टर १-४-६६ से ३०-६-६६
१	सर्वश्री शांतिस्वरूप अग्रवाल	२०४	४८	९६	२४	१०८	२४
२	सर्वश्री रामभरोसे शादीलाल	१७४	४८	२४	–	१५०	४८
३	सर्वश्री डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन	१६८	४८	१६८	४८	–	–
४	सर्वश्री सेठ राधाकिशन विमल कुमार	१६८	४८	१६८	४८	–	–
५	सर्वश्री कन्हैयालाल बुलीचन्द	१८४	४८	१९२	४८	–	–
६	सर्वश्री अमरसिंह, दर्शन सिंह	१७४	४८	२४	–	१५०	४८
७	सर्वश्री जवाहरलाल भोलानाथ	१८२	४८	१९०	४८	–	–
८	सर्वश्री बद्रीनाथ कपूर	१६८	४८	–	२४	१६८	२४
९	सर्वश्री दाताराम धनीराम	१६८	४८	२४	२४	१४४	२४

नत्थी "झ"

(देखिये तारांकित प्रश्न ५७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९७ पर)

पुलिस ट्रेनिंग कालेज, मुरादाबाद तथा स्पेशल पुलिस फोर्स, मुरादाबाद में तैनात पुलिस आफिसर जिनको वहां कार्य करते हुये ३ वर्ष से अधिक हो गये हैं

नाम	पद	तैनाती की तारीख
१—श्री नारायण दास श्रीवास्तव	एसिस्टेंट प्रिंसिपल, पुलिस ट्रेनिंग कालेज, मुरादाबाद ।	२२-७-६३
२—श्री नन्द लाल सिंह	कम्पनी कमांडर, स्पेशल पुलिस फोर्स, मुरादाबाद ।	८-५-६३
३—श्री डी० एस० टौलिया	कम्पनी कमांडर, स्पेशल पुलिस फोर्स, मुरादाबाद ।	२७-२-५६
४—श्री कामता सिंह	कम्पनी कमांडर, स्पेशल पुलिस फोर्स, मुरादाबाद ।	१५-१-६०
५—श्री जे० एस० यादव	कम्पनी कमांडर, स्पेशल पुलिस फोर्स, मुरादाबाद ।	१५-१-६०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ञ"

(देखिये तारांकित प्रश्न ६२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९८ पर)

प्राप्त समाचार—गोंडा जिले की तुलसीपुर चीनी मिल के क्षेत्र के किसानों का वर्ष १९६५–६६ के गन्ने के मूल्य का तुलसीपुर चीनी पर १.९८ लाख रु० २७–११–६६ तक इस कारण बकाया है कि मिल द्वारा गेट के किसानों को यह रकम स्वतः भुगतान करना है और जैसे जैसे किसान रुपया लेने आते हैं उन्हें भुगतान कर दिया जाता है । इसके अतिरिक्त उक्त समय तक २.४८ लाख रु० तुलसीपुर गन्ना समिति द्वारा क्षेत्रीय किसानों को भुगतान किया जाना शेष था । उक्त रुपया किसानों द्वारा रुपया लेने आने पर भुगतान किया जा सकेगा। शेष रुपया २.४८ लाख समिति द्वारा लघु सिंचाई योजना एवं गन्ने के बीज का दाम भुगतान करने की ओर व्यय किये जाने के कारण तुलसीपुर क्षेत्र के किसानों को अभी नहीं मिल सका है । तुलसीपुर क्षेत्र के किसानों का उक्त धनराशि अर्थात् ४.४६ लाख में बलरामपुर चीनी मिल को पूर्ति किये गये गन्ने का मूल्य रुपया १९,०००.०० सम्मिलित है । उक्त समिति सहकारी बैंक से ऋण लेने के लिये प्रयत्नशील है और उस धनराशि के मिलने पर उसका उपयोग इस बकाया मूल्य के वितरण में किया जायगा ।

इसके अतिरिक्त वर्ष १९६५–६६ में बलरामपुर चीनी मिल को बलरामपुर व गोन्डा गन्ना समितियों द्वारा पूर्ति किये गये गन्ने की १.२३ लाख रुपया की रकम जो मिल द्वारा उक्त समितियों को २७–११–६६ तक भुगतान कर दी गई थी, समितियों द्वारा जैसे जैसे किसान रुपया लेने आते हैं, उन्हें भुगतान की जा रही है ।

संसद सदस्य सूचना प्रणाली

नत्थी "ट"

(देखिये तारांकित प्रश्न ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९८ पर)

जी हां, विवरण निम्न प्रकार है :

इस प्रकार की एक शिकायत जो श्री तुलसीराम, ग्राम गुगौली खुर्द ने दी थी, कि जांच वरिष्ठ गन्ना अधिकारी, तुलसीपुर द्वारा की गई किन्तु दो अवसर दिये जाने के बावजूद शिकायत कर्त्ता जांच अधिकारी के सम्मुख अपनी शिकायतों के प्रमाण में उपस्थित नहीं हो सके । जांच के पश्चात् यह शिकायत निराधार पाई गई । प्रश्नकर्त्ता महोदय की शिकायत पर जो जांच की गई उससे स्पष्ट होता है कि शिकायतों पर यथेष्ट, वांछित एवं आवश्यकीय प्रमाण उपलब्ध न होने के कारण अग्रिम कार्यवाही उन कर्मचारियों के विरुद्ध सम्भव नहीं है जिनकी शिकायत की गई हैं । प्रथम शिकायतकर्त्ता ने वर्ष ६५–६६ में अपने गन्ने की पूर्ति समिति द्वारा मिल को नहीं की है, सम्भवतः समिति से लिये गये कर्जे के कटने के भय से । अतः उनके गन्ने के मूल्य के भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता । प्रश्नकर्त्ता महोदय के २ गाड़ी जले गन्ने का मूल्य निश्चित हो जाने पर तुरन्त भुगतान कर दिया जायगा ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी "ठ"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ७५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०१ पर)

सेवा में,

माननीय मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश ।

मान्यवर,

निवेदन है कि लखीमपुर खीरी में जनसंघ के जिला मंत्री, श्री शान्ति स्वरूप गुप्त, गोला जनसंघ के प्रधान, श्री बंशीधर पुरवार, गोला नगर मंत्री, श्री सुरेश चन्द्र गुप्त, कोषाध्यक्ष, श्री रूप नारायण गुप्त, गोला के उपमंत्री श्री श्रीराम जायसवाल (सदस्य नगरपालिका) तथा सर्वश्री राज राजेश्वर शुक्ल, शिवकुमार सिंह, रामस्वरूप वर्मा, ब्रह्मादीन सक्सेना, प्रेमचन्द्र गुप्त, शम्भू दयाल शर्राफ तथा प्रेम नारायण को पुलिस द्वारा अकारण भारतीय दण्ड विधान की धारा ३०७, १८८, ४२६, ४२७, ३२३, ३२४, १०९, १२० बी, १४७, १४९ में बन्दी बनाया गया है ।

इस प्रसंग में निवेदन है कि हिन्दुस्तान शुगर मिल, गोला गोकरननाथ जिला खीरी के श्रमिक अपनी बोनस संबंधी कुछ न्यायोचित मांगों के लिये आन्दोलन काफी दिनों से कर रहे थे। मिल मालिकों के हठवादी रवैये के कारण श्रमिकों में कुछ उत्तेजना भी थी । २८-२९ की रात्रि को पुलिस तथा श्रमिकों के बीच कुछ अप्रिय घटना घटी । उस घटना को सभी दुर्भाग्यपूर्ण कहेंगे। जहां पुलिस द्वारा उत्तेजित किये जानेवाला व्यवहार अनुचित है वहां श्रमिकों द्वारा की गई हिन्सात्मक कार्यवाही कोई भी ठीक नहीं कहेगा। उस मामले की जांच होनी चाहिये ।

आप को विदित ही है कि जनसंघ हिन्सात्मक तथा तोड़ फोड़ की नीति में बिलकुल विश्वास नहीं रखता । गोला जनसंघ ने दिनांक २९ मई, १९६६ को यह घोषणा की थी कि मिल मालिकों के रवैये के विरुद्ध तथा श्रमिकों की मांगों के समर्थन में दिनांक ३० मई, १९६६ को एक सार्वजनिक सभा की जायगी । जनसंघ की सभा न हो सके, इसलिये पुलिस द्वारा वहां धारा १४४ लगा दी गई ।

३० मई, ६६ को स्थानीय जनसंघ के एक कार्यकर्त्ता को थाने से फोन द्वारा पता लगा कि धारा १४४ नगरपालिका सीमा के भीतर है । अस्तु हमने लखीमपुर मार्ग पर नगरपालिका सीमा के बाहर सभा करने का निश्चय किया । जब स्थान पर कार्यकर्त्ता पहुंचे तो वहां श्री शुक्ला नामक एक दरोगा ने कार्यकर्त्ताओं को बताया कि १४४ पूरे थाने के क्षेत्र में लगी हुई है । अस्तु कार्यकर्त्ता सभा न करने का निश्चय घोषित कर वापस आने लगे ।

वहां से वापस आते समय मार्ग में उप-पुलिस अधीक्षक श्री छैल बिहारी वर्मा द्वारा १२ जनसंघ कार्यकर्त्ताओं को अकारण गिरफ्तार कर लिया गया तथा कोतवाली में लाकर सभी कार्यकर्त्ताओं के साथ पुलिस द्वारा जो निर्दयतापूर्ण व्यवहार किया गया है, वह अत्यन्त निन्दनीय है । सायंकाल ७ बजे से दूसरे दिन ३ बजे तक सभी वहां रक्खे गये । एक कोठरी में १२ आदमी बन्द रहे, उन्हें भोजन तो दूर रहा पानी तक नहीं पीने दिया गया। जब किसी ने पानी मांगा तो बड़ी निर्दयता पूर्वक दुतकारा गया ।

इस प्रकार सभी जनसंघ कार्यकर्त्ताओं को मिल में घटी एक पुरानी घटना से संबंध कर अकारण गिरफ्तार किया गया है । जहां तक श्रमिकों के आन्दोलन का प्रश्न है इस संबंध में यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आन्दोलन की गतिविधियों से हमारा कोई संबंध नहीं है ।

पुलिस के इस अमानुषिक व्यवहार के प्रति पूरे जिले में जनरोष व्याप्त है । लखीमपुर नगर में दिनांक १-६-६६ को पूर्ण हड़ताल रही। जनता ने सार्वजनिक सभा करके पुलिस अत्याचारों की निन्दा करते हुये सभी बन्दी जनसंघ कार्यकर्त्ताओं को तुरन्त रिहा करके मुकदमें वापस लेने की मांग की । गोलानगर में भी २ दिन हड़ताल रही ।

यदि स्थिति को तुरन्त ठीक नहीं किया गया तो दशा गम्भीर हो सकती है । सभी बन्दी जनसंघ कार्यकर्त्ता प्रतिष्ठित एवं सम्भ्रान्त परिवारों के हैं ।

अस्तु हमारी मांगे हैं कि :—

१—सभी बन्दी जनसंघ कार्यकर्त्ताओं को तुरन्त रिहा किया जाय ।

२—मुकदमें वापस लिये जायं ।

३—मजदूरों की मांगों पर सद्भावनापूर्वक विचार करके उनके हल का कोई रास्ता निकाला जाय ।

भवदीय,

(ह०) रामचरन शाह, एम० एल० ए०, प्रधान, भारतीय जनसंघ, खीरी ।
(ह०) श्री मन्नालाल, एम० एल० ए० ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ङ"

(देखिये तारांकित प्रश्न ८२, पीछे पृष्ठ २०१ पर)

प्रश्न	उत्तर
७—क्या सरकार को ज्ञात है कि मुख्य मंत्री ने सदन में यह आश्वासन दिया था कि मुलाजिमों के रिटायरमेंट की आयु ५८ से नहीं घटाई जायगी, लेकिन अप्रैल, १९६६ में सरकार ने एक जी०ओ० रिटायरमेंट आयु कम करने का निकाला है उससे पहले का जी० ओ० भी जारी हो चुका है जिसमें रिटायरमेंट की ऐज बढ़ाई गई थी। यदि ऐसा है, तो क्यों ?	अप्रैल, १९६६ के आदेशों में रिटायरमेंट की, आयु ५८ से कम नहीं की गई।
८—अप्रैल, १९६६ के जी० ओ० में जो शब्द एबव एवरेज (above average) लिखा गया है उससे सरकार का क्या मतलब है ? उसको किस तरह नापा जायगा क्या सरकार ने वर्तमान खुफिया जी० ओ० पर एल० आर० की ओपिनियन ली थी ?	इस सम्बन्ध में और विचार करने के लिये भारत सरकार से परामर्श किया गया है।
९—इस समय जब कुछ लोग पहले जी० ओ० का फायदा उठा चुके हैं तो दूसरे को इस फायदे से वंचित करने की नीति अपनाने का क्या कारण है ?	